FOR REFERNCE ONLY.

चतुर्दश माला, खंड 2, अंक 9

गुरुवार, 15 जुलाई, 2004
24 आषाढ़, 1926 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दूसरा सत्र

(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc No. 57
Dated 18/2/05

(खण्ड 2 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

आनन्द बी. कुलकर्णी
संयुक्त सचिव

शारदा प्रसाद
प्रधान मुख्य सम्पादक

नत्थू सिंह
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

परमजीत कौर
सहायक सम्पादक

नारद प्रसाद किमोठी
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 2, दूसरा सत्र, 2004/1926 (शक)]

अंक 9, गुरुवार, 15 जुलाई, 2004/24 आषाढ़, 1926 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 142 से 161	6-49
अतारांकित प्रश्न संख्या 1127 से 1356	49-476
सभा पटल पर रखे गए पत्र	476-481
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
श्री अमरनाथजी यात्रा—2004	
श्री शिवराज वि० पाटील	482-484
अतिरिक्त अनुदानों की मांगे (सामान्य)—2001-2002	484
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के जल के प्रभावी उपयोग हेतु योजनाओं को वित्त पोषित किये जाने की आवश्यकता	
श्री एम.एम. पल्लम राजू	485
(दो) हैदराबाद को 'ए' श्रेणी के नगर के रूप में वर्गीकृत किए जाने की आवश्यकता	
श्री एम. अंजनकुमार यादव	485
(तीन) तमिलनाडु की नोय्यल नदी में औद्योगिक अवशिष्ट छोड़ जाने से होने वाले प्रदूषण को रोके जाने की आवश्यकता	
श्री एस.के. खारवेनथन	485
(चार) सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से पुनः 58 वर्ष करने तथा सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी के आश्रितों में से एक व्यक्ति को रोजगार दिए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती कृष्णा तीरथ	486
(पांच) महाराष्ट्र के भंडारा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के बपेरा गांव में वैनगंगा नदी में आयी बाढ़ के कारण विस्थापित हुए लोगों को ग्रामीण विकास परियोजना के अंतर्गत आवास उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता	
श्री शिशुपाल एन. पाटले	487

विषय कॉलम

(छह) महाराष्ट्र के शोलापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में टैक्सटाईल पार्क स्थापित करने तथा बंद कपड़ा मिलों को पुनः शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री सुभाष सुरेशचन्द्र देशमुख 487

(सात) मध्य प्रदेश में सिवनी में आकाशवाणी केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती नीता पटैरिया 488

(आठ) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के विकास के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किए जाने की आवश्यकता

डा. सत्यनारायण जटिया. 488

(नौ) मदुरै-डिन्डीगुल रेल लाईन के दोहरीकरण कार्य में तेजी लाने के लिए 96 करोड़ रुपए आवंटित किए जाने की आवश्यकता

श्री पी. मोहन 488

(दस) उत्तरांचल में हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता

श्री राजेन्द्र कुमार 489

(ग्यारह) बिहार के गोपालगंज में हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण किए जाने की आवश्यकता

श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव. . 489

(बारह) उत्तर प्रदेश के खलीलाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नदियों के कारण होने वाले भूमि कटाव को रोकने के लिए उपचारात्मक कदम उठाये जाने की आवश्यकता

श्री भाल चन्द यादव 490

(तेरह) बिहार में महाराजगंज-मशरख रेल लाइन के लिए धनराशि जारी किये जाने तथा इस रेल लाइन का विस्तार परमानंदपुर तक किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रभुनाथ सिंह. 490

(चौदह) तमिलनाडु के चिदम्बरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के गांवों में स्वच्छ पेयजल तथा सड़क सम्पर्क जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एक समुचित योजना बनाये जाने की आवश्यकता

श्री ई. पोन्नुस्वामी 491

(पंद्रह) असम में लोहित तथा खबोली नदियों पर पुलों के निर्माण तथा एन.एल.के. लिंक रोड को सुदृढ़ करने की सुनियोजित परियोजनाओं को पूरा करने हेतु पर्याप्त धनराशि आवंटित किए जाने की आवश्यकता

डा. अरुण कुमार शर्मा 492

विषय	कॉलम
सभापति तालिका के लिए नामनिर्देशन	510-512
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्यवार अनुक्रमणिका	513-514
अतारांकित प्रश्नों की सदस्यवार अनुक्रमणिका	514-520
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालयवार अनुक्रमणिका	519-520
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालयवार अनुक्रमणिका	521-522

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका*

श्री पवन कुमार बंसल

श्री गिरिधर गमांग

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री अजय माकन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मानवेन्द्र शाह

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री गुरदीप चन्द मलहोत्रा

---

*अध्यक्ष महोदय द्वारा 15 जुलाई, 2004 को नामनिर्दिष्ट।

लोक सभा

गुरूवार, 15 जुलाई, 2004/24 आषाढ़, 1926 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 142, श्री परसुराम माझी।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष श्री, जनसत्ता अखबार में लालूजी का बयान आया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री मल्होत्रा, आपने मुझे कोई सूचना नहीं दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने मुझे कोई सूचना नहीं दी है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्षजी, श्री लालू प्रसाद जी ने देश में आग लगाने का काम किया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठिए।

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य) : अध्यक्ष महोदय, लालू प्रसादजी देश में दंगे करवाना चाहते हैं। वहां पुलिस वालों ने दंगाइयों पर फायरिंग की थी और उन्हें इनाम दिया गया था...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : लालू प्रसाद जी ने देश के लोगों की भावनाओं को भड़काया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बारी-बारी से बोलें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (बेतिया) : अध्यक्षजी, प्रश्नकाल बाधित हो रहा है।...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्षजी, प्रश्न पूछने का अवसर दिया जाए।...*(व्यवधान)*

श्री रामकृपाल यादव (पटना) : आप लोग जांच से क्यों डर रहे हो...*(व्यवधान)* यह बताइए कि आप डरते क्यों हो...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : रामकृपालजी, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं। कृपया बैठिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री मल्होत्रा, कृपया थोड़ी देर इंतजार करें। अभी मुझे सभा को नियंत्रित करने दें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री मल्होत्रा, आपने मुझे कोई सूचना नहीं दी है।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्षजी, नोटिस का सवाल नहीं है, देश में आग लग रही है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको सुनना चाह रहा था। मैं आपको बता रहा था कि यद्यपि आपने मुझे कोई सूचना नहीं दी है, फिर भी मैं आपको सुनुंगा। लेकिन आपको तो अध्यक्ष की बात भी सुनने का धैर्य नहीं है। मैं क्या कर सकता हूं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठ जाइए। श्री रामकृपाल यादव, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं। मुझे खेद है, कृपया मुझे कोई कार्रवाई करने पर बाध्य मत करें। मैं इसे पसंद नहीं करता। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा तीरथ (करोल बाग) : जांच से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये लोग क्यों डर रहे हैं?

(व्यवधान)

श्री मोहन रावले : वहां पुलिस वालों ने दंगाइयों पर फायरिंग की...*(व्यवधान)* पुलिस वालों को वहां ईनाम दिया गया ...*(व्यवधान)* क्या वह सब असत्य है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री मोहन रावले, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। जब मैं बोल रहा हूं तो आपको बैठ जाना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस सभा के लिए लोगों ने हमें महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने के लिए चुना है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे लगता है, यह भी एक रोग की तरह फैल रहा है। अध्यक्षपीठ के प्रति तो बिल्कुल ही आदर नहीं है। लोग क्या कहेंगे?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री मल्होत्रा, आप अच्छी तरह जानते हैं कि किसी विषय पर बोलने के लिए कम से कम सूचना देनी पड़ती है। मुझे आपने कोई सूचना नहीं दी है। लेकिन आप काफी उत्तेजित लग रहे हैं तो मैं आपको एक-दो मिनट में अपनी बात कहने की अनुमति दूंगा जो कि इस समय बहुत असामान्य है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा : महोदय, आपकी बात प्रापर है। हम लोगों को भी बोलने के लिए मौका दें।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : बात प्रापर है, तो गुस्सा नहीं करना चाहिए।

(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, आपने एलाउ किया, उसके लिए आपको धन्यवाद।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप केवल एक मिनट के लिए बोल सकते हैं, अन्यथा मैं प्रश्न काल पर आता हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : मैं एक मिनट लूंगा। जुडिशियल कमीशन बैठा हुआ है। वहां मुकदमें चल रहे हैं। पोटा में मुकदमें चल रहे हैं। कचहरियों में मामले चल रहे हैं। जो एक्युज्ड पर्सन्स हैं, वे पाकिस्तानी हैं और आईएसआई के एजेन्ट हैं। उनको बचाने के लिए एक और कमीशन बैठाने की बात उन्होंने कही है।...*(व्यवधान)* वहां शान्ति को भंग करने की बात उन्होंने कही है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप उस अवसर का दुरुपयोग कर रहे हैं जो आपको दिया गया है। आप इसे मुझे दिखा सकते हैं। मैं यह निर्णय करूंगा कि क्या किया जाना है। अब कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। बैठिये। आप वह सब कह चुके हैं जो आप कहना चाहते थे।

प्रश्न सं. 142, श्री परसुराम माझी।

(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.06 बजे

(इस समय श्री मोहन रावले और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा-पटल के निकट खड़े हो गए।)

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे अपने-अपने स्थान पर चले जाएं। कृपया आसन के समीप खड़े न हों। कृपया अपने-अपने स्थान पर चले जाएं। यह बहुत ही अनुचित है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लोग जो कहना चाहते हैं, सीट पर जाकर बोलिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सारे देश को यह देखने दीजिए कि संसद सदस्य संसद में किस प्रकार व्यवहार कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री खैरे, प्रश्न काल के बाद, मैं आपको समय दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मल्होत्रा जी को बोलने के लिए बुलाया, लेकिन उन्होंने इसका दुरुपयोग किया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सब बैठिए। क्या बात है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आप सब से दोनों हाथ जोड़ कर कहता हूं कि सीट पर जाइए। मैं आपको बाद में बोलने का मौका दूंगा। समय आने पर बोलने का मौका दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात सुनते नहीं हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं यह आदेश कैसे दे सकता हूं कि मंत्री जी को किस प्रकार बोलना चाहिए?

[हिन्दी]

आप डिक्टेट नहीं कर सकते हैं। यदि आपको पसन्द नहीं है तो आप उसकी आलोचना करिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं कि आप ऐसा जानबूझकर कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप लोग ऐसा जानबूझकर करते हो।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : देश यह देखे कि हमारे माननीय सदस्य सभा में किस प्रकार व्यवहार कर रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठते क्यों नहीं हैं? मुझे बेहद अफसोस है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रश्नों के लिखित उत्तर

पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि

***142. श्री परसुराम माझी :**
श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में पेट्रोल, मिट्टी का तेल, रसोई गैस, डीजल जैसे पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि करने के कारण और औचित्य क्या हैं;

(ग) क्या पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि के कारण मुख्यत: आम आदमी प्रभावित हुआ है;

(घ) यदि हां, तो क्या कड़े विरोध के मद्देनजर, सरकार का विचार इस मूल्य वृद्धि को वापस लेने का है;

(ङ) क्या सरकार पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों को निर्धारित करने हेतु एक मूल्य निर्धारण नीति बनाने/एक विनियामक बोर्ड गठित करने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (घ) 1.4.2002 से पेट्रोलियम क्षेत्र में प्रशासित मूल्य निर्धारण पद्धति (ए पी एम) की समाप्ति की घोषणा के बाद से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी तेल और घरेलू एल पी जी, जो रियायती उत्पाद बने हुए हैं, के सिवाए सारे पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारण को नियंत्रणमुक्त करने के प्रति उपाय किए गए हैं। प्रशासित मूल्य निर्धारण पद्धति के बाद तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल जिनके लिए भारत सरकार के साथ पूर्व अनौपचारिक विचार-विमर्श किया गय है, के सिवाए पेट्रोलियम उत्पादों के बिक्री मूल्य निर्धारण करती रहीं हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी तेल और घरेलू एल पी जी के मामले में सरकार राजसहायता की समान दर प्रदान करती है और इसके अलावा तेल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम इन उत्पादों पर राजसहायता देने का भार आंशिक रूप से वहन करते रहे हैं।

वर्तमान उच्च अंतरराष्ट्रीय तेल मूल्यों को ध्यान में रखते हुए तैल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल, डीजल, घरेलू एल पी जी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली मिट्टी तेल के उपभोक्ता मूल्यों में वृद्धि करने का अनुरोध किया। तथापि, यदि उच्च अंतरराष्ट्रीय तेल मूल्यों का पूरा प्रभाव पूर्णत: उपभोक्ताओं पर अंतरित कर दिया जाता, तो इससे उन पर अत्यधिक भार पड़ता। इसलिए सरकार ने 16.6.2004 से पेट्रोल, डीजल और एल पी जी पर उत्पाद शुल्क कम करते हुए भार वहन करने का निर्णय लिया। तेल विपणन कंपनियों ने भी 16.6.2004 से पेट्रोल, डीजल और घरेलू एल पी जी के घरेलू उपभोक्ता मूल्यों की वृद्धि में अंतरराष्ट्रीय तेल मूल्यों का पूरा प्रभाव अंतरित न करते हुए उच्च अंतरराष्ट्रीय तेल मूल्यों का भार वहन किया। इसके अलावा तेल विपणन कंपनियों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली मिट्टी तेल के बिक्री मूल्य में वृद्धि नहीं की। पेट्रोल, डीजल और घरेलू एल पी जी के मूल्यों में वृद्धि वापस लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) और (च) मूल्य निर्धारण नीति की समीक्षा की जा रही है। इसके अलावा सरकार का पेट्रोलियम और प्रकृतिक गैस विनियामक बोर्ड की स्थापना का भी प्रस्ताव है।

पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियों का अंतरण

*143. श्री मोहन एस. डेलकर :
श्री राजीव रंजन सिंह "ललन" :

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक अधिकार तथा धनराशि मुहैया कराने का है ताकि वे स्थानीय स्वायत्त शासन के रूप में कार्य कर सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस संबंध में पंचायती राज प्रमुखों से सरकार को राज्यवार अब तक कितने अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार संविधान के अनुच्छेद 243 छ (73वां संशोधन) अधिनियम 1992 के अनुसार पंचायतों को लगभग 29 विषय हस्तांतरित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ङ) क्या बारहवें वित्त आयोग ने पंचायतों को और अधिक धनराशि देने की सिफारिश की है;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं को सफल बनाने के लिए कोई राष्ट्रीय नीति बनाई है; और

(छ) यदि हां, तो इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए की गई कार्यवाही सहित तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (घ) और (च) और (छ) संविधान के अनुच्छेद 243-जी में प्रावधान है कि राज्य विधान मंडल, विधि द्वारा, पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार दे सकता है जो स्व-शासन की संस्था के रूप में कार्य करने में उन्हें समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों तथा ऐसे कानून में निम्नलिखित के बारे में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन पंचायतों को उपयुक्त स्तरों पर शक्तियां और उत्तरदायित्व सौंपने से संबंधित प्रावधान हो सकते हैं :–

(i) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं बनाना; और

(ii) 11वीं अनुसूची में उल्लिखित विषयों सहित आर्थिक विकास

और सामाजिक न्याय के संबंध में उन्हें दी गई योजनाओं का कार्यान्वयन करना।

11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं और राज्यों द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को इन 29 विषयों से संबंधित कार्यों, धनराशि और कर्मचारियों का हस्तांतरण किया जाए।

साथ ही, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए कार्यक्रमों और क्रियाकलापों की योजना बनाने और उनका कार्यान्वयन करने के लिए अनुच्छेद 243-ज़ैड डी में प्रावधान है कि सभी राज्यों द्वारा जिला योजना समितियों का गठन किया जाए, जिसके लिए राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा निम्नलिखित का प्रावधान कर सकता है :–

(क) जिला योजना समितियों का गठन; और

(ख) इन समितियों में पदों को भरने का तरीका।

परंतु यह कि इन समितियों के कम से कम 4/5 सदस्य जिला स्तरीय पंचायत और जिले की नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा और उनमें से चुने जाएंगे जो जिले में ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों की आबादी के अनुपात के अनुसार होगा।

(ग) इन समितियों को दी गई जिला योजना से संबंधित कार्य; और

(घ) इन समितियों के अध्यक्षों के चुने जाने का तरीका।

विकास योजना का मसौदा तैयार करते समय प्रत्येक जिला योजना समिति के लिए जरूरी है कि वह –

(क) निम्नलिखित बातें स्वीकार करें –

(i) स्थानीय योजना, पानी और अन्य भौतिक तथा प्राकृतिक संसाधनों का बंटवारा, बुनियादी सुविधाओं का समेकित विकास और पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ पंचायतों और नगर पालिकाओं के समान हितों से संबंधित विषय; और

(ii) वित्तीय अथवा अन्य प्रकार के उपलब्ध संसाधनों का प्रकार और उनकी सीमा।

(ख) उन संस्थाओं और संगठनों से विचार-विमर्श करें जिनके लिए कि राज्यपाल द्वारा आदेश दिया गया हो।

प्रत्येक जिला योजना समिति के अध्यक्ष को इन समितियों द्वारा अनुशंसित विकास योजना को राज्य सरकार को अग्रेषित करना चाहिए।

इसी प्रकार, संविधान के अनुच्छेद 243-एच में प्रावधान है कि राज्य विधान मंडल विधि द्वारा–

(i) पंचायतों को ऐसी प्रक्रिया और ऐसी सीमाओं के अध्यधीन ऐसे कर, शुल्क, पथकर और फीस लगाने, उनका संचय करने और उनका विनियोजन करने का अधिकार दे सकता है;

(ii) पंचायत को ऐसे प्रयोजन और ऐसी शर्तों और सीमाओं के अधीन राज्य सरकार द्वारा लगाए गए और संग्रह किए गए ऐसे कर, शुल्क, पथकर और फीस सौंप सकता है;

(iii) राज्य की समेकित निधि से पंचायतों के लिए ऐसे सहायता अनुदान की व्यवस्था कर सकता है; और

(iv) पंचायतों द्वारा अथवा उनकी ओर से प्राप्त अभी धनराशि जमा करने के लिए ऐसे कोषों की स्थापना और उन कोषों में से ऐसें धन का आहरण करने का प्रावधान भी कर सकता है।

इस तरह से पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियों और धनराशि के हस्तांतरण से संबंधित अधिकार राज्य सरकारों के पास हैं। समय-समय पर इस संबंध में प्राप्त हुए अनुरोधों पर पहले ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्रवाई की जाती थी और अब पंचायती राज मंत्रालय द्वारा की जाती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि संविधान के प्रावधानों का अनुपालन हो, विगत में ग्रामीण विकास मंत्रालय और अब पंचायती राज मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सतत सम्पर्क बनाए हुए है। पंचायती राज मंत्रालय ने, संविधान की व्यवस्थाओं के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं को अन्य बातों के साथ-साथ कार्य, कर्मचारी और धनराशि हस्तांतरित करने के लिए सावधानीपूर्वक कार्य योजना तैयार करने ओर आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के कार्यक्रमों के नियोजन और कार्यान्वयन के लिए पंचायती राज संस्थाओं को सही अर्थ में स्वशासी संस्थाएं बनाने के लिए ग्राम सभाओं और जिला योजना समितियों को समुचित अधिकार देने के आशय से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रोत्साहित करके राज्यों द्वारा संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992 का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा इसमें सहायता करने का निर्णय किया है।

(ङ) 12वें वित्त आयोग ने अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

घटिया और आपत्तिजनक फिल्मों का प्रदर्शन

*144. **श्री शिवाजी अधलराव पाटील :**
श्री उदय सिंह :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि घटिया और आपत्तिजनक फिल्मों, विशेषकर फिल्म ''गर्लफ्रैन्ड'', को सिनेमाघरों में दिखाने के लिए प्रमाण-पत्र दिया जा रहा है;

(ख) क्या ऐसी फिल्मों के प्रदर्शन की अनुमति देना इस बात को दर्शाता है कि फिल्म निर्माताओं और सेंसर बोर्ड के बीच सांठ-गांठ है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई जांच कराने का है; और

(घ) सेंसर बोर्ड के कार्यकरण को सुचारू बनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, ताकि फिल्मों से आपत्तिजनक दृश्यों को हटाना सुनिश्चित किया जा सके?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) से (घ) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) द्वारा फिल्मों के चलचित्रकी अधिनियम, 1952 के अंतर्गत जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रमाणित किया जाता है। प्रमाणन दिशा-निर्देशों में अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित बातें निर्धारित हैं :–

- अशिष्टता, अश्लीलता और दुराचारिता द्वारा मानवीय संवेदनाओं को चोट न पहुंचायी जाए;
- दो अर्थों वाले शब्द न रखे जाएं जिनसे नीच प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलता हो;
- महिलाओं के लिए किसी भी प्रकार के तिरस्कारपूर्ण या उन्हें बदनाम करने वाले दृश्य न दिखाए जाएं; और
- काम विकृतियां दिखाने वाले दृश्यों से बचा जाना चाहिए। यदि विषय-वस्तु के लिए ऐसे दृश्य दिखाना संगत हो तो इन्हें कम से कम रखा जाना चाहिए और इन्हें विस्तार से नहीं दिखाया जाना चाहिए।

एक जांच समिति द्वारा फिल्मों का पूर्व दर्शन करने के पश्चात् फिल्मों को प्रमाणित किया जाता है, इस समिति में एक जांच अधिकारी और सलाहकार पैनल के चार सदस्य शामिल हैं जिनमें दो सदस्य महिलाएं हैं। इससे आगे यह प्रावधान है कि ऐसी फिल्में जो दिशा-निर्देशों में निर्धारित मानदंडों को पूरा करती हैं लेकिन जिन्हें अवयस्कों के लिए प्रदर्शन हेतु अनुप्रयुक्त समझा जाता है, को केवल वयस्क दर्शकों के लिए प्रदर्शन हेतु प्रमाणित किया जाएगा।

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने सूचित किया है कि हाल ही में प्रदर्शित हिन्दी फिल्म ''गर्लफ्रेंड'' का पूर्व दर्शन करने वाली बोर्ड की जांच समिति जिसमें दो महिला सदस्य शामिल हैं, ने सर्वसम्मति से इस फिल्म को ''वयस्क'' प्रमाण पत्र प्रदान करने की सिफारिश की थी और जांच समिति की सिफारिश पर कामुकता के स्पष्ट दृश्यों को हटाने के बाद इस फिल्म को ''वयस्क'' प्रमाण पत्र जारी किया गया था।

ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजनाओं की निगरानी

*145. **श्री रायापति सांबासिवा राव** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह समय की मांग है कि ग्रामीण भारत के विकास की गति को तेज करने के लिए परियोजनाओं की समुचित निगरानी की जाए;

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत गरीबी में रह रहे लोगों के निमित्त परियोजनाओं पर वार्षिक कितनी धनराशि खर्च की जाती हैं;

(ग) क्या ग्रामीण भारत में विकास को प्रोत्साहन देने के लिए इन परियोजनाओं की निगरानी हेतु कोई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) से (घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय समूचे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित किए जा रहे अपने कार्यक्रमों की निगरानी तथा मूल्यांकन पर विशेष बल देता है। अधिक-से-अधिक परिणाम प्राप्त करने तथा कार्यक्रमों के लाभ ग्रामीण गरीबों को मिलना सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रमों की प्रभावी निगरानी को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। मंत्रालय ने प्रत्येक योजना के दिशा-निर्देशों में अन्तर्निहित निगरानी तंत्र बनाया है ताकि योजना के उद्देश्यों को उनके कार्यान्वयन द्वारा प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जा सके।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल योजना परिव्यय तथा रिलीज की गई कुल केन्द्रीय निधियां इस प्रकार हैं :–

(करोड़ रु. में)

वर्ष	कुल योजना परिव्यय	कुल केन्द्रीय रिलीजें
2001-02	12265	13459
2002-03	13670	18203
2003-04	14070	19228

यह सुनिश्चित करने के लिए कि ग्रामीण विकास योजनाओं के लाभ लक्षित लोगों को मिले, मंत्रालय ने निम्नलिखित तंत्रों के जरिए निधियों के उपयोग सहित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी की एक व्यापक प्रणाली बनाई है :–

1. **केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा समीक्षा**

केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री तथा ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राज्यों का दौरा करते हैं तथा मुख्यमंत्रियों, राज्यों के ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्रियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से जुड़े राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर कार्यक्रमों के निष्पादन की समीक्षा करते हैं। इस प्रकार की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठकें कार्यक्रमों की गहन निगरानी में बहुत प्रभावी सिद्ध हुई हैं।

2. **क्षेत्र अधिकारी योजना**

मंत्रालय में क्षेत्र अधिकारियों की एक योजना है जिसके अंतर्गत गुणवत्ता, कार्यान्वयन अनुसूची का पालन, निधियों के प्रवाह तथा उपयोग, वास्तविक और वित्तीय उपलब्धियों आदि के विशेष संदर्भ में कार्यक्रमों की निगरानी की जाती है। मंत्रालय में उप-सचिव तथा इससे ऊपर के स्तर के वरिष्ठ अधिकारी क्षेत्र अधिकारी योजना के अंतर्गत विभिन्न जिलों में चुनिंदा गांवों का औचक रूप से दौरा करते हैं।

3. **निष्पादन समीक्षा समिति**

सचिव (ग्रामीण विकास) की अध्यक्षता वाली अंतर मंत्रालयी समिति, जिसमें योजना आयोग तथा वित्त, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन, पर्यावरण एवं वन के केन्द्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधि और ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज के सभी राज्य सचिव शामिल होते हैं, तिमाही आधार पर कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों की निगरानी करने तथा जहां कहीं आवश्यक हो, सुधारात्मक कार्रवाई हेतु यथोचित सिफारिशें करने के लिए एक प्रभावी मंच है।

4. **आवधिक प्रगति रिपोर्टें**

मंत्रालय के सभी कार्यक्रमों की प्रगति रिपोर्टों, जिसमें कार्यक्रम कार्यान्वयन की वित्तीय तथा वास्तविक दोनों प्रकार की प्रगति का उल्लेख होता है, के जरिए निरन्तर निगरानी की जाती है। कार्यक्रमों के राज्यवार तथा कार्यक्रमवार निष्पादन को मासिक प्रगति रिपोर्टों में प्रकाशित किया जाता है।

5. **जिला स्तरीय निगरानी**

मंत्रालय स्थानीय स्वतंत्र अनुसंधान संस्थाओं/एजेंसियों के जरिए 25 राज्यों में 126 जिलों में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की जिला स्तरीय निगरानी करता है। मासिक आधार पर कार्यक्रम के कार्यान्वयन की वास्तविक और वित्तीय प्रगति संबंधी स्वतंत्र रिपोर्ट विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत गुणात्मक रिपोर्टों तथा सृजित वास्तविक परिसम्पत्तियों के सत्यापन के अलावा, निगरानी की इस प्रणाली के जरिए प्राप्त की जाती है।

6. **समवर्ती मूल्यांकन तथा प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन**

मंत्रालय विभिन्न क्षेत्रीय कार्यक्रमों का समवर्ती मूल्यांकन अध्ययन कराता है तथा रिपोर्टें प्रकाशित करता है जिसमें इन कार्यक्रमों की मुख्य उपलब्धियों के साथ-साथ कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समस्याओं तथा मुद्दों पर भी बल दिया जाता है। चुनिंदा गांवों में ग्रामीण विकास के सभी कार्यक्रमों के समग्र प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए ग्राम आधारित प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन भी कराए जाते हैं।

7. **राष्ट्र स्तरीय निरीक्षक**

मंत्रालय में राष्ट्र स्तरीय निरीक्षकों एक पैनल है जिसमें निचले स्तरों पर कार्यक्रमों के नीतिगत तथा कार्यान्वयन पहलुओं की निगरानी करने के लिए वरिष्ठ सेवानिवृत्त सिविल और रक्षा अधिकारी शामिल होते हैं। राष्ट्र स्तरीय निरीक्षक कार्यक्रम के कार्यान्वयन के संबंध में विशेष प्रकार की विभिन्न शिकायतों की जांच-पड़ताल भी करते हैं।

8. **सतर्कता एवं निगरानी समिति**

मंत्रालय सभी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रभावी निगरानी के लिए राज्यों के ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्रियों की

अध्यक्षता में राज्य स्तर पर और संसद सदस्यों की अध्यक्षता में जिला स्तर पर सतर्कता एवं निगरानी समितियों को भी पुनर्गठित कर रहा है।

ग्राम सभा को सामाजिक लेखा परीक्षा करने का भी अधिकार दिया गया है ताकि ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का पारदर्शी और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

[हिन्दी]

निजी क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण

*146. **श्री कमला प्रसाद रावत :**
श्री बसुदेव आचार्य :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देशभर में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए निजी क्षेत्र में आरक्षण हेतु राष्ट्रीय संवाद कराने का है;

(ख) क्या सरकार इस संबंध में एक कानून बनाने पर भी विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो इस कदम के विरुद्ध कुछ औद्योगिक संगठनों की आपत्तियों सहित तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) इस प्रस्ताव के कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्रीमती मीरा कुमार) : (क) और (घ) सरकार के राष्ट्रीय न्यूनतम साझे कार्यक्रम में यह देखने के लिए, कि निजी क्षेत्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति युवा वर्ग की आकांक्षाओं को कैसे पूरा कर सकता है, एक राष्ट्रीय संवाद शुरू करने का प्रस्ताव है। सरकार निजी क्षेत्र में आरक्षण सहित इस मुद्दे पर सकारात्मक कार्रवाई के लिए बहुत संवेदनशील है। चूंकि इस पर सभी पणधारियों (स्टेकहोल्डर्स) के साथ विस्तृत विचार-विमर्श करना जरूरी होगा, इसलिए, इस मामले पर निर्णय के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रेल दुर्घटनाएं

*147. **श्री सी.के. चन्द्रप्पन :**
श्रीमती पी. सतीदेवी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी 2004 में मत्स्यगंधा एक्सप्रेस दुर्घटना सहित हुई छोटी/बड़ी रेल दुर्घटनाओं का ब्योरा क्या है तथा प्रत्येक दुर्घटना के कारण क्या थे;

(ख) इससे रेलवे को कितनी संपत्ति का नुकसान हुआ और कितने लोगों की मृत्यु हुई/कितने घायल हुए तथा दुर्घटना के शिकार लोगों और उनके सगे संबंधियों को दुर्घटनावार कितना मुआवजा दिया गया;

(ग) प्रत्येक दुर्घटना की जांच और उसके निष्कर्षों का ब्योरा क्या है तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई;

(घ) क्या पूर्व में हुई दुर्घटनाओं के जांच आयोगों/समितियों की सिफारिशों को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो विशेषकर कोंकण रेलवे सहित इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या सुरक्षा उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं और रेलवे में विशेषकर कोंकण रेलवे में रेल गाड़ियों के पटरी से उतरने को रोकने के लिए क्या कोई नई तकनीक अपनाई गई है?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : (क) से (ग) भारतीय रेलों पर 1.1.2004 से 30.6.2004 तक की अवधि के दौरान 132* परिणामी गाड़ी दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें गाड़ियों की टक्कर की 7 दुर्घटनाएं, गाड़ियों के पटरी से उतरने की 77 दुर्घटनाएं, चौकीदार वाले समपारों पर हुई 2 दुर्घटनाएं, चौकीदार रहित समपारों पर हुई 38 दुर्घटनाएं, गाड़ी में आग लगने की 7 घटनाएं तथा 1 विविध दुर्घटना शामिल है। इनमें से तीन बड़ी दुर्घटनाएं थीं जिनमें 10 या अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हुई। इन तीन प्रमुख दुर्घटनाओं का विवरण निम्नानुसार है :–

1. 27.2.04 को पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के कटिहार मंडल के चौकीदार रहित समपार सं. एस के-333 पर 5657 एक्सप्रेस गाड़ी के इंजन के साथ एक मिनी बस की टक्कर हो

गई, जिसमें 10 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और 37 घायल हो गए। यह दुर्घटना ''सड़क उपयोगकर्ता की लापरवाही'' के कारण हुई।

2. 12.5.2004 को पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल के चौकीदार रहित समपार सं. 30 पर 4015 एक्सप्रेस गाड़ी के इंजन के साथ एक थ्री-व्हीलर की टक्कर हो गई जिसमें 10 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और 2 घायल हो गए। यह दुर्घटना ''सड़क उपयोगकर्ता की लापरवाही'' के कारण हुई।

3. 16.6.2004 को कोंकण रेलवे पर रत्नागिरि-रोहा क्षेत्र के वीर-करणजदी स्टेशनों के बीच चलती हुई 2620 अप मत्स्यगंधा एक्सप्रेस गाड़ी का इंजन और अगले 10 डिब्बे पटरी से उतर गए। दुर्घटना में 15 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और 106 घायल हुए। दुर्घटना एक बड़े शिलाखंड और मिट्टी के पटरी पर गिरने के कारण हुई जिससे रेल पथ अवरुद्ध हो गया।

प्रत्येक परिणामी गाड़ी दुर्घटना की जांच या तो रेल अधिकारियों की विभागीय समिति के द्वारा या रेल संरक्षा आयोग द्वारा या इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से नियुक्त किसी न्यायिक आयोग द्वारा की जाती है। 01.01.2004 और 30.6.2004 के बीच हुई 132* परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं में से 12 की रेल संरक्षा आयुक्तों द्वारा वैधानिक रूप से जांच की गई है।

इन दुर्घटनाओं का प्रथम दृष्ट्या कारणवार विवरण नीचे दिया गया है :–

रेल कर्मचारी	69
रेल कर्मचारियों से इतर	40
तोड़फोड़	8
आनुषंगिक	11
उपस्करों की खराबी	3
अन्वेषणाधीन	1
कुल	132*

(*अनंतिम आंकड़े)

01.01.2004 से 31.5.2004 तक की अवधि, जिसके आंकड़े हैं, के दौरान विभिन्न परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं के लिए उत्तरदायी विभिन्न चूकों के लिए 224* रेल कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

(*आंकड़े आवश्यक रूप से दुर्घटना अवधि से संबंधित नहीं हैं।)

इन दुर्घटनाओं में लगभग 31.38* करोड़ रु. की रेलवे संपत्ति की क्षति हुई। इन 132 दुर्घटनाओं में 109* व्यक्तियों की मृत्यु हुई और 352 घायल हुए। क्षतिपूर्ति दावे प्रक्रियाधीन हैं क्योंकि ये विभिन्न रेल दावा अधिकरणों में दायर किए जाते हैं। बहरहाल, कोंकण रेलवे पर 16.6.2004 को मत्स्यगंधा एक्सप्रेस के पटरी से उतरने के मामले में 24.26 लाख रु. की राशि अनुग्रह भुगतान के रूप में अदा की गई है। (*अनंतिम आंकड़े)

(घ) और (ङ) विभिन्न समितियों/आयोगों की सिफारिशों को लागू करना एक सतत् प्रक्रिया है और सभी आवश्यक निवारक उपाय किए जाते हैं। कोंकण रेलवे पर भी सभी संबंधित सिफारिशें लागू की जा चुकी हैं।

(च) संरक्षा भारतीय रेल का प्रमुख विषय है और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लगातार उपाय किए जाते हैं। अंतपार्शन और सिगनल व्यवस्था के लिए उपयुक्त और आधुनिक प्रौद्योगिक अपनाना, रेलपथ और चल स्टॉक के मानकों का उन्नयन, अनुरक्षण कार्रवाइयों का आधुनिकीकरण, गतायु परिसंपत्तियों का बदलाव, सिमुलेटर जैसे प्रशिक्षण साधनों का उन्नयन और संरक्षा एहतियात के अनुपालन पर जांच जैसे संरक्षा संबंधी उपाय किए गए हैं। इसके अलावा गाड़ी को पटरी से उतरने से रोकने के लिए रेलपथ का यांत्रिक अनुरक्षण, रेल पटरियों की गुणवत्ता में सुधार, अल्ट्रासोनिक दोष संसूचक, तेज गति से रेल पथ नवीकरण, लंबी झलाईयुक्त पटरियों का प्रयोग, चल स्टॉक की बेहतर अनुरक्षण प्रक्रिया, बोगी माउन्टेड ब्रेक का प्रयोग, कम्पोजिट ब्रेक ब्लॉकों का प्रयोग, पहियों की गुणवत्ता में सुधार आदि जैसे उपाय भी किए गए हैं। एक समवेत संरक्षा योजना (2003-2013) भी तैयार की गई है और इसे लागू किया जा रहा है।

कोंकण रेलवे द्वारा निम्नलिखित त्वरित निवारक संरक्षा उपाय किए गए हैं :–

(1) वीर (कि.मी. 46/8) से उडुपी (कि.मी. 691/9) तक के पूरे खंड में 75 किमी प्र.घं. का गति प्रतिबंध लगाया गया है।

(2) मुख्य पुलों के 200 मी. के दायरे में 5 मी. से अधिक ऊंची कटिंगों पर 50 कि.मी. प्र.घं. का गति प्रतिबंध

लगाया गया है ताकि आवश्यक होने पर चालक गाड़ी को पुल से एकदम पहले नियंत्रित कर सके और रोक सके।

(3) वीर-उडुपी खंड पर रात को 19.00 से 07.00 बजे के बीच यात्री गाड़ी के गुजरने से 40 मिनट पहले खंड पर यदि कोई गाड़ी न निकली हो तो यात्री गाड़ी से पहले पायलट गाड़ी के रूप में खाली इंजन/मालगाड़ी को चलाया जा रहा है।

यह उल्लेखनीय है कि वे सभी कटिंग जो 12 मी. से अधिक ऊंची है और जिन्हें संवेदनशील माना गया था, उन सभी कटिंगों पर संरक्षा नेट मुहैया कराया गया था। इसके अतिरिक्त 5 मी. से अधिक गहरी कटिंगों पर स्थान की आवश्यकता के अनुसार जितना जल्दी संभव हो सके, पर्याप्त क्षमता वाले संरक्षा नेट मुहैया कराए जा रहे हैं। इस कार्य के पूरा होने तक, जहां कहीं कटिंग मुख्य पुलों की ओर जाती हैं, वहां स्थायी चौकीदार तैनात किए गए हैं।

(4) वीर (कि.मी. 46/8) से करमाली (कि.मी. 413/8) और मडगांव (कि.मी. 442/4) से ठेकुर (कि.मी. 738/4) के बीच संवेदनशील स्थलों पर मानसून गश्त (एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक आदमियों द्वारा पैदल जाना) भी शुरू की गई है।

[हिन्दी]

पाइप लाइनों से तेल की चोरी

*148. **श्री सुभाष सुरेशचन्द्र देशमुख :**
श्री सुशील कुमार मोदी :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के बरौनी तेलशोधक संयंत्र को असम के तेल कुओं से जोड़ने वाली तेल पाइप लाइन से भारी मात्रा में तेल की चोरी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है और कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) असम में उत्पादित कच्चे तेल की आपूर्ति इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (ओई ओ सी एल) की बरौनी रिफाइनरी को नहीं की जा रही है। बरौनी रिफाइनरी को आयातित कच्चे तेल की आपूर्ति आई ओ सी एल के स्वामित्व वाली और स्वयं उसके द्वारा प्रचालित हल्दिया-बरौनी क्रूड पाइपलाइन (एच बी सी पी एल) के जरिए हल्दिया बंदरगाह से की जाती है। आई ओ सी एल ने सूचित किया है कि पिछले तीन वर्ष के दौरान इसकी हल्दिया-बरौनी कच्चे तेल की पाइपलाइन में कच्चे तेल की चोरी की कोई घटना नहीं घटी है। असम में उत्पादित कच्चे तेल की आपूर्ति आयल इंडिया लिमिटेड (ओ आई एल) के पाइपलाइन नेटवर्क के जरिए और कुछ सीमा तक आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन द्वारा उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थित रिफाइनरियों को की जाती है। ओ आई एल और ओ एन जी सी, दोनों, ने सूचित किया है कि उनके पाइपलाइन नेटवर्क्स से कच्चे तेल की चोरी की कुछ घटनाएं घटित हुई हैं। पिछले तीन वर्षों अर्थात अप्रैल, 2001 से मार्च, 2004 तक के दौरान आयल इंडिया लिमिटेड ने पाइपलाइनों से कच्चे तेल की चोरी के 30 मामलों की सूचना दी है। ओ एन जी सी ने इसी अवधि के दौरान ऐसे 16 मामलों की सूचना दी है।

(ग) ऐसी चोरी के मामलों को कम करने, न्यूनतम करने और अंततोगत्वा पूर्णत: समाप्त करने के अनेक उपाय किए गए हैं। इन उपायों में अन्य के साथ-साथ तेल कंपनियों, केन्द्र और राज्य सरकारों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच ध्यानपूर्वक समन्वय करना और साथ-साथ ग्राम रक्षक दलों का तैनात करना, हैलीकाप्टरों द्वारा अवधिक निरीक्षण, संयुक्त निरीक्षण कवायदें, डाग-स्क्वाड्स की तैनाती, जन समर्थन जुटाना आदि शामिल हैं। स्थिति की आवधिक रूप से निगरानी करने के लिए असम राज्य की अभिटट सुरक्षा समन्वय समिति (ओ एस सी सी) के जरिए सरकार ने एक संस्थागत व्यवस्था भी स्थापित की है। ओ आई एल और ओ एन जी सी ने रिपोर्ट भेजी है कि पिछले तीन वर्ष के दौरान इस संबंध में 77 गिरफ्तारियां की गई हैं।

पाक-अधिकृत कश्मीर में प्रशिक्षण शिविर

*149. **डा. रामकृष्ण कुसमरिया :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तानी आसूचना एजेंसी आई.एस.आई. ने पाक अधिकृत कश्मीर ने आतंकवादी प्रशिक्षण शिविरों को फिर चालू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकवादियों की कथित संख्या लगभग कितनी है;

(ग) जम्मू और कश्मीर में सीमापार से घुसपैठ रोकने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर में उग्रवाद का मुकाबला करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (घ) हाल ही की रिपोर्टें यह दर्शाती हैं कि पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में कुछ आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर और लांचिंग-पैड दुबारा सक्रिय कर दिए गए हैं।

भारत पाकिस्तान को बराबर यह कहता आ रहा है कि वह भारत में सीमापार से घुसपैठ और आतंकवाद को बंद करे तथा पाकिस्तान में आतंकवाद को मदद पहुंचाने वाला आधारभूत ढांचा विखंडित करे।

पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर से जम्मू-कश्मीर में सीमा पार से होने वाली घुसपैठ की समस्या से निबटने के लिए सरकार की रणनीति के अंतर्गत एक ऐसी बहु-स्तरीय व्यवस्था कायम की गई है जिसमें निगरानी उपकरणों से युक्त सैनिक-तैनाती की अग्रिम पंक्ति और नियंत्रण रेखा के साथ-साथ बाड़ लगाना शामिल है।

घुसपैठ विरोधी ये प्रयास कारगर हैं। चूंकि घुसपैठ के रास्ते हमेशा बदलते रहते हैं इसलिए सुरक्षा बलों द्वारा इनका मुकाबला बेहतरीन प्रौद्योगिकी वाले हथियारों और संचार उपस्करों द्वारा किया जाता है; घुसपैठ का प्रयास कर रहे आतंकवादियों को तत्काल निष्प्रभावी करने की कार्यवाही करने में बेहतर आसूचना एवं संक्रियात्मक समन्वय से मदद मिलती है।

सरकार द्वारा आतंकवादरोधी उपायों की समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है ताकि उनकी प्रभावकारिता बेहतर बनाई जाती रहे।

[अनुवाद]

घाटे में चलने वाले सरकारी उपक्रम

*150. **श्री दुष्यंत सिंह** : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में घाटे में चलने वाले सरकारी उपक्रमों का राज्य-वार ब्योरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान आज की तारीख तक इन सार्वजनिक उपक्रमों का राज्य-वार घाटा कितना है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकरण को सुधारने के लिए कोई कदम उठाये हैं ताकि उनको घाटा न हो; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) दिनांक 8.6.2004 को संसद में प्रस्तुत लोक उद्यम सर्वेक्षण 2002-03 के अनुसार 31.3.2003 की अवधि तक की जानकारी उपलब्ध है, जिसके अनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के घाटा उठाने वाले उपक्रमों की संख्या 107 थी। वर्ष 2002-03, 2001-02 तथा 2000-01 के दौरान घाटा उठाने वाले उद्यमों ने क्रमशः 10944 करोड़ रुपए, 8918 करोड़ रुपए तथा 10576 करोड़ रुपए का कुल घाटा उठाया। 3 वर्ष की इस अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 107 घाटा उठाने वाले उद्यमों का संचयी घाटा 30437 करोड़ रुपए था। उपरोक्त 3 वर्षों के दौरान इन 107 उद्यमों का राज्यवार लाभ/घाटा संलग्न विवरण में दिया गया है।

घाटे के कारण उद्यम विशेष है तथा इन में प्राचीन/अप्रचलित संयंत्र व मशीनरी, पुरानी प्रौद्योगिकी, निम्न क्षमता उपयोग, अतिरिक्त कर्मचारी, उच्च ब्याजभार, अधिक निविष्टि लागत, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, कमजोर विपणन रणनीति, संसाधन संकट तथा वित्तीय संस्थानों से अपर्याप्त ऋण इत्यादि शामिल है।

(ग) और (घ) कार्यनिष्पादन में सुधार एक सतत प्रक्रिया है। संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग तथा केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंधनों द्वारा समय-समय पर पुनर्स्थापन से संबंधित उद्यम सापेक्ष उपाय किए जाते हैं। इन उपायों में वित्तीय तथा व्यापार पुनर्गठन, नए सिरे से राशि लगाना, संयुक्त उद्यम स्थापित करना, कर्मचारियों की संख्या का यौक्तिकीकरण, संयंत्र/मशीनरी का आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी का समुन्नयन, विविधीकरण, बेहतर विपणन रणनीतियां तथा लागत नियंत्रण उपाय इत्यादि शामिल हैं।

विवरण

31.3.2003 की स्थिति के अनुसार विगत 3 वर्षों के लाभ/घाटा(-) सहित केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की सूची

क्रम सं.	केन्द्रीय सरकारी उपक्रम का नाम	2002-03	2001-02	2000-01
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश				
1.	हिन्दुस्तान फ्लूरोकार्बन्स लि.	-4.59	-2.6	-2.08
2.	एचएमटी बियरिंग्स लि.	-10.56	0.86	1.12
3.	मिश्र धातु निगम लि.	-2.16	0.36	0.24
4.	प्रागा टूल्स लि.	-37.50	-35.06	-34.42
	उप जोड़	-51.81	-36.44	-35.14
असम				
5.	ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कारपोरेशन	-32.06	0	0
6.	उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लि.	-0.57	-0.68	-1.2
	उप जोड़	-32.63	-0.68	-1.2
बिहार				
7.	भारत वगेन एण्ड इंजी. कंपनी लि.	-8.99	-26.87	-4.69
8.	पायराइट्स फास्फेट्स एण्ड कैमिकल्स लि.	-114.19	-114.19	-108.30
9.	रांची अशोक बिहार होटल निगम लि.	-0.05	-0.21	-0.3
	उप जोड़	-123.23	-141.27	-113.02
गुजरात				
10.	नेटेका (गुजरात) लि.	-240.08	-61.03	-141.45
	उप जोड़	-240.08	-61.03	-141.45
हरियाणा				
11.	इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.	-276.36	-250.57	-245.87
	उप जोड़	-276.36	-250.57	-245.87
जम्मू एवं कश्मीर				
12.	एचएमटी चिनार वाचेज लि.	-6.31	-10.16	-7.95
13.	जम्मू एवं कश्मीर विकास निगम लि.	-0.88	-2.89	0
	उप जोड़	-7.19	-13.05	-7.95
कर्नाटक				
14.	एचएमटी लि.	-34.41	-10.24	-24.41
15.	एचएमटी मशीन टूल्स लि.	-102.17	-70.65	-96.17
16.	एचएमटी वाचेज लि.	-112.87	-106.29	-59.18
17.	आईटीआई लि.	-374.87	-21.58	-27.55
18.	कर्नाटक ट्रेड प्रोमोशन आर्गेनाइजेशन	-0.14	0	0
19.	मंगलौर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकैमिकल्स लि.	-411.81	0	0
20.	नेटेका (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल एवं माहे) लि.	-139.14	-37.08	-92.55
21.	तुगंभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि.	-2.63	-0.66	0.07
	उप जोड़	1178.09	-108.70	-195.87

1	2	3	4	5
केरल				
22.	फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स (त्रावणकोर) लि.	-287.73	0.57	-151.95
23.	हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लि.	-4.89	4.07	16.20
	उप जोड़	-292.62	4.64	-135.75
मध्य प्रदेश				
24.	मध्य प्रदेश अशोक होटल निगम लि.	-0.12	-0.51	-0.57
25.	नेपा लि.	-50.89	-35.16	4.86
26.	नेटेका (मध्य प्रदेश) लि.	-210.03	-47.97	-100.78
	उप जोड़	-261.04	-83.64	-96.49
महाराष्ट्र				
27.	हिन्दुस्तान एंटिबायोटिक्स लि.	-3.63	-7.52	-4.98
28.	हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि.	-43.12	-62.68	-39.06
29.	होटल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	-35.66	-35.66	-25.08
30.	महाराष्ट्र एंटिबायोटिक्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.	-2.98	-2.98	-2.98
31.	मझगांव डॉक लि.	-24.13	-18.62	-18.36
32.	खनिज गवेषण निगम लि.	-17.58	-0.57	-6.06
33.	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि.	-6.58	3.88	3.31
34.	नेटेका (महाराष्ट्र नार्थ) लि.	-249.93	-169.80	-207.67
35.	नेटेका (साउथ महाराष्ट्र) लि.	-153.53	-75.49	-188.24
36.	राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि.	-48.07	24.21	64.97
37.	रिचर्डसन एण्ड क्रूडास (1972) लि.	-28.19	-19.21	-8.15
	उप जोड़	-613.40	-364.44	-432.30
मणिपुर				
38.	मणिपुर टेस्ट ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.	-167	-167	-167
	उप जोड़	-167	-167	-167
मेघालय				
39.	उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प एवं हथरकघा विकास निगम लि.	-1.82	-1.79	-1.70
40.	नार्थ इस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि.	-408.15	52.85	117.79
	उप जोड़	-409.97	51.06	116.09
नागालैण्ड				
41.	नागालैण्ड पल्प एण्ड पेपर कंपनी लि.	-12.94	-7.78	-15.26
	उप जोड़	-12.94	-7.78	-15.26
उड़ीसा				
42.	उड़ीसा ड्रग्स एण्ड कैमिकल्स लि.	-1.05	-1.05	-1.05
43.	उत्कल अशोक होटल निगम लि.	-1.11	-0.98	-0.98
	उप जोड़	-2.16	-2.03	-2.03
पंजाब				
44.	सेमी-कण्डक्टर काम्प्लेक्स लि.	-18.09	-10.94	-8.97
	उप जोड़	-18.09	-10.94	-8.97

1	2	3	4	5
	राजस्थान			
45.	हिन्दुस्तान साल्ट्स लि.	-2.78	-1.91	-2.19
46.	इंस्ट्रूमेंटेशन लि.	-29.18	-30.49	-34.52
47.	सांभर साल्ट्स लि.	-2.66	-3.02	-3.27
	उप जोड़	-34.62	-35.42	-39.98
	तमिलनाडु			
48.	हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैन्यु. कारपोरेशन लि.	-385.39	-353.72	-328.16
49.	नेटेका (तमिलनाडु एवं पांडिचेरी) लि.	-17.6	-27.57	2.81
	उप जोड़	-4.03	-381.29	-325.35
	उत्तर प्रदेश			
50.	भारत इम्युनोलॉजिकल एण्ड बायोलॉजिकल्स कारपो. लि.	-17.92	-7.16	0.87
51.	भारत लेदर कारपोरेशन लि.	-3.09	-7.54	-2.42
52.	भारत पम्प्स एण्ड कंप्रेशर्स लि.	-12.92	-12.46	-5.59
53.	ब्रुशवेयर लि.	-0.05	-0.05	-0.05
54.	नेटेका (उत्तर प्रदेश) लि.	-329.96	-79.35	-135.68
55.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि.	-12.23	-12.23	-45.92
	उप जोड़	-376.17	-118.79	-188.79
	पश्चिमी बंगाल			
56.	एण्ड्यु यूले एण्ड कंपनी लि.	-60.66	39.48	-26.80
57.	बीबीजे कंस्ट्रक्शन कंपनी लि.	-4.39	0.57	0.60
58.	बंगाल इम्युनिटी लि.	-18.76	-16.44	-21.18
59.	भारत ऑप्थैल्मिक ग्लास लि.	-37.69	-37.69	-37.69
60.	बीको लॉरी लि.	-9.20	-10.90	-8.67
61.	बर्ड्स, जूट एण्ड एक्सपोर्ट्स लि.	-4.47	-4.47	-4.47
62.	ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लि.	-33.55	-33.55	1.74
63.	बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लि.	-73.74	-78.35	-45.22
64.	केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लि.	-39.47	-431.28	-78.26
65.	इस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	-338.78	-277.64	-917.19
66.	हिन्दुस्तान केबल्स लि.	-256.31	-236.08	-71.41
67.	हिन्दुस्तान कॉपर लि.	-147.70	-184.04	-105.80
68.	हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लि.	-136.35	-142.08	-172.55
69.	हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लि.	-25.08	-20.47	-30.98
70.	इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी लि.	-182.23	-179.87	-187.31
71.	जेसप एण्ड कंपनी लि.	-50.10	-47.60	-48.77
72.	जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	-44.31	5.89	-0.57
73.	नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लि.	-12.16	-5.90	0.09
74.	नेशनल जूट मैन्यु. कारेपोरेशन लि.	-364.33	-364.33	-320.69.
75.	नेटेका (प. बंगाल, असम, बिहार एवं उड़ीसा) लि.	-121.87	-60.57	-129.72
76.	स्मिथ स्टैनिस्ट्रीट एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.	-12.90	-10.63	-9.78

1	2	3	4	5
77.	भारतीय चाय व्यापार निगम लि.	-3.80	-3.80	-3.80
78.	टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	-16.91	-67.41	-66.43
	उप जोड़	-1994.76	-1383.56	-2284.86
	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह			
79.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह वन एवं बागान विकास निगम लि.	-6.39	-5.04	-2.59
	उप जोड़	-6.39	-5.04	-2.59
	दिल्ली			
80.	एयरलाइन एलाइड सर्विसिज लि.	-81.29	-56.97	-71.18
81.	सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	-215.36	-215.33	-230.76
82.	सेन्ट्रल इलेक्ट्रोनिक्स लि.	-2.8	-4.75	-3.02
83.	ई टी एण्ड टी लि.	-17.09	-18.55	-16.93
84.	फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	-1166.31	-1104.10	-948.84
85.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि.	-1058.90	-572.71	-1956.58
86.	हिन्दुस्तान इंसेक्टीसाइड्स लि.	-15.48	-15.41	-15.45
87.	हिन्दुस्तान प्रीफेब लि.	-11.01	-12.99	-10.80
88.	हिन्दुस्तान वेजीटेबल ऑयल कारपोरेशन लि.	-33.92	-39.02	-19.44
89.	भारतीय पर्यटन विकास निगम लि.	-5.31	-86.57	-35.47
90.	इंडियन एयरलाइन्स लि.	-196.56	-246.75	-159.17
91.	कोंकण रेलवे कारपोरेशन लि.	-322.98	-369.81	-381.62
92.	राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लि.	-14.29	-10.87	-6.83
93.	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लि.	-55.74	-67.93	-60.08
94.	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि.	-12.95	-84.12	-52.47
95.	नेशनल टेक्सटाईल्स कारपोरेशन (धारक कंपनी) लि.	-67.27	-69.74	-57.61
96.	नेटेका (दिल्ली, पंजाब एवं राजस्थान) लि.	-67.78	-62.90	-58.48
97.	एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लि.	-0.01	0	0
98.	रेलटेल कारपोरेशन इंडिया लि.	-1.16	-0.37	0
99.	भारतीय राज्य फार्म्स निगम लि.	-8.14	-5.61	-26.71
100.	भारतीय राज्य व्यापार निगम लि.	-83.17	-40.79	26.65
101.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि.	-304.31	-1706.89	-728.66
	उप जोड़	-3740.83	-4792.18	-4813.45
	पांडिचेरी			
102.	पांडिचेरी अशोक होटल निगम लि.	-0.22	-0.22	-0.25
	उप जोड़	-0.22	-0.22	-0.25
	झारखंड			
103.	भारत कोकिंग कोल लि.	-507.13	-755.00	-1276.70
104.	भारत रिफ्रैक्ट्रीज लि.	-74.50	-63.35	-53.36

1	2	3	4	5
105.	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि.	-173.82	-173.82	-189.26
106.	मेकॉन लि.	-70.83	-146.06	-51.36
107.	प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लि.	-37.59	-36.66	-32.66
	उप जोड़	-863.87	-1174.85	-1603.34
	जोड़	-10944.21	-8917.89	-10575.49

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत धनराशि का असमान वितरण

*151. **श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील : क्या ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) के अन्तर्गत स्वीकृत विशेष परियोजनाओं के लिए धनराशि का असमान वितरण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान एस.जी.आर.वाई. के अंतर्गत स्वीकृत विशेष परियोजनाओं हेतु अनुमोदित राशि के राज्यवार वितरण का ब्योरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) से (ग) संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) के अंतर्गत कोई विशेष परियोजनाएं अनुमोदित नहीं की जाती हैं।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री सड़क योजना की समीक्षा

*152. **श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :**
श्री निखिल कुमार चौधरी :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई है/किए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) विभिन्न राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्योरा क्या है और उन पर क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) इस प्रयोजनार्थ राज्यवार कितनी राशि स्वीकृत की गई/स्वीकृत किए जाने का विचार है;

(ङ) क्या इस योजना के आरंभ होने से मार्च, 2004 तक प्राप्त सभी प्रस्तावों को स्वीकृति दी जा चुकी है;

(च) क्या ग्रामीण सड़कों के निर्माण की प्रक्रिया में धनराशियों को दुर्विनियोजन किया जाता है; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) और (ख) पी.एम.जी.एस.वाई. सहित ग्रामीण विकास की सभी योजनाओं की नियमित समीक्षा की जाती है। पी.एम.जी.एस.वाई. ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जनवरी, 2003 तथा जून, 2004 में आयोजित मुख्यमंत्रियों तथा राज्यों के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रियों के सम्मेलन में योजनाओं की समीक्षा का हिस्सा थीं। ग्रामीण विकास मंत्री ने भी कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखण्ड, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि सहित अनेक राज्यों के साथ हुई बैठकों में पी.एम.जी.एस.वाई. की समीक्षा की। सितम्बर, 2003 में पूर्वोत्तर राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रियों की बैठक में भी इस कार्यक्रम की समीक्षा की गई थी। इसके अतिरिक्त, कार्यकारी एजेंसी स्तर पर राज्य सरकारों के साथ मिलकर प्रगति की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है।

(ग) से (ङ) 2000-01 (चरण-I), 2000-02 और 2002-03 (चरण-II) तथा 2003-04 (चरण-III) के लिए स्वीकृत प्रस्तावों के राज्य-वार ब्योरों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(च) और (छ) निधियां राज्य एजेंसियों को रिलीज की जाती हैं तथा प्रत्येक वर्ष लेखा परीक्षा कराने की जरूरत होती है। बाद की किस्तें लेखा-परीक्षा रिपोर्टों के संतोषजनक पाए जाने पर रिलीज की जाती हैं।

विवरण

क्र.स.	राज्य का नाम	पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत स्वीकृत परियोजना प्रस्ताव					
		चरण-I (2000-01)		चरण-II (2001-03)		चरण-III (2003-04)	
		स्वीकृत राशि (करोड़ रु. में)	स्वीकृत सड़क कार्यों की संख्या	स्वीकृत राशि (करोड़ रु. में)	स्वीकृत सड़क कार्यों की संख्या	स्वीकृत राशि (करोड़ रु. में)	स्वीकृत सड़क कार्यों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	244.62	1479	415.35	1639	258.56	615
2.	अरुणाचल प्रदेश	40.95	204	86.51	137	प्राप्त नहीं	
3.	असम	75.00	212	154.92	294	199.72	107
4.	बिहार	149.89	298	302.98	670	प्राप्त नहीं	
5.	छत्तीसगढ़	91.99	112	203.64	270	378.02	293
6.	गोवा	5.00	70	10.16	50	प्राप्त नहीं	
7.	गुजरात	56.76	171	134.15	598	88.70	303
8.	हरियाणा	20.57	21	65.00	32	48.04	14
9.	हिमाचल प्रदेश	60.00	127	132.36	246	254.01	370
10.	जम्मू-कश्मीर	20.09	37	60.33	74	91.27	67
11.	झारखण्ड	105.92	168	230.26	202	135.92	131
12.	कर्नाटक	102.94	412	203.35	938	118.41	359
13.	केरल	16.98	33	47.65	184	20.77	53
14.	मध्य प्रदेश	186.27	387	583.86	801	583.00	558
15.	राजस्थान	130.21	810	263.90	804	147.48	304
16.	मणिपुर	40.00	663	80.71	127	प्राप्त नहीं	
17.	मेघालय	34.95	208	80.72	109	प्राप्त नहीं	
18.	मिजोरम	23.12	19	46.53	26	48.80	21
19.	नागालैंड	19.75	127	45.53	27	21.44	22

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	उड़ीसा	170.88	521	350.00	571	440.93	630
21.	पंजाब	27.93	86	74.29	249	36.81	114
22.	राजस्थान	140.09	528	263.05	669	679.45	1508
23.	सिक्किम	13.16	30	37.81	30	35.30	21
24.	तमिलनाडु	152.01	865	115.81	450	164.78	498
25.	त्रिपुरा	24.75	193	51.85	54	**	
26.	उत्तर प्रदेश	324.22	5133	569.83	1529	670.54	1937
27.	उत्तरांचल	58.99	69	140.41	92	59.53	52
28.	पश्चिमी बंगाल	140.04	174	305.49	213	599.28	367
	कुल	2477.08	13157	5056.45	11085	5080.76	8344

** कतिपय पूर्वापेक्षिताओं को पूरा न करने के कारण वापिस कर दी गई।

[अनुवाद]

"गेल" के साथ अनुबंध की समाप्ति

*153. **श्री अधीर चौधरी :**
श्री निखिल कुमार :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में ओ. एन. जी. सी. ने गैस की आपूर्ति हेतु "गेल" के साथ अपने अनुबंध को समाप्त कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ओ. एन. जी. सी. द्वारा "गेल" के साथ अनुबंध समाप्त करने के कारण विभिन्न राज्यों की अनेक गैस आधारित परियोजनाओं में गैस की कमी हो गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार की क्या प्रतिक्रिया है कि ओ.एन.जी.सी. और गेल के बीच मतभेद की वजह से गैस आधारित परियोजनाएं प्रभावित न हों?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (घ) जी, नहीं। ग्राहकों को गैस की आपूर्ति बिना किसी बाधा के करना जारी है।

प्रसार भारती में भर्ती बोर्ड

*154. **श्री सुरेश कुरूप :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रसार भारती अधिनियम में भर्ती बोर्ड के गठन का प्रावधान किया है;

(ख) यदि हां, तो भर्ती बोर्ड के गठन में विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) प्रसार भारती में भर्ती बोर्ड के बिना किस तरीके से भर्ती की जा रही है; और

(घ) प्रसार भारती में विभिन्न संवर्गों में कितने पद रिक्त हैं और ये पद कब से रिक्त पड़े हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) प्रसार भारती द्वारा विभिन्न श्रेणियों के पदों के भर्ती नियमों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों को शासित करने वाले नियमों को प्रसार भारती ने अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया है। इस कार्य को किए जाने तक भर्ती बोर्ड द्वारा कोई भर्ती नहीं की जा सकती है और इसलिए भर्ती बोर्ड का गठन नहीं किया गया है।

(ग) प्रसार भारती अधिनियम के अंतर्गत महानिदेशक आकाशवाणी और महानिदेशक दूरदर्शन के पदों के लिए भर्ती कर ली गयी है जिसके लिए प्रसार भारती बोर्ड ने भर्ती बोर्ड के कार्यों का निष्पादन किया। इसके अलावा, वर्ष 1998 में संघ लोक सेवा आयोग के जरिए बाहर के प्रसारण (अभियांत्रिकीय) सेवा के कनिष्ठ समय वेतनमान के लिए भर्ती की गयी थी। प्रसार भारती बोर्ड के अनुमोदन से समूह 'ग' और 'घ' स्तरों के पदों के लिए कुछ भर्ती भी कर ली गयी है।

(घ) रिक्त पदो से संबंधित सूचना को केन्द्रीयकृत रूप से नहीं रखा जाता है और इसलिए यह सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

पंचायती राज के लिए नया कानून

*155. **श्री सुनील खां** : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नए कानून के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था की विसंगतियों को दूर किया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम देश में पंचायती राज चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में संविधान में और संशोधन करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) से (च) संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992 के कुछ भागों को संशोधित करने का प्रस्ताव पहले से ही विचाराधीन है। तथापि, प्रस्ताव के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद पंचायती राज मंत्रालय ने अन्य बातों के साथ-साथ पंचायती राज संस्थाओं को कार्य, कार्मिक तथा निधियां सौंपने तथा ग्राम सभा और जिला आयोजना समितियों को सशक्त बनाने संबंधी तैयार की गई कार्य-योजनाओं को सावधानीपूर्वक अपनाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रोत्साहित करके उनके द्वारा सही मायने में संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992 के कार्यान्वयन को आसान बनाने तथा संरक्षित रखने का निर्णय लिया है ताकि आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के कार्यक्रमों की योजना बनाने तथा उनके कार्यान्वयन के लिए पंचायती राज संस्थाओं को स्व-शासन की वास्तविक संस्थाओं का रूप दिया जा सके, जैसा कि संविधान में इसकी परिकल्पना की गई है।

इंटरनेशनल हेराल्ड ट्रिब्यून

*156. **श्री प्रबोध पाण्डा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एक विदेशी दैनिक समाचार पत्र "इंटरनेशनल हेराल्ड ट्रिब्यून" का प्रकाशन कोंडापुर, हैदराबाद से किया जाता है;

(ख) क्या प्रकाशक ने विदेशी दैनिक समाचार पत्र के प्रकाशन के लिए सरकार से स्वीकृति ली है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार अनुमति लिए बिना दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित करने के लिए विदेशी समाचार एजेंसी के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्यवाही करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) इस मंत्रालय ने जून, 2004 में मैसर्स मिडराम पब्लिकेशंस प्राइवेट लि. द्वारा हैदराबाद से 'इंटरनेशनल हेराल्ड ट्रिब्यून' के भारतीय संस्करण के प्रकाशन के बारे में जानकारी मिलने पर इसका प्रकाशन तत्काल रोकने के लिए मैसर्स मिडराम पब्लिकेशंस को और

इंटरनेशनल हेराल्ड ट्रिब्यून, हांग-कांग को हैदराबाद से इंटरनेशनल हेराल्ड ट्रिब्यून के प्रकाशन हेतु सामग्री/विषय-वस्तु की आपूर्ति को तत्काल रोकने के लिए पत्र लिखा था क्योंकि इससे विदेशी समाचारपत्रों के भारतीय संस्करण के प्रकाशन की अनुमति न देने वाली सरकार की मौजूदा प्रिंट मीडिया नीति का उल्लंघन होता है। सरकार अपनी नीति के सुदृढ़ीकरण के विकल्प की जांच कर रही है।

विमान दुर्घटनाएं

*157. श्री कैलाश मेघवाल :
श्री वी. विनोद कुमार :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान आज की तारीख तक श्रेणीवार और स्थानवार कितने रक्षा विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए;

(ख) प्रत्येक दुर्घटना के संबंध में की गई जांच के क्या परिणाम निकले और उसके अनुसरण में क्या कार्यवाही की गई;

(ग) इसके फलस्वरूप जान और माल की दुर्घटनावार कितनी हानि हुई; और

(घ) दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (घ) वर्ष 2003-2004 तथा 2004-2005 (11 जुलाई, 2004 तक) के दौरान हुई दुर्घटनाओं, जिनमें विमान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे, जान और माल की हुई हानि तथा ऐसी दुर्घटनाओं के कारणों सहित श्रेणीवार, स्थानवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

प्रत्येक विमान, दुर्घटना के बाद, दुर्घटना के कारणों का पता लगाने तथा उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करने के लिए एक जांच अदालत बिठाई जाती है। लड़ाकू विमान दुर्घटना के मुख्य कारण मानवीय चूक, तकनीकी खराबी और पक्षी का टकराना हैं।

उड़ान-सुरक्षा बढ़ाने तथा उसका स्तर उन्नत करने के लिए रक्षा सेवाओं द्वारा सदैव सतत् रूप से तथा बहु-पक्षीय प्रयास किए जाते हैं। विमान चालकों (पायलटों) की कुशलता के स्तर में सुधार लाने, सही निर्णय लेने की क्षमता तथा परिस्थितिजन्य जागरुकता में सुधार लाने के लिए प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के उपाय किए जा रहे हैं। विमान की तकनीकी खराबियों को दूर करने के लिए हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड तथा संबंधित देशों के मूल उपस्कर विनिर्माताओं के साथ निरंतर संपर्क भी बनाए रखा जाता है।

विवरण

वर्ष 2003-2004 तथा 2004-2005 (11 जुलाई, 2004 तक) के दौरान हुई विमान दुर्घनाओं, जिनमें विमान पूरी तरह नष्ट हो गए, का जान और माल को हुई हानि सहित श्रेणीवार, स्थानवार ब्योरा और ऐसी दुर्घटनाओं के कारण निम्नलिखित हैं

क्रम सं.	दुर्घटना की तारीख	सेवा	विमान	दुर्घटना का स्थान	दुर्घटना का कारण	मारे गए पायलटों की संख्या	सिविलयनों की संख्या		संपत्ति की हानि
							मारे गए	घायल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	01.04.03	वायुसेना	मिग-23 बी एन	हलवाड़ा स्थानीय उड़ान क्षेत्र	तकनीकी खराबी	—	07	—	05 मकान क्षतिग्रस्त हुए
2.	07.04.03	-वही-	मिग-21 बिसन	अम्बाला	तकनीकी खराबी	—	—	05	09 सिविलियनों की संपत्ति तथा बीटा निर्माणी आवासीय परिसर को क्षति पहुंची।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	04.06.03	वायुसेना	मिग-21 बिस	उत्तरलई से 54 किमी	मानवीय चूक (कर्मीदल)	01	—	—	—
4.	18.6.03	-वही-	एच पी टी-32	ताम्बरम से 07 किमी	तकनीकी खराबी	—	—	—	एक भैंस की मृत्यु
5.	07.07.03	-वही-	मिग-23 बी एन	एस के रैंज के ऊपर	तकनीकी खराबी	—	—	—	पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड के बिजली के खंभे और बिजली के तार को क्षति पहुंची।
6.	14.07.03	-वही-	मिग-21 टी 69 बी	श्रीनगर हवाई पट्टी	मानवीय चूक (कर्मीदल)	02	—	—	—
7.	22.07.03	-वही-	जगुआर	अम्बाला	मानवीय चूक (कर्मीदल)	—	—	—	—
8.	31.07.03	-वही-	चेतक	हाकिमपेट से 06 किमी	तकनीकी खराबी	02	—	—	—
9.	24.08.03	नौसेना	सी हैरियर	गोवा समुद्र तट के निकट	मानवीय चूक (कर्मीदल)	—	—	—	—
10.	06.11.03	वायुसेना	किरण एम के-2	हाकिमपेट स्थानीय उड़ान क्षेत्र	अनसुलझा	02	—	—	—
11.	28.11.03	-वही-	मिग-21 बेस	नाल से 50 किमी	मानवीय चूक (कर्मीदल)	—	—	—	—
12.	04.12.03	-वही-	मिग-29	आदमपुर स्थानीय उड़ान क्षेत्र	तकनीकी खराबी	—	—	—	खड़ी फसल को थोड़ी क्षति पहुंची
13.	07.02.04	-वही-	मिग-23 बी एन	पोखरण रैंज	जांचाधीन	01	—	—	—
14.	20.02.04	-वही-	मिग-21 एम	सरमत रैंज	तकनीकी खराबी	—	05	17	08 भवनों को क्षति पहुंची
15.	26.02.04	-वही-	जगुआर	पोखरण रैंज	जांचाधीन	01	—	—	—
16.	04.03.04	-वही-	एम आई-17	तेजपुर के उत्तर में दीरांग	मानवीय चूक (कर्मीदल)	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	02.04.07	वायुसेना	जगुआर	सोनमर्ग के निकट	जांचाधीन	02	—	—	—
18.	22.04.04	-वही-	चीता	बाज हैलीपैड के निकट	जांचाधीन	01	—	—	—
19.	28.04.04	-वही-	मिग-27 एम एल	जोधपुर एयरफील्ड	जांचाधीन	—	01	—	—
20.	07.05.04	-वही-	जगुआर	अम्बाला से 20 कि.मी.	जांचाधीन	—	—	—	—
21.	19.05.04	-वही-	मिग-27 एम एल	बागडोगरा स्थानीय उड़ान क्षेत्र	जांचाधीन	01	—	—	—

अपमिश्रण के धंधे में वरिष्ठ अधिकारियों की लिप्तता

*158. **डा. पी.पी. कोया :**
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने हाल ही में पेट्रोल और डीजल के एक बड़े अपमिश्रण रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जिसमे सरकारी क्षेत्र के तेल उपक्रमों के वरिष्ठ अधिकारी भी संलिप्त पाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान अपने पद का दुरुपयोग करने वाले अधिकारियों की संख्या सहित तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के इन तेल उपक्रमों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है;

(घ) क्या सरकार ईंधन में अपमिश्रण के संबंध में और अधिक कठोर नियम बनाने की योजना बना रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ङ) पिछले तीन वर्षों में सी बी आई ने सरकार और तेल विपणन कंपनियों (ओ एम सीज) के नामजद अथवा गैर-नामजद पदाधिकारियों की भ्रष्ट कार्यों में संलिप्ति के 11 मामले दर्ज किए हैं। इनमें से आठ मामले पिछले पांच महीनों के भीतर दर्ज किए गए हैं। नौ मामले पेट्रोलियम उत्पादों के विपथन और अपमिश्रण जैसे विभिन्न कदाचारों में पदाधिकारियों की संलिप्ति से संबंधित हैं और 2 मामले आय से अधिक परिसम्पत्तियों के अर्जन से संबंधित हैं। ये मामले जांच/मुकद्दमें के विभिन्न चरणों में हैं। इन मामलों में एक सेवानिवृत्त और 13 सेवारत पदाधिकारियों का नाम लिया गया है। चूंकि इन मामलों में सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रमों की कोई संलिप्ति उजागर नहीं हुई है इसलिए केवल संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रस्ताव है। संलिप्ति दो पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है।

अपमिश्रण को कम करने, न्यूनतम करने और अंततोगत्वा पूर्णत: समाप्त करने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं:–

– सरकार ने अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत नियंत्रण आदेश नामत: नाप्था नियंत्रण आदेश, 2000, विलायक नियंत्रण आदेश, 2000 और एस के ओ नियंत्रण आदेश, 1993 आटो ईंधनों के अपमिश्रण के लिए इन उत्पादों के दुरुपयोग को रोकने के लिए जारी किए हैं। एम एस/एच एस डी नियंत्रण आदेश, 1998 में आटो ईंधन के रूप में एम एस/एच एस डी के अलावा अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के उपयोग के प्रतिबंध की भी व्यवस्था है। इन आदेशों

में अपमिश्रण की रोकथाम के लिए राज्य सरकारों और तेल विपणन कंपनियों को तलाशी और जब्ती की शक्तियों का प्रावधान है। राज्य सरकारों को अपमिश्रण में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध इन नियंत्रण आदेशों के तहत कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया है।

- तेल विपणन कंपनियां खुदरा बिक्री केन्द्रों के नियमित और औचक निरीक्षण करती हैं तथा अपमिश्रण और कदाचारों में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों और डीलरशिप करारों के तहत कार्रवाई भी करती हैं।

- अपमिश्रण सिद्ध होने के मामलों में डीलरशिप समाप्ति का दण्ड लागू करने के लिए विपणन अनुशासन दिशानिर्देश और कड़े बनाए गए हैं।

- तेल विपणन कंपनियों ने परिवहनकर्त्ताओं द्वारा बीच रास्ते में अपमिश्रण की रोकथाम करने के लिए नई छेड़छाड़-रोधी टैंक-ट्रक ताला पद्धतियां भी आरम्भ की हैं।

- मिट्टी तेल के समानान्तर विपणन पर लगाए गए प्रतिबंधों के साथ-साथ इन उपायों ने अपमिश्रण में काफी कमी लाने में अंशदान किया है। अपमिश्रण की रोकथाम करने के उपायों का सरकार द्वारा लगातार पुनरीक्षण किया जाता है।

[हिन्दी]

तेल विपणन हेतु डीलरों का चयन एवं वितरण अधिकार (डिस्ट्रीब्यूटरशिप) का आबंटन

*159. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल विपणन कंपनियों द्वारा डीलरों का चयन एवं वितरण अधिकार (डिस्ट्रीब्यूटरशिप) का आबंटन उनके अपने दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो सरकार उन पर नियंत्रण किस प्रकार करती है;

(ग) सरकार किस पद्धति के द्वारा यह सुनिश्चित करती है कि अपने स्वयं के नियंत्रण के अभाव में भ्रष्टाचार और सार्वजनिक हितों के विरुद्ध कार्यों को बढ़ावा नहीं मिल रहा है; और

(घ) सरकार को उक्त पद्धति से क्या लाभ हुए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (घ) तेल विपणन कंपनियों (ओ एम सीज) को प्रचालनात्मक और वाणिज्यिक स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए सरकार ने उनको खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों (पेट्रोल पम्पों), एल पी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों और एस के ओ - एल डी ओ डीलरशिपों के लिए डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों का चयन करने के लिए अधिकृत किया है। ओ एम सीज को इस प्रयोजन के लिए अपने स्वयं के दिशानिर्देश निर्धारित करने के लिए कहते समय सरकार ने उनको दिशानिर्देशों में कुछ व्यापक और वस्तुनिष्ठ प्राचल शामिल करने की सलाह दी है। तदनुसार ओ एम सीज ने अपने दिशानिर्देश निर्धारित कर लिए हैं और वे इन दिशानिर्देशों के अनुसार डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों का चयन करती रही हैं। इस प्रक्रिया में सरकार की और कोई भूमिका नहीं है।

आम एम सीज के दिशानिर्देशों का निर्धारण व्यापक विचार-विमर्श के बाद किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रावधान स्पष्ट और पारदर्शी हों तथा चयन समितियों द्वारा भूल-चूक की संभावनाओं के अवसर न्यूनतम रखे जा सकें। इन दिशानिर्देशों में शिकायतों की जांच पड़ताल और उन पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय के लिए व्यापक प्रावधान शामिल हैं।

यद्यपि चयन प्रक्रिया में सरकार की कोई भूमिका नहीं होती तो भी सरकार द्वारा प्राप्त किसी शिकायत की किस्म और उसके अन्तर्विषय के आधार पर इसकी जांच करवाई जाती है और सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

प्राकृतिक गैस का उत्पादन

*160. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2000, 2001, 2002 और 2003 के दौरान और अब तक महाराष्ट्र,द गुजरात, आंध्र प्रदेश, असम और अन्य राज्यों में विभिन्न स्रोतों से उत्पादित प्राकृतिक गैस की मात्रा कितनी है;

(ख) प्रत्येक राज्य को अदा की गई रायल्टी की राशि और दर कितनी है;

(ग) क्या किसी ऐसे अधिनियम अथवा विनियामक माडल पर विचार किया गया है जिसके अंतर्गत राज्य अपने पेट्रोलियम और गैस संसाधनों के दोहन के लिए अपनी स्वयं की नीति बना सके; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में उठाए गए तथा उठाए जाने वाले कदमों का ब्योरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) प्राकृतिक गैस पर रायल्टी का भुगतान कूप शीर्ष पर प्राप्त प्राकृतिक गैस के 10% मूल्य की दर पर किया जाता है। वर्ष 2000-01 से 2003-04 के दौरान विभिन्न राज्यों में उत्पादित प्राकृतिक गैस की मात्रा और दी गई रायल्टी कि राशि नीचे दी गई है :–

राज्य	गैस उत्पादन और दी गई रायल्टी	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
आंध्र प्रदेश	गैस उत्पादन (एमएमएससीएम)	1604.000	1796.00	2038.00	1927.00
	दी गई रायल्टी (करोड़ रुपए)	30.07	32.43	35.51	35.48
असम	गैस उत्पादन (एमएमएससीएम)	2199.72	1990.87	2046.53	2203.62
	दी गई रायल्टी (करोड़ रुपए)	16.57	13.86	14.26	19.36
गुजरात	गैस उत्पादन (एमएमएससीएम)	3149.00	3170.00	3531.00	3517.00
	दी गई रायल्टी (करोड़ रुपए)	53.06	46.62	84.12	74.48
राजस्थान	गैस उत्पादन (एमएमएससीएम)	159.46	101.38	161.55	168.13
	दी गई रायल्टी (करोड़ रुपए)	1.22	0.76	1.37	1.39
तमिलनाडु	गैस उत्पादन (एमएमएससीएम)	200.00	349.00	466.00	605.00
	दी गई रायल्टी (करोड़ रुपए)	2.79	5.37	7.58	11.03
त्रिपुरा	गैस उत्पादन (एमएमएससीएम)	376.00	416.00	446.00	508.00
	दी गई रायल्टी (करोड़ रुपए)	5.39	5.74	5.75	5.94

(एमएमएससीएम - मिलियन मानक घन मीटर)

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

तहलका टेपों की मौलिकता

*161. **श्री तथागत सत्पथी :**
श्री महबूब जाहेदी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'ब्यूरो ऑफ फॉरेन्सिक साइन्स, लंदन' ने यह प्रमाणित किया है कि रक्षा सौदों में भ्रष्टाचार पर तहलका टेप मौलिक हैं और उनके साथ छेड़छाड़ नहीं की गयी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) फुकन जांच आयोग की जांच जल्दी पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) सरकार द्वारा रक्षा सौदों में भ्रष्टाचार को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार को तहलका प्रबंधन निर्देशकों से उत्पीड़न के लिए क्षतिपूर्ति की मांग करते हुए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(च) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) न्यायाधीश फुकन आयोग द्वारा तहलका टेपों की सत्यता की जांच करने तथा विसंगतियों को स्पष्ट करने के लिए 'ब्यूरो ऑफ फोरेंसिक साइंस, लंदन को नियुक्त किया गया था। भारत सरकार के लिए इस रिपोर्ट पर

टिप्पणी करना उचित नहीं होगा क्योंकि यह मामला आयोग के विचाराधीन है।

(ग) जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अधीन न्यायाधीश फुकन जांच आयोग दिनांक 24.3.2001 को नियुक्त किया गया है। भारत सरकार ने आयोग को, उसके द्वारा विचार-विमर्श हेतु अपेक्षित सभी सहायता दी है। आयोग का कार्यकाल 03 अक्तूबर, 2004 तक बढ़ा दिया गया है।

(घ) एक रक्षा अधिप्राप्ति बोर्ड का गठन किया गया है जिसमें मंत्रालय, तीनों सेनाओं और रक्षा वित्त पक्ष के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। नई रक्षा अधिप्राप्ति कार्यविधि का आशय पिछली प्रणाली की कमियों को दूर करके इसे अधिक सटीक बनाना, इसकी विसंगतियों को दूर करना, उत्तरदायित्वों का अंकन करना तथा इसे और अधिक पारदर्शी बनाना है। सामूहिक उत्तरदायित्व की शुरूआत करने से इस कार्यविधि में निर्णय लेने की गति बढ़ी है। इसमें पर्याप्त अन्योन्य जांच तथा प्रति-जांच की भी व्यवस्था है।

(ङ) और (च) रक्षा मंत्रालय को मुआविजे के लिए तहलका प्रबंध निदेशक से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी योजनाओं हेतु धन

1127. श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने वर्ष 2003-04 हेतु पिछड़े वर्ग के लोगों हेतु मैट्रिक-पूर्व, मैट्रिक पश्चात् छात्रवृत्ति योजनाओं, छात्रावास निर्माण योजना और अन्य योजनाओं हेतु उपलब्ध कराए गए धन को जारी कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2003-04 हेतु प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र/गैर सरकारी संगठनों के अंतर्गत आबंटित और जारी किए गए धन का ब्योरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2003-04 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/गैर-सरकारी संगठनों को निर्मुक्त की गई निधियों का ब्योरा विवरण-I, II और III में दिया गया है।

विवरण-I

वर्ष 2003-04 के दौरान अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को मैट्रिक-पूर्व/मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के बालक और बालिकाओं के लिए छात्रावास की स्कीमों के तहत विभिन्न राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त निधियों का राज्यवार ब्योरा

(रु. लाख में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	अन्य पिछड़े वर्ग के बालक और बालिकाओं के लिए छात्रावास
1.	आंध्र प्रदेश	402.60	299.02	220.00
2.	असम	26.00	1.61	2.00
3.	गोवा		3.26	
4.	गुजरात	260.30	323.25	
5.	हिमाचल प्रदेश			
6.	जम्मू-कश्मीर			83.16
6.	कर्नाटक	26.57	187.25	269.02
7.	उड़ीसा		18.09	161.87
8.	राजस्थान	194.24	326.72	
10.	सिक्किम			20.00
11.	तमिलनाडु			68.48
12.	त्रिपुरा	175.00	240.00	
13.	उत्तर प्रदेश	615.29	987.91	195.47
14.	उत्तरांचल		11.90	
	कुल	1700.00	2399.01	1020.00

विवरण-II

अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याणार्थ कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की स्कीम के तहत वर्ष 2003-04 के दौरान राज्यवार गैर-सरकारी संगठनों की संख्या, परियोजनाओं की संख्या, लाभार्थियों की संख्या तथा निर्मुक्त धनराशि दर्शाने वाला विवरण

(रुपए में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	गैर-सरकारी संगठनों की संख्या	परियोजनाओं की संख्या	लाभार्थियों की संख्या	निर्मुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	9	9	465	1893532
2.	असम	5	6	330	1573335
3.	दिल्ली	22	28	1360	4882468
4.	गुजरात	1	1	30	230423
5.	हरियाणा	7	7	285	1123866
6.	कर्नाटक	4	4	150	664748
7.	मध्य प्रदेश	14	15	685	2432707
8.	महाराष्ट्र	41	51	2241	10231982
9.	मणिपुर	22	22	1240	5987888
10.	उड़ीसा	10	10	385	1452458
11.	राजस्थान	19	20	990	5132177
12.	तमिलनाडु	2	2	150	759068
13.	उत्तर प्रदेश	29	29	1505	6661112
14.	तमिलनाडु	3	3	120	549047
15.	पश्चिम बंगाल	4	5	220	1045170
16.	गैर-सरकारी संगठनों का निरीक्षण	0	0	0	19634
17.	पिछड़ा वर्ग-गैर-सरकारी संगठन स्कीम की प्रति का मुद्रण	0	0	0	75995
	कुल योग	192	212	10156	44715610

विवरण-III

वर्ष 2003-04 के दौरान राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम द्वारा किया गया आबंटन और संवितरण

क्रम सं.	राज्य का नाम	2003-04 (लाख रुपए)	
		आबंटन	संवितरण
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	2200.00	1150.00
2.	असम	791.00	95.68
3.	बिहार	1300.00	8.00
4.	छत्तीसगढ़	465.80	25.00
5.	चंडीगढ़	21.00	15.00
6.	दिल्ली	100.00	50.00
7.	दमण और दीव	—	—
8.	गुजरात	1000.00	350.00
9.	गोवा	252.00	46.67
10.	हरियाणा	340.00	200.00

1	2	3	4
11.	हिमाचल प्रदेश	200.00	182.84
12.	जम्मू-कश्मीर	100.00	15.00
13.	झारखंड	600.00	270.30
14.	कर्नाटक	1800.00	1690.77
15.	केरल	3595.00	3067.50
16.	मध्य प्रदेश	1142.00	492.50
17.	मणिपुर	—	—
18.	महाराष्ट्र	2900.00	2684.00
19.	उड़ीसा	700.00	50.00
20.	पंजाब	400.00	43.00
21.	पांडिचेरी	149.00	50.00
22.	राजस्थान	456.00	114.68
23.	सिक्किम	419.00	125.00
24.	तमिलनाडु	1800.00	1075.09
25.	त्रिपुरा	398.00	—
26.	उत्तर प्रदेश	2300.00	550.00
27.	उत्तरांचल	9.00	9.00
28.	पश्चिम बंगाल	1500.00	750.00
	जोड़	24928.80	13109.44

अनुसूचित जातियों के छात्रों को परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण

1128. **श्री दलपत सिंह परस्ते** : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य स्तरीय सिविल सेवाओं की प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु अनुसूचित जाति के युवाओं को तैयार करने के लिए वर्ष 2003-2004 हेतु केन्द्र सरकार और राज्य सरकार प्रत्येक द्वारा 50 प्रतिशत हिस्सा वहन करने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग, मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2003-04 के दौरान अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों सहित कमजोर वर्गों के लिए कोचिंग और संबद्ध सहायता स्कीम के अंतर्गत 45.00 लाख रुपए के बजट प्रस्ताव के साथ अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक छात्रों को यू.पी.एस.सी., एम.पी.पी.एस.सी., पी.ई.टी., पी.एम.टी., रेलवे, बैंकिंग, एस.एस.सी. तथा अन्य सेवाओं की परीक्षाओं के लिए परीक्षा-पूर्व कोचिंग देने के प्रस्ताव को प्रस्तुत किया है। इस प्रस्ताव की जांच की गई और भारत सरकार ने 36,48,750 रुपए की राशि स्वीकृत की। केन्द्रीय अंश 18,24,375 रुपए के मुकाबले, पिछले वर्ष की अप्रयुक्त राशि 3,12,750 रुपए कम करने के पश्चात्, 15,11,625 रुपए की राशि निर्मुक्त की गई।

उत्तर-मध्य रेलवे की रिक्तियों में आरक्षण

1129. **श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर मध्य रेलवे के अंतर्गत नवसृजित इलाहाबाद जोन में रिक्त पड़ी वर्ग 'ग' और 'घ' की रिक्तियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग हेतु आरक्षित रिक्तियों की संख्या कितनी है; और

(ख) अब तक इन रिक्तियों को न भरे जाने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) समूह 'ग' तथा समूह 'घ' कोटियों में 30.6.2004 को अनुसूचित जाति (अ.जा.), अनुसूचित जन जाति (अ.ज.जा.) तथा अन्य पिछड़े वर्गों (अ.पि.व.) के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या जिसमें अग्रेषित आरक्षित रिक्तियों की संख्या भी शामिल है, निम्नलिखित है :–

	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.
समूह 'ग'	140	270	63
समूह 'घ'	44	156	78
जोड़	184	425	141

(ख) संबंधित रेल भर्ती बोर्डों के जरिए खाली पड़ी आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

[अनुवाद]

बाल चलचित्र परिसर

1130. **श्री एस.पी.वाई. रेड्डी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार, जो वर्ष 1955 से अन्तर्राष्ट्रीय बाल फिल्मोत्सव का आयोजन कर रही है, ने बाल चलचित्र परिसर का निर्माण करने हेतु कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा है;

(ख) क्या योजना को प्रारंभिक अनुमोदन के पश्चात् सूचना और प्रसारण मंत्रालय की सिफारिश पर योजना आयोग द्वारा दसवीं पंचवर्षीय योजना से हटा दिया गया था;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने, परियोजना को संस्वीकृत करने और इस प्रयोजन हेतु धनराशि जारी करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) से (च) अन्तर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह, बालचित्र समिति, भारत, द्वारा वर्ष 1979 से प्रत्येक दो वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है। आन्ध्र प्रदेश सरकार के साथ सहयोग वर्ष 1995 में शुरू हुआ। जबकि हैदराबाद में बालचित्र परिसर के निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन था, तब व्यय सुधार आयोग ने बालचित्र समिति, भारत को ही समाप्त करने की सिफारिश कर दी। यह महसूस किया गया कि प्रत्येक दो वर्षों में सात दिनों की अवधि के लिए आयोजित होने वाले समारोह के लिए अपेक्षित भारी पूंजीगत निवेश के साथ कार्यालयों और थियेटरों सहित एक पूर्ण समारोह परिसर की स्थापना न्यायोचित नहीं होगी। इस आधार पर, यह स्कीम 10वीं पंचवर्षीय योजना से निकाल दी गयी थी। तथापि, इस समय हैदराबाद में एक परिसर के निर्माण की परियोजना को पुन: शुरू करने का एक प्रस्ताव दोबारा इस मंत्रालय के पास गंभीरतापूर्वक विचाराधीन है।

पाकिस्तान को डीजल निर्यात करने का प्रस्ताव

1131. **श्री किन्जरपु येरननायडु** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत-पाक संबंधों में सुधार लाने हेतु पाकिस्तान को डीजल निर्यात करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या निर्यात हेतु भूमि अथवा समुद्री मार्ग का उपयोग किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड ने पाकिस्तान की तेल कंपनियों को डीजल का निर्यात करने के लिए, उनके साथ प्रारम्भिक संविदाओं की शुरूआत की है।

(ख) से (घ) इसके ब्योरे अभी तैयार नहीं किए गए हैं।

सीमा सड़क का निर्माण

1132. **श्री रघुनाथ झा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर बिहार में 200 किलोमीटर से ज्यादा लंबी भारतीय सीमा नेपाल से लगी है और इस भारतीय क्षेत्र में कोई सीमा सड़क नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार राष्ट्र की सुरक्षा हेतु त्रिवेणी और दौंद नहरों के किनारे पर सीमा सड़क का निर्माण करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) सेना की संक्रियात्मक आवश्यकताओं को देखते हुए सड़क संचार की योजनाएं बनाई जाती हैं और उनके लिए निधि सेना बजट से मुहैया कराई जाती है। रक्षा मंत्रालय द्वारा त्रिवेणी और दौंद नहरों के तटों पर सड़क निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

तेल क्षेत्र के सरकारी उपक्रमों पर बकाया ऋण

1133. श्री एस. अजय कुमार : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 31 मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार तेल क्षेत्र के सरकारी उपक्रमों की ओर कितना ऋण बकाया है; और

(ख) इस बकाया ऋण पर ब्याज के रूप में कितनी धनराशि का भुगतान किया जा रहा है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) 31 मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार तेल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की कुल बकाया उधारियां 31,565.34 करोड़ रुपए थीं।

(ख) वर्ष 2003-04 के दौरान उधारियों पर दिया गया ब्याज 1,689.32 करोड़ रुपए था।

[हिन्दी]

दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में कम भार वाले कुकिंग गैस सिलेंडर

1134. श्री महेश कनोडीया : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में निर्धारित भार से कम भार वाले सिलेंडरों के कितने मामले प्रकाश में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या अब तक सरकार ने इस चोरी में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ एम सी) को कम भार के सिलेण्डरों की आपूर्ति के संबंध में उनके एल पी जी उपभोक्ताओं से शिकायतें मिली हैं।

(ख) से (घ) तेल विपणन कंपनियां ने कम भार के सिलेंडरों की आपूर्ति करने वाले डिस्ट्रीब्यूटरों के खिलाफ विपणन अनुशासन दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्रवाई करती हैं।

कपार्ट द्वारा गैर-सरकारी संगठनों को सहायता

1135. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में उन संस्थानों के नाम और संख्या कितनी है जिन्हें कपार्ट द्वारा कार्यकारी संस्थान का दर्जा दिया गया है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में इन संगठनों के माध्यम से व्यय की गई धनराशि का संगठन-वार ब्योरा क्या है;

(ग) क्या कपार्ट द्वारा आबंटित धनराशि की सहायता से किए गए कार्यों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कार्यों की संख्या कितनी है जिनका प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार के पास कपार्ट को आबंटित की जाने वाली धनराशि में वृद्धि करने की कोई योजना है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) से (छ) जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

कस्या रोड रेल समपार पर रेल ऊपरि पुल के निर्माण में हुई प्रगति

1136. श्री मोहन सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर पूर्व रेलवे के अंतर्गत देवरिया सदर स्टेशन के निकट कस्या रोड रेल समपार पर रेल ऊपरि पुल के निर्माण करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त रेल ऊपरि पुल के निर्माण के संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) उपरोक्त ऊपरि पुल का निर्माण कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) समपार सं. 129 के बदले देवरिया सदन में ऊपरि सड़क पुल के निर्माण का कार्य लागत में भागीदारी के आधार पर 1998-99 के निर्माण कार्यक्रम में शामिल किया गया था।

(ख) और (ग) निर्माण कार्य का निष्पादन नहीं किया जा सका क्योंकि राज्य सरकार ने संशोधित सामान्य प्रबंध आरेखण अभी तक उपलब्ध नहीं कराए हैं। इसके दृष्टिगत ऊपरि पुल को पूरा करने का समय इस स्तर पर निर्धारित नहीं किया जा सकता।

[अनुवाद]

कटक-पारादीप रेलमार्ग का दोहरीकरण

1137. **श्री अनन्त नायक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में कटक-पारादीप रेलमार्ग के दोहरीकरण की अनुमानित लागत कितनी है;

(ख) आज की तिथि के अनुसार इस परियोजना हेतु वर्षवार किया गया वास्तविक आबंटन कितना है;

(ग) इस परियोजना को पूरा करने हेतु क्या तिथि निर्धारित की गई है; और

(घ) आज की तिथि तक इस रेलमार्ग के दोहरीकरण में की गई प्रगति का ब्योरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) कटक-पारादीप लाइन का दोहरीकरण तीन भागों अर्थात् (1) नेरगुंडी-कटक-रघुनाथपुर (2) रघुनाथपुर-रहमा, तथा (3) रहमा-पारादीप में निष्पादित किया जा रहा है। नेरगुंडी-कटक-पारादीप लाइन के दोहरीकरण पर कुल लागत लगभग 253.71 करोड़ रु. आने की संभावना है।

(ख) कटक-पारादीप लाइन के दोहरीकरण पर वर्षवार किए गए खर्च तथा चालू वर्ष के लिए प्रस्तावित आबंटन नीचे दिया गया है :–

वर्ष	कटक-पारादीप		
	नेरगुंडी-कटक-रघुनाथपुर (रु. करोड़ में)	रघुनाथपुर-रहमा (रु. करोड़ में)	रहमा-पारादीप (रु. करोड़ में)
1995-96	–	1.85	–
1996-97	–	13.43	–
1997-98	0.00	16.57	0.07
1998-99	7.08	18.96	3.10
1999-2000	18.70	10.74	3.94
2000-01	19.44	2.64	4.98
2001-02	16.61	2.26	12.24
2002-03	28.87	1.37	16.26
2003-04	40.65	2.98	17.09
2004-05 (प्रस्तावित परिव्यय)	15.00	0.01	11.90

(ग) और (घ) नेरगुंडी-कटक-रघुनाथपुर परियोजना पर कपिलस रोड़-नेरगुंडी-बिरुपा केबिन खंड पूरा हो गया है तथा इसे चालू कर दिया गया है। शेष खंड पर मिट्टी संबंधी कार्य तथा पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है। कटक-रघुनाथपुर खंड का कार्य 2004-05 के दौरान पूरा होने की संभावना है। रघुनाथपुर-रहमा के दोहरीकरण का कार्य पूरा हो गया है तथा इसे चालू कर दिया गया है। रहमा-पारादीप का भी दोहरीकरण का कार्य पूरा हो चुका है लेकिन इसे अभी चालू नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

पेट्रोल/डीजल एवं रसोई गैस के बुलाई भाड़े में वृद्धि

1138. **श्री सुरेश चन्देल** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष इंडियन आयल, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम और सरकारी क्षेत्र की अन्य कंपनियों द्वारा पेट्रोल/डीजल/रसोई गैस इत्यादि की ट्रक से ढुलाई के भाड़े में वृद्धि की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) वे क्षेत्र कौन से हैं जिनमें अभी तक बढ़े हुए भाड़े का भुगतान नहीं किया गया है;

(घ) क्या अब तक उत्तरी भारत के ट्रांसपोर्टरों और लदान करने वाले लोगों को उनके बकाये का भुगतान नहीं किया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उनको कब तक भुगतान किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) ट्रकों द्वारा पेट्रोल/डीजल/एल पी जी आदि के थोक परिवहन की दरों का अंतिम निर्धारण सार्वजनिक निविदाओं द्वारा किया जाता है। डीजल, ल्यूब तथा अन्य उपभोज्य खुदरा बिक्री मूल्यों से संबंधित परिवहन दरों में वृद्धि/कमी की इजाजत परिवहन ठेकेदारों को दी गई है।

(ग) से (ङ) संशोधित दरों के लिए परिवहन संविदा करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। परिवहन ठेकेदारों को किए जाने वाला भुगतान एक सतत प्रक्रिया है तथा संविदा की शर्तों के अनुसार संशोधित दरों का भुगतान किया जा रहा है। इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई ओ सी एल) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एच पी सी एल) तथा आई बी पी कंपनी लिमिटेड ने बकाया भुगतानों को जारी किया है। भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बी पी सी एल) ने उत्तर भारत में जम्मू व कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश राज्यों में तथा पूर्वी भारत में उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार व असम राज्यों में संशोधित परिवहन दरों का पूर्ण भुगतान नहीं किया है। बी पी सी एल का उत्तर भारत के क्षेत्रों के लिए 31.7.2004 तक तथा पूर्वी भारत के क्षेत्रों के लिए 31.10.2004 तक भुगतान करने की योजना है।

[अनुवाद]

जम्मू-कश्मीर में रेल विकास

1139. श्री तुकाराम गंगाधर गदाख : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा घोषित जम्मू कश्मीर की रेलवे परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) परियोजना के त्वरित कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्योरा क्या है;

(ग) इस परियोजना के पूरा होने के पश्चात् रेलवे से जुड़ने वाले इस राज्य के क्षेत्रों का ब्योरा क्या है;

(घ) क्या राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और रेल मंत्रालय के असहयोग के कारण परियोजना में विलंब हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जम्मू एवं कश्मीर में चालू रेल परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति नीचे दी गई है:—

क्रम सं.	परियोजना का नाम	वर्तमान स्थिति
1	2	3
	नई लाइनें	
1.	जम्मू-ऊधमपुर (53.6 किमी)	कार्य पूरा हो गया है और इस खंड पर विभागीय माल यातायात चालू है।
2.	ऊधमपुर-श्रीनगर-बारामूला (287 किमी)	कार्य चरणों में शुरू कर दिया गया है और प्रगति नीचे दी गई है:—
		(i) ऊधमपुर-कटरा (किमी 0-25): मिट्टी, सुरंग और बड़े/छोटे पुलों का कार्य प्रगति पर है। इस खंड के पूरा करने की लक्ष्य तिथि दिसंबर, 2005 है।
		(ii) कटरा-काजीगुंड (किमी 25-167): किमी 25-30 के लिए, भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्य पूरा हो गया है और सुरंग का कार्य प्रगति पर है। किमी 30-167 के लिए भूमि अधिग्रहण, विस्तृत निर्माण सर्वेक्षण

1	2	3
		कार्य प्रगति पर है। किमी 30-50 के बीच जहां भूमि उपलब्ध हो गई है, सुरंग संबंधी कार्य प्रगति पर है। इस खंड को पूरा करने की लक्ष्य तिथि 15.8.2007 है।
		(iii) काजीगंड-बारामूला (किमी 167-287): मिट्टी संबंधी, पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है। 14,898 कैनाल भूमि में से 14,676 कैनाल भूमि अधिग्रहित कर ली गई है। इस खंड को 2005-06 के दौरान पूरा किए जाने का लक्ष्य है।
दोहरीकरण		
1.	जालंधर-जम्मू तवी	कार्य पूरे जोरों पर है और तीन खण्ड अर्थात् सूचिपिंड-भोगपुर-सिरवाल (26 किमी), मुकेरियां-मिरथल (18 किमी) और भारोली-माधोपुर पंजाब (13 किमी) को 2004-05 के दौरान पूरा किए जाने का लक्ष्य है। संपूर्ण परियोजना को 2007-08 के दौरान पूरा किए जाने का लक्ष्य है।

(ख) शीघ्र कार्यान्वयन के लिए ऊधमपुर-श्रीनगर-बारामूला परियोजना के नई लाइन का कार्य मैसर्स इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और कॉकण रेल निगम लिमिटेड को सौंप दिया गया है। परियोजना के लिए अपेक्षित निधियां सामान्य रेलवे योजना के अलावा मुहैया कराई जा रही है।

(ग) जम्मू से बारामूला तक प्रस्तावित नई रेल लाइन ऊधमपुर कटरा, रेयासी, सांगलडन, लाओल, काजीगुंड, श्रीनगर और बारामूला से होकर गुजरेगी।

(घ) जी, नहीं। बहरहाल, राज्य सरकार द्वारा भूमि का कब्जा सौंपने में देरी हुई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

तेल आयात पर खर्च की गई धनराशि

1140. **श्री निखिल चन्द :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा तेल के आयात पर व्यय की जा रही धनराशि में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान के आयात बिल में कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) देश की अर्थव्यवस्था पर तेल के आयात पर हो रहे भारी व्यय का क्या प्रभाव पड़ा है; और

(घ) तेल आयात व्यय को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात का सकल आयात बिल और सकल आयात बिल में प्रतिशत वृद्धि/कमी निम्नानुसार थी :-

वर्ष	करोड़ रुपए	% वृद्धि/कमी
2001-02	67,646	13.3
2002-02	85,042	25.7
2003-04	93,168	9.6

(ग) जबकि तेल आयात पर भारी व्यय, भुगतान शेष के चालू खाते पर व्यापक रूप से प्रभाव डाल रहा है, हमारी विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि की अनुकूल स्थिति और महत्वपूर्ण योगदान, जो विकास प्रक्रिया को ऊर्जा प्रदान करती है, को देखते हुए तेल के आयात ऐसी स्थिति में अर्थ व्यवस्था के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं, जिसमें हमारी केवल लगभग 30% तेल आवश्यकता घरेलू क्रूड उद्योग द्वारा पूरी की जाती है।

(घ) सरकार द्वारा तेल आयात में निर्भरता में कमी करने/इसे नियंत्रित करने के लिए किए गए उपायों में निम्न सम्मिलित हैं:-

(1) निम्न कार्यों द्वारा कच्चे तेल और गैस के उत्पादन में वृद्धि करने के प्रयास करना।

(i) नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति के माध्यम से अन्वेषण प्रयासों में वृद्धि करना।

(ii) वर्धित तेल निकासी (ई ओ आर)/उन्नत तेल निकासी (आई ओ आर) योजनाओं के कार्यान्वयन द्वारा वर्तमान मुख्य क्षेत्रों से निकासी घटक में सुधार करना।

(iii) नए क्षेत्रों, विशेष रूप से गहरे समुद्र और कठिन सीमावर्ती क्षेत्रों में अन्वेषण करना और उत्पादक क्षेत्रों की गहनतर परतों में अन्वेषण करना।

(iv) नए खोजे गए क्षेत्रों का अधिक तेजी से विकास करना और उत्पादक क्षेत्रों में भूकम्पीय सर्वेक्षण, वर्क ओवर, अनुरूपण प्रचालनों, कूपों के वेधन आदि के लिए नई प्रौद्योगिकियों का अधिक उपयोग करना।

(v) विदेश में रकबे प्राप्त करना।

(2) कतिपय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में पेट्रोल में एथेनोल मिश्रण अनिवार्य बनाना।

(3) तेल संरक्षण उपायों की जागरुकता में वृद्धि करना।

रेलगाड़ियों में अनधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश

1141. **श्रीमती मिनाती सेन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि बिहार से होकर गुजरने वाली लंबी दूरी की रेलगाड़ियों के आरक्षित डिब्बों में कम दूरी के यात्री उन्मुक्त रूप से डिब्बों में घुसकर अन्य यात्रियों की सीटों पर जबरन कब्जा कर लेते हैं जिसमें भारतीय रेल में जंगल राज हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इससे संबंधित तथ्य क्या है; और

(ग) आरक्षित डिब्बों में अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने और उक्त मार्ग पर और अधिक रेलगाड़ियां चलाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) बिहार सहित देश के विभिन्न भागों से समय-समय पर आरक्षित सवारी डिब्बों में अप्राधिकृत यात्रियों के प्रवेश के मामले और आरक्षित यात्रियों की शायिकाओं पर कब्जा करने संबंधी मामले ध्यान में आते हैं। आरक्षित सवारी डिब्बों में टिकट जांच कर्मचारी तैनात रहते हैं। इसके अलावा, आरक्षित सवारी डिब्बों में अप्राधिकृत यात्रियों के प्रवेश को रोकने के लिए टिकट जांच, कर्मचारियों द्वारा समय-समय पर रेलवे सुरक्षा बल और राजकीय रेल पुलिस कार्मिकों के सहयोग से व्यापक अभियान चलाए जाते हैं। दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध कानूनी उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

लंबी दूरी के यात्रियों को होने वाली असुविधा को कम करने के दृष्टिगत, बिहार राज्य के लिए दो जन साधारण एक्सप्रेस सहित पांच जोड़ी नई गाड़ियां चलाई जाएगी। एक गाड़ी बिहार तक बढ़ाई जाएगी और बिहार से गुजरने वाली चार गाड़ियों के फेरों में भी वृद्धि की जाएगी। यद्यपि जन साधारण एक्सप्रेस में केवल अनारक्षित सवारी डिब्बे होंगे तथापि अन्य तीन नई गाड़ियों में प्रत्येक में चार अनारक्षित सवारी-डिब्बे होंगे।

प्राचीन धर्मग्रंथों हेतु राष्ट्रीय ग्रंथालय

1142. **श्री ए.के. मूर्ति :** क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्राचीन धर्मग्रंथों और वैदिक धर्म की महत्ता के मद्देनजर तमिलनाडु के कांचीपुरम में एक राष्ट्रीय ग्रंथालय स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक गठित किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) से (ग) जी नही। तथापि, राष्ट्रीय पाण्डुलिपि मिशन ने तमिलनाडु में पाण्डुलिपि संसाधन केन्द्र (एम आर सी) के रूप में श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती विश्वविद्यालय, श्री कांची शंकर मठ को सम्बद्ध किया है। पाण्डुलिपि संसाधन केन्द्रों का कार्य संस्थानों तथा निजी संग्रहों में उपलब्ध पाण्डुलिपियों का सर्वेक्षण, प्रलेखन तथा उनकी तालिका तैयार करना है।

पश्चिम बंगाल में चालू रेल परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति

1143. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में चल रही विभिन्न रेल परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्णय लिया है जिससे कि परियोजनाओं को निर्धारित समय से पूरा किया जा सके;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) पश्चिम बंगाल में चालू विभिन्न रेल परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति, उनकी लागत, 31.3.2004 तक खर्च की गई प्रत्याशित लागत, 2004-2005 के दौरान प्रस्तावित व्यय और इनके पूरा करने की लक्ष्य तिथि, जो भी निर्धारित की गई है, से संबंधित विवरण निम्नानुसार है:—

क्रम सं.	परियोजना का नाम	प्रत्याशित लागत (करोड़ रुपए में)	31.3.2004 तक व्यय की गई राशि (करोड़ रुपए में)	प्रस्तावित व्यय 2004-05 (करोड़ रुपए में)	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6
	नई लाइनें				
1.	लक्ष्मीकांतपुर-नामखाना, (47.5 कि.मी.)	100.88	93.97	1.00	कार्य पूरा कर लिया गया है।
2.	तारकेश्वर-विष्णुपुर हावड़ा-वर्दमान कॉर्ड को जोड़ते हुए कुमारकुंडू बाईपास तक बढ़ाना (85 कि.मी.)	276.00	22.66	2.99	तारकेश्वर-आरामबाग के बीच भूमि अधिग्रहण से संबंधित कार्रवाई प्रगति पर है। भूमि उपलब्ध होते ही कार्य आरंभ कर दिया जाएगा।
3.	अजीमगंज (नासीपुर)-जिया गंज घाट तक (3 कि.मी.)	22.78	—	0.01	अपेक्षित स्वीकृतियां लेने के पश्चात् कार्य शुरू किया जाएगा। इसके लिए कार्रवाई आरंभ कर दी गई है।
4.	दुमका के रास्ते मंदार हिल-रामपुर हाट (130 कि.मी.)	254.07	57.43	10.0	स्थान के अंतिम सर्वेक्षण का कार्य पूरा किया जा चुका है। भूमि अधिग्रहण कार्य प्रगति पर है। मिट्टी भरने, पुल के निर्माण तथा अन्य कार्य प्रगति पर हैं।
5.	न्यू मैनागुडी-जोगीघोपा (245 कि.मी.)	733	33.97	42.00	स्थान के अंतिम सर्वेक्षण का कार्य पूरा किया जा चुका है। भूमि अधिग्रहण कार्य प्रगति पर है। मैनागुडी रोड से चंगराबंधा के बीच मिट्टी भरने तथा पुल के निर्माण का कार्य प्रगति पर हैं।
6.	एकलाखी-बेलूरघाट तथा गाजोल-इटेहार (118 कि.मी.)	274.41	207.25	5.00	एकलाखी-बेलूरघाट का कार्य पूरा किया जा चुका है। गाजोल इटहार के बीच स्थान के अंतिम सर्वेक्षण का कार्य शुरू कर दिया गया है।

1	2	3	4	5	6
7.	तामलुक-डीघा (87.5 कि.मी.)	293.97	241.19	11.00	तामलुक-कांठी का कार्य पूरा किया जा चुका है। कांठी-डीघा के बीच का कार्य प्रगति पर है। इसे 2004-05 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
8.	हावड़ा-आमटा और बरगाचिया-चंपादंगा (73.5 कि.मी.)	154.3	68.42	5.00	हावाड़ा-महेंद्रलाल नगर खंड का कार्य पूरा किया जा चुका है। महेंद्रलाल नगर-आमटा तक का कार्य 2004-05 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
	आमान परिवर्तन				
1.	न्यू जलपाईगुड़ी-सिलीगुड़ी-न्यू बोंगाईगांव (415.48 कि.मी.)	820.00	596.49	30.00	न्यू जलपाईगुड़ी से समुकतला रोड के बीच का कार्य पूरा किया जा चुका है। समुकतला से न्यू बोंगाईगांव का कार्य वर्ष 2004-05 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य रखा गया हैं। अलीपुरद्वार से बामनहाट के बीच ब्रांच लाइन के आमान परिवर्तन का कार्य भी आरंभ किया जा चुका है।
2.	बावाईचंडी-से खाना तक नई लाइन के विस्तार सहित बानकुरा-दामोदर नदी परियोजना (198 कि.मी.)	158.16	52.95	33.16	बानकुरा-दामोदर नदी रेलवे लाइन पर मिट्टी भरने, पुल के निर्माण तथा अन्य कार्य प्रगति पर हैं। बानकुरा-सोनामुखी का कार्य वर्ष 2004-05 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
3.	कटिहार-जोगबनी (कटिहार-राधिकापुर सहित) (196 कि.मी.)	403.38	97.69	25.00	मिट्टी भरने और पुल के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। बारसोई - राधिकापुर तक का कार्य वर्ष 2004-05 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
	दोहरीकरण				
1.	तारकेश्वर-सियोराफुली-प्रथम चरण (सियोराफुली-नेलीकुल) (18 कि.मी.)	38.88	15.76	2.04	सियोराफुली-दियारा कार्य पूरा किया जा चुका है। शेष कार्य प्रगति पर हैं।
2.	गुरूप-शक्तिगढ़ तीसरी लाइन (26 कि.मी.)	55.58	44.55	4.00	कार्य प्रगति पर है और इसे वर्ष 2004-05 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
3.	हबरा-चंदपाड़ा (22.25 कि.मी.)	40.81	0.98	2.00	स्थान के लिए अंतिम सर्वेक्षण का कार्य पूरा किया जा चुका है।

1	2	3	4	5	6
4.	सोनारपुर-केनिंग (प्रथम चरण) (सोनारपुर-घुटारी शरीफ) (29 कि.मी.)	30.47	11.11	1.00	मिट्टी भरने तथा पुल निर्माण का कार्य प्रगति पर है।
5.	बारूईपुर-लक्ष्मीकांतपुर (प्रथम चरण) (बारूईपुर-दक्षिणिया बारासाट) (17 कि.मी.)	31.82	4.8	1.00	मिट्टी भरने तथा पुल निर्माण का कार्य प्रगति पर है।
6.	बोलपुर-अहमदपुर (19 कि.मी.)	54.8	30.31	3.00	कार्य पूरा किया जा चुका है।
7.	कृष्णा नगर-शांतिपुर तक आमान परिवर्तन के विस्तार सहित कालीनारायणपुर-कृष्णा नगर तथा कृष्णा नगर से चारतला तक नई लाइन (51 कि.मी.)	102.5	5.73	1.00	थोड़ी-थोड़ी दूरी पर मिट्टी भरने का कार्य प्रगति पर है।
8.	बारासाट-हसनाबाद दोहरीकरण सहित प्रथम चरण (बारासाट-सोनडलिया) (12.12 कि.मी.)	23.65	3.29	1.00	मिट्टी भरने तथा पुल निर्माण का कार्य प्रगति पर है।
9.	बंडेल-जिराट (20 कि.मी.)	50.13	1.71	1.00	मिट्टी भरने तथा पुल निर्माण का कार्य प्रगति पर है।
10.	बरूईपुर-मगराहाट (15 कि.मी.)	30.09	0.43	1.00	निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।
11.	अहमदपुर-सैथिया (13 कि.मी.)	26.76	—	12.80	निर्माण कार्य प्रगति पर है और इसे 2004-05 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।
12.	कुमारगंज-एकलाखी (6 कि.मी.)	21.57	5.44	6.00	मिट्टी भरने तथा पुल निर्माण का कार्य प्रगति पर है।
13.	हरिश्चंद्रपुर-कुमारगंज (30 कि.मी.)	63.22	38.41	16.00	मिट्टी भरने तथा पुल निर्माण का कार्य प्रगति पर है।
14.	टिकियापाड़ा-संतरागाछी चौथी लाइन (5.6 कि.मी.)	22.5	1.00	20.00	निर्माण कार्य की योजना बनाई जा रही है।
15.	पासकुड़ा-हल्दिया प्रथम चरण (16 कि.मी.)	26.02	7.49	10.00	मिट्टी भरने तथा पुल निर्माण का कार्य प्रगति पर है।
16.	पांडवेश्वर-चिनपाई (21.41 कि.मी.)	56.47		3.00	नया निर्माण कार्य 2004-05 के बजट में शामिल कर लिया गया है और संसद द्वारा बजट पास करते ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

1	2	3	4	5	6
17.	चांदपाड़ा-बोगांव (9.77 कि.मी.)	27.48	—	1.0	प्रारंभिक निर्माण कार्य शुरू कर दिए गए हैं।
	उपनगरीय परिवहन				
1.	दम-दम-गाड़िया, रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के डिज़ाइन एवं निर्माण का कार्य (22 कि.मी.)	2324.70	1972.03	42.00	नींव रखने, उत्थापित रेलपथ, उपसंरचना एवं अधिसंरचना के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। इसे 2007 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
2.	दम-दम-ताला विद्युतीकरण सहित सर्कुलर रेलवे (18.5 कि.मी.)	242.42	163.94	41.00	प्रिंसपघाट से मेजरहाट तक का कार्य संतोषजनक रूप से चल रहा है। डम-डम कैंट-एन.एस.सी.बी. एयरपोर्ट तक रेल लाइन के निर्माण का कार्य प्रगति पर है, किंतु विभिन्न प्राधिकरणों से भूमि अधिग्रहण की कठिनाइयों के कारण इसकी प्रगति धीमी है। उल्टाडंगा से रजारहाट के लिए (केवल लेकटाऊन तक पहला चरण) स्थान के अंतिम सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है।
	रेल विद्युतीकरण				
1.	कृष्णा नगर-लालगोला (128 कि.मी.)	63.83	11.00	15.40	इस कार्य को जून, 2006 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
2.	तालचेर-पाराद्वीप सहित खड़गपुर-भुवनेश्वर (540 कि.मी.)	325.18	273.59	36.00	333 आर.के.एम. को मार्च, 2004 तक ऐनरजाईस किया गया है। इस कार्य को मार्च, 2005 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। कटक-पाराद्वीप खंड जिसके लिए दोहरीकरण कार्य के प्रगति पर होने के कारण लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है, को छोड़कर मार्च, 2005 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

वास्तविक रूप से पूरी की गई परियोजनाएं ऊपर दिए गए विवरण में शामिल नहीं हैं।

ऐतिहासिक भवनों की मरम्मत

1144. **श्री रामदास बंडु आठवले :** क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष देश में ऐसे जीर्ण-शीर्ण अवस्था वाले ऐतिहासिक भवनों की संख्या कितनी है जिनकी मरम्मत की गई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन भवनों के मरम्मत कार्य हेतु सरकार द्वारा कितना धन आबंटित किया गया है;

(ग) क्या वर्तमान वर्ष के दौरान इन भवनों के मरम्मत कार्य हेतु सरकार द्वारा कितना धन आबंटित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण देश में 3648 केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों का रखरखाव करता है। केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों का संरक्षण एवं परिरक्षण एक सतत् प्रक्रिया है और पुरातत्वीय मानकों के अनुसार किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान 700 से अधिक स्मारकों का संरक्षण एवं मरम्मत कार्य हाथ में लिया गया।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के रखरखाव हेतु नियत निधियां निम्न प्रकार हैं :–

2001-02	4954 लाख रुपए
2002-03	6515 लाख रुपए
2003-04	9092 लाख रुपए

(ग) हां। स्मारकों की अलग-अलग जरूरत के मुताबिक विभिन्न मंडलों एवं शाखाओं द्वारा संरक्षण कार्यक्रम तैयार किया गया है।

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अभिनिर्धारित अनेक कार्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

वर्ष 2004-2005 के लिए योजना एवं गैर-योजना के तहत संरक्षण कार्यक्रम में कई कार्यों का ब्योरा

क्रम सं.	मंडल का नाम	योजना	गैर योजना	2004-05 में किए जाने वाले कार्य
1	2	3	4	5
1.	आगरा	36	20	56
2.	औरंगाबाद	21	28	49
3.	बंगलौर	8	6	14
4.	भोपाल	14	12	26
5.	भुवनेश्वर	19	11	30
6.	कोलकाता	14	11	25
7.	चेन्नई	15	11	26
8.	चंडीगढ़	17	12	29
9.	देहरादून	14	8	22
10.	दिल्ली	32	7	39
11.	धारवाड़	45	27	72
12.	लघु मंडल गोवा	9	4	13
13.	गुवाहाटी	19	11	30
14.	हैदराबाद	15	25	40
15.	जयपुर	17	19	36
16.	लखनऊ	36	27	63
17.	पटना	25	13	38
18.	रांची	10	7	17
19.	रायपुर	14	14	28
20.	लघु मंडल शिमला	21	7	28
21.	श्रीनगर	26	24	50
22.	त्रिसूर	4	5	9
23.	बड़ोदरा	18	22	40
	जोड़	449	331	780

दसवीं योजना में रेलवे के लिए परिव्यय

1145. **श्री अब्दुल्लाकुट्टी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना में रेलवे के लिए निर्धारित कुल परिव्यय का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या गत कुछ योजनाओं से परिव्यय में गिरावट आ रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) योजना आयोग द्वारा रेलवे की दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) के लिए 27,600 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता और 33,000 करोड़ रुपए के आंतरिक तथा अतिरिक्त बजटीय संसाधनों सहित 60,600 करोड़ रुपए अनुमोदित किए गए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पेट्रोल डीजल एवं मिट्टी के तेल पर लगने वाले कर और शुल्क की दर

1146. **श्री मनोज कुमार** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम उत्पादों पर कर और शुल्क लगाने के पश्चात इनके मूल्यों में वृद्धि हो जाती है;

(ख) पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल पर लगाए गए कर और शुल्क की दर क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उपभोक्ताओं को इन उत्पादों को सस्ती दर पर उपलब्ध कराने हेतु पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल पर लगने वाले शुल्क और कर में कमी करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) जी, हां।

(ख) पेट्रोल, डीजल और मिट्टी तेल पर उत्पाद शुल्क की दरें निम्नानुसार हैं:–

क्रम सं.	पेट्रोलियम उत्पाद	बीईडी (%)	एसईडी (%)	एईडी (रुपए/ली)	एसएईडी (रुपए/ली)	शिक्षा उपस्कर
1.	पेट्रोल	16	10	1.50	6	उत्पाद शुल्क के कुल शुल्कों का 2%
2	डीजल	11	–	1.50	–	उत्पाद शुल्क के कुल शुल्कों का 2%
3.	मिट्टी तेल	16	–	–	–	उत्पाद शुल्क के कुल शुल्कों का 2%

(ग) और (घ) पेट्रोल, डीजल और एल पी जी के घरेलू उपभोक्ता मूल्यों पर उच्च अंतरराष्ट्रीय तेल मूल्यों के प्रभाव को सीमित करने के लिए इन उत्पादों पर 16.6.2004 से यथामूल्य उत्पाद शुल्क दरों में निम्न कमी की गई:–

उत्पाद	16.6.2004 से यथामूल्य उत्पाद शुल्क दरों में कमी
पेट्रोल	30% से कम करके 26%
डीजल	14% से कम करके 11%
एल पी जी	16% से कम करके 8%

इसके अलावा सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी तेल और घरेलू एल पी जी पर भी राजसहायता दे रही है।

हिंगनघाट स्टेशन को केन्द्रीय कम्प्यूटरीकृत रेल आरक्षण प्रणाली से जोड़ना

1147. **श्री सुरेश वाघमारे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास हिंगनघाट स्टेशन (मध्य रेलवे) को केन्द्रीय कंप्यूटरीकृत रेल आरक्षण प्रणाली से जोड़ने का कोई प्रस्ताव लंबित है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उपरोक्त कार्य को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है; और

(ग) हिंगनघाट के व्यावसायिक/औद्योगिक महत्व के मद्देनजर इस स्टेशन को केन्द्रीय कंप्यूटरीकृत रेल आरक्षण प्रणाली से जोड़ने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) 24.7.2002 से हिंगनघाट स्टेशन पर कंप्यूटरीकृत आरक्षण सुविधाएं पहले से ही आरंभ हो चुकी हैं और ये भारतीय रेल के केन्द्रीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली से पहले ही जुड़ी हुई हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्तीय विकास निगम के माध्यम से पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं

1148. श्री पी. राजेन्द्रन : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्तीय और विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) की क्या गतिविधियां हैं;

(ख) निगम के माध्यम से कौन सी कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं और इसके अंतर्गत कितनी वित्तीय सहायता आबंटित की गई है;

(ग) क्या निगम पिछड़े वर्गों के लिए नई बैंकिंग नीति शुरू करने जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम दुगनी गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित पात्र व्यक्तियों को संबंधित राज्य सरकार द्वारा नामित राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से रियायत ब्याज-दर पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(ख) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम विभिन्न राज्यों में आवधिक ऋण, मार्जिन मनी ऋण और माइक्रो वित्त की स्कीमें कार्यान्वित करता है। निगम का लक्ष्य चालू वित्त वर्ष में राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को, निधियों के लिए उनकी मांग एवं उनके कार्य-निष्पादन के आधार पर, 74 करोड़ रुपए संवितरित करना है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। वर्तमान में नई बैंकिंग स्कीम आरम्भ करने का निगम का कोई विचार नहीं है।

भेल को निर्यात आदेश

1149. श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भेल को ओमान को कम्प्रेशर निर्यात का आदेश मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) सुपुर्दगी के लिए लक्ष्य क्या हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी, हां।

(ख) भेल ने ओमान सरकार की संयुक्त उद्यम की एक कंपनी, मैसर्स पेट्रोलियम डेवलपमेंट ओमान (पीडीओ), रॉयल डच सैल ग्रुप ऑफ कंपनीज, टोटल और पारटेक्स से सेन्ट्रीफ्यूगल कम्प्रेसर पैकेज के लिए 80 करोड़ रुपये के निर्यात आदेश प्राप्त किया है। इस आदेश में ओमान के लेखवायर कार्य स्थल पर स्थापित किये जाने वाले कम्प्रेसर पैकेज की आपूर्ति एवं पर्यवेक्षी सेवाओं की परिकल्पना की गई है।

(ग) कम्प्रेसर की सुपुर्दगी कार्य स्थल पर अक्टूबर, 2005 तक की जानी है।

[हिन्दी]

सीएसडी मदों की खुले बाजार में बिक्री

1150. श्री संतोष गंगवार : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सीएसडी की वस्तुओं को इन कैंटीनों के अतिरिक्त खुले बाजार में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में भी बेचा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम हैं और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) सरकार को बरेली (उत्तर प्रदेश) के सिविल बाजार की कुछ दुकानों में सीएसडी वस्तुओं की तथाकथित अवैध बिक्री की हाल में हुई घटना की जानकारी है।

(ख) से (घ) इसके विस्तृत ब्योरे का पता लगाने और समुचित कार्रवाई करने के लिए स्थानीय सैन्य प्राधिकारियों द्वारा पहले ही जांच के आदेश दे दिए गए हैं।

[अनुवाद]

किसानों को मुआवजा

1151. **श्री अविनाश राय खन्ना** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-पाकि सीमा पर किन क्षेत्रों में बारूदी सुरंगें बिछाई हुई हैं;

(ख) क्या संबंधित किसानों को कोई आर्थिक लाभ दिया गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्योरा क्या है;

(घ) केन्द्र सरकार इस उद्देश्य के लिए कब तक धनराशि जारी करेगी और किसानों के बीच इस धनराशि को कब तक वितरित करेगी;

(ङ) क्या किसानों को अब भी कोई मुआवजा दिया जाना है; और

(च) यदि हां, तो इसे कब तक दिया जाएगा?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (च) "आपरेशन पराक्रम" के तहत रक्षा तैयारी की तैयारी चरण के संबंध में जम्मू-कश्मीर, पंजाब तथा राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में सशस्त्र बलों की लामबंदी के बाद, किसानों/लोगों को केवल उनकी फसलों को हुए नुकसान के लिए अनुग्रह मुआवजे का भुगतान किए जाने का निर्णय लिया गया था। रबी फसल 2001-2002 के लिए किसानों की फसलों को हुए नुकसान हेतु फसल का मुआवजा स्वीकार्य था। रबी फसल 2001-2002 के बाद भूमि के कब्जे के लिए किराए का मुआवजा स्वीकार्य था।

जम्मू-कश्मीर, पंजाब तथा राजस्थान में सेना द्वारा बारूदी सुरंग बिछाने के लिए अपेक्षित क्षेत्र सहित 1,62,864 एकड़ भूमि पर कब्जा किया गया था।

सरकार के उपर्युक्त निर्णय के अनुसरण में, जम्मू-कश्मीर, पंजाब तथा राजस्थान की राज्य सरकारों को निम्नलिखित राशि स्वीकृति की गई थी :–

राज्य का नाम	अवधि	स्वीकृत राशि (रुपए में)
जम्मू-कश्मीर	दिसंबर, 2001 से 31.10.2002 तक फसल/किराए का मुआवजा	37,10,72,427/-
पजांब	दिसंबर, 2001 से 30.6.2002 तक फसल का मुआवजा तथा कुछ क्षेत्रों में खरीफ फसल 2002 के लिए किराए का मुआवजा	74,57,73,272/-
राजस्थान	दिसंबर, 2001 से 30.6.2002 तक फसल का मुआवजा तथा कुछ क्षेत्रों में खरीफ फसल 2002 तथा बाद की फसलों के लिए किराए का मुआवजा	57,91,97,566/-

बाद में, राजस्थान तथा पंजाब की राज्य सरकारों के अनुरोध पर सरकार द्वारा इस मुद्दे पर पुन: विचार किया गया था तथा "आपरेशन पराक्रम" के संबंध में भूमि के कब्जे के लिए ऐसी भूमि, जो कृषियोग्य थी तथा जिस पर फसल बोई जा सकती थी किंतु सशस्त्र बलों द्वारा कब्जा कर लिए जाने के कारण फसल नहीं बोई जा सकी, की खरीफ फसल 2002 तथा बाद की फसल के लिए फसल की सकल अनुमानित उपज का 50 प्रतिशत की दर से फसल के मुआवजे का भुगतान किए जाने का निर्णय लिया गया था। ऐसी भूमि जो कृषियोग्य नहीं थी, के कब्जे के लिए केवल किराए का मुआवजा स्वीकार्य है।

उपर्युक्त आदेशों के अनुसरण में, रक्षा मंत्रालय ने मुआवजे की निम्नलिखित राशि स्वीकृत की है :–

राज्य का नाम	अवधि	स्वीकृत राशि (रुपए में)
1	2	3
जम्मू-कश्मीर	1.5.2002 से 31.10.2002 तक की अवधि के लिए स्वीकृत किराए के मुआवजे के समायोजन	33,56,82,347/-

1	2	3
	के बाद 1.5.2002 से 30.4.2004 तक फसल/किराए का मुआवजा।	
पंजाब	कुछ इलाकों के लिए खरीफ फसल 2002 हेतु स्वीकृत किराए के मुआवजे के समायोजन के बाद 1.5.2002 से 30.4.2004 तक फसल/किराए का मुआवजा।	35,89,05,189/-
राजस्थान	कुछ धनराशियों के समायोजन के बाद 1.7.2002 से 30.6.2003 तक फसल / किराए का मुआवजा।	31,09,51,893/-

केन्द्र सरकार, मुआवजे की राशि किसानों को संवितरित किए जाने के लिए संबंधित उपायुक्तों को निर्मुक्त करती है।

भूमि पर कब्जे के लिए मुआवजे का भुगतान किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है क्योंकि पश्चिमी और उत्तरी सेक्टरों में बारूदी सुरंगों वाली कुछ भूमि अभी भी सेना के कब्जे में है। सेना द्वारा बोर्ड-कार्यवाहियों को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात् जब भी मुआवजे के लिए मांग प्राप्त होती है, सरकार मुआवजे हेतु धनराशि निर्मुक्त करती है।

झारखंड में जैन और बौद्ध भग्नावशेष

1152. **श्री बाबू लाल मरांडी** : क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यह स्वीकार किया है कि झारखंड में ईटाखोरी (हजारी बाग जिले) में जैन और बौद्ध भग्नावशेष हैं;

(ख) यदि हां, तो इससे संबंधित खुदाई के कब तक शुरू होने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस स्थल को जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायिओं के लिए इसे एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने झारखण्ड में हजारी बाग जिला में ईटाखोरी स्थल का निरीक्षण किया है तथा एक मंदिर स्थल को खोजा है जिसमें जैन, बौद्ध तथा ब्राह्मण-परम्परा से संबंधित मूर्तियों के अवशेष हैं।

(ख) से (घ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ना तो इस अवस्था में इस स्थल के उत्खनन पर विचार कर रहा है और न ही इसने इस स्थल को बौद्ध तथा जैन धर्मानुयायियों के लिए एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की कोई योजना बनाई है। यह स्थल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में नहीं है।

[हिन्दी]

यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त स्मारक

1153. **प्रो. महादेवराव शिवनकर** : क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज तक भारत के कितने मन्दिरों, किलों और ऐतिहासिक धरोहरों के रूप में मान्य अन्य स्थलों को "यूनेस्को" द्वारा मान्यता प्रदान की गई और उनके रखरखाव पर सरकार द्वारा प्रति वर्ष कितनी राशि खर्च की जा रही है;

(ख) क्या सरकार ने ऐतिहासिक धरोहर वाले स्थानों की एक नई सूची उनको विश्व धरोहर की मान्यता देने के लिए यूनेस्को को भेजी है;

(ग) यदि हां, तो यूनेस्को ने इस सभी स्थानों को विश्व धरोहर वाले स्थान की मान्यता दी है;

(घ) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) विश्वदाय सूची में भारत के 19 सांस्कृतिक स्थल तथा 5 प्राकृतिक स्थल शामिल किए गए हैं। इनका ब्योरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक स्थलों के रखरखाव पर किया गया व्यय संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ख) जी, हां। वर्ष 2004 के लिए चम्पानेर - पावागढ़ पुरातात्विक पार्क तथा छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, मुंबई (एक आस्थगित स्थल) को शामिल करने के लिए नामांकन यूनेस्को को भेजा गया था तथा विश्व दाय समिति ने अभी हाल ही में चीन में आयोजित अपने 28वें सत्र में उपरोक्त नामांकनों को शामिल करने का अनुमोदन प्रदान किया है। इसके अलावा, विश्व दाय सूची में शामिल किए जाने के लिए चौदह नए स्थलों वाली एक अस्थाई सूची पहले ही यूनेस्को को प्रस्तुत की जा चुकी है तथा इसका ब्योरा संलग्न विवरण-III में है।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। वर्ष 2000 में केर्नस में विश्वदाय समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, विश्वदाय कन्वेंशन 1972 के हस्ताक्षर करने वाले सदस्य राज्य, प्रति वर्ष प्रति देश एक स्थल का नामांकन कर सकते हैं तथा प्रति वर्ष विश्व भर से अधिकतम 40 नामांकनों को विश्वदाय सूची में शामिल किए जाने की अनुमति है।

विवरण-I

विश्वदाय सूची में उल्लिखित भारत के सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक स्थलों की सूची

सांस्कृतिक स्थल

क्र.सं.	स्थल का नाम	राज्य
1	2	3
1.	अजन्ता गुफाएं	महाराष्ट्र
2.	एलौरा गुफाएं	महाराष्ट्र
3.	आगरा किला	उत्तर प्रदेश
4.	ताज महल	उत्तर प्रदेश
5.	सूर्य मंदिर, कोणार्क	उड़ीसा
6.	स्मारक समूह महाबलीपुरम्	तमिलनाडु
7.	गिरजाघर और कान्वेंट, गोवा	गोवा
8.	खजुराहो स्मारक समूह	मध्य प्रदेश
9.	स्मारक समूह हम्पी	कर्नाटक
10.	स्मारक समूह, फतेहपुर सीकरी	उत्तर प्रदेश
11.	मंदिर समूह, पट्टाडकल	कर्नाटक
12.	एलिफेंटा गुफाएं	महाराष्ट्र
13.	बृहदेश्वर मंदिर, तंजावुर	तमिलनाडु
14.	बौद्ध स्मारक, सांची	मध्य प्रदेश
15.	हुमायूं का मकबरा, दिल्ली	दिल्ली
16.	कुतुब मीनार परिसर, दिल्ली	दिल्ली
17.	दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे	पश्चिमी बंगाल
18.	महाबोधि मंदिर, बोध गया	बिहार
19.	भीम बैठका के इतिहासपूर्व शैलाश्रय	मध्य प्रदेश

प्राकृतिक स्थल

1.	कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क	असम
2.	मानस वन्य जीव अभयारण्य	असम
3.	केओलादेव राष्ट्रीय उद्यान	राजस्थान
4.	सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान	पश्चिमी बंगाल
5.	नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान	उत्तरांचल

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत के विश्वदाय स्थलों के रखरखाव पर सरकार द्वारा व्यय की गई वार्षिक धनराशि का ब्योरा

सांस्कृतिक स्थल

(धनराशि रुपए में)

क्र. सं.	स्थल का नाम	2001-2002	2002-2003	2003-2004
1	2	3	4	5
1.	अजन्ता गुफाएं	59933955	5002969	17682301
2.	एलौरा गुफाएं	6036033	3058330	4011848
3.	एलिफेंटा गुफाएं	328859	88305	850331
4.	बृहदीश्वर मंदिर, तंजावुर	702790	1004497	374073
5.	स्मारक समूह, महाबलीपुरम्	543612	2561893	1740505
6.	मंदिर समूह, खजुराहो	574306	22390493	11217331
7.	बौद्ध स्मारक, सांची	1113372	369684	709719

1	2	3	4	5
8.	प्रागैतिहासिक आश्रय तथा शैल चित्र, भीम बैठका	149238	528305	4236440
9.	महाबोधि मंदिर, बोध गया	609543	746915	138000
10.	चर्चे तथा कन्वेंटें, गोवा	2319295	4465221	4725866
11.	स्मारक समूह, हम्पी	10253442	41155261	11292482
12.	मंदिर समूह, पट्टडकल	1145959	728648	5001642
13.	ताज महल	2202130	1185440	4025321
14.	आगरा किला	4841885	8479839	11319082
15.	स्मारक समूह, फतेहपुर सीकरी	5622355	9922193	6576422
16.	कुतुब मीनार	2417687	1380508	1128258
17.	हुमायूं का मकबरा	3542085	3792229	1426573
18.	सूर्य मंदिर, कोणार्क	339360	1643384	1279127
19.	दार्जिलिंग हिमालय रेलवे	72568000	74633000	69924000
	जोड़	17,52,43,906	18,3137,114	15,76,59,321
	प्राकृतिक स्थल			
1.	कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क	—	56,00,000	50,00,000
2.	मानस वन्य जीव अभयारण्य	40,00,000	50,70,000	50,00,000
3.	केओलादेव राष्ट्रीय उद्यान	—	27,50,000	17,31,000
4.	सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान	90,97,000	1,38,33,000	1,72,000
5.	नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान	9,30,000	7,00,000	6,60,000
	जोड़	1,23,27,000	2,79,53,000	2,96,63,000

विवरण-III

विश्वदाय सूची में शामिल किए जाने के लिए यूनेस्को को प्रस्तुत की गई अस्थाा

क्रमांक	स्थल का नाम	राज्य
1.	प्राचीन बौद्ध स्थल, सारनाथ, वाराणसी	उत्तर प्रदेश
2.	अल्ची कोस-कोर के नाम से प्रसिद्ध मठ परिसर, अल्ची लेह	जम्मू और कश्मीर
3.	धौलावीरा एक हड़प्पन नगर, जिला कच्छ	गुजरात
4.	गोलकोंडा जिला, हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश
5.	स्मारक समूह, मांडू	मध्य प्रदेश
6.	हेमिस गुम्फा	जम्मू और कश्मीर
7.	मत्तनचेरी महल, इरनाकुलम	केरल
8.	रानी की वाव-पाटन	गुजरात
9.	ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य धारा में मजुली का नदी द्वीप	असम
10.	श्री हरमंदिर साहिब, अमृतसर	पंजाब
11.	बिष्णुपुर में मंदिर	प. बंगाल
12.	नीलगिरी पर्वत रेलवे	तमिलनाडु
13.	शेर शाह सूरी का मकबरा, सासाराम	बिहार
14.	फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क	उत्तरांचल

नागौर (राजस्थान) में पेयजल की कमी

1154. **श्री भंवर सिंह डांगावास** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान का दो-तिहाई हिस्सा पेयजल के गंभीर संकट का सामना कर रहा है और इन क्षेत्रों के लोग फ्लोराइड और अन्य खतरनाक रसायनयुक्त खारा पानी पीने के लिए बाध्य हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या राजस्थान का नागौर जिला इस संबंध में बुरी तरह प्रभावित है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस समस्या को सुलझाने के लिए इंदिरा गांधी बांध से पेयजल की आपूर्ति करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस योजना के कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र) : (क) और (ख) जी, नहीं। 1.04.99 की स्थिति के अनुसार कुल 94,000 ग्रामीण बसावटों में से मात्र 3000 ग्रामीण बसावटों में निर्धारित मानदंडों के अनुरूप स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति की जानी है। राज्य सरकार ने हाल में जानकारी में आई बसावटों और पूर्णत: कवर की गई बसावटों के कवर न की गई बसावटों में बदल जाने के संबंध में तथा कवर न की गई ग्रामीण बसावटों की नवीनतम स्थिति का पता लगाने के लिए एक नया आवास सर्वेक्षण कराया है। एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा इन परिणामों की पुष्टि की जानी है। नवीनतम जल गुणवत्ता सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में 41,072 ग्रामीण बसावटों में गुणवत्ता समस्या होने की सूचना दी है, जिनमें से नागौर जिले में 2022 गुणवत्ता प्रभावित बसावटें हैं।

(ग) तथा (घ) पेयजल आपूर्ति राज्यों का विषय है। भारत सरकार वित्तीय एवं तकनीकी सहायता देकर स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने में राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद करती है। 1.4.1998 से जल गुणवत्ता समस्याओं के निदान के लिए परियोजनाएं स्वीकृत और कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों को पूर्ण शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं, जिसके लिए केन्द्र प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत उन्हें आबंटित की गई वार्षिक निधियों का 15 प्रतिशत विशेष रूप से निर्धारित किया जाता है।

ग्रामीण क्षेत्रों से युवाओं का पलायन

1155. **श्री राम कृपाल यादव :**
श्री गिरिधारी यादव :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन को रोकने का निश्चय किया है और दूर-दराज के क्षेत्रों सहित ग्रामीण युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने तथ इंस्पेक्टर राज को खत्म करने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में उठाए गए कदमों की समीक्षा की है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में किस प्रकार के ठोस प्रस्ताव तैयार किए गए हैं और इनको कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील) : (क) से (ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय, राज्य सरकारों के जरिए संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) तथा स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) नामक प्रमुख योजनाओं को कार्यान्वित करता है ताकि युवाओं, देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों सहित परिवार के सदस्यों को मजदूरी तथा स्व-रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। ये योजनाएं मुख्य रूप से ग्रामीण गरीबों को अपने गांवों या समीपवर्ती गांवों में रोजगार देने के लिए बनाई गई हैं ताकि ऐसे लोगों के गांवों से शहरों की ओर पलायन को रोका जा सके।

[अनुवाद]

अन्य भाषाओं में प्रवेश परीक्षा का आयोजन

1156. **श्री हरिकेवल प्रसाद** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा सेवा में अधिकारी संवर्ग और अन्य संवर्ग की प्रवेश परीक्षा केवल अंग्रेजी में ही आयोजित की जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केवल सेना में ही कैप्टन और मेजर रैंक के 13,000 पदों की कमी है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अंग्रेजी के कारण बड़ी संख्या में गांवों के निर्भीक और बुद्धिमान युवा अधिकारी नहीं बन पाते;

(ङ) क्या सरकार का विचार रक्षा सेवाओं में अधिकारी संवर्ग और अन्य संवर्ग की प्रवेश परीक्षा को हिंदी या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी आयोजित करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं; और

(छ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (छ) सशस्त्र सेनाओं में अफसर संवर्ग के लिए सम्मिलित रक्षा सेवा और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और राष्ट्रीय अकादमी हेतु प्रवेश परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाती है। सम्मिलित रक्षा सेवा के लिए तीन पेपर हैं जो अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान और प्रारंभिक गणित हैं तथा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी व राष्ट्रीय अकादमी परीक्षा के सामान्य ज्ञान तथा गणित के

प्रश्न-पत्र व सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा के सामान्य ज्ञान एवं प्रारंभिक गणित के प्रश्न पत्र वर्ष 2004 से द्विभाषी अर्थात अंग्रेजी और हिंदी में छापे जाते हैं। जहां तक सशस्त्र सेनाओं में निचले रैंकों में भर्ती का संबंध है, परीक्षाएं दोनों भाषाओं में आयोजित की जाती हैं।

सेना में मेजर और उससे नीचे के रैंकों में 12447 अफसरों की कमी है। इस तथ्य के मद्देनजर कि प्रश्न पत्र द्विभाषी रूप में छापे जाते हैं, ग्रामीण युवाओं के अफसर ग्रेड परीक्षा देने में असमर्थ रहने का मुद्दा नहीं उठता।

संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित राजभाषा संकल्प, 1968 के अनुसरण में, भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में से किसी में भी उत्तर देने का विकल्प, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित केवल सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में ही दिया गया है। यह सुविधा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अन्य परीक्षाओं में भी दिए जाने का प्रश्न डॉ. सतीश चन्द्र समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर सरकार के विचाराधीन है। इस मामले के महत्व और संवेदनशीलता और इस विषय पर अलग-अलग मतों को देखते हुए, सरकार का यह प्रयास है कि इस बारे में राज्य सरकारों और अन्य संबंधितों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श करने के पश्चात् मतैक्य बनाया जाए, राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वीकार्य नीति का विकास किया जाए, जिसके लिए प्रयास जारी हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को निर्माण ठेके दिए जाना

1157. **श्री प्रभुनाथ सिंह** : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बिना निविदा आमंत्रण के और प्रतिस्पर्धी बोली के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को उच्च दर पर निर्माण के ठेके दे रही है, जबकि ऐसा कार्य कम दरों पर निष्पादित किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या बिना निविदा आमंत्रण और प्रतिस्पर्धी बोली के केन्द्र और राज्य सरकारों की निर्माण ठेके देने की नीति को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार के विभागों अथवा राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को निर्माण कार्यों संबंधी ठेके देने के संबंध में कोई सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है।

विरासत स्थलों का संरक्षण

1158. **डा. कर्नल (सेवानिवृत) धनीराम शांडिल्य** : क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर में कितने विरासत केन्द्रों और अन्य विरासत स्थलों की पहचान की गई है और ये कहां अवस्थित हैं;

(ख) केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा इनकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं;

(ग) पिछले दो वित्त वर्षों के दौरान इस उद्देश्य के लिए कितना धन खर्च किया गया है;

(घ) क्या इस संबंध में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कोई प्रस्ताव भेजा गया है; और

(ङ) यदि हां, तो अनुमोदित प्रस्ताव का विवरण क्या है और इसमें से रद्द किए गए और लंबित प्रस्तावों का ब्योरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) हिमाचल प्रदेश और जम्मू तथा कश्मीर राज्यों में केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची विवरण-I तथा विवरण-II पर दी गई है।

(ख) केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों का दिन-प्रति-दिन का अनुरक्षण, विशेष प्रकार का संरक्षण, परिरक्षण तथा उनके आस-पास का पर्यावरण संबंधी विकास कार्य एक सतत् प्रक्रिया है और कार्य पुरातत्वीय मानदण्डों के अनुसार किए जाते हैं बशर्ते कि जनशक्ति तथा संसाधन उपलब्ध हों।

(ग) हिमाचल प्रदेश और जम्मू तथा कश्मीर राज्यों में स्थित केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के दिन-प्रति-दिन के अनुरक्षण तथा संरक्षण पर पिछले 2 वर्षों में हुआ व्यय निम्नानुसार है:–

(राशि लाख रुपयों में)

राज्य	2002-2003	2003-2004
हिमाचल प्रदेश	44.45	121.23
जम्मू व कश्मीर	50.00	215.00

(घ) और (ङ) जी, नहीं।

विवरण-I

राज्य : हिमाचल प्रदेश

क्रम सं.	स्मारक/स्थल का नाम	स्थान	जिला
1	2	3	4
1.	गणेश मंदिर	भरमौर	चम्बा
2.	लक्ष्मी (लक्खना) देवी मंदिर	भरमौर	चम्बा
3.	मणि महेश मंदिर	भरमौर	चम्बा
4.	नरसिंह मंदिर	भरमौर	चम्बा
5.	श्री बृजरेश्वरी मंदिर, बद्रीनाथ	चम्बा	चम्बा
6.	श्री बंसी गोपाल में	चम्बा	चम्बा
7.	श्री चामुंडा मंदिर	चम्बा	चम्बा
8.	श्री हरि राम मंदिर	चम्बा	चम्बा
9.	श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर समूह, मोहल्ला हथनाला	चम्बा	चम्बा
10.	सीता, राम, हनुमान आदि को दर्शाने वाली शैल मूर्तियां	चम्बा	चम्बा
11.	श्री सीता राम मंदिर, मोहल्ला भगोता		चम्बा
12.	श्री शक्ति देवी मंदिर	छतारी	चम्बा
13.	कटोच महल	तीत्रा सुजानपुर	हमीरपुर
14.	नवदेश्वर मंदिर जिसमें उसके भीतर वाले चित्र तथा साथ ही दोहरी दीवार वाली वेदियां शामिल हैं	सुजानपुर	हमीरपुर
15.	मंदिर	आशापुर	कांगड़ा
16.	बेजनाथ का मंदिर	बैजनाथ	कांगड़ा
17.	सिद्धनाथ का मंदिर	बैजनाथ	कांगड़ा
18.	भीमा का टीला के नाम से प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप	चैतरू	कांगड़ा
19.	ध्वस्त किला	कांगड़ा	कांगड़ा
20.	शैल उत्कीर्ण लेख खनयारा	कांगड़ा	कांगड़ा
21.	किला	कोटला	कांगड़ा
22.	मूर्तियों सहित शैल कृत मंदिर	मसरूर	कांगड़ा
23.	ध्वस्त किला	नुरपुर	कांगड़ा
24.	शैल उत्कीर्ण लेख	पथिआर	कांगड़ा
25.	लार्ड एलिजिन का मकबरा	धर्मशाला	कांगड़ा
26.	वसेसर महादेव का मंदिर, हाट	वजौरा	कुल्लू
27.	मूर्तियों सहित गौरी शंकर का मंदिर	दासा	कुल्लू
28.	एक लघु पत्थर शिव मंदिर	जगतसुख	कुल्लू
29.	मूर्तियों सहित गौरी शंकर का मंदिर	नग्गर	कुल्लू
30.	हिडम्बा देवी मंदिर	मनाली	कुल्लू
31.	बौद्ध मठ	तावो	लाहौल और स्पीति
32.	फू गूम्फा	तावो	लाहौल और स्पीति
33.	मिरकुला देवी मंदिर	उदयपुर (लाहौल)	लाहौल और स्पीति
34.	वरसेला स्मारक	मांडी	मांडी
35.	पंचवकतरा मंदिर	मांडी	मांडी
36.	त्रिलोकी नाथ मंदिर	मांडी	मांडी
37.	अर्द्धनारीश्वर मंदिर	मांडी	मांडी
38.	शिव मंदिर	मनगढ़	सिरमौर
39.	वाइस रीगल लॉज (राष्ट्रपति निवास)	शिमला	शिमला
40.	चंपावती मंदिर	चम्बा	चम्बा

विवरण-II

राज्य : जम्मू-कश्मीर

क्रम सं.	स्मारक/स्थल का नाम	स्थान	जिला
1	2	3	4
1.	चक्रधर/सेमथन का प्राचीन स्थल	सेमथन	अनंतनाग
2.	मुगल आर्कड तथा स्प्रींग, वेरीनाग	वेरीनाग	अनंतनाग
3.	करतन्दा (सूर्य मंदिर)	रणवीरपुरा	अनंतनाग
4.	वमजुवा गुफा तथा मंदिर	वमजुवा	अनंतनाग
5.	देह मंदिर	बांदी	बारामूला
6.	प्राचीन मंदिर	बुनियार	बारामूला
7.	प्राचीन मंदिर	फतेहगढ़	बारामूला
8.	प्राचीन स्तूप (उत्खनित अवेशष)	ऊषकर	बारामूला
9.	प्रतापस्वामी मंदिर	तप्पखारीपोट	बारामूला
10.	शंकरा गौरी वाड़ा मंदिर	पट्टन	बारामूला
11.	सुगन्धेसा मंदिर	पट्टन	बारामूला
12.	प्राचीन स्तूप, चैत्य तथा मठ	देवर याखामनपजोर/ परिहासपजोरा	बारामूला
13.	प्राचीन स्थल	सम्बल	बारामूला
14.	मस्जिद तथा दीप समूह पर अन्य अवशेष	नूलर लेक	बारामूला
15.	खानपुर सराय	खानपुर	बड़ौव
16.	अखनूर स्थित किला	अखनूर	जम्मू
17.	प्राचीन स्थलों के अवशेष (चम्बारन)	अंबारन	जम्मू
18.	प्राचीन मंदिर (हरिहर)	विल्लावर	कथुआ
19.	शेर पर सवार देवी की शैल मूर्ति	वसोहली	कथुआ
20.	सीतला, नारद, वृक्ष तथा राधा कृष्ण की शैल मूर्तियां	वसोहली	कथुआ
21.	विश्वेश्वरा तथा अन्य गुफा मंदिर	वसोहली	कथुआ
22.	त्रिलोचननाथ मंदिर	महाडेरा	कथुआ
23.	द्रास की मूर्तियां	द्रास	कारगिल
24.	शैलकृत मूर्तियां	मलवग	कारगिल
25.	बौद्ध मठ	लामायूर	लेह
26.	बौद्ध मठ	लाकिट	लेह
27.	बौद्ध मठ	अल्ची	लेह
28.	बौद्ध गोंपा	फ्यांग	लेह
29.	प्राचीन महल	लेह	लेह
30.	पुराना महल (टसेमो पहाड़ी)	लेह	लेह
31.	स्तूप	तिस्सेरू	लेह
32.	प्राचीन महल तथा वेदी	शेह	लेह
33.	हेगिरा गोंपा	हेगिस	लेह
34.	प्राचीन गोंपा	भिकशे	लेह
35.	चार देवों की वेदी गोन–खांग (टसेमों पहाड़ी)	लेह	लेह
36.	आलियाबाद सराय	अलियाबाद	पुलवामा
37.	अवन्ति स्वामी मंदिर	अवन्तिपुरा	पुलवामा
38.	अवनितस्वरा मंदिर	अवन्तिपुरा	पुलवामा
39.	हीरपुर सराय	हीरपुर	पुलवामा

1	2	3	4
40.	प्राचीन मंदिर	काकापोरा	पुलवामा
41.	एकाश्म वेदी	खेरू	पुलवामा
42.	प्राचीन मंदिर के अवशेष	खेरू	पुलवामा
43.	प्राचीन मंदिर	लोदुव	पुलवामा
44.	प्राचीन मंदिर के अवशेष	गलन गोपुरा	पुलवामा
45.	प्राचीन मंदिर के अवशेष	पामपुर	पुलवामा
46.	प्राचीन शिव मंदिर	पायर	पुलवामा
47.	पत्थर मस्जिद	जैना कादल	श्रीनगर
48.	प्राचीन मंदिर	वोहरी कादल	श्रीनगर
49.	जैनऊल अबूदीन की गाा का मकबरा	जैना कादल	श्रीनगर
50.	शाह हंदन की खान काह	शाह हंडन	श्रीनगर
51.	अखुंद भल्ला शाह की मस्जिद	काठी दरवाजा	श्रीनगर
52.	किले के रैमपर्ट में दरवाजे	काठी दरवाजा	श्रीनगर
	(क) काठी दरवाजा	रांजेन	श्रीनगर
	(ख) संगेन दरवाजा	दरवाजा	श्रीनगर
53.	प्राचीन मंदिर	हरि पर्वत	श्रीनगर
54.	प्राचीन मंदिर समूह	नारागन	श्रीनगर
55.	प्राचीन स्थल तथा अवशेष बुर्जहोम	श्रीनगर	श्रीनगर
56.	प्राचीन मठ तथा स्तूप	हरवान	श्रीनगर
57.	मेहरावी छतों का समूह संरचनात्मक परिसर	परी महल	श्रीनगर
58.	शंकराचार्य मंदिर	कोठी बाग/दुर्गानाथ	श्रीनगर
59.	प्राचीन स्थल	पंडरेथन	श्रीनगर
60.	उत्खनित अवशेष	पंडरेथन	श्रीनगर
61.	पंडरथन मंदिर	पंडरेथन	श्रीनगर
62.	प्राचीन स्थल बाबूर	थलोरा	उधमपुर
63.	देवी भगवती मंदिर बाबूर	थलोरा	उधमपुर
64.	प्राचीन मंदिर डैरा बाबूर	थलोरा	उधमपुर
65.	प्राचीन मंदिर काला डेरा I और II	मनवल	उधमपुर
66.	प्राचीन मंदिर, बाबूर	मनवल	उधमपुर
67.	मंदिरों का समूह	किरमची	उधमपुर
68.	राजा सुचेत सिंह को समर्पित प्राचीन किला तथा राजा सुचेत सिंह की रानी की समाधि	रामनगर	जम्मू
69.	राजा सुचेत सिंह को समर्पित प्राचीन महल	रामनगर	जम्मू

[हिन्दी]

सेना कैंपों पर आतंकवादी हमले

1159. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्री खीरेन रिजीजू :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छः महीने के दौरान जम्मू और कश्मीर में आंतकवादियों द्वारा सेना के कैंपों पर हमले की कितनी घटनाएं हुई हैं;

(ख) क्या कुछ आतंकवादी संगठनों ने इन हमलों का जिम्मेदारी ली है;

(ग) इन घटनाओं में कितने सैनिक और आतंकवादी मारे गए या घायल हुए; और

(घ) सरकार द्वारा भविष्य में सेना कैंपों पर हमलों की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) विगत छह माह के दौरान जम्मू-कश्मीर में सैन्य शिविरों पर हमले की कोई घटना नहीं हुई है।

(घ) सेना, पूर्व में हुई विभिन्न घटनाओं के गहन विश्लेषण के साथ-साथ सुरक्षा प्रबंधों की भी समय-समय पर पुनरीक्षा करती है। इन पुनरीक्षाओं के आधार पर आतंकवादी समूहों द्वारा उत्पन्न इस प्रकार के खतरों को निष्फल करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए गए हैं। इन उपायों में आसूचना प्राप्त करना, शिविरों तथा छावनी की सुरक्षा सुदृढ़ करना, शिविरों को उचित स्थानों पर लगाना, क्षेत्र में प्रभुत्व बनाए रखने के लिए गहन गश्त लगाना, 'त्वरित कार्रवाई दलों' की तैनाती करना तथा समीपवर्ती क्षेत्रों में सहयोगी संक्रियाएं आयोजित करना शामिल हैं।

[अनुवाद]

ग्रामीण आवास और पुनर्वास योजना

1160. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण विकास आवास और पुनर्वास योजना के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गयी है;

(ख) इस अवधि के दौरान कितनी धनराशि खर्च की गयी है; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत अब तक राज्यवार कितने लोग लाभान्वित हुए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) और (ख) इंदिरा आवास योजना, जो ग्रामीण आवास की प्रमुख योजना है, के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले ग्रामीणों और बेघर परिवारों को आवासीय इकाई बनाने के लिए सहायता दी जाती है। विगत तीन वर्षों के दौरान इंदिरा आवास योजना के तहत राज्य-वार केन्द्रीय रिलीज और कुल उपलब्ध निधियों की तुलना में उपयोग को दर्शाने वाला ब्योरा संलग्न विवरण-I पर है।

(ग) अभी तक इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत बनाए गए मकानों की राज्य-वार संख्या को दर्शाने वाला विवरण-II संलग्न है।

विवरण-I

विगत तीन वर्षों 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत राज्यवार केन्द्रीय रिलीज और कुल उपलब्ध निधियों की तुलना में उपयोग का ब्योरा

(लाख रु. में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2001-2002		2002-2003		2003-2004	
		केन्द्रीय रिलीज	कुल उपलब्ध निधियों की तुलना में उपयोग	केन्द्रीय रिलीज	कुल उपलब्ध निधियों की तुलना में उपयोग	केन्द्रीय रिलीज	कुल उपलब्ध निधियों की तुलना में उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	18086.39	15553.62	12357.15	20122.58	12946.66	19453.50
2.	अरुणाचल प्रदेश	527.56	822.02	738.43	665.38	797.11	1215.55
3.	असम	8621.13	10974.00	9987.33	10433.62	14702.75	14318.35
4.	बिहार	19973.04	30940.08	19729.90	29339.43	25848.10	37422.41
5.	छत्तीसगढ़	2067.53	2796.40	2027.85	2923.19	2520.38	3068.27
6.	गोवा	53.03	56.88	39.00	49.80	69.56	83.26

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	गुजरात	6124.94	4364.16	5518.01	5330.60	3744.63	5817.24
8.	हरियाणा	1392.29	1677.30	1189.76	1927.66	1365.84	1833.58
9.	हिमाचल प्रदेश	853.17	706.68	587.59	626.66	574.16	696.12
10.	जम्मू-कश्मीर	1023.27	1143.06	458.65	911.35	698.17	1253.69
11.	झारखण्ड	3852.51	7723.47	5455.84	8064.81	8693.64	9696.92
12.	कर्नाटक	5278.94	7261.22	4852.22	7502.49	6580.16	8516.22
13.	केरल	3815.93	4618.14	2970.30	4517.33	4272.75	5767.37
14.	मध्य प्रदेश	7469.59	9534.23	7018.01	10206.99	8333.54	10734.48
15.	महाराष्ट्र	10893.45	18346.48	10109.70	22637.13	12315.63	22767.55
16.	मणिपुर	334.36	293.45	260.01	551.34	446.05	188.70
17.	मेघालय	441.45	754.91	906.15	741.83	481.18	1147.50
18.	मिजोरम	174.34	223.78	174.58	231.06	319.91	390.72
19.	नागालैंड	583.81	648.52	291.42	666.73	673.94	412.04
20.	उड़ीसा	46488.04	32576.78	32543.45	80678.23	27731.05	35728.08
21.	पंजाब	862.13	919.92	598.55	1028.10	802.72	1059.94
22.	राजस्थान	3315.96	4635.03	3149.31	4715.54	3748.0	5274.69
23.	सिक्किम	133.82	237.31	149.87	155.17	161.71	308.97
24.	तमिलनाडु	7079.45	12065.45	6205.43	14446.87	6922.99	11988.64
25.	त्रिपुरा	1669.01	1713.38	1977.39	2050.88	1340.96	2749.89
26.	उत्तर प्रदेश	23528.38	29346.45	20996.84	31225.28	24672.82	34628.98
27.	उत्तरांचल	1364.63	2464.75	2011.59	2297.13	3263.04	3977.92
28.	पश्चिमी बंगाल	10704.46	12293.96	10161.08	15188.82	12892.42	15377.80
29.	अं. और नि. द्वीप समूह	171.55	187.99	40.32	188.68	110.44	108.52
30.	दादरा और नागर हवेली	49.70	22.38	0.00	3.48	33.35	0.00
31.	दमन और दीव	15.58	9.12	0.00	8.24	0.00	0.37

1	2	3	4	5	6	7	8
32.	लक्षद्वीप	1.62	3.10	2.50	2.75	2.84	2.76
33.	पांडिचेरी	23.31	42.09	74.63	57.31	41.28	45.64
	योग	186974.37	214955.52	162852.83	279496.45	187107.78	256035.67

विवरण-II

योजना की शुरुआत से लेकर आज तक इंदिरा आवास योजना के तहत बनाए गए मकानों की राज्यवार संख्या

(इकाई संख्या में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	बनाए गए मकानों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	951114
2.	अरुणाचल प्रदेश	25750
3.	असम	381899
4.	बिहार	1637006
5.	छत्तीसगढ़	77056
6.	गोवा	5371
7.	गुजरात	304559
8.	हरियाणा	95102
9.	हिमाचल प्रदेश	33908
10.	जम्मू-कश्मीर	63290
11.	झारखण्ड	190069
12.	कर्नाटक	453059
13.	केरल	326391
14.	मध्य प्रदेश	994547
15.	महाराष्ट्र	798725
16.	मणिपुर	10667
17.	मेघालय	22980
18.	मिजोरम	13264
19.	नागालैंड	42341
20.	उड़ीसा	1251374
21.	पंजाब	53650
22.	राजस्थान	442322
23.	सिक्किम	11407
24.	तमिलनाडु	820357
25.	त्रिपुरा	71686
26.	उत्तर प्रदेश	1725914
27.	उत्तरांचल	59000
28.	पश्चिमी बंगाल	642762
29.	अं. और नि. द्वीप समूह	2492
30.	दादरा और नागर हवेली	946
31.	दमन और दीव	486

1	2	3
32.	लक्षद्वीप	355
33.	पांडिचेरी	3078
	योग	11512927

[हिन्दी]

सीमा सड़कों के संबंध में प्रगति

1161. **श्री हंसराज जी. अहीर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सीमा सड़क संगठन द्वारा शुरू किए गए कार्यों की प्रगति बहुत धीमी है;

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या सरकार इस संबंध में समय-सीमा निश्चित करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) कार्य के शीघ्र निपटान के लिए संबंधित राज्यों की सरकारों से कार्य-स्थल पर पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने के लिए सम्पर्क किया गया है क्योंकि कार्य की प्रगति में नक्सली खतरा मुख्य बाधा है।

(ग) और (घ) कार्य संबंधी समय-सीमा कार्यक्रम बनाया जा रहा है।

रेल इकाइयों के अधीन विनिर्मित मदें

1162. **श्री बीर सिंह महतो :**
श्री अब्दुल रशीद शाहीन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के अधीन विभिन्न विनिर्माण इकाइयों में अनेक मदों का विनिर्माण किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इन इकाइयों के क्या नाम हैं और इनमें विनिर्मित वस्तुओं का ब्योरा क्या है;

(ग) लाभ कमाने वाली और घाटे में चल रही इकाइयों के स्थानवार नाम क्या हैं;

(घ) पिछले पूर्व माह के अंत तक इन विनिर्माण इकाइयों में कुल कितनी पूंजी का निवेश किया गया है; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक इकाई द्वारा कमाए गए औसत वार्षिक लाभ/घाटे का ब्योरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां। भारतीय रेल की उत्पादन इकाइयों में चल स्टॉक अर्थात् सवारी डिब्बों और रेल इंजनों और कुछ महत्वपूर्ण कल पुर्जों और असेम्बलियों का विनिर्माण किया जाता है।

(ख) रेल मंत्रालय के अधीन छः उत्पादन इकाइयां हैं। इकाइयों के नाम और निर्मित प्रमुख मदें इस प्रकार हैं:–

	नाम	निर्मित मदें
1.	चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना, चित्तरंजन	बिजली रेल इंजन
2.	डीजल रेल इंजन कारखाना, वाराणसी	डीजल रेल इंजन
3.	सवारी डिब्बा कारखाना, चेन्नई	सवारी डिब्बे
4.	रेल डिब्बा कारखाना, कपूरथला	सवारी डिब्बे
5.	रेल पहिया कारखाना, बैंगलूरू	पहिया और धुरे
6.	डीजल रेल इंजन आधुनिकीकरण कारखाना, पटियाला	महत्वपूर्ण डीजल रेल इंजन कलपुर्जे और डीजल रेल इंजनों का पुनः निर्माण

(ग) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता। रेल मंत्रालय के अधीन छः उत्पादन इकाइयां स्वदेशी (इन-हाउस) उत्पादन संगठन हैं जो "न लाभ न हानि" के आधार पर चल रही हैं। उत्पादन की पूरी लागत विनिर्मित किए जाने वाले विभिन्न मदों के लिए स्थानांतरण मूल्य उचित रूप से निर्धारित करके उपभोग करने वाली इकाइयों को उत्पादन की पूरी लागत स्थानांतरित की जाती है।

(घ) 31 मार्च, 2003 को उत्पादन इकाइयों की ब्याज देय पूंजी नीचे दी गई है:–

(आंकड़े हजार रुपए में)

चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना	3,47,10,81
डीजल रेल इंजन कारखाना	2,16,64,18
सवारी डिब्बा कारखाना	1,33,00,54
रेल डिब्बा कारखाना	4,48,82,80
रेल पहिया कारखाना	2,13,84,76
डीजल रेल इंजन आधुनिकीकरण कारखाना	2,09,89,65

मीटर गेज को ब्रॉड गेज में बदलना

1163. **श्री सुशील कुमार मोदी :**
श्री रामदास बंडु आठवले :
श्री वाई.जी. महाजन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में विशेषकर महाराष्ट्र में प्रत्येक वर्ष के दौरान मीटर लाइन से बड़ी लाइन में परिवर्तित रेलवे मार्ग का किलोमीटर में राज्यवार ब्योरा क्या है;

(ख) क्या दसवीं योजना के अंतर्गत आमान परिवर्तन के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशित आबंटित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) 10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 2365 किमी. के आमान परिवर्तन का लक्ष्य रक्षा गया है। रेल परियोजनाओं के लिए धनराशि वर्ष दर वर्ष आधार पर आबंटित की जाती है। 2004-05 वर्ष के दौरान 1000 किमी. के आमान परिवर्तन कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है जिसके लिए 790.28 करोड़ रुपए आबंटित किए जा चुके हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार किए गए आमान परिवर्तन का राज्यवार ब्योरा इस प्रकार है

राज्य	2001-02 (किमी.)	2002-03 (किमी.)	2003-04 (किमी.)
आंध्र प्रदेश	29	166	30
असम	46	–	–
गुजरात	61	367	152
कर्नाटक	1	25	57
उत्तर प्रदेश	24	–	–
महाराष्ट्र	50	42	–
राजस्थान	–	150	241
तमिलनाडु	–	80	176
पश्चिमी बंगाल	–	–	198
कुल योग	211	830	854

अकादमियों/संग्रहालय/भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओवरहालिंग

1164. **श्रीमती जया प्रदा** : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अकादमियों, संग्रहालयों और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्यमान निकायों को भंग करके ओवरहालिंग करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों के मजदूरों द्वारा हड़ताल

1165. **श्री रूपचन्द मुर्मू : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों के मजदूरों ने दिनांक 16 दिसम्बर, 2003 को एक दिन हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या हड़ताल सफल रही;

(घ) क्या सरकार का विचार उनकी मांगों को पूरा करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ङ) कुछ सार्वजनिक क्षेत्र कंपनियों के कर्मचारियों के एक समूह ने तेल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के निजीकरण के विरुद्ध नेशनल यूनाइटेड फोरम के आह्वान के समर्थन में 16 दिसम्बर, 2003 को एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल में भाग लिया। 13 दिसम्बर, 2003 को तत्कालीन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने तेल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के संघों से हड़ताल वापस लेने का और माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करने का अनुरोध किया जिसके समक्ष विनिवेश का मुद्दा विचार-विमर्श के लिए रखा गया था। तथापि, तेल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के कर्मचारियों ने हड़ताल की।

अग्रिम हड़ताल नोटिस को देखते हुए मुख्य संस्थापनाओं के कार्यों की तेल कंपनियों द्वारा प्रबंधन/कर्मचारियों की सहायता से व्यवस्था की गई थी। किसी अप्रिय घटना या आपूर्ति की रुकावट के बारे में कोई सूचना नहीं मिली।

विनिवेश के संबंध में सरकारी नीति, जिसका राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में उल्लेख किया गया है, में अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है कि वर्तमान नवरत्न कंपनियां सार्वजनिक क्षेत्र में रखी जाएंगी।

[हिन्दी]

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत नई योजना का कार्वान्वयन

1166. **श्री बच्ची सिंह रावत "बच्चदा" :**
श्री प्रदीप गांधी :
श्री लक्ष्मण सेठ :
श्री एस. अजय कुमार :
श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण :
श्री वाई.जी. महाजन :
श्रीमती पी. सतीदेवी :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तिथि तक इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत राज्य-वार, वर्ष-वार निर्माण किये गए आवासों की कुल संख्या और आबंटित/व्यय की गई धनराशि का ब्योरा क्या है;

(ख) आज की तिथि तक प्रत्येक राज्य में इस योजना से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ग) आज की तिथि तक राज्य-वार ग्रामीण क्षेत्रों में आवासों की कितनी कमी है;

(घ) क्या सरकार का विचार इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत सभी को समयबद्ध कार्यक्रम द्वारा आवास उपलब्ध करवाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(च) इस संबंध में निर्माण हेतु प्रस्तावित आवासों की कुल संख्या कितनी है और मंजूर की गई धनराशि/मंजूर की जाने वाली धनराशि का ब्योरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) और (ख) विगत तीन वर्षों के दौरान और आज की तिथि तक इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत केन्द्रीय आबंटन और केन्द्रीय रिलीज सहित राज्य-वार और वर्ष-वार बनाए गए मकानों की संख्या संलग्न विवरण-I पर है।

(ग) 2001 की जनगणना के अनंतिम अनुमानों के अनुसार, आज तक ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य-वार मकानों की कमी संलग्न विवरण-II पर दर्शाई गई है।

(घ) से (च) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों–2001-02, 2002-03, 2003-04 और चालू वर्ष के दौरान इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) के अंतर्गत केन्द्रीय आबंटन, केन्द्रीय रिलीज और बनाए गए मकानों की संख्या

(लाख रु० में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2001-02			2002-03			2003-04			2004-05 (आज तक)		
		केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीज	बनाए गए मकानों की संख्या	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीज	बनाए गए मकानों की संख्या	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीज	बनाए गए मकानों की संख्या	केन्द्रीय आबंटन (अनंतिम)	केन्द्रीय रिलीज	बनाए गए मकानों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	11794.45	18086.39	82228	12070.22	12357.15	126837	13669.37	12946.66	105295	17981.83	9547.07	एन.आर.
2.	अरुणाचल प्रदेश	555.06	527.56	4542	569.92	738.43	3423	627.75	797.11	6750	825.98	381.29	एन.आर.
3.	असम	12489.11	8621.13	46817	12823.65	9987.33	65587	14124.59	14702.75	78752	18584.99	8424.36	6917
4.	बिहार	32038.79	19973.04	167979	32787.84	19729.90	172524	37131.83	25848.10	183792	48846.34	23971.26	एन.आर.
5.	छत्तीसगढ़	2016.89	2067.53	22996	2064.05	2027.85	16255	2337.51	2520.38	18302	3074.96	1537.52	1726
6.	गोवा	76.20	53.03	317	77.98	39.00	269	88.32	69.56	233	116.18	58.09	52
7.	गुजरात	3389.62	6124.94	27497	3468.85	5518.01	27053	3928.46	3744.63	31159	5167.82	2583.96	2101
8.	हरियाणा	1146.14	1392.29	9414	1172.95	1189.76	9840	1328.34	1365.84	9175	1747.40	873.74	0
9.	हिमाचल प्रदेश	507.06	853.17	3852	518.91	857.59	3413	587.66	574.16	3841	773.06	386.53	एन.आर.
10.	जम्मू-कश्मीर	606.54	1023.27	7632	620.72	458.65	5749	702.96	698.17	8412	924.74	463.19	एन.आर.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11.	झारखंड	9413.29	3852.51	50136	9633.38	5455.84	40482	10909.67	8693.64	43218	14351.50	7175.81	एन.आर.
12.	कर्नाटक	6100.88	5278.94	43824	6243.52	4852.22	42452	7070.71	6580.16	49833	9301.41	4518.47	1954
13.	केरल	3780.58	3815.93	21372	3868.97	2970.30	32107	4381.56	4272.75	39825	5763.87	2881.98	2663
14.	मध्य प्रदेश	7038.38	7469.59	64962	7202.92	7118.01	63691	8157.24	8333.54	65768	10730.71	5365.47	2593
15.	महाराष्ट्र	10824.79	10893.45	88773	11077.83	10109.70	85970	12545.56	12315.63	103135	16503.47	8251.82	2203
16.	मणिपुर	661.80	334.36	1538	679.51	260.01	2571	748.47	446.05	592	984.83	275.03	एन.आर.
17.	मेघालय	879.29	441.45	3953	902.85	906.15	3305	994.44	481.18	6465	1308.47	416.52	एन.आर.
18.	मिजोरम	211.09	174.34	1275	216.73	174.58	1305	238.73	319.91	2202	314.12	157.08	48
19.	नागालैंड	567.62	583.81	4473	582.84	291.42	6698	641.95	673.94	2945	844.67	387.99	एन.आर.
20.	उड़ीसा	9494.97	46488.04	169488	9716.97	32543.45	444669	11004.35	27731.05	154205	14476.04	7238.58	492
21.	पंजाब	759.25	862.13	5317	777.00	598.55	5651	879.95	802.72	6050	1157.56	557.22	291
22.	राजस्थान	3198.28	3315.96	30471	3273.06	3149.31	37592	3706.70	3748.00	41888	4876.10	2438.12	1209
23.	सिक्किम	152.17	133.82	1754	156.25	149.87	1149	172.10	161.71	2041	226.45	113.23	0
24.	तमिलनाडु	5922.86	7079.45	43540	6061.33	6205.43	62988	6864.39	6922.99	57069	9030.00	4515.00	1212
25.	त्रिपुरा	1283.85	1669.01	10382	1318.25	1977.39	10321	1451.97	1340.96	15003	1910.49	955.25	0
26.	उत्तर प्रदेश	21595.12	23528.38	171944	22100.00	20996.84	177190	25028.00	24672.82	190950	32923.88	16279.86	एन.आर.
27.	उत्तरांचल	2242.99	1364.63	11245	2295.43	2011.59	11799	2599.55	3263.04	21666	3419.68	1709.84	515

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28.	पश्चिमी बंगाल	12729.32	10704.46	71553	13026.91	10161.08	86709	14752.84	12892.42	84726	19407.12	9685.61	एन.आर.
29.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	143.47	171.55	858	146.82	40.32	532	166.27	110.44	671	218.73	153.67	एन.आर.
30.	दादरा और नागर हवेली	75.29	49.70	202	77.05	0.00	54	87.26	33.35	0	114.78	0.00	एन.आर.
31.	दमन और दीव	31.16	15.58	66	31.89	0.00	48	36.12	0.00	4	47.51	0.00	एन.आर.
32.	लक्षद्वीप	2.44	1.62	15	2.50	2.50	5	2.83	2.84	14	3.72	3.72	0
33.	पांडिचेरी	71.22	23.31	266	72.90	74.63	403	82.55	41.28	264	108.59	40.14	एन.आर.
	योग	161800.00	186974.37	1171081	165640.00	162852.83	1548641	187050.00	187107.78	1334245	246067.00	121347.42	23976

एन.आर.—सूचित नहीं।

विवरण-II

2001 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य-वार मकानों की कमी

(इकाई संख्या में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मकानों की कमी
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1359800
2.	अरुणाचल प्रदेश	105646
3.	असम	2239436
4.	बिहार	4214393
5.	चंडीगढ़	1225
6.	छत्तीसगढ़	118269
7.	दिल्ली	7101
8.	गोवा	7272
9.	गुजरात	703784
10.	हरियाणा	54026
11.	हिमाचल प्रदेश	17390
12.	जम्मू-कश्मीर	91282
13.	झारखंड	107273
14.	कर्नाटक	441027
15.	केरल	265075
16.	मध्य प्रदेश	222082
17.	महाराष्ट्र	672249
18.	मणिपुर	68600
19.	मेघालय	148629
20.	मिजोरम	30305
21.	नागालैंड	96900
22.	उड़ीसा	658569
23.	पंजाब	78361
24.	राजस्थान	264520
25.	सिक्किम	11927
26.	तमिलनाडु	429175
27.	त्रिपुरा	174825
28.	उत्तर प्रदेश	1315940
29.	उत्तरांचल	54492
30.	पश्चिमी बंगाल	976874
31.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	17934
32.	दादरा और नागर हवेली	1968
33.	दमन और दीव	1167
34.	लक्षद्वीप	190
35.	पांडिचेरी	7968
	योग	14965674

पेट्रोलियम पदार्थों पर राजस्व वसूली

1167. **श्री रामजी लाल सुमन :**
श्री राजीव रंजन सिंह "ललन" :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम उत्पादों पर करों के परिणामस्वरूप हमारे देश में अमेरिका की तुलना में कम राजस्व की प्राप्तियां हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) कच्चे तेल के उत्पादन से लेकर उपभोक्ताओं को पेट्रोल एवं डीजल की बिक्री तक विभिन्न स्तरों पर अमेरिका और भारत में लगाये जा रहे कर, उपकर और करों के अन्य प्रकार क्या हैं तथा इनकी दरें क्या हैं; और

(घ) उपरोक्त करों को लगाने के परिणामस्वरूप वर्ष 2004-05 के दौरान सरकार द्वारा प्रस्तावित कुल राजस्व कितना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

नई रेल परियोजनाओं हेतु सर्वेक्षण

1168. **श्री वरकला राधाकृष्णन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नई रेल परियोजनाओं के लिए चालू सर्वेक्षण का ब्योरा क्या है;

(ख) नई सर्वेक्षित रेल परियोजनाओं हेतु प्रस्तावों का ब्योरा क्या है; और

(ग) केरल राज्य में चालू सर्वेक्षण की मौजूदा स्थिति क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) नई रेल परियोजनाओं हेतु चालू सर्वेक्षण का ब्योरा नीचे दिया गया है:-

क्रमांक	परियोजना का नाम	किलोमीटर
1	2	3
I.	चालू सर्वेक्षण	
	नई लाइनें	
1.	भावनगर-तारापुर	150
2.	योवाइचंडी-खाना	30
3.	सिवोक-गेल्लीखोला	28
4.	लातूर रोड-मुदखेड़	120
5.	मंत्रालयम रोड-कुरनूल बरास्ता येम्मानगर	140
6.	गुंजी-कुलेम	30
7.	टोरी-छतरा	65
8.	बेदेटी-ईटानगर	42
9.	बगलकोट-कुडाछी	111
10.	झुंझुनू-पिलानी	20
11.	बंडेल-नैहाटी	5
12.	कोहिमा-दीमापुर	120
13.	जोयनगर-जमताला	20
14.	रांची-केंद्र रोड	96
15.	अलमाटी-कुगपाल	170
16.	चिंचवाड़-रोहा	95
17.	सोलापुर-तुल्जापुर-उसमानाबाद	60
18.	बजबज-नामखाना-फ्रेजरगंज	110
19.	जोगीघोपा-सिलचर बरास्ता पंचरत्ना	500
20.	भैराबी-सैरंग/आइजोल	54
21.	अगरतला-आखूरा	12
22.	अनूपगढ़-बीकानेर	155
23.	मदुरै-कोट्टायम	285
24.	जंबूसर-भावनगर	
25.	जैसलमेर-कांदला	600
26.	झाझा-गिरीडीह बरास्ता सोनछकई	85

1	2	3
27.	कैनिंक-सोनाखाली	20
28.	पीरपायनीति-एमजीआर	20
29.	शिरपुर-महू	185
30.	खाराघोड़ा-सांथलपुर	100
31.	तुली-तुली टाउन	11
32.	आनंदनगर-कप्तानगंज	60
33.	पॉंडुरू-काजम	20
34.	हंसडीहा-गोद्दा	29
35.	जैपोर-मल्कानगिरि	120
36.	बड़ी सदरी-नीमच	50
37.	टिंडीवनम-कुड्डालूर बरास्ता पांडिचेरी	71
38.	पार्क सर्कस-धामाखाली	60
39.	बीजापुर-शाहबाद	140
40.	रंजीतपुरा-यशवंतनगर	11
41.	अजरा-बर्नीहाट	30
42.	हजारीबाग गरवा रोड	161
43.	जैसलमेर-बाड़मेर	170
44.	ईरुमेली-पुनालूर-तिरुवंनतपुरम	136
45.	अनुग्रह नारायण रोड-बिहटा बरास्ता अरवाल एवं पालीगंज	110
46.	पदरौना-खुशीनगर	28
	आमान परिवर्तन	
47.	बोताड़-अहमदाबाद	177
48.	अचलपुर-मुताजपुर-यावतमल, पुलगांव-अरवी	225
49.	छिंदवाड़ा-नागपुर	150
50.	उदयपुर सिटी-हिम्मतनगर-अहमदाबाद	346
51.	तंजावूर-तिरुचिरापल्ली	50
52.	तंजावूर-चेन्नै एग्मोर बरास्ता ऐरियालूर	320
	दोहरीकरण	
53.	बरुईपुर-डायमंड हार्बर	35
54.	पंडाबेश्वर-सैंथिया	53
55.	हवड़ा-बंडेल चौथी लाइन	39
56.	चक्रधरपुर-बॉंडामुंडा तीसरी लाइन	93
57.	टिटलागढ़-रायपुर	197
58.	दिल्ली-अहमदाबाद	934
59.	भागलपुर-बड़हरवा	128
60.	जयपुर-मेड़ता रोड	219
	महानगर परिवहन परियोजना	
61.	कटक-भुवनेश्वर	19

(ख) नए सर्वेक्षणों के लिए प्रस्तावों का ब्योरा निम्न प्रकार है:-

क्रमांक	परियोजना का नाम	किलोमीटर
1	2	3
	2004-05 के बजट में प्रस्तावित नए सर्वेक्षण	
	नई लाइनों के लिए नए सर्वेक्षण	
1.	मछलीपत्तनम-रेपल्ली	45
2.	जग्गियापेट-विष्णुपुरम	60

1	2	3
3.	रायदुर्ग-तुमकुर बरास्ता कल्याणदुर्ग	200
4.	टिंडीवनम-नागरी बरास्ता वंडीवाश, छेय्यर, अराणी, अरकोट, रानीपेट, वालजापेट शोलिंघूर, आर के पेट, पोदातूर, पल्लीपत्तू	165
5.	बरियारपुर-माननपुर बरास्ता खड़गपुर, लक्ष्मीपुर, बरहाट	75
6.	सुल्तानगंज-कटोरिया बरास्ता असरगंज, तारापुर, बेलहर	70
7.	आरा-भबुआ रोड (मोहनिया)	140
8.	छपरा-मुजफ्फरपुर बरास्ता गडखा, माकेर और रीवाघाट	76
9.	हथुआ-देवरिया बरास्ता लाइन बाजार, सालाखुर्द, फुलवरिया, बथुआ बाजार, पांडेउरी, भागीपत्ती, संहोर, कटिया	74
10.	परवानू से दरलाघाट	50
11.	कांद्रा से नामकोम	100
12.	बुरामारा-चाकुलिया	50
13.	चेन्नै-श्रीपेरम्बुदूर बरास्ता पूनामल्ली	42
14.	बजबज-पूजाली	18
15.	चौरीगाछा-कांडी	18
16.	बालूरघाट-हिली	30
17.	समसी-चंचल-हरीशचंद्रपुर	25
18.	तिरुर-अंगाडीपुरम नई लाइन	35
	नई लाइनों के लिए सर्वेक्षणों को अद्यतन करना	
19.	ओंगोल-दोनाकोंडा	87
20.	नाडिकुडी-श्रीकलाहस्ती	308

1	2	3
21.	भद्राचेल्लम-कोवूर	151
22.	कुड्डापाह-बेंगलूरु बरास्ता मदनपल्ली	172
23.	बिहारीगंज-कुरसेला बरास्ता रुपौली, दमदहा	85
24.	बिहारीगंज-सिमरीबख्तियारपुर	54
25.	मोतीहारी से सीतामढ़ी बरास्ता शिवहर	77
26.	माधेपुरा-शिंगेश्वरस्थान-करजायेन-भीमनगर	90
27.	भानुपल्ली-बिलासपुर नई लाइन	63
28.	छत्र-गया	82
29.	गोटेगांव-रामटेक बरास्ता सियौनी	275
30.	फलौदी-नागपुर	147
31.	रतलाम-बांसवाड़ा बरास्ता डूंगरपुर	176
32.	बिलाड़ा-बाड़ नई लाइन	45
33.	पुष्कर-मेड़ता रोड	40
34.	उज्जैन-झालावाड़/रामगंजमंडी	190
35.	जोलारपेट्टै-होसूर बरास्ता धर्मापुरी	104
36.	अगरतला-सबरूम	110
37.	ऋषिकेश-दोईवाला	20
38.	झारग्राम-पुरुलिया	130
39.	गोलागोकरननाथ-शाहजहांपुर बरास्ता मोहम्मदी	60
40.	सुपौल-गलगलिया बरास्ता अररिया	192
	आमान परिवर्तन के लिए नए सर्वेक्षण	
41.	बरईग्राम-कुमारघाट	75
42.	अंकलेश्वर-राजपीपला	63

1	2	3
43.	कटवा-अहमदपुर	53
44.	अलुआबाड़ी-सिलीगुड़ी बरास्ता गलगलिया	76
	आमान परिवर्तन के लिए सर्वेक्षणों को अद्यतन करना।	
45.	मियागाम-दभोई-सामलया	80
46.	सामनी-जंबूसर-वेश्वामत्री और जंबूसर-कावी	100
47.	कोलार-चिकबल्लापुर	85
48.	दिंडीगुल-पोल्लाची-कोयंबटूर और पोल्लाची-पालघाट	179
49.	रतलाम-महू	139
50.	गंगापुर शहर तक विस्तार सहित धौलपुर-सिरमुत्रा आमान परिवर्तन	144
51.	लोहारू-सीकर-चूरू-रींगस-जयपुर और सूरतपुर-हनुमानगढ़	493
52.	भोजीपुरा-पीलीभीत-टनकपुर	102
53.	लखनऊ-बरेली बरास्ता सीतापुर-लखीमपुर-पीलीभीत	313
54.	कृष्णनगर-नवद्वीपघाट	21
55.	कटवा-वर्धमान	53
56.	प्रतापनगर-छोटा उदयपुर	98
57.	सादुलपुर-रतनगढ़-बीकानेर एवं रतनगढ़-डेगाना	364
	दोहरीकरण के लिए नए सर्वेक्षण	
58.	सेलम-बेंगलूरु	218
59.	तिरुवंनतपुरम-कन्याकुमारी	82
60.	चेंगलपट्टू-तूतीकोरीन	513
61.	गाजियाबाद-मुगलसराय तीसरी लाइन (356 किलामीटर) के लिए मिश्रित सर्वेक्षण	356
62.	शांतिपुर-कालीनारायणपुर	16
63.	राजगौडा-दुर्गा चक	43
64.	विजयवाड़ा-गुडीवाडा-भीमावरम-नरसापुर और गुडीवाडा-मदलीपत्तनम	175
	दोहरीकरण के सर्वेक्षणों को अद्यतन करना	
65.	क्यिूल-नवादा-गया	123
66.	विरार-अहमदाबाद तीसरी लाइन	549
67.	पुणे-मिरज-कोल्हापुर	326
68.	मेरठ-सहारनपुर	114
69.	खड़गपुर-मिदनापुर बरास्ता गिरीमैदान	8
70.	बंडेल-कटवा	104
71.	कृष्णानगर-लालगोला	128
72.	रामानगरम-मैसूर	94

(ग) केरल में चालू सर्वेक्षणों की प्रगति निम्नानुसार है :–

1. ईरुमली-पुनालूर-तिरुवंनतपुरम-नई लाइन–यातायात सर्वेक्षण प्रगति पर है।

2. मदुरै-कोट्टायम-नई लाइन इंजीनियरी सर्वेक्षण पूरा हो गया है, यातायात सर्वेक्षण प्रगति पर है।

इंटरनेट पर रक्षा परियोजनाएं/योजनाएं

1169. **श्री चन्दकांत खैरे :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक रक्षा परियोजनाओं/योजनाओं संबंधी जानकारी अभी भी इंटरनेट पर उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) दोषी व्यक्तियों को दंडित करने तथा उक्त सूचना इंटरनेट पर उपलब्ध न होने को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) अवर्गीकृत प्रकृति की कुछ रक्षा परियोजनाओं/योजनाओं की जानकारी रक्षा मंत्रालय और इसके तहत आने वाले संगठनों की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(ख) रक्षा मंत्रालय और इसके संगठनों की ऐसी वेबसाइटें इंटरनेट पर शुरू की गई हैं जो अवर्गीकृत प्रकृति की हैं और जनता के उस वर्ग के लिए जो इस प्रकार की जानकारी चाहते हैं, जानकारी उपलब्ध कराती हैं।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

ऐतिहासिक स्मारकों और विरासत के स्थानों का अनुरक्षण और परिरक्षण

1170. डा. एम. जगन्नाथ : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा ऐतिहासिक स्मारकों और विरासत स्थलों के अनुरक्षण और परिरक्षण पर भारी राशि खर्च की जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अनुरक्षण/परिरक्षण के खर्च को पूरा करने के लिए ''गेट मनी'' अथवा निर्धारित राशि के कुछ प्रतिशत भुगतान के बदले में स्मारकों के आस-पास खाली भूमि को छोटे समारोहों/पार्टियों/उत्सवों आदि के लिए किराए पर देने की संभावना का पता लगाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) देश के केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के नियमित रखरखाव तथा अनुरक्षण, संरक्षण, रासायनिक उपचार तथा पर्यावरणीय विकास पर किए गए व्यय का ब्योरा नीचे दिया गया है:–

वर्ष	लाख रु. में व्यय
2001-2002	4839
2002-2003	6650
2003-2004	9027
2004-2005 (आबंटन)	11264

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष नियम, 1959 के नियम 7 के उप-नियम (1) तथा (2) के अनुसार, केन्द्रीय सरकार इन स्मारकों के आस-पास की भूमि, आदि किराए या भाड़े पर नहीं देती। तथापि अलग-अलग मामले के आधार पर नियमानुसार समारोह आयोजित करने तथा निर्धारित अपेक्षित उपबंध तथा शर्तों द्वारा मान्य धार्मिक प्रयोग या परम्परा के अनुसरण में अनुमति प्रदान की जाती है।

भारतीय फिल्मों और संगीत की चोरी

1171. श्री राज बब्बर : क्या सूचना प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करते हुए विभिन्न कम्पनियां भारतीय फिल्मों और संगीत की चोरी कर रही हैं जिसके कारण फिल्म उद्योग को भारी घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध गत तीन वर्षों में कार्रवाई की गई है; और

(ग) प्रतिलिप्याधिकार के उल्लंघन को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 जोकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है, में चलचित्र फिल्मों और संगीत में प्रतिलिप्याधिकार के अस्तित्व के लिए वैधानिक आधार का प्रावधान है। प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अपराधों के विरुद्ध कार्रवाई करने का दायित्व राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रशासनों के पुलिस प्राधिकारियों का है। अधिकांश राज्यों/संघ शासित प्रशासनों में ऐसे अपराधों के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के नेतृत्व में प्रतिलिप्याधिकार प्रवर्तन प्रकोष्ठों की स्थापना कर दी गई है।

अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्याधिकार कानून के साथ सामंजस्य बनाए रखने के उद्देश्य से प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम को समय-समय पर संशोधित किया जाता है।

(ग) फिल्मों की चोरी को कम करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने निम्न प्रकार के कई कदम उठाए हैं :-

1. मनोरंजन क्षेत्र के विकास संबंधी समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर चोरी रोधी कार्य के लिए पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से उनके लिए उपयुक्त प्रशिक्षण मापदण्ड बनाने के लिए भारतीय जन संचार संस्थान को कहा गया है।

2. चोरी रोधी मानसिकता बनाने तथा स्टेकहोल्डरों के बीच सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से इस मंत्रालय ने फिल्म प्रोड्युसरों, बहुसेवा ऑपरेटरों तथा केबल ऑपरेटरों की एक साथ बैठक की थी और उन्होंने संयुक्त रूप से प्रतिलिप्याधिकार धारकों से वैध अनुमति के बिना फिल्मों को प्रदर्शित न करने का संकल्प लिया था।

3. केबल चोरी रोकने के एक प्रयास में केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम में 2000 में संशोधन किया गया है ताकि सरकार केबल ऑपरेटर को किसी ऐसे कार्यक्रम या चैनल का प्रसारण या पुन:प्रसारण करने से रोक सके जिसके लिए उसे प्रतिलिप्याधिकार धारक द्वारा लाइसेंस नहीं दिया गया है।

4. मनोरंजन क्षेत्र के विकास संबंधी समिति के इस सुझाव से कि राज्य सरकारों द्वारा लगाये जाने वाले मनोरंजन की वास्तविक उच्चतम सीमा 60 प्रतिशत हो सकती है इसलिए मनोरंजन कर की ऊंची दर चोरी को प्रोत्साहन दे सकती है, सभी राज्य सरकारों को अवगत करवा दिया गया है। अपनी पिछली बैठक में समिति ने सिफारिश की है कि राज्य सरकारें इस सीमा को 45 प्रतिशत तक कम कर सकती है।

5. मनोरंजन क्षेत्र की विकास संबंधी समिति ने अपनी पिछली बैठक में मनोरंजन उद्योग के साथ मिलकर कार्य करने के लिए राज्यों में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है।

6. 2003-2004 के बजट में श्रव्य सी डी को उत्पाद शुल्क से छूट दी गई थी ताकि चोरी की सी डी को उपलब्ध मूल्य लाभ को समाप्त किया जा सके।

केरल में आमान परिवर्तन कार्य

1172. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विरुदुनगर-तेनकाशी-तिरुचचेन्दुर-तिरुनेलवेली-विवलोन में आमान परिवर्तन कार्य चल रहा है;

(ख) क्या तमिलनाडु में पड़ने वाले भाग के लिए कार्य लगभग पूरा हो चुका है और केरल वाले भाग का कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है क्योंकि इस कार्य हेतु कई पूर्व बजटों में बहुत कम राशि आबंटित की गई है;

(ग) क्या सरकार इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए धनराशि में वृद्धि करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां।

(ख) तमिलनाडु में केवल विरुदुनगर-तेनकासी के आमान परिवर्तन का कार्य पूरा हुआ है। तमिलनाडु में तेनकासी-तिरुनेलवेली-तिरुचेंदूर के बीच आमान परिवर्तन का शेष कार्य प्रगति पर है। केरल में कोल्लम-पुनालूर के बीच का कार्य भी प्रगति पर है। मिट्टी से जुड़े और पुल संबंधी कार्यों को भी शामिल कर लिया गया है, भूमि अधिग्रहण का कार्य भी प्रगति पर है। पुनालूर-सेनगोट्टी क्षेत्र एक घाट खण्ड है टौर इस भाग के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण कार्य भी पूरा हो चुका है।

(ग) से (ङ) वर्ष 2004-05 के दौरान इस परियोजना के लिए 21.06 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है। संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर आने वाले वर्षों में इस परियोजना को पूरा कर लिया जाएगा।

असम में एचपीटी/एलपीटी/वीएलपीटी

1173. श्री किरिप चालिहा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में कुल कितने कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर (एलपीटी), उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर (एचपीटी) और बहुत कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर (वीएलपीटी) हैं;

(ख) क्या इन ट्रांसमीटरों के दोषपूर्ण कार्यकरण के बारे में बार-बार शिकायतें मिलती हैं;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्योरा क्या है और उसके क्या कारण हैं; और

(घ) असम में इन ट्रांसमीटरों के कार्यकरण में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) असम में इस समय अट्ठाइस ट्रांसमीटर (उच्च शक्ति ट्रांसमीटर-5, अल्प शक्ति ट्रांसमीटर-21, अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर-2) कार्यशील हैं।

(ख) और (ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि असम में कुछ टी.वी. ट्रांसमीटरों के खराब होने के संबंध में समय-समय पर शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ऐसी शिकायतों पर तुरन्त कार्रवाई की जाती है। पिछले 3 वर्षों के दौरान निम्नलिखित ट्रांसमीटरों के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई है – उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, डिब्रूगढ़ और अल्पशक्ति ट्रांसमीटर, जोरहाट एवं होजई।

(घ) डिब्रूगढ़ और जोरहाट की समस्याओं पर कार्रवाई की गई है। होजई में व्यवधान की समस्या है और इसका समाधान करने के लिए वर्ष 2004-05 के दौरान होजई स्थित वी एच एफ अल्प शक्ति ट्रांसमीटर के स्थान पर यू एच एफ अल्प शक्ति ट्रांसमीटर को लगाने का प्रस्ताव है। उच्च शक्ति ट्रांसमीटर डिब्रूगढ़ का कवरेज बढ़ाने के लिए डिब्रूगढ़ के टावर की मौजूदा ऊंचाई 75 मीटर से बढ़ाकर 150 मीटर करना परिकल्पित है। यह स्कीम संस्वीकृत कर दी गई है। असम के सभी 28 ट्रांसमीटरों के संतोषजनक ढंग से कार्य करने की सूचना है। दूरदर्शन का यह सतत् प्रयास रहता है कि असम सहित देश के विभिन्न ट्रांसमीटरों से अवरोध रहित उच्च गुणवत्ता का प्रसारण कायम रखा जाए।.

कंप्यूटरों और संवेदनशील दस्तावेजों की चोरी

1174. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी :**
श्री मोहन रावले :
श्री तूफानी सरोज :
श्री रामचन्द्र पासवान :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के वैज्ञानिक विश्लेषण समूह (एस ए जी) तथा प्रणाली अध्ययन और विश्लेषण संस्थान (आई एस एस ए) से कंप्यूटरों और संवेदनशील दस्तावेजों की चोरी हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे हैं;

(घ) जिम्मेदार ठहराए गए व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) रक्षा कार्यालयों से इस प्रकार की चोरी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) 4 और 5 अक्तूबर, 2003 के सप्ताहांत में वैज्ञानिक विश्लेषण समूह (एस ए जी) और प्रणाली अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान (आई एस एस ए) की इमारत में चोर घुस गए और 18 कंप्यूटर चोरी हो गए।

(ख) जी, हां।

(ग) आसूचना ब्यूरो, अनुसंधान एवं विश्लेषण शाखा तथा रक्षा मंत्रालय की विशेषज्ञ समितियों ने इस बात की पुष्टि की है कि किसी संवेदनशील सूचना अथवा सामरिक महत्व एवं सुरक्षा से संबद्ध सामग्री का नुकसान नहीं हुआ है। दिल्ली पुलिस का भी यह कहना है कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह चोरी हार्डवेयरों की पुनर्बिक्री के लिए की गई है।

(घ) रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (मेटकाफ हाऊस) के छह कर्मचारियों को आरोप-पत्र दिए गए थे, दो कर्मचारियों को गोपनीय चेतावनी दी गई थी तथा वायुसेना के एक अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक अनुशासनिक कार्रवाई किए जाने हेतु वायुसेना मुख्यालय को सूचित किया गया था।

(ङ) रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापनाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय शुरू किए गए हैं:-

- कंसर्टीना तार लगाकर परिसीमा को सुदृढ़ करना तथा दरवाजों एवं खिड़कियों पर ग्रिल लगाकर इन्हें मजबूती प्रदान करना।
- कार्यालय समय के बाद तथा छुट्टी के दिनों में अधिकारियों द्वारा कड़ाई से जांच करना।
- सुरक्षाकर्मियों को बढ़ाया जाना।
- अतिरिक्त नियंत्रण टावरों का निर्माण करना और उनमें चौबीसों घंटे कार्मिकों की तैनाती करना।

रक्षा कार्मिकों की भर्ती

1175. **श्री सर्वानन्द सोनोवाल :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2003-2004 और 2004-2005 के दौरान अब तक देशभर में राज्यवार कितने रक्षा कार्मिकों की भर्ती की गई है;

(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों को समानुपातिक प्रतिनिधित्व देने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में सभी रक्षा स्थापनाओं में स्थानीय खरीद के लिए क्या कदम उठाए गए है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) सेना में वर्ष 2003-2004 के लिए भर्ती संबंधी रिपोर्ट का संकलन किया जा रहा है। वर्ष 2004-2005 के लिए भर्ती की जा रही है। भारतीय वायुसेना में भर्ती के राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते। तथापि, वर्ष 2003-2004 में भारतीय वायुसेना में कुल 6846 कार्मिक भर्ती किये गये। वर्ष 2004-2005 के लिए वायु सैनिकों की भर्ती अक्तूबर 2004 से शुरू हो जाएगी। जहां तक नौसेना का प्रश्न है एक विवरण संलग्न है।

(ख) वायुसेना और नौसेना में भर्ती, अखिल भारतीय योग्यता के आधार पर की जाती है। तथापि, सेना में पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित सभी राज्यों को रिक्तियां नियमानुसार आबंटित की जाती हैं:-

(i) **निश्चित वर्ग रिक्तियां :** ये रिक्तियां रेजिमेंट/कोर की वर्ग संरचना के आधार पर होती हैं। इनका आबंटन, जनसंख्या के जनांकिकीय पैटर्न के आधार पर राज्य के निश्चित वर्ग के भाग के अनुसार किया जाता है।

(ii) **अखिल भारतीय सर्व वर्ग रिक्तियां :** ये रिक्तियां वर्ष 2001 की जनगणना रिपोर्ट के आधार पर राज्य की भर्ती योग्य पुरुष जनसंख्या के अनुसार आबंटित की जाती है। कोई भी भारतीय, जाति/वर्ग या धर्म का ध्यान किए बिना भर्ती हो सकता है बशर्ते कि वह निर्धारित शारीरिक, शैक्षिक मापदंडों को पूरा करता हो तथा चिकित्सा की दृष्टि से उपयुक्त पाया गया हो।

(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र की सभी रक्षा स्थापनाओं में स्थानीय खरीद, मौजूदा अभिप्राप्ति नीति के अनुसार की जाती है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	नौसेना	
		2003	2004 (आधा वर्ष)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	303	235
2.	अरुणाचल प्रदेश	01	–
3.	असम	65	36
4.	बिहार	605	231
5.	छत्तीसगढ़	34	15
6.	गुजरात	14	–
7.	गोवा	05	01
8.	हरियाणा	674	263
9.	हिमाचल प्रदेश	133	57
10.	जम्मू-कश्मीर	125	33
11.	झारखंड	40	11
12.	कर्नाटक	39	09
13.	केरल	229	82
14.	मध्य प्रदेश	55	39
15.	महाराष्ट्र	86	41
16.	मणिपुर	57	17
17.	मेघालय	05	04
18.	मिजोरम	01	01
19.	नागालैंड	31	12
20.	नेपाल*	01	–

1	2	3	4
21.	उड़ीसा	247	98
22.	पंजाब	158	73
23.	राजस्थान	345	264
24.	सिक्किम	13	14
25.	त्रिपुरा	—	—
26.	तमिलनाडु	39	20
27.	उत्तर प्रदेश	629	319
28.	उत्तरांचल	88	58
29.	पश्चिमी बंगाल	129	108
30.	चंडीगढ़	—	01
31.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	03	03
32.	दिल्ली	46	25
33.	पांडिचेरी	01	—
	कुल	4201	2070

नई गवेषण लाइसेंसिंग नीति में दिए गए ब्लाक

1176. **श्री सुकदेव पासवान : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्पादन हिस्सेदारी संविदा के अंतर्गत नई गवेषण लाइसेंसिंग नीति एक, दो, तीन और चार में अब तक सूचीवार कितने ब्लाक दिए गए हैं;

(ख) इन संविदाकारों द्वारा प्रत्येक ब्लाक में सूचीवार कितना निवेश किया गया है;

(ग) क्या इन ब्लाकों में उत्पादन पहले ही शुरू हो चुका है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) सरकार ने नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एन ई एल पी) के प्रथम तीन दौरों अर्थात एन ई एल पी-1, एन ई एल पी-2 तथा 3 में तेल और गैस के अन्वेषण के लिए 71 ब्लाक प्रदान किए हैं। उपर्युक्त में से, 70 ब्लाकों के लिए उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं (पी एस सी) पर हस्ताक्षर कर लिए गए हैं। दिनांक 31 मार्च, 2004 तक इन ब्लाकों में किए गए निवेश के ब्योरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, एन ई एल पी के चौथे दौर (एन ई एल पी-4) के तहत 21 अन्वेषण ब्लाक प्रदान किए गए थे। 20 ब्लाकों के संबंध में उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं पर 6 फरवरी, 2004 को ही हस्ताक्षर किए गए थे।

(ग) से (ङ) गुजरात राज्य में स्थित निको रिसोर्सेस लि. को प्रदत्त एन ई एल पी-2 ब्लाक नामत: सी बी-ओ एन एन-2000/2 में गैस का उत्पादन शुरू हो गया है। अपने-अपने पी एस सी के प्रावधानों के अनुसार शेष ब्लाकों में तेल और गैस का अन्वेषध कार्य किया जा रहा है।

विवरण

एन ई एल पी के तहत अन्वेषण ब्लाकों में निवेश

क्रम सं.	ब्लाक का नाम	31 मार्च, 2004 तक निवेश (अनन्तिम) मिलियन अमरीकी डालर
1	2	3
1. एन ई एल पी-1		
1.	जीके-ओएसएन-97/1	9.627
2.	एसआर-ओएसएन-97/1	0.493
3.	एमबी-ओएसएन-97/2	20.197
4.	एमबी-ओएसएन-97/3	22.297
5.	केके-ओएसएन-97/2	2.431

1	2	3
6.	केजी-ओएसएन-97/2	7.270
7.	केजी-ओएसएन-97/3	9.868
8.	केजी-ओएसएन-97/4	7.675
9.	एनईसी-ओएसएन-97/2	65.630
10.	केजी-डीडब्ल्यूएन-98/1	9.991
11.	केजी-डीडब्ल्यूएन-98/3	192.581
12.	एमएन-डीडब्ल्यूएन-98/2	17.919
13.	केजी-डीडब्ल्यूएन-98/2	103.631
14.	सीवाई-ओएसएन-97/2	0.358
15.	एमएन-डीडब्ल्यूएन-98/3	4.931
16.	केजी-ओएसएन-97/1	2.530
17.	केजी-डीडब्ल्यूएन-98/4	10.073
18.	केजी-डीडब्ल्यूएन-98/5	6.433
19.	केके-ओएसएन-97/3	7.409
20.	जीवी-ओएनएन-97/1	1.454
21.	एमबी-ओएसएन-97/4	9.134
22.	एमएन-ओएसएन-97/3	3.126
23.	एनईसी-ओएसएन-97/1	1.935
24.	सीवाई-ओएसएन-97/1	0.865
2. एन ई एल पी-2		
25.	सीवाई-ओएसएन-2000/1	1.842
26.	सीवाई-ओएसएन-2000/2	12.691
27.	जीएस-डीडब्ल्यूएन-2000/1	41.815
28.	जीएएस-डीडब्ल्यूएन-2000/2	8.167
29.	जीवी-ओएनएन-2000/1	1.041
30.	केके-डीडब्ल्यूएन-2000/2	1.932
31.	केके-डीडब्ल्यूएन-2000/4	2.004
32.	केके-ओएसएन-2000/1	2.794
33.	एमबी-डीडब्ल्यूएन-2000/1	46.581
34.	एमबी-डीडब्ल्यूएन-2000/2	32.633
35.	एमबी-ओएसएन-2000/1	12.559
36.	एमएन-ओएसएन-2000/1	0.761
37.	एमएन-ओएसएन-2000/2	1.140
38.	डब्ल्यूबी-ओएनएन-2000/1	0.565
39.	डब्ल्यूबी-ओएसएन-2000/1	35.060
40.	जीएस-ओएसएन-2000/1	1.894
41.	केके-डीडब्ल्यूएन-2000/3	1.060
42.	केके-डीडब्ल्यूएन-2000/1	1.179
43.	एएस-ओएनएन-2000/1	0.000
44.	आरजे-ओएनएन-2000/1	0.000
45.	एमएन-ओएनएन-2000/1	0.937
46.	सीबी-ओएनएन-2000/1	3.652
47.	सीबी-ओएनएन-2000/2	32.842
3. एन ई एल पी-3		
48.	केजी-ओएसएन-2001/3	16.417
49.	केके-ओएसएन-2001/2	2.907
50.	केके-ओएसएन-2001/3	3.002
51.	जीएस-ओएसएन-2001/1	3.833

1	2	3
52.	सीवाई-डीडब्ल्यूएन-2001/2	1.496
53.	सीवाई-पीआर-डीडब्ल्यूएन-2001/3	1.281
54.	सीवाई-पीआर-डीडब्ल्यूएन-2001/4	1.312
55.	केजी-ओएसएन-2001/1	0.819
56.	केजी-ओएसएन-2001/2	3.644
57.	केजी-डीडब्ल्यूएन-2001/1	1.223
58.	पीआर-डीडब्ल्यूएन-2001/1	1.435
59.	केके-डीडब्ल्यूएन-2001/1	1.077
60.	केके-डीडब्ल्यूएन-2001/2	0.911
61.	एचएफ-ओएनएन-2001/1	0.219
62.	केके-डीडब्ल्यूएन-2001/3	0.629
63.	सीवाई-डीडब्ल्यूएन-2001/1	0.519
64.	एए-ओएनएन-2001/1	1.172
65.	एए-ओएनएन-2001/2	0.048
66.	एए-ओएनएन-2001/3	0.000
67.	एए-ओएनएन-2001/4	0.000
68.	आरजे-ओएनएन-2001/1	1.654
69.	सीबी-ओएनएन-2001/1	0.476
70.	पीजी-ओएनएन-2001/1	0.004
	कुल निवेश	805.085

[हिन्दी]

जबलपुर से गौड़िया और बालाघाट से काटंगी लाइन पर आमान परिवर्तन कार्य

1177. श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जबलपुर से गौड़िया, बालाघाट से काटंगी, तुमसल और तिरोड़ी के बीच आमान परिवर्तन कार्य में प्रगति का ब्योरा क्या है;

(ख) इस योजना को प्रशासनिक अनुमोदन देने की तारीख के बाद उपर्युक्त परियोजना के लिए वर्षवार कितनी राशि स्वीकृत और आबंटित की गई;

(ग) क्या उपर्युक्त आमान परिवर्तन कार्य के लिए निजी भू-स्वामियों, सरकारी अथवा अर्ध-सरकारी एजेंसियों से भूमि अधिग्रहीत करने की आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ङ) इस कार्य में विलंब से बचने तथा भू-स्वामियों से उनकी भूमि अधिग्रहीत करने के बाद उन्हें समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए संबद्ध राज्य सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं तथा इस संबंध में क्या ब्योरा है; और

(च) शीघ्र ठेका देने हेतु इस संबंध में कार्रवाई करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं और तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जबलपुर गोंदिया पर, बालाघाट-कटनी आमान परिवर्तन परियोजना, मिट्टी का कार्य, पुल का कार्य और गोंदिया-बालाघाट खण्ड पर रेलपथ जोड़ने का निर्माण कार्य प्रगति पर है। यह खण्ड 2004-2005 के दौरान पूरा करने के लिए निर्धारित है। जबलपुर छोर से 12 कि.मी. घुमावदार संरेखण पर निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। बालाघाट-कटनी और बालपुर-नैनपुर खण्डों पर पुलों का निर्माण कार्य भी चल रहा है। तुमसर-तिरोडी पहले ही एक बड़े आमान की लाइन है।

(ख) इस परियोजना के लिए मुहैया कराया गया 1996-97 से वर्षवार परिव्यय निम्नलिखित है :-

1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05 (प्रस्तावित परिव्यय)
0.01	1.00	20.00	22.00	16.82	15.00	44.00	36.17	38.06

(ग) जी, हां।

(घ) आज तक के भूमि अधिग्रहण (हेक्टेयर क्षेत्रफल में) का ब्योरा निम्न प्रकार है:-

राज्य	भूमि की किस्म	अधिग्रहीत की जाने वाली कुल भूमि	अधिग्रहण के लिए रेलों द्वारा दायर किए गए आवेदन	अभी तक प्राप्त की गई भूमि
मध्य प्रदेश	निजी भूमि	245.5	213.822	82.53
	सरकारी भूमि	48	36.888	7.81
	वन भूमि	66.5	22.344	कुछ नहीं
महाराष्ट्र	निजी भूमि	7.72	7.72	7.72
	सरकारी भूमि	0.90	0.90	0.33
	वन भूमि	1	1	1
कुल	सभी प्रकार की भूमि	369.62	282.674	99.39

(ङ) और (च) भूमि अधिग्रहण अधिनियम की शर्तों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित कार्रवाई की जा रही है।

[अनुवाद]

विशेष संघटक योजना के लिए आबंटन

1178. **श्री वीरेन्द्र कुमार :** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2003-04 की विशेष संघटक योजना को कार्यान्वित करने के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य सरकारों को राज्यवार/संघ राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित और जारी की गई है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार और अन्य राज्य सरकारों/संघ राज्यों ने वर्ष 2004-05 की विशेष संघटक योजना को कार्यान्वित करने के लिए राज्यों/संघ राज्यों के लिए आबंटन राशि में वृद्धि करने का आग्रह किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) इनके अनुरोध पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत 27 राज्यों के अंतर्गत 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों जो विशेष संघटक योजना को बनाने व कार्यान्वित करते हैं, को निर्मुक्त निधियों का ब्योरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

वर्ष 2003-04 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत निर्मुक्त निधियों का ब्योरा

(रुपए लाख में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निर्मुक्ति
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	6222.90
2.	असम	625.21
3.	बिहार	933.00
4.	छत्तीसगढ़	408.29

1	2	3
5.	गुजरात	644.46
6.	गोवा	0.0
7.	हरियाणा	1434.00
8.	हिमाचल प्रदेश	248.66
9.	जम्मू-कश्मीर	148.46
10.	झारखंड	0.0
11.	कर्नाटक	2124.76
12.	केरल	0.00
13.	मध्य प्रदेश	2955.43
14.	महाराष्ट्र	1991.36
15.	मणिपुर	4.42
16.	उड़ीसा	779.30
17.	पंजाब	680.03
18.	राजस्थान	2984.25
19.	सिक्किम	1.12
20.	तमिलनाडु	3800.74
21.	त्रिपुरा	76.80
22.	उत्तर प्रदेश	7817.94
23.	उत्तरांचल	407.74
24.	पश्चिमी बंगाल	3994.68
25.	चंडीगढ़	12.50
26.	दिल्ली	99.37
27.	पांडिचेरी	3.13
	कुल	38398.55

[अनुवाद]

रेलगाड़ियों में/रेलवे स्टेशनों पर कुल्हड़ों और खादी का प्रयोग

1179. श्री कीर्ति वर्धन सिंह :
श्री दलपत सिंह परस्ते :
प्रो. महादेवराव शिवनकर :
श्री अजय चक्रवर्ती :
श्रीमती निवेदिता माने :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने रेलगाड़ियों/रेलवे स्टेशनों पर प्लास्टिक कप के स्थान पर कुल्हड़ तथा खादी का प्रयोग भी आरंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और निर्णय लेने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस प्रकार का निर्णय लेने से पूर्व सरकार ने प्रतिदिन कुल्हड़ों की संख्या की आवश्यकता, खादी एककों की रुग्णता और इतनी बड़ी मात्रा में कुल्हड़ों और खादी की आपूर्ति से संबंधित कोई व्यवहार्यता की अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा कुल्हड़ों और खादी की खरीद के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(च) प्लास्टिक कप की तुलना में प्रति कुल्हड़ लागत कितनी है और रेलवे में ऐसा परिवर्तन करने में कुल कितनी राशि लगी है;

(छ) क्या इस संबंध में प्रभावित पक्षों की शिकायतों पर विचार किया गया है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस नए कदम से यात्रियों को किस प्रकार फायदा होगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) क्षेत्रीय रेलों, कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड और भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड को निदेश दिए गए हैं कि पर्यावरण प्रदूषित होने से रोकने के लिए रेल परिसरों में प्लास्टिक के कपों का उपयोग न किया जाए और उनके स्थान पर कुल्हड़ प्रयोग

किए जाएं। भारतीय रेल पर खादी/हथकरघा उत्पादों का उपयोग शुरू किया गया है, जिनकी उत्पादन प्रक्रिया पर्यावरण-अनुकूल है। कुल्हड़ों और खादी/हथकरघा उत्पादों के उपयोग से समाज के कमजोर वर्गों को रोजगार के अवसर भी मुहैया होंगे।

(ग) से (ङ) प्राचीन काल से कुम्हारों द्वारा परंपरागत ढंग से कुल्हड़ों का उत्पादन किया जाता है। देश के प्रत्येक कोने में ग्रामीण भारत में कुल्हड़ों और खादी/हथकरघा उत्पादों का व्यापक रूप से प्रयोग किया जा रहा है। ये कोई नए परिवर्तन नहीं है अपितु रेलवे पर परंपरागत वस्तुओं के उपयोग की शुरूआत है।

(च) हालांकि प्लास्टिक के कप सस्ते पड़ते हैं लेकिन पर्यावरण पर इनका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है।

(छ) अभी तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ज) इस पहल से पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने और समाज के कमजोर वर्गों को रोजगार के अवसर मुहैया कराने में सहायता मिलेगी।

आबंटित धनराशि खर्च करने के लिए निगरानी प्रणाली

1180. **श्री गुरुदास कामत :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व-निर्धारित लक्षित तिथियों के भीतर आबंटित धनराशियों को खर्च करने के लिए निगरानी प्रणाली कमजोर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पूंजीगत व्यय के लिए नियत धनराशियों के अल्प उपयोग से रक्षा सेवाओं के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया कमजोर हुई थी; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) आबंटित धनराशि का पूरा इस्तेमाल करने के प्रयोजन से विभिन्न अधिग्रहण प्रक्रियाओं की स्थिति तथा रक्षा व्यय की प्रगति की सतत् पुनरीक्षा की जाती है तथा यथावश्यक अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है। तथापि, संविदा करने और उपस्करों/मदों की आपूर्ति की प्रक्रिया पूरी तरह से मंत्रालय के अधीन नहीं है।

(ग) और (घ) रक्षा सेनाओं का आधुनिकीकरण एक सतत् प्रक्रिया है। किसी वर्ष विशेष में धनराशि के पूरा इस्तेमाल नहीं होने की वजह से रक्षा सेनाओं की प्राथमिकता वाली आधुनिकीकरण आवश्यकताओं को छेड़ा नहीं जाता है।

अधिग्रहण में निहित प्रयासों को समन्वित करने तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी लाने के प्रयोजन से एक नये अधिग्रहण संगठन की स्थापना की गई है तथा अधिग्रहण प्रक्रिया की समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है।

डीटीएच सेवा

1181. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :**
श्री विजय कृष्ण :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का 40 फ्री चैनल डीटीएच सेवा प्रदान करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) सरकार ने किस चैनल के साथ संविदा पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(घ) उक्त प्रस्ताव के कार्यान्वयन के बाद कितनी प्रतिशत जनसंख्या के लाभान्वित होने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) सरकार ने प्रसार भारती को नवम्बर, 2003 में फ्री-टु-एयर मोड में दूरदर्शन के 20 चैनल-समूह और निजी प्रसारकों के 10 चैनलों के लिए के यू बैंड आवृत्ति में उपग्रहीय वितरण प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने की अनुमति दे दी थी।

(ग) प्रसार भारती का निजी चैनलों के साथ कोई भी समझौता होना अभी बाकी है।

(घ) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह को छोड़कर के.यू. बैंड प्रसारण सिग्नल देश भर में एक लघु आकार की डिश एंटिना प्रणाली के साथ प्राप्त किए जा सकते हैं। इस परियोजना का लक्ष्य विशिष्ट राज्यों/क्षेत्रों में सुदूर और अब तक कवर न किए गए क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करना है।

लंबित रेल परियोजनाएं

1182. **श्री पी.एस. गढ़वी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दस वर्षों से गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में लंबित रेल परियोजनाओं के नाम क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन रेल परियोजनाओं को छोड़ दिया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलंब के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (घ) गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में 1993-94 से पूर्व शुरू की गई चालू रेल परियोजनाएं और उनके निष्पादन में विलंब के कारण इस प्रकार हैं :–

	परियोजना का नाम	निष्पादन में विलंब के कारण
1.	गोधरा-इंदौर और देवास-मकसी नई लाइन	देवास-मकसी चरण-I में शुरू किया गया था और पूरा हो गया है। संसाधनों की तंगी।
2.	भीलड़ी-समदड़ी आमान परिवर्तन	फुलेरा-अहमदाबाद के आमान परिवर्तन के कारण परियोजना को निम्न प्राथमिकता दी गई थी।
3.	भीलड़ी-वीरमगांव आमान परिवर्तन	वीरमगांव-मेहसाना निर्माण, परिचालन, पट्टा हस्तांतरण (बोल्ट) के तहत शुरू की गई थी फलीभूत नहीं हुई। अब यह परियोजना निर्माण, परिचालन और हस्तांतरण (बोट) के अंतर्गत की जा रही है।
4.	मुदखेड़-अदिलाबाद आमान परिवर्तन	पहले परियोजना निर्माण, परिचालन, पट्टा और हस्तांतरण (बोल्ट) के तहत शुरू की गई थी जो फलीभूत नहीं हुई। परियोजना अब रेल निधियों से वित्त पोषित की जा रही है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

तेलशोधक कारखानों का आधुनिकीकरण

1183. **श्री वाई.जी. महाजन :**
श्री सुशील कुमार मोदी :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में देश में कितने तेलशोधक कारखाने कार्य कर रहे हैं और राज्यवार तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ख) इन तेलशोधक कारखानों की वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता क्या है;

(ग) क्या सरकार और अधिक तेलशोधक कारखाने स्थापित करने और कुछ तेलशोधक कारखानों का आधुनिकिकरण करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) इन तेलशोधक कारखानों के आधुनिकिकरण पर सरकार द्वारा कितनी राशि खर्च किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) देश में 18 रिफाइनरियां चल रही हैं (17 सार्वजनिक क्षेत्र में तथा 1 गैर सरकारी क्षेत्र में है)। 1.4.2004 को संस्थापित क्षमता के साथ इन रिफाइनरियों के राज्य-वार ब्योरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों का चार नई रिफाइनरियां स्थापित करने तथा संलग्न विवरण-II में दिए गए ब्योरों के अनुसार विस्तार/आधुनिकीकरण/गुणवत्ता उन्नयन परियोजनाएं चलाने का प्रस्ताव है।

(ङ) सर्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा इन रिफाइनरियों के विस्तार/आधुनिकीकरण पर 14,572 करोड़ रुपए की राशि खर्च किए जाने की संभावना है।

विवरण-I

सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र तेल रिफाइनरियों का, उनकी संस्थापित क्षमता के साथ राज्यवार ब्योरा निम्नवत् है

रिफाइनरी	1.4.2004 को संस्थापित क्षमता (हजार मीटरी टन प्रतिवर्ष)
1	2
असम	
इंडियन आयल कार्पोरेशन लि. (आईओसीएल) गुवाहाटी	1000
(आईओसीएल), डिग्बोई	650
बोंगाईगांव रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लि. (बीआरपीएल), बोंगाईगांव	2350
नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि. (एनआरएल), नुमालीगढ़	3000
बिहार	
आईओसीएल, बरौनी	6000
गुजरात	
आईओसीएल, कोयाली	13700
रिलायंस इंडिया लि. (आरआईएल), जामनगर	33000
पश्चिम बंगाल	
आईओसीएल, हल्दिया	4600
उत्तर प्रदेश	
आईओसीएल, मथुरा	8000
हरियाणा	
आईओसीएल, पानीपत	6000
महाराष्ट्र	
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. (बीपीसीएल), मुंबई	6900
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. (एचपीसीएल), मुंबई	5500
आंध्र प्रदेश	
एचपीसीएल, विसाख	7500
आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि. (ओएनजीसी), तातीपाका	78
केरल	
कोच्चि रिफाइनरी लि. (केआरएल), कोच्चि	7500
तमिलनाडु	
चेन्नई पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. (सीपीसीएल), चेन्नई	9500
सीपीसीएल, नरीमनम	1000
कर्नाटक	
मंगलौर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लि. (एमआरपीएल), मंगलौर	9690
कुल	12568

विवरण-II

कंपनी का नाम	स्थान	प्रतिवर्ष मिलियन मीटर टन में क्षमता (मि.मी.ट.प्र. वर्ष)
1	2	3
नई रिफाइनरियां		
आईओसी	पारादीप रिफाइनरी (उड़ीसा)	9.0

1	2	3
एचपीसीएल	भटिंडा रिफाइनरी (पंजाब)	9.0
बीपीसीएल	(क) बीना (मध्य प्रदेश)	6.0
	(ख) लोहागारा (उत्तर प्रदेश)	7.0
विस्तार/आधुनिकीकरण/गुणवत्ता/उन्नयन परियोजना		
आईओसी	पानीपत रिफाइनरी का 6 मि.मी.टि.प्र. वर्ष से 12 मि.मी.टि.प्र. वर्ष तक विस्तार	
	मथुरा, गुजरात, हल्दिया रिफाइनरी में गुणवत्ता उन्नयन परियोजना	
बीपीसीएल	6.9 मि.मी.टि.प्र. वर्ष से 12 मि.मी.टि.प्र. वर्ष तक विस्तार परियोजना	
एचपीसीएल	5.5 मि.मी.टि.प्र. वर्ष से 7.9 मि.मी.टि.प्र. वर्ष तक मुंबई रिफाइनरी विस्तार योजना	
	7.5 मि.मी. टन प्रति वर्ष से 8.33 मि.मी. टन प्रति वर्ष तक विशाखापट्टनम रिफाइनरी विस्तार योजना	
एमआरपीएल	गुणवत्ता उन्नयन परियोजना	

[अनुवाद]

भारत भवन ट्रस्ट

1184. **श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत भवन ट्रस्ट, भोपाल को केंद्रीय सहायता के रूप में प्रतिवर्ष कितनी धनराशि प्रदान की जाती है;

(ख) क्या उपर्युक्त ट्रस्ट के कार्यकलापों को तेज करने के लिए उक्त धनराशि में वृद्धि की जा रही है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने इस संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत भवन ट्रस्ट को वार्षिक आधार पर कोई केन्द्रीय सहायता प्रदान नहीं की जाती है।

(ग) और (घ) मध्य प्रदेश राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

केरल में अंगमाली से सबरीमाला तक प्रस्तावित सबरी रेल परियोजना

1185. **श्री पी.सी. थामस : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में अंगमाली से सबरीमाला तक प्रस्तावित सबरी रेल परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार उक्त परियोजना को वापस लेने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) इस परियोजना के लिए अंतिम स्थल सर्वेक्षण प्रगति पर है। राज्य सरकार और केरल विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2001-04) की सिफारिशों के दृष्टिगत इस लाइन को अजूथा में आरक्षित वन क्षेत्र से पहले ही खत्म करने का विनिर्णय लिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पंचायती राज पर मुख्यमंत्रियों की बैठक

1186. **श्री पी.के. वासुदेवन नायर :**
श्री किरिप चालिहा :
श्री दिनशा पटेल :
श्री प्रकाशबापू वी. पाटिल :

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने "पंचायती राज के माध्यम से गरीबी उपशमन और ग्रामीण समृद्धि" विषय पर 28 और 29 जून को नई दिल्ली में मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई थी;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में विचार किए गए विषयों का ब्योरा क्या है और तत्संबंधी क्या परिणाम रहे हैं; और

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने पंचायतों को अधिक शक्तियां और धनराशि देने के केन्द्र सरकार के कदम का विरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से नई दिल्ली में, 29-30 जून, 2004 को "पंचायती राज के माध्यम से गरीबी उपशमन और ग्रामीण समृद्धि" के संबंध में ग्रामीण विकास और पंचायती राज के प्रभारी राज्य मंत्रियों एवं मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। प्रधान मंत्री जी ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया।

(ख) सम्मेलन में ग्रामीण विकास मंत्रालय की संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ग्रामीण आवास, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, मरूभूमि विकास कार्यक्रम, बंजरभूमि विकास कार्यक्रम, पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम पर चर्चा एवं समीक्षा की गई। राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र केन्द्र सरकार के सहयोग से एक नए जोश के साथ इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के प्रति वचनबद्ध थे। पंचायती राज के संबंध में संविधान के भाग IX और IXक के प्रभावी कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों को कार्यसूची के रूप में प्रस्तावित किया गया था जिस पर पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विचार-विमर्श किया जाना था। इन मुद्दों में कार्यों, निधियों, कर्मियों की प्रभावी सुपुर्दगी, आयोजना, ग्राम सभा, महिलाएं, अनु.जाति/अनु. जनजाति के लिए आरक्षण, अनु. जाति/अनु. जनजाति की विशेष समस्याएं, चुनाव, लेखा-परीक्षा, बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र, समानांतर निकाय, क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण और पंचायत रिपोर्ट की अवस्था एवं कार्यक्षेत्र शामिल थे। सम्मेलन में पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक मसौदा कार्य योजना तैयार करने के लिए सात गोल मेज सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया ताकि आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के कार्यक्रमों को बनाने एवं उन्हें कार्यान्वित करने में पंचायती राज संस्थाओं को स्व-शासन की वास्तविक संस्थाएं बनाई जा सकें, जैसा कि संविधान में परिकल्पना की गई है।

(ग) और (घ) कुछ राज्य प्रतिनिधियों ने राज्य सरकारों की अनदेखी करके सीधे पंचायतों को निधियां देने पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। यह स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर आधारित सरकारी नीति, पंचायतों को मिलने वाली निधियों में विलम्ब या अन्यत्र उपयोग को रोकने के लिए है और राज्य सरकारों के साथ परामर्श के बाद ही पंचायतों को मिलने वाली निधियों के किसी बैकल्पिक माध्यम की तलाश की जाएगी।

कच्चे तेल के उत्पादन का ब्योरा

1187. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी और निजी, दोनों, संयुक्त क्षेत्र में विभिन्न तेल कुंओं तटीय और अपतटीय कुंओं से कच्चे तेल के स्वदेशी उत्पादन का वर्षवार ब्योरा क्या है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान अधिक संभावनाओं वाले तेल कुंओं की खोज की गई; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इन कुंओं से तेल के दोहन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन (ओ एन जी सी), आयल इंडिया लिमिटेड (ओ आई एल) और निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों (नि./सं.उ. कं.) द्वारा तेल उत्पादन निम्नानुसार था:-

	2001-02	2002-03	2003-04
अपतटीय उत्पादन (एमएमटी)	20.143	21.573	21.917
तटीय उत्पादन (एसएमटी)	11.889	11.471	11.457
योग (एमएमटी)	32.032	33.044	33.374

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2001-02 से 2003-04 के दौरान ओ एन जी सी, ओ आई एल और निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा खोजे गए तेल/गैस क्षेत्र निम्नानुसार हैं:-

तटीय खोजें

राज्य	खोजें
आंध्र प्रदेश	सीतारामपुरम, पेन्डुरु और सनारुद्रवरम
असम	नजीरा, बनमाली, लेपलिनगांव, पूर्वी लखी बारी, उरियामगुड़ी, दक्षिण चांदमारी, उत्तरी माकुम, सियालकटी, चबुआ, माटीमेखना, उत्तरी डिकोम, बागजन मेचाकी, उत्तरी चनमारी और पूर्वी राजाली
गुजरात	डेगम, भीमा-1, एन एस, चकलासी और कटपुर
राजस्थान	सरस्वती, रागेश्वरी, कामेश्वरी, मंगला, एन ए और चिन्नेवाला टिब्बा
तमिलनाडु	पी बी एस-1
त्रिपुरा	सोनामुरा

अपतटीय खोजें

पूर्वी अपतट	कनक दुर्गा
गहरा समुद्र	पद्मावाड़ी
केजी अपतटीय बेसिन	जीएस-केडब्ल्यू
मुबई अपतटीय बेसिन	वसई पश्चिम (बी-22)

खोजों से प्राप्त निष्कर्षों का अनुसरण किया जाता है और वाणिज्यिक दोहन आरम्भ करने से पहले तकनीकी – वाणिज्यिक व्यवहार्यता सिद्ध की जाती है।

एझिमाला नौसेना अकादमी

1188. **श्री पी. करुणाकरन :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में आरंभ होने वाली एझिमाला नौसेना अकादमी परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) बंगलौर से एझिमाला तक अंतर-राज्यीय राजमार्ग सहित सम्बद्ध अन्य कार्यों के विकास की स्थिति क्या है; और

(ग) परियोजना से प्रभावित परिवारों के प्रत्येक सदस्य को रोजगार प्रदान करने के मुद्दे पर सरकार का क्या निर्णय है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) एझिमाला नौसेना अकादमी से संबंधित सभी निर्माण-कार्य नियोजित ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। बंगलौर से एझिमाला तक का अन्तर्राज्यीय राजमार्ग इस परियोजना का हिस्सा नहीं है।

(ग) इस परियोजना से प्रभावित परिवारों के प्रत्येक सदस्य को रोजगार मुहैया कराने के लिए कोई वायदा नहीं किया गया था। केरल सरकार ने इस परियोजना के लिए 979 हेक्टेयर भूमि मुफ्त उपलब्ध कराई है। केरल राज्य सरकार द्वारा विस्थापित व्यक्तियों को मुआवजा दिया गया है।

ओपिनियन पोल्स पर प्रतिबंध

1189. **श्रीमती कृष्णा तीरथ :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "एक्जिट पोल्स" के आधार पर विभिन्न प्रेस और मीडिया एजेंसियों द्वारा आकलित बिल्कुल भिन्न अनुमानों के विपरीत चुनावों के वास्तविक परिणामों के दृष्टिगत जैसा कि हाल के लोक सभा चुनावों में देखा गया है – सरकार का प्रस्ताव ओपिनियन पोल्स और एक्जिट पोल्स पर प्रतिबंध लगाने का है अथवा मतदान प्रक्रिया को अनुचित रूप से प्रभावित करने को रोकने के लिए कोई विनियमन लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

स्वजलधारा योजना हेतु निधियां

1190. **श्री काशीराम राणा :**
श्री लक्ष्मण सेठ :
श्री सुनील खां :
श्री सुरेश चन्देल :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ राज्यों में स्वजलधारा योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां उपरोक्त योजना शुरू की गयी है तथा गत तीन वर्षों के दौरान आज तक इस योजना के अंतर्गत आबंटित निधियों का राज्य-वार ब्योरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान उपयोग की गयी धनराशि का राज्यवार ब्योरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत किए गए कार्यों के राज्यवार परिणाम क्या रहे;

(ङ) पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों द्वारा स्वजलधारा योजना शुरू किए जाने के समय से इसके अंतर्गत दिए गए प्रस्तावों का राज्यवार ब्योरा क्या है; और

(च) अब तक राज्यवार कितने प्रस्तावों को स्वीकृति दी जा चुकी है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र) : (क) से (च) भारत सरकार द्वारा दिसम्बर, 2002 में स्वजलधारा शुरू की गई थी। केवल वर्ष 2002-03 में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे तथा भारत सरकार ने इन्हें स्वीकृत किया था। वर्ष 2003-04 से, भारत सरकार द्वारा वर्ष के लिए निर्धारित अंतर राज्य त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.) के आबंटन अनुपात के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार आबंटन किए जाते हैं तथा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को इसकी सूचना दी जाती है, इसके एवज में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जिलावार आबंटन करने होते हैं। योजनाओं को स्वीकृत करने की शक्तियां भी जिला जल एवं स्वच्छता समिति (डी.डब्ल्यू.एस.सी.) को सौंप दी गई हैं जो स्वीकृत परियोजनाओं के ब्योरे भी रखती हैं। 2002-03 में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा हिमाचल प्रदेश सहित राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों तथा स्वीकृत किए गए प्रस्तावों, उनके लिए रिलीज की गई राशि तथा उपयोग में लाई गई राशि के ब्योरे अनुबंध-I पर हैं। वर्ष 2002-03 में बिहार सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था। वर्ष 2003-04 तथा वर्ष 2004-05 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए किए गए आबंटन, रिलीज, उपयोग में लाई गई निधियां तथा पूरी हो चुकी पेयजल आपूर्ति योजनाओं के ब्योरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

स्वजलधारा योजना—2002-03

(12.7.2004 की स्थिति के अनुसार)

(लाख रु. में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या	कुल परिव्यय	भारत सरकार का हिस्सा	रिलीज की गई निधियां		व्यय	पूरी की गई योजनाओं की संख्या
						पहली किश्त	दूसरी किश्त		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	9037	1660	9134.33	7994.04	4002.56	1338.99	1695.90	248
2.	असम	103	54	812.98	740.25	370.12		0.00	0
3.	छत्तीसगढ़	266	102	283.10	263.00	131.50		0.00	0
4.	दादरा और नागर हवेली	1	1	9.98	9.48	4.74		0.00	0
5.	गुजरात	136	30	184.42	167.97	83.99		83.98	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	हरियाणा	45	2	24.55	21.95	10.98		0.00	0
7.	हिमाचल प्रदेश	495	471	714.66	652.78	335.79		0.00	0
8.	कर्नाटक	247	55	246.09	218.14	109.07		0.00	0
9.	केरल	536	116	616.33	535.72	272.84		0.00	0
10.	मध्य प्रदेश	819	87	563.85	529.01	264.49		55.56	1
11.	महाराष्ट्र	1491	782	8261.52	7427.66	3722.09		0.00	0
12.	उड़ीसा	474	287	725.39	671.68	335.84		0.00	0
13.	राजस्थान	224	35	412.52	374.52	187.26		0.00	0
14.	तमिलनाडु	1255	389	1521.07	1399.54	702.04	677.78	645.03	267
15.	उत्तर प्रदेश	5053	655	1236.79	1132.05	565.98		0.00	0
16.	पश्चिमी बंगाल	115	8	52.19	47.77	23.88		0.00	0
	कुल	20372	4734	24799.76	22185.55	11123.16	2016.77	2539.25	516

विवरण-II

स्वजलधारा के अन्तर्गत 2003-04 और 2004-05 के दौरान राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों को आबंटित निधियों, रिलीज की गई निधियों, सूचित खर्चों और पूरी की गई योजनाओं का ब्योरा

(12.7.04 की स्थिति के अनुसार)

(लाख रु. में)

क्रम सं.	राज्य/संघराज्य क्षेत्र	2003-04				2004-05 आबंटन
		आबंटन	रिलीज की गई निधियां	व्यय	पूरी की गई योजनाओं की संख्या	
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	1616.07	808.00	56.77	79	1632.65
2.	अरुणाचल प्रदेश	447.41	223.71			473.76

1	2	3	4	5	6	7
3.	असम	754.59	377.30			797.36
4.	बिहार	873.73	0.00			923.98
5.	छत्तीसगढ़	262.80	0.00			332.20
6.	गुजरात	765.56	765.56	383.27	21	826.42
7.	गोवा	14.55	0.00			15.04
8.	हरियाणा	234.23	117.12			246.48
9.	हिमाचल प्रदेश	680.19	340.10			677.16
10.	जम्मू-कश्मीर	1497.90	748.95			1560.02
11.	झारखण्ड	356.02	178.01			368.12
12.	कर्नाटक	1397.03	698.52			1253.54
13.	केरल	504.03	252.02	16.15		492.54
14.	मध्य प्रदेश	840.54	420.27	4.25		966.49
15.	महाराष्ट्र	2172.15	1086.07			1992.80
16.	मणिपुर	153.59	0.00			162.86
17.	मेघालय	176.96	0.00			186.12
18.	मिजोरम	126.88	0.00			133.25
19.	नागालैण्ड	130.22	65.11	17.80		137.48
20.	उड़ीसा	733.28	366.64			865.23
21.	पंजाब	313.79	156.90			351.11
22.	राजस्थान	2191.77	1095.50			2544.51
23.	सिक्किम	53.42	0.00			57.11
24.	तमिलनाडु	673.22	625.18	274.02	439	889.10
25.	त्रिपुरा	156.93	78.47			164.97

1	2	3	4	5	6	7
26.	उत्तर प्रदेश	1532.91	766.46			1621.06
27.	उत्तरांचल	364.33	182.00			378.67
28.	पश्चिमी बंगाल	943.90	471.50			1064.06
	योग	19968.00	9823.39	752.26	539	21114.09
29.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	12.00	0.00			12.69
30.	चण्डीगढ़	0.00	0.00			0.00
31.	दादरा और नागर हवेली	8.00	4.00			8.46
32.	दमन और दीव	0.00	0.00			0.00
33.	दिल्ली	6.00	0.00			6.35
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00			0.00
35.	पांडिचेरी	6.00	0.00			6.35
	योग	32.00	4.00			33.85
	कुल योग	20000.00	9827.39	752.26	539	21147.94

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर राज्यों हेतु योजना

1191. **श्री खीरेन रिजीजू :**
श्री प्रदीप गांधी :
श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण :
श्री वाई.जी. महाजन :
श्री विकास चौधरी :
डॉ. रामचन्द्र डोम :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पूर्वोत्तर राज्यों में ग्रामीण विकास हेतु कोई योजना बनाने के लिए विशेष पैकेज देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) गत एक वर्ष के दौरान और आज तक उक्त क्षेत्रों में सभी योजनाओं हेतु आबंटित निधियों का राज्यवार, योजनावार ब्योरा क्या है; और

(घ) पूर्वोत्तर राज्यों में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले अनुमानित आबादी क्षेत्रों की राज्यवार संख्या क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) और (ख) पूर्वोत्तर राज्यों में ग्रामीण विकास हेतु किसी विशेष योजना या पैकेज का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत वार्षिक आबंटन का कम-से-कम 10% निर्धारित किया जाता है ताकि उनके विकास के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध हो सकें। इन निधियों के अप्रयुक्त भाग को गैर-व्यपगत पूल में रखा जाता है।

(ग) वर्ष 2003-04 हेतु पूर्वोत्तर राज्यों में आबंटन आधारित ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए आबंटित निधियां तथा वर्ष 2004-05 के लिए प्रस्तावित निधियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(घ) पूर्वोत्तर राज्यों में पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत कवरेज के लिए पात्र बसावटों की संख्या इस प्रकार है:-

राज्य	कवरेज के लिए पात्र बसावटों की संख्या
1	2
अरुणाचल प्रदेश	618
असम	13144
मणिपुर	515
मेघालय	472
मिजोरम	285
नागालैंड	94
उड़ीसा	12597
सिक्किम	318
त्रिपुरा	2091
पश्चिमी बंगाल	25288

विवरण

2003-2004

(लाख रु. में)

राज्य का नाम	एस.जी.आर.वाई.	एस.जी.एस.वाई.	डी.आर.डी.ए. प्रशासन	आई.ए.वाई.	पी.एम.जी.एस.वाई.	डी.डब्ल्यू.एस.
1	2	3	4	5	6	7
अरुणाचल प्रदेश	1142.85	221.53	396.36	627.75	3500	5644.46
असम	29673.53	5756.15	755.42	14124.59	7500	1338.28
मेघालय	2230.43	432.33	197.62	994.44	3500	2369.67
मणिपुर	1990.89	385.88	242.71	748.47	2000	1989.42
मिजोरम	516.13	100.04	210.98	238.73	2000	1474.55
नागालैंड	1529.96	296.58	239.93	641.95	2000	1828.61
सिक्किम	571.44	110.76	31.73	172.10	2000	659.25
त्रिपुरा	3594.77	696.73	125.25	1451.97	2500	2123.19
			2004-2005 (प्रस्तावित)			
अरुणाचल प्रदेश	1246.98	276.91	414.37	825.98	3500	5570.00

1	2	3	4	5	6	7
असम	32368.00	7195.18	789.75	18584.99	7500	13579.75
मेघालय	2433.74	540.42	206.60	1308.47	3500	2456.49
मणिपुर	2172.42	482.36	253.75	984.83	2000	1912.00
मिजोरम	563.18	125.06	220.57	314.12	2000	1580.00
नागालैंड	1669.40	370.70	250.84	844.67	2000	1621.00
सिक्किम	623.52	138.45	33.17	226.45	2000	737.59
त्रिपुरा	3922.76	870.92	130.95	1910.49	2500	2480.82

अनुबंध में प्रयुक्त संक्षिप्तियों की सूची

एस.जी.आर.वाई. – संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना

एस.जी.एस.वाई. – स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना

आई.ए.वाई. – इंदिरा आवास योजना

पी.एम.जी.एस.वाई. – प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना

डी.डब्ल्यू.एस. – पेयजल आपूर्ति योजना

[हिन्दी]

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण हेतु आयोग के कार्यकरण की समीक्षा

1192. **श्री रघुराज सिंह शाक्य :** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उस आयोग के कार्यकरण की समीक्षा की है जिसका गठन वर्तमान आरक्षण नीति के तहत आरक्षण की सुविधा प्राप्त नहीं करने वाले आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों हेतु सरकारी नौकरियों में आरक्षण कोटा प्रदान करने के लिए किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्रगति रिपोर्टें क्या हैं; और

(ग) उक्त आयोग द्वारा कब तक अपनी रिपोर्ट सौंपे जाने और उसे देश में कब से क्रियान्वित किए जाने की सभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) से (ग) सरकार ने वर्तमान आरक्षण नीति में शामिल न किए गए आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण कोटा प्रदान करने हेतु 6.1.04 को एक वर्ष के लिए एक आयोग का गठन किया। आयोग को इस अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। अध्यक्ष और तीन सदस्यों की नियुक्ति 26.1.2004 को की गई। तथापि, अध्यक्ष और एक सदस्य ने त्यागपत्र दे दिया है, जिन्हें स्वीकार कर लिया गया है। आयोग ने विचारार्थ विषयों में उल्लिखित मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए अब तक कई बैठकें की हैं। आम जनता और अन्य संबंधित संगठनों से विचार/सुझाव देने का अनुरोध करते हुए सार्वजनिक सूचना प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से आयोग के विचारार्थ विषय के संगत मुद्दों को रेखांकित करने और नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने का भी अनुरोध किया गया है।

[अनुवाद]

दसवी पंचवर्षीय योजना में नए तेलशोधक कारखाने

1193. **श्री भर्तृहरि महताब :**
श्री अनन्त नायक :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना में नए तेलशोधन कारखानों की स्थापना की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्योरा क्या है और इसके लिए दसवीं योजना में आबंटित निधियों का परियोजनावार ब्योरा क्या है;

(ग) क्या पारादीप तेलशोधन कारखाने को दसवीं योजना के अंत तक पूरी तरह चालू कर दिया जाएगा;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या निजी उद्यम द्वारा पूर्वी तट में नए तेलशोधन कारखाने लगाए जा रहे हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्योरा क्या है; और

(छ) उन्हें कब तक पूरी तरह से चालू किया जाएगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रमों द्वारा संलग्न विवरण के अनुसार चार नई रिफाइनरियां स्थापित करने का प्रस्ताव है। हालांकि उनके पूर्ण होने का कार्य दसवीं पंचवर्षीय योजना से आगे जाने की संभावना है।

(ग) और (घ) दिनांक 16.2.2004 को उड़ीसा सरकार तथा इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार आई ओ सी एल वर्ष 2009-10 तक रिफाइनरी का निर्माण कार्य पूरा होने के लिए अभी आवश्यक कदम उठाएगी। तथापि, यदि देश में अनुकूल बाजार दशाएं, पूर्व अनुमान की तुलना में रिफाइनरी से उत्पादों की घरेलू बिक्री के उच्च स्तरों का समर्थन करती हैं तो आई ओ सी एल परियोजना को वर्ष 2008-09 तक पूरा करने का प्रयास करेगी।

(ङ) से (छ) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पूर्वी तट पर कोई ग्रासरूट रिफाइनरी स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है। तथापि, तेलशोधन क्षेत्र को जून, 1998 में लाइसेंस मुक्त कर दिया गया था। इसलिए अब तक कोई भी उद्यमी बिना किसी लाइसेंस के देश में रिफाइनरी स्थापित कर सकता है।

विवरण

क्र. सं.	रिफाइनरी का नाम	स्थान	स्थापित क्षमता	दसवीं योजना में आबंटित धनराशि (करोड़ में)
1.	पारादीप रिफाइनरी आई ओ सी एल	पारादीप, उड़ीसा	9 मि.मी.टी. प्रति वर्ष	2680.61
2.	गुरू गोविन्द सिंह रिफाइनरीज लिमिटेड, एच पी सी एल	भटिंडा, पंजाब	9 मि.मी.टी. प्रति वर्ष	2251
3.	बीना रिफाइनरी, बी.पी.सी.एल.	बीना, मध्य प्रदेश	6 मि.मी.टी. प्रति वर्ष	1215.5
4.	लोहागारा रिफाइनरी, बी. पी.सी.एल.	लोहागारा, उत्तर प्रदेश	7 मि.मी.टी. प्रति वर्ष	100

जगन्नाथ मंदिर का संरक्षण

1194. श्री के.एस. राव : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर के संरक्षण का कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को सौंपा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पर मंदिर से मूल पत्थरों के 72 टुकड़ों और कुछ प्राचीनकालीन मूर्तियों को ले जाने का आरोप लगा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में किसी जांच का आदेश दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को केन्द्रीय संरक्षित स्मारक भगवान जगन्नाथ मंदिर, पुरी के संरचनात्मक संरक्षण तथा रासायनिक परिरक्षण का कार्य सौंपा गया है।

(ग) से (ङ) जी, हां। यह समाचार असत्य पाया गया है। गरुढ़ स्तम्भ के संरक्षण कार्य के दौरान, बिना किसी पुरातात्विक विशेषता वाले पत्थर के 6 टुकड़े, बुनियाद से हटाए गए थे तथा मंदिर प्रशासन को सौंप दिए गए थे। यह मामला, मंडल-आयुक्त, कटक को स्पष्ट कर दिया गया है।

आवासों का निर्माण

1195. **श्री विजय कृष्ण** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक आवास की समस्या को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य था जबकि मार्च, 2002 के अनुसार 109.53 लाख आवासीय इकाइयों के निर्माण के लक्ष्य की तुलना में मात्र 50.34 लाख आवासों का ही निर्माण/उन्नयन हो सका है;

(ख) यदि हां, तो कम संख्या में आवासों के निर्माण/उन्नयन के क्या कारण हैं;

(ग) क्या ग्रामीण आवास हेतु जारी इस धन को इस कार्यक्रम पर व्यय नहीं किया गया बल्कि उस धन को दुर्विनियोजन की जमा राशि के रूप में रखा गया है अथवा स्वीकृत मानदंडों के बाहर इसका व्यय किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) और (ख) इस मंत्रालय को उपलब्ध जानकारी के अनुसार इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत नवीं योजना के अंत, अर्थात् योजना के शुरू होने से लेकर मार्च 2002 तक 95.26 लाख आवासों के लक्ष्य की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 85.95 लाख आवासों का निर्माण/सुधार कार्य किया गया। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत इकाई लागत के आधार पर और उपलब्ध वार्षिक बजट के आधार पर वर्ष-वार लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं। सीमान्त कमी का कारण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास खर्च न किया गया अथशेष है।

(ग) और (घ) दुरुपयोग/दुर्विनियोजन अथवा अनुमोदित मानकों से अधिक खर्च किए जाने के कुछ मामले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एण्ड ए जी) रिपोर्ट में दर्शाए गए हैं और इन्हें उपचारी उपायों के लिए संबद्ध राज्य सरकारों के ध्यान में लाया गया है क्योंकि ग्रामीण आवास योजनाओं को राज्य/संघ राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित किया जाता है।

गोधरा ट्रेन आगजनी घटना की नए सिरे से जांच

1196. **श्री असादुद्दीन ओवेसी** :
श्री मिलिन्द देवरा :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गोधरा ट्रेन आगजनी घटना की नए सिरे से जांच करने के आदेश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या जांच पूरी हो गई है;

(घ) यदि हां, तो इस जांच के क्या परिणाम निकले हैं;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में कानून विशेषज्ञों से परामर्श किया है;

(च) यदि हां, तो उनके द्वारा इस संबंध में क्या परामर्श दिया गया है;

(छ) क्या सरकार का विचार इस घटना में मारे गए लोगों के नाम प्रकाशित करने का है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(झ) सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (घ) जी हां। सरकार ने 27.2.2002 को साबरमती एक्सप्रेस में आग लगने के कारणों और सही तथ्यों की उच्च स्तरीय समिति द्वारा विभागीय जांच कराए जाने का विनिश्चय किया है। उच्च स्तरीय समिति का गठन प्रक्रियाधीन है।

(ङ) और (च) जी हां। जांच उच्च स्तरीय समिति द्वारा कराई जा सकती है।

(छ) और (ज) आग में मारे गए व्यक्तियों के पहचान करने के लिए रेलवे और राज्य पुलिस दोनों द्वारा प्रयास किए गए थे। 52 व्यक्तियों की पहचान की गई थी और रेलवे तथा राज्य सरकार द्वारा निकटतम रिश्तेदारों को अनुग्रह राशि का भुगतान कर दिया गया है। 7 व्यक्तियों की अभी तक पहचान नहीं की गई है।

(झ) यद्यपि रेलों पर अपराध को रोकने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है, तथापि रेलों ने राज्य सरकार के प्रयासों को बल देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

1. रेलवे सुरक्षा बल द्वारा (रे.सु.ब.) रेलवे परिसरों और गाड़ियों से असामाजिक तत्वों को हटाया जा रहा है।

2. कोच परिचर/चल टिकट परीक्षक सवारी डिब्बों में चढ़ने वाले/उतरने वाले यात्रियों पर उचित निगरानी रख रहे हैं और चालन के दौरान सवारी डिब्बों को उचित रूप से लॉक किया जाता है विशेषकर रात्रि के दौरान।

3. यात्रियों की सुविधा के लिए तत्काल रूप से अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए गाड़ी के गार्डों/स्टेशन मास्टरों/रे.सु.ब. के पास प्राथमिकी फार्म उपलब्ध कराए गए हैं।

4. उचित निवारक कार्रवाई के लिए रे.सु.ब. और राजकीय रेल पुलिस (जी आर पी) के बीच सभी स्तरों पर विशेष आसूचना और अपराध आसूचना का आदान प्रदान किया जा रहा है।

5. यात्रियों को सावधान करने के लिए महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर उन उद्घोषणा प्रणाली और क्लोज सर्किट टेलीविजन के माध्यम से घोषणा करना।

6. कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने और गंभीर अपराधों पर उनका ध्यान केंद्रित करने में राजकीय रेल पुलिस और राज्य पुलिस के प्रयासों को बल देने के लिए, छोटे-मोटे अपराधों जिनसे आम यात्री और गाड़ी परिचालन प्रभावित होता है, के संबंध में रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम, 1957 और रेल अधिनियम, 1989 में संशोधन करके रेलवे सुरक्षा बल को रेल अधिनियम, 1989 के तहत गिरफ्तार करने तथा मुकदमा चलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संशोधित अधिनियम 1 जुलाई, 2004 से प्रभावी हो गए हैं।

[हिन्दी]

रेल पटरी का दोहरीकरण

1197. योगी आदित्यनाथ : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर से सहजनवां तक रेल पटरी के दोहरीकरण के कार्य को स्वीकृति दी जा चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना के कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी हां।

(ख) गोरखपुर-डोमिनगढ़ (5.63) खण्ड का कार्य पूरा हो चुका है। शेष खण्ड को पूरा करने के लिए अभी तक कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु दिशानिर्देश/मानदंड

1198. कुंवर मानवेन्द्र सिंह :
श्री बसुदेव आचार्य :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत राज्यों को निधि के आबंटन हेतु निर्धारित मानदंड हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश और मणिपुर हेतु निधि आबंटन में भारी वृद्धि कर संशोधन किया गया है जबकि अन्य राज्यों हेतु आबंटन में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा और अधिक निधियां आवंटित करने तथा क्षेत्रों के संबंधित जन-प्रतिनिधियों की सलाह से योजनाएं तैयार करने हेतु क्या दिशानिर्देश जारी किए जा रहे रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील) : (क) और (ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए आबंटन, अन्य बातों के साथ-साथ, आवश्यकता (देश की कुल संपर्कविहीन बसावटों में संपर्कविहीन बसावटों का अंश) के लिए 75% तथा कवरेज पर 25% (देश की कुल संपर्कविहीन बसावटों में संपर्कविहीन बसावटों का अंश) की वेटैज पर आधारित है।

(ग) और (घ) मानदंड के अनुसार, आंध्र प्रदेश तथा मणिपुर का वार्षिक आबंटन 2500 करोड़ रु. में से क्रमश: 90 करोड़ रु तथा करोड रु. है। कार्यक्रम के पहले वर्ष अर्थात् 2000-01 में आंध्र प्रदेश के लिए 190 करोड़ रु. तथा मणिपुर के लिए 40 करोड़ रु. योजना आयोग द्वारा किए गए आवंटनों के आधार पर वित्त मंत्रालय द्वारा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में रिलीज किए गए थे। 2001-02 में कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए 2000-01 के दोहरे आबंटन के बराबर के प्रस्ताव को मंजूर किया गया था। 2001-02 तथा 2002-03 के दौरान सभी राज्यों को इसी के अनुसार निधियां रिलीज की गई थी। 2003-04 से आंध्र प्रदेश का वार्षिक आबंटन 90 करोड़ रु. तथा मणिपुर का वार्षिक आबंटन 20 करोड़ रु. ही रखा गया था।

(ङ) पी एम जी एस वाई के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत वार्षिक प्रस्ताव जिला पंचायतों द्वारा बनाने होते हैं तथा निर्वाचित प्रतिनिधियों के सुझावों पर पूर्णत: विचार करना होता है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग-52 पर पुलों का निर्माण

1199. **श्री एम.के. सुब्बा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौकीघाट में पुल के प्रस्तावित निर्माण के संबंध में प्रारूप अध्ययन और इस संबंध में व्यवहार्यता अध्ययन का कार्य पूरा हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन के क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग-52 पर चौकीघाट पर पुल और अन्य सड़क पुलों के निर्माण के संबंध में हुई प्रगति, यदि कोई हो, का परियोजनावार ब्योरा क्या है;

(घ) प्रत्येक परियोजना पर कितनी धनराशि व्यय हुई है; और

(ङ) राष्ट्रीय राजमार्ग-52 की मरम्मत की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इस बारे में क्या प्रगति की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) चौकीघाट पुल का निर्माण, माडल/व्यवहार्यता अध्ययन पूरा होने के बाद किया जाएगा। निर्माण किए जाने वाले 34 पुलों में से 10 पुलों का निर्माण पूरा कर लिया गया था। सभी सड़क पुलों का वास्तविक निर्माण और वित्तीय प्रगति की स्थिति संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

(ङ) ट्रैफिक की सुव्यवस्थित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए गड्ढों की मरम्मत, पटरियों का पुन: सुधार, क्षतिग्रस्त पुलों की मरम्मत, दरारों की मरम्मत, सड़कों को पुन: बनाने जैसे कई उपाय किए गए हैं।

विवरण

राष्ट्रीय राजमार्ग-52 पर पुलों की स्थिति

क्र. सं.	सड़क विस्तार का नाम	पुल का नाम	अवस्थिति (कि.मी.)	फैलाव (मीटर)	प्रगति %	अब तक किया गया व्यय (लाख रु.) जून, 2004
1	2	3	4	5	6	7
1.	बैहाटा-चराली-थैलीमारा	मंगलदायी	34.000	70	शून्य	–
2.	रणघाट-मेबोडम्बक	सीकू	10.030	480.00	80.60	2007.3

1	2	3	4	5	6	7
3.	रणघाट-मेबोडम्बक	सिमाकोरोंग	34.100	166.60	100	423.45
4.	-वही-	बोम्बूकोरोंग	40.500	45.00	100	104.63
5.	अकाजन-जोनाई	जलकाईसुती	449.300	135.00	100	481.72
6.	-वही-	डिकापम	472.765	60.00	शून्य	—
7.	-वही-	सिलासुती	449.935	90.00	शून्य	—
8.	-वही-	जिमान	464.724	480.00	शून्य	—
9.	-वही-	डिकानाड़ी	474.585	135.00	शून्य	—
10.	-वही-	पोट	479.769	90.00	शून्य	—
11.	-वही-	नेट	490.150	45.00	शून्य	—
12.	-वही-	टाको	491.960	45.00	शून्य	—
13.	-वही-	राजाखाम	501.870	80.00	शून्य	—
14.	-वही-	दिमाव	457.397	पता नहीं	—	—
15.	तेजु-तोंहगम-ब्रहम्कुण्ड	लोहित	44.750	410.00	97.40	1051.92
16.	रोइन्ट-पाया-दिगारू-ताजू	डिगारू	68.750	720.00	शून्य	—
17.	-वही-	तेबंग	73.000	270.00	शून्य	—
18.	जोनाई-पासीघाट-रणघाट	पासीघाट	41.000	703.50	70.83	824.25
19.	रणघाट-मेबोडम्बक	सिसुवी	43.945	190.00	शून्य	—
20.	दिराक-रूपाई	मैथांग	12.670	35.00	12.40	18.21
21.	-वही-	डांगरी	15.890	35.00	4.70	6.64
22.	रोइं-कोरोनू-पाया	बालीजान	7.825	240.00	शून्य	—
23.	-वही-	चिमारी	34.280	90.00	शून्य	—
24.	दिराक-ब्रहम्कुण्ड	लाई	4.390	60.00	100	406.27
25.	सीतापानी-चौखाम	जेंगथू	14.629	50.00	100	111.97

1	2	3	4	5	6	7
26.	टीजंक्शन-ब्रह्मकुण्ड	तमत	78.890	50.00	100	102.59
27.	दिराक-चौखाम-टीजंक्शन	मरूवा	51.830	35.00	100	76.2
28.	--वही--	वाकरो	78.890	65.00	100	146.64
29.	तेजू-ब्रहम्कुण्ड	तेजू	0.350	172.50	100	192.26
30.	जोनाई-पासीघाट	लेकू	4.950	55.00	100	160.71
31.	दिराक-चौखाम-ब्रहम्कुण्ड	कमलांग	74.500	95.00	100	255.45
32.	जोनाई-पासीघाट	सिली	10.230	135.80	100	307.66
33.	-वही-	केमी	24.130	82.20	100	165.53
34.	रणघाट-मेबोदम्बक	सिविया	25.585	200.00	100	253.21

[हिन्दी]

मीटर गेज लाइन को ब्रॉडगेज लाइन में परिवर्तित करना

1200. **श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में मेहसाना-तांग्रा मीटर गेज लाइन को ब्राडगेज लाइन में परिवर्तित करने तथा इसका अम्बाजी तक विस्तार करने की योजना को अब तक क्रियान्वित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस योजना को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) मेहसाणा-तारंग हिल के आमान परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण मार्च 2002 में पूरा किया गया था। सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर 57.4 किमी लंबी मीटर लाइन (एम.जी.) के परिवर्तन की लागत (-)1.03% के प्रतिफल की दर सहित 65.30 करोड़ रुपए आकलित की गई थी। चालू परियोजनाओं के अत्यधिक ग्रोफारवर्ड और संसाधनों की भारी तंगी के दृष्टिगत इस प्रस्ताव पर विचार करना व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

[अनुवाद]

नए एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप हेतु विज्ञापन

1201. **डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने देश के विभिन्न स्थानों में जहां वर्तमान एल. पी. जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप अभी भी अर्थक्षम नहीं है, विपणन योजना के बाहर नए एल. पी. जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स की स्थापना हेतु योजना तैयार की है/विज्ञापन दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उन वितरकों को जो, अर्थक्षम नहीं हैं, अर्थक्षम बनाने हेतु क्या कार्रवाई की गयी है;

(ग) क्या सरकार का विचार तेल विपणन कंपनियों द्वारा ऐसे स्थानों पर जारी किए गए विज्ञापन को रद्द करने का है जो विपणन योजना से बाहर की हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (घ) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन

कंपनियों ने देश में विभिन्न स्थानों में अपनी वाणिज्यिक परिस्थितियों के आधार पर विपणन योजना से बाहर बहुत सी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के लिए विज्ञापन जारी किए थे।

इसके बाद तेल विपणन कंपनियों ने इसकी समीक्षा की और उन्होंने दोहरी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को रोकने के लिए एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की स्थापना के लिए एक साझी उद्योग योजना तैयार करने का निर्णय लिया है। ओ एम सीज को सलाह दी गई है कि वे निर्धारित शर्तों के तहत उपभोक्ताओं के स्थानांतरण द्वारा वर्तमान डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को व्यवहार्य बनाएं।

इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड हेतु पुनरुद्धार पैकेज

1202. श्री एन.एन. कृष्णदास : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड हेतु पुनरुद्धार पैकेज को क्रियान्वित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या हैं;

(ग) क्या निदेशक मंडल ने इन्सट्रूमेंटेशन लिमिटेड की अपनी पालघाट इकाई को कोटा से अलग करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) जी, हां। इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा द्वारा औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) द्वारा मार्च, 1999 में संस्वीकृत टर्नअराउण्ड योजना क्रियान्वित की जा रही है। इसमें तीन सहायिकाओं के गठन तथा उनके अनुवर्ती विनिवेश की परिकल्पना की गई है। तदनुसार, तीन सहायिकाओं नामत: इन्स्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल वाल्व्स लिमिटेड (आईसीवीएल), पालघाट, इन्स्ट्रूमेंटेशन डिजीटल कंट्रोल लिमिटेड, कोटा तथा आईएल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लि., जयपुर का गठन किया गया। हालांकि, केवल आईसीवीएल, पालघाट के लिए ही संयुक्त उद्यम के गठन के प्रयास का प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ। इसी बीच, मुख्य इकाई, कोटा के साथ दो अन्य सहायिकाओं को शामिल किया गया। आईसीवीएल के संयुक्त उद्यम का गठन अंतिम चरण में है, परन्तु कर्मचारी संघ द्वारा आईसीवीएल के विनिवेश को रोकने के लिए दायर की गई याचिका पर केरल उच्च न्यायालय का निर्णय लंबित होने से कार्य बंद है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विकलांगों हेतु राष्ट्रीय आयोग का गठन

1203. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विकलांगों हेतु राष्ट्रीय आयोग गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय विकलांगजन आयोग का गठन 16 अक्तूबर, 2003 को संकल्प सं. 16-85/2003-एन. आई.-1/1 (डीडी) के तहत किया गया। आयोग में एक अध्यक्ष, दो पूर्णकालिक सदस्य, पांच एसोसिएट सदस्य और एक पूर्णकालिक सदस्य-सचिव हैं। सरकार ने अब 3 फरवरी, 2004 को प्रथम राष्ट्रीय विकलांगजन आयोग का गठन किया है।

राष्ट्रीय विकलांगजन आयोग के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं :–

(i) विकलांग व्यक्तियों की स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को समाप्त करने के लिए विशिष्ट कार्रवाई कार्यक्रम के बारे में केन्द्र सरकार को सिफारिश करना ताकि विकलांगताओं के बावजूद उनकी क्षमताओं का मूल्यांकन हो और मनोवैज्ञानिक-सामाजिक स्वीकृति और देश के सामाजिक और आर्थिक जीवन में पूर्ण भागीदारी के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्हें उचित शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और गरीबी उपशमन पैकेज, रोजगार तथा अन्य सहायक सेवाएं प्रदान की जा सके;

(ii) विकलांगता क्षेत्र में सेवा दे रहे संस्थानों की स्थिति और दशा की समीक्षा करना और सिफारिशें करना;

(iii) विकलांग व्यक्तियों से संबद्ध मामलों पर अपनी सिफारिशों के साथ वार्षिक रिपोर्टें केन्द्र और राज्य सरकारों को प्रस्तुत करना; और

(iv) केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर सौंपा गया अन्य कार्य करना।

(ग) आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का कोई निर्णय नहीं है।

[अनुवाद]

मंगलौर में तरलीकृत प्राकृतिक गैस आयात टर्मिनल

1204. **श्रीमती ऊषा वर्मा :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओ. एन. जी. सी. मंगलोर में तरलीकृत प्राकृति गैस आयात टर्मिनल की स्थापना करने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना का ब्योरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना पर कितनी धनराशि व्यय होने की संभावना है?

पट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ग) जी, हां। ओ एन जी सी का मंगलौर में 2×5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष क्षमता का एल एन जी टर्मिनल स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह दक्षिणी क्षेत्र में प्राकृतिक गैस की सम्भाव्य मांग को पूरा करेगा। यह मामला अभी आरम्भिक चरण में है। आगे ब्योरा अभी तैयार नहीं किया है।

नई रेल लाइन का सर्वेक्षण

1205. **श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु आंध्र प्रदेश में दोनाकोंडा से ओंगोल तक नई रेल लाइन बिछाने हेतु सर्वेक्षण करवाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस नई रेल लाइन को बिछाने हेतु अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) ओंगोले-दोनाकोण्डा नई लाइन के लिए 1997-98 में सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण के परिणाम के आधार पर, उस समय विद्यमान कीमत स्तर पर 87 कि.मी. लंबी लाइन की लागत 117.11 करोड़ रुपए पर आकलित की गई थी। चालू नई परियोजनाओं के अत्यधिक थ्रोफारवर्ड और संसाधनों की भारी तंगी के दृष्टिगत इस प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सका। बहरहाल, 2004-05 के बजट में ओंगोले-दोनाकोण्डा नई लाइन (87 किमी) के लिए एक अद्यतन सर्वेक्षण शामिल किया गया है।

रेलगाड़ी के डिब्बों में आग

1206. **श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी 2004 से यार्ड/स्टेशनों पर खड़े कितने रेल डिब्बों में रेलगाड़ीवार आगजनी की घटनाएं हुई है;

(ख) ऐसी आग के कारण रेलवे को घटनावार लगभग कितनी राशि का नुकसान उठना पड़ा है;

(ग) इस संबंध में दिए गए जांच आदेश उनके परिणाम, सरकार द्वारा जांच रिपोर्ट पर और दोषी पाए गए अधिकारियों/व्यक्तियों के विरुद्ध घटनावार कार्रवाई की गई का ब्योरा क्या है; और

(घ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाएंगे?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

तत्काल आरक्षण योजना का विस्तार

1207. **श्री पंकज चौधरी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तत्काल आरक्षण योजना का विस्तार सभी रेलगाड़ियों और सभी श्रेणियों के लिए किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा अब तक इस संबंध में क्या प्रगति की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) सभी मेल/एक्सप्रेस रेल गाड़ियों और प्रथम ए.सी. और प्रथम श्रेणी के अलावा सभी श्रेणियों में तत्काल सेवा के विस्तार का प्रस्ताव है।

तौर-तरीकों के अंतिम निर्धारण के उपरांत इस योजना को कार्यान्वित कर दिया जाएगा।

[अनुवाद]

कोल गैसीफिकेशन प्लांट

1208. **श्री दिनशा पटेल :**
श्री प्रकाशबापू वी. पाटिल :

क्या **प्रट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय गैस प्राधिकरण का विचार विदेशी सहयोग से एक कोल गैसीफिकेशन प्लांट स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या प्रस्तावित संयंत्र द्वारा देशी कोयले का उपयोग करने के बजाय कोयले का आयात किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या ''गेल'' का विचार इस संयंत्र को गुजरात अथवा पश्चिमी भारत में किसी स्थान पर स्थापित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क), (ख), (घ) और (ङ) जी, हां। प्रस्तावित कोयला और गैसीकरण संयंत्र गेल और मैसर्स शेल इंटरनेशनल के बीच वार्ता के आरम्भिक चरण में है। आगामी ब्योरा अभी तैयार नहीं किया गया है।

(ग) जी, नहीं। प्रस्तावित संयंत्र घरेलू कोयले का उपयोग करेगा।

ब्राजील से जेट विमानों की खरीद

1209. **श्री प्रकाशबापू वी. पाटील** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ब्राजील से पांच एक्सिक्यूटिव जेट विमान खरीदने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त सौदे की समीक्षा करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने पांच एक्सिक्यूटिव जेटों का अधिग्रहण करने के लिए सितंबर 2003 में मैसर्स इमब्रार, ब्राजील के साथ एक संविदा की है। इनमें से चार जेट भारतीय वायुसेना के लिए हैं तथा एक जेट सीमा सुरक्षा बल के लिए है। प्रथम तीन विमानों के जुलाई 2005 में और शेष दो विमानों के अक्तूबर 2005 में सुपुर्द किए जाने का कार्यक्रम है।

(ग) इस निर्णय की पुनरीक्षा किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा स्थलों को अंगीकार करना

1210. **श्री तथागत सत्पथी** : क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जीर्णोद्धार और नवीकरण हेतु अंगीकार किए गए स्थलों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) इस अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य को कितनी निधियां उपलब्ध करायी गयी है; और

(ग) अब तक प्रत्येक राज्य में विकसित किए गए स्थलों के नाम क्या हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार तथा राज्यवार स्मारकों/स्थलों पर निष्पादित संरक्षण कार्यों की कुल संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

इसी प्रकार, केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के लिए राज्यवार तथा वर्षवार हुआ व्यय विवरण-II में दिया गया हैं।

(ग) उन स्थलो/स्मारकों के नाम, जहां बड़े संरक्षण कार्य पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार किए गए हैं, संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

विवरण-I

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कार्यों की संख्या		
		2001-2003	2002-2003	2003-2004
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	42	54	45
2.	असम	27	27	21
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	1	1
4.	बिहार	12	11	56
5.	छत्तीसगढ़	—	—	15
6.	दिल्ली	35	79	84
7.	दमन और दीव	6	3	9
8.	गोवा	10	10	16
9.	गुजरात	55	36	64
10.	हरियाणा	11	9	26
11.	हिमाचल प्रदेश	19	5	12
12.	जम्मू-कश्मीर	25	17	29
13.	झारखण्ड	—	1	15
14.	कर्नाटक	96	72	76
15.	केरल	7	2	13
16.	मध्य प्रदेश	48	25	45
17.	महाराष्ट्र	42	29	63
18.	मणिपुर	1	1	1
19.	मेघालय	2	2	3
20.	नागालैण्ड	1	1	1
21.	उड़ीसा	25	24	32
22.	पांडिचेरी (सं.रा.क्षे.)	3	1	4
23.	पंजाब	9	5	12
24.	राजस्थान	52	31	110
25.	सिक्किम	5	4	3
26.	तमिलनाडु	35	12	45
27.	त्रिपुरा	5	5	5
28.	उत्तर प्रदेश	85	93	151
29.	उत्तरांचल	10	9	16
30.	पश्चिमी बंगाल	41	12	29
	जोड़	710	582	1002

विवरण-II

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	व्यय लाख रुपयों में		
		2001-2002	2002-2003	2003-2004
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	114.39	417.16	320.14
2.	असम	99.58	89.49	93.88
3.	अरुणाचल प्रदेश	1.80	0.39	4.14
4.	बिहार	86.48	112.21	521.56
5.	छत्तीसगढ़	16.70	5.75	171.00
6.	दिल्ली	277.14	996.75	1147.07
7.	दमन और दीव	23.61	15.69	53.92
8.	गोवा	50.61	82.57	96.79

1	2	3	4	5
9.	गुजरात	99.59	35.36	217.39
10.	हरियाणा	91.85	141.00	315.30
11.	हिमाचल प्रदेश	91.11	44.45	35.22
12.	जम्मू-कश्मीर	145.03	121.23	290.41
13.	झारखण्ड	4.33	8.07	171.00
14.	कर्नाटक	476.19	1143.68	917.23
15.	केरल	75.12	18.26	119.30
16.	मध्य प्रदेश	250.51	217.11	494.14
17.	महाराष्ट्र	828.49	408.25	610.08
18.	मणिपुर	1.42	0.27	1.25
19.	मेघालय	4.94	4.44	5.91
20.	नागालैण्ड	5.67	12.92	12.94
21.	उड़ीसा	114.73	1021.69	273.51
22.	पांडिचेरी (सं.रा.क्षे.)	3.30	1.63	35.11
23.	पंजाब	57.92	40.14	23.19
24.	राजस्थान	235.00	240.22	840.27
25.	सिक्किम	27.60	32.99	32.00
26.	तमिलनाडु	187.79	322.20	525.20
27.	त्रिपुरा	17.05	20.05	29.82
28.	उत्तर प्रदेश	385.13	710.64	1161.23
29.	उत्तरांचल	36.52	64.13	138.83
30.	पश्चिमी बंगाल	146.13	260.18	369.44
	जोड़	3955.73	6499.92	9027.36

विवरण-III

(1) आंध्र प्रदेश

लेपाक्षी स्थित मन्दिर, अनन्तपुर; ताड़ीपत्री, स्थित बुग्गारामालिंगेश्वर, श्री चिन्तलावेंकटरामोना स्वामी मन्दिर; पुष्पगिरि स्थित मन्दिर, जिला कुड्डपा; चारमीनार, गोलकोंडा किला, हैदराबाद; वोन्टीमिट्टा स्थित कोडंडराया स्वामी मन्दिर; नंदालुर स्थित सोम्यनाथा मन्दिर, जिला कुडड्डापा; मन्दिर पालमपेट, वारंगल; जैन मन्दिर धनवालपडु।

(2) असम

कारेंघर (तलातलघर); सिवदोल, ज्वायसागर जिला सिवसागर; खंडहर एवं उत्खनित अवशेष, श्री सूर्यपहाड़, जिला गोलपाड़ा; बामुनी पहाड़ियां, तेजपुर, जिला सोनीतपुर; रंगमती मस्जिद, पनवारी, जिला धुबरी; कछारी खंडहर, कसापुर जिला कछार।

(3) अरुणाचल प्रदेश

भीष्मकनगर के अवशेष; ब्लालुकपोंग स्थित खंडहर।

(4) बिहार

अस्सी स्तम्भों वाला हाल एवं आरोग्य बिहार, कुमराहार; मखदूम शाह का मकबरा एवं इससे लगा हौज, मानेर, उत्खनित स्थल, नालंदा; मनियार मठ, स्तूप, राजगिर; इब्राहिम बयास मकबरा, बिहारशरीफ, जिला नालंदा; सुजातागढ़ का उत्खनित स्तूप; बक्रायुर एवं शिव मन्दिर, कोंच; प्राचीन स्थल, कुर्कीहार; घेजान एवं गुनेरी स्थित टूटी मूर्तियां, जिला गया; शमशेर खान का मकबरा, शमशेर नगर; उत्खनित स्थल, विक्रमशिला, अन्तिचाक; कहलगांव स्थित शैल्कृत मन्दिर एवं पायरघाट्टा स्थित चौरासी मुनि गुफाएं, भागलपुर जिला; ईंट स्तूप, केसरिया, पूर्व चंपारन जिला; विशाल स्तूप, अशोक सतम्भ, नंदनगढ़ एवं चाकीगढ़ स्थित ध्वस्त किला, पश्चिम चंपारन जिला; कोल्हुआ का उत्खनित स्थल, मुजफ्फरपुर जिला; राजा विशाल का गढ़ एवं स्मृति स्तूप, वैशाली जिला; डा. राजेन्द्र प्रसाद का पुश्तैनी मकान, जीरादेई, सिवान जिला; शेरशाह सूरी का मकबरा एवं हसन शाह सूरी मकबरा, सासाराम; रोहतास किला एवं मुंदेस्वरी देवी मन्दिर, रामगढ़।

(5) छत्तीसगढ़

लक्ष्मी मन्दिर, नए उत्खनित बौद्ध मठ, सिरपुर, जिला महासमंद; शिव मन्दिर तुमान, जिला कोरबा; नारायन मन्दिर, नारायनपाल,

जिला जगदलपुर; महादेव मन्दिर; सामलूर; मामा भांजा मन्दिर एवं चन्द्रादित्य मन्दिर, बारसूर, जिला दन्तेवाड़ा; रतनपुर किला, जिला बिलासपुर; कान्ती देओल, रतनपुर; अंदल देओल मन्दिर, खरोड, जिला बिलासपुर।

(6) दिल्ली

हुमायूं का मकबरा, अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा, सफदरजंग मकबरा, जन्तरमन्तर, लाल किला, पुराना किला, तुगलकाबाद किला, किला राय पिथौरा, कुतुब मीनार, नगर दीवार, किला, कोटला।

(7) दमन तथा दीव

अवर लेडी रेमेडियोज का गिरिजाघर, मोती दमन; किला दमन और दीव।

(8) गोवा

सेंट कैथिड्रल और सेन्ट असीसी चर्च परिसर बैसिलिका आफबोम जीसस, सेंट कजेटन चर्च; अवर लेडी आफ रोजेरी चर्च, पुराना गोवा, सफा मस्जिद, पोंडा, शिव मन्दिर कुर्डी।

(9) गुजरात

सूर्य मन्दिर, मोढेरा; मन्दिर, असोडा; बडनगर स्थित तोरण, जिला मेहसाना; शाह आलम मकबरा परिसर में मस्जिद; लीला गुम्बज की मस्जिद, चम्पानेर, सभी जिला गोधरा में, सैय्यद मुबारक गुम्बद, खेडा; रूदाबाई सीढ़ीदार कुआं, अदलाज, जिला गांधी नगर; द्वारकाधीश मंदिर, द्वारका तथा जूनागढ़ी जैन मंदिर, वसई, जिला जामनगर; बौद्ध गुफाएं, जूनागढ़, जिला जूनागढ़; सहस्रलिंग हौज पाटन, जिला पाटन।

(10) हरियाणा

शेख चिल्ली का मकबरा तथा हर्ष का टीला, थानेसर नाभा हाऊस, कुरूक्षेत्र; प्राचीन शिवालय तथा शिव मंदिर, कालायत; शाहजहां की वावली, मेहम; जल महल, नारनौल; अनंगपुर बांध तथा विरिया-का-ताल, फरीदाबाद; गुजरी महल, हिसार; चर्च टावर, करनाल; पृथवी राज चौहान का किला, हांसी।

(11) हिमाचल प्रदेश

कांगड़ा किला, चम्पावती मंदिर, चम्बा, राष्ट्रपति निवास शिमला।

(12) जम्मू-कश्मीर

हेमिस मठ, प्राचीन महल, लेह; तिस्सेरू स्तूप, बौद्ध मठ लामायुरू; शंकर गौरी मंदिर, पट्टन; मंदिर समूह, नारंग; अनंतेश्वरा मंदिर, अवन्तीपुर; मुगल आर्केड वेरीनाग; महल परिसर रामनगर; उधमपुर स्थित राजा सुचेत सिंह की रानी की समाधि; बादशाह मकबरा; बौद्ध स्थल हरवान; श्रीनगर में परी महल; अनंतनाग वेरीनाग स्थित मंदिर।

(13) झारखंड

टैंक वेनीसागर, मस्जिद हनफ।

(14) कर्नाटक

किला तथा दनगेन, जिला बंगलौर; लोकपावनी (सीढ़ीदार टैंक) विट्ठल परिसर, विट्ठल मंदिर परिसर, गणगित्ती जैन मंदिर, प्रसन्न नरसिम्हा मंदिर, हम्पी गुम्बद तथा दरगाह, कादीरामपुरा; विट्ठल परिसर, जिला वेलारी; किला तथा मंदिर, चित्रदुर्गा तथा गोपालस्वामी मंदिर, हरिहरेश्वरा मंदिर, हरिहरा, जिला देवनगिरि; सदाशिव मंदिर, नग्गेहल्ली तथा गोमतेश्वर मूर्ति, श्रवणवेलगोला, जिला हसन; दरिया दौलत बाग, दनगेन, श्री रंगपट्टनम; केशव मंदिर, केशव मंदिर नागमंगला, जिला मांड्या, कीर्तिनारायण मंदिर, तालकड़, जिला मैसूर; कट्टलेबसाड़ी वरकूर तथा गोमतेश्वर मूर्ति, कारकल, जिला उड्प्पी; जैन मंदिर, पट्टडकल तथा जैन मंदिर वक्कुंड, जिला बेलगांव; हच्ची मल्ली गुड्डी (सीढ़ीदार प्राचीन टैंक), अम्बीगरगुडी, चक्रगुडी तथा नादर गुडी, एहोल; अमृतेश्वरा मंदिर, अमृतापुरम्; मिरजन तथा गुलवर्ग में किला दीवार, रावलफड़ी गुफा परिसर में उप वेदी, एहोल; वेनियारगुडी परिसर, एहोल; गुफा बादामी, जिला बागलकोट; किला बादामी, मालागिट्टी शिवालय मंदिर, बादामी, जिला बागलकोट; ऊपरी किला, बदामी; चन्द्र शेखर मंदिर, जैन मंदिर, पट्टडकल; जैन मंदिर, वकुंड; कमला वस्ती, वेलगांव; असर महल; बीजापुर; गोल गुम्बज, बीजापुर; इब्राहिम रोजा, बीजापुर; जोड़ गुम्बज का अबदुल रज्जाक दरगाह, करीमुद्दीन मस्जिद, बीजापुर; मेहतारी महल का दालान, बीजापुर; मालिकए मैदान गन, बीजापुर; शंकर लिंग मंदिर, निम्बल; किला तथा गेट, धारवाड़; सोमेश्वरा मंदिर, डम्बल, जिला गडग; उत्खनित स्थल, कंगन हल्ली (सन्नति); किला गुलबर्ग; कमलेश्वरा मंदिर, बालमबीड्, जिला हावेरी; चतुर्मुख वस्ती के स्मारक, जेरोसप्पा, जिला उत्तर कन्नड़; गिरजन किला।

(15) केरल

सैंट एंग्लो किला, कन्नूर, जिला कन्नूर; वेकल, किला, वेकल, जिला केसरगोड; किला पलक्कड़, जिला पलक्कड़; शिव मन्दिर पालीमन्नहा, जिला त्रिसूर; तेनकैलाशनाथ मंदिर (वेदककुन्नथा), जिला त्रिसूर; शिव मंदिर, तिरूवंचीकुलम, जिला त्रिसूर; परशुराम, ब्रहमा, शिव तथा मत्सयात तिरूवल्लम के मंदिर, जिला तिरूवनंतपुरम।

(16) मध्य प्रदेश

नाहर झरोखा तथा जल महल, मांडु, जिला चार; यशोधरमान विजय स्तम्भ, सौंधनी, जिला मंदसौर; सांची में स्मारक, जिला रायसेन; चौबारा डेरा नं. 2 का चबूतरा (जैन मंदिर), ऊन, जिला खारगांव; एक पत्थर की बावली में शैलकृत गुफाएं ग्वालियर; गढ़ी सुखाचा, जिला शिवपुरी; बौद्ध गुफाएं, धार; भीम बैठका में शैल आश्रय, बौद्ध गुफाएं, बाग; खंडवा में मंदिर समूह; मौहम्मद गौस तथा तानसेन के मकबरा ग्वालियर; अजयगढ़ किला, रीवा, स्मारक समूह, सांची, सतधारा; शिव मंदिर, भोजपुर; बीजामंडल विदिशा; मांडु में स्मारक; खजुराहो में मंदिर; उदयगिरि में स्मारक; किला, अटेर, जिला भिंड, कमलापति महल, भोपाल; वीर सिंह का महल, दतिया, जिला दतिया; तेली का मंदिर ग्वालियर, जिला ग्वालियर; नव तोरण मंदिर खोर, जिला मंदौर; मालादेवी मंदिर गैराजपुर; जैन कोलोसी, ग्वालियर; जैन मंदिर चौबासा, जिला खारगांव; उदयगिरी गुफाएं, उदयगिरी।

(17) महाराष्ट्र

पनहाला फोर्ट, पनहाला, जिला कोल्हापुर; पण्डुलेना गुफाएं, नासिक, जिला नासिक; बेडसा गुफाएं, जिला पूणे; अजन्ता गुफाएं, अजन्ता; एलौरा गुफाएं, एलौरा और दौलताबाद किला, दौलताबाद, जिला औरंगाबाद, रायगढ़ किला, जिला रायगढ़; मार्कण्डा देव मन्दिर, मार्कण्डा, जिला गढ़चिरोली; दिलवर खां मकबरा, राजगुरूनगर, जिला अहमदनगर; फराह बाग महल, अहमदनगर; एलिफेन्टा केव्स (गुफाएं), धारापुरी।

(18) मणिपुर

विष्णु बिशेनपुर का मन्दिर।

(19) मेघालय

यू मावधाव-दर-बरिव्यू नार्थिंग का स्मारक।

(20) नागालैण्ड

दीमापुर किला।

(21) उड़ीसा

भगवान जगन्नाथ मन्दिर, पुरी; सूर्य मन्दिर, कोणार्क; उदयगिरी के उत्खनित स्थल, बिरिंगेश्वरा महादेव मन्दिर, बागरकोट; भगवान लिंगराज मन्दिर और भुवनेश्वर के अन्य मन्दिर, बाराबती किला, कटक।

(22) पांडिचेरी

आदिकमाडु उत्खनित स्थल, शिवा टेम्पल, तिस्कुन्डनगुडी मडागटिपट्टु।

(23) पंजाब

शमशेर खां का मकबरा और अनारकली बारादरी, बटाला; भटिण्डा फोर्ट, नूरपुर फोर्ट।

(24) राजस्थान

कुम्बलगढ़ स्थित स्मारक, चित्तौड़गढ़ किला, जैन मन्दिर अर्थुना, शिलालेख चट्टान, बिजोलिया; संरचनात्मक अवशेष, कृष्णाविलास; शिव मन्दिर, नीलकण्ठ; किला जैसलमेर; रणथम्भौर किला, भरतपुर किला डिग महल, डिग, किला भटनेर।

(25) सिक्किम

सिक्किम की प्राचीन राजधानी, रबडैन्से, पेमायानग्टसे, डुब्डी मठ, नोरबुगंग याक्साम का राज्य अभिषेक मुकुट।

(26) तमिलनाडु

कल्याण महल, जिन्जी किला, जिन्जी, अझगिया नरसिंहा पेरूमल मन्दिर, इन्नाइरामा, जिला वैल्लुपुरम; बृहदीश्वर मन्दिर, तंजावुर और अरिवास्तेश्वरा मन्दिर, दारासूरम, जिला तंजावुर, बृहदीश्वर मन्दिर, गंगाइकोण्डा चोलापुरम, जिला पेरम्बलूर; शिव मन्दिर, विसालूर, जिला पुडुक्कोट्टाई; महाबालिपुरम् के स्मारक; कांचिपुरम् स्थित मन्दिर, किला विल्लोर।

(27) त्रिपुरा

श्यामसुन्दर ठाकुरानी टिला, पिलाक; उदयपुर के मन्दिर; शैल-मूर्तियां, उनोकोटी।

(28) उत्तर प्रदेश

ताजमहल, आगरा, आगरा किला, आगरा, अकबर का मकबरा, सिकन्दरा; मुगल सिटी, फतेहपुर सिकरी; इतमदौला मकबरा, आगरा; मदन मोहन मन्दिर, वृन्दावन; अहिदत उत्खनित स्थल, श्रृंगवेरापुर उत्खनित स्थल; किदगंज कब्रिस्तान, इलाहाबाद, उत्खनित स्तूप, ओराझार, जिला बलरामपुर; कालिंगर किला, जिला बांदा; बहु बेगम का मकबरा, फैजाबाद; औरंगजेब का मण्डप, खाजा, जिला फतेहपुर; झांसी का किला, झांसी; कोस मीनार, जी.टी. रोड, कानपुर; तलबिहट किला, जिला ललितपुर; आसफ-उ-दौला का इमामबाड़ा, बहता ब्रिज और मन्दिर, नसरूद्दीन हैदर का कर्बला, रेजिडैंसी काम्पलैक्स, लखनऊ; महोबा जैन मन्दिर के उत्खनित अवशेष; माहेत, जिला श्रावस्ती; किरत सागर स्थित कब्रें और घाट, जिला महोबा; सहस्त्रत्रिलिंगा मन्दिर, चांदपुर और शिव मन्दिर, दुधाई, जिला ललितपुर; ढोला सालारगढ़ के बौद्ध उत्खनित अवशेष, जिला सिद्धार्थ नगर।

उत्खनित स्थल और निर्वाण मन्दिर, माता कुंवर का कोट और रामाभार स्तूप, कुशीनगर; अमोनी स्थित प्राचीन टीला; प्राचीन स्थल, उसमानपुर; खुकुण्ड स्थित प्रचीन स्थल; पडरौना के प्राचीन टीले; रूद्रापुर के प्राचीन स्थल; स्तूप के आकार का टीला, तारकुलवा और फाजिल नगर के प्राचीन टीले-सभी देबरिया जिले में स्थित। लार्ड कार्नवालिस, गाजीपुर जिला; पुराना किला, झिनझारी मसजिद और चार-अंगनी मसजिद—सभी जौनपुर जिले में स्थित। चुनार स्थित ब्रिटिश कब्र और अशोका अभिलेख स्थल, अहरौरा खास, मिर्जापुर जिला; उत्खनित स्थल, सारनाथ और चौखण्डी स्तूप सारनाथ; मान महल में राजा मानसिंह की प्रयोगशाला; धाराहा मसजिद, लाल खां का मकबरा, राजगढ़ और उत्खनित स्थल, राजघाट, जिला वाराणसी।

(29) उत्तरांचल

मन्दिर समूह, बैजनाथ, बागेश्वर; कलिंग स्मारक, पाण्डुकेश्वर, मन्दिर-समूह और रूद्रनाथ मन्दिर, गोपेश्वर, किला चमौली; ब्रिटिश कब्रिस्तान, रुड़की, जिला हरिद्वार; मन्दिर समूह, दंडेश्वर; मन्दिर समूह, द्वारहाट; सूर्य-मन्दिर, कटरमाल।

(30) पश्चिमी बंगाल

गोकुलचन्द मन्दिर, गोकुल नगर, रासमंच, लाल जी मन्दिर और अन्य बिशनुपुर के मन्दिर, जिला बन्कुरा; कहराम सक्का शेर अफगान और नबाब कुतुबुद्दीन के मकबरे, बर्धवान, कूच बिहार महल, कूच बिहार, राजपाट, टीला, गोसानीमारी, जिता कूच बिहार और मुर्शिद कुलि खां की मसजिद, सब्जी कटरा और हजारदौरी महल, इमामबाड़ा मुर्शिदाबाद; ईंटों का मन्दिर (सतदूअल), देवलिया, 108 शिव मन्दिर, कलना बर्धवान।

राष्ट्रीय संस्कृति नीति

1211. **श्रीमती जयावहन बी. ठक्कर :** क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृति नीति पर एक दृष्टिकोण पत्र तैसार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

जीवाणु की सहायता से तेल की खोज

1212. **श्री सुभाष सुरेशचन्द्र देशमुख :**
श्री राजनारायन बुधौलिया :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का जीवाणु की सहायता से तेल क्षेत्रों का पता लगाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक हुई प्रगति का ब्योरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ एन जी सी) तेल और गैस के पूर्वेक्षण के लिए माइक्रोबायल तकनीकों को उपयोग करती है। यह 1989 के बाद से ज्यो-माइक्रोबायल सर्वेक्षण तकनीक का उपयोग करती रही है और इसने तकनीक का मानकीकरण किया है जो अन्वेषी निर्णयों के लिए अन्य भूवैज्ञानिक निवेशों को अनुपुरित करती है। ओ एन जी सी ने कैम्बे बेसिन, असम-अराकान बेसिन, कावेरी बेसिन, दक्षिण रीवा

बेसिन, हिमालय की तराई के विभिन्न क्षेत्रों और रत्नागिरी तथा कच्छ-सौराष्ट्र के गहन अपतट तलछटों में जियोमाइक्रोबायल सर्वेक्षण किए हैं।

आयल इंडिया लिमिटेड (ओ आई एल) भी क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जोरहाट, असम के माध्यम से गंगा घाटी में अपने काशीपुर पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस (पी ई एल) के लिए जियोमाइक्रोबायल अध्ययन कर रही है।

[अनुवाद]

प्रस्तावों/परियोजनाओं की मंजूरी में भ्रष्टाचार

1213. **श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रस्तावों/परियोजनाओं को मंजूरी देने हेतु मानदण्ड और प्रक्रिया क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रस्तावों/परियोजनाओं पर मंजूरी प्रदान करने में व्यापक भ्रष्टाचार है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(घ) क्या भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को मंजूरी प्रदान करने की शक्ति दी जायेगी;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(च) भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने के लिए प्रस्तावों/परियोजनाओं को उचित मंजूरी देने के लिए नए परिवर्तन/उठाए गए/उठाये जाने वाले कदम क्या हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं के तहत शत-प्रतिशत सहायता दी जाती है। केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत सहायता गैर-सरकारी संगठनों/केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के मामले में 90:10 के आधार पर तथा अन्य (केन्द्र: राज्य: संस्थान) के मामले में 45:45:10 के आधार पर दी जाती है। राज्य सरकारों/शीर्ष संस्थानों को सहायता उनसे प्राप्त प्रस्तावों, उक्त वर्ष के लिए उनकी कार्रवाई योजना और विगत वर्षों में उन्हें निर्मुक्त निधियों के उपयोग में प्रगति के आधार पर निर्मुक्त की जाती है। राज्य सरकारों की सिफारिशों और प्राधिकृत निरीक्षण एजेंसियों, उपयोगिता प्रमाण-पत्रों एवं निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, प्राप्त प्रस्तावों के गुण-दोष के आधार पर गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान मंजूर किया जाता है। योजनावार लागू विस्तृत मानक मंत्रालय की वेबसाइट http//www.socialjustice.nic.in पर उपलब्ध हैं।

(ख) और (ग) ऐसी बात नहीं है। यदि कोई मामला मंत्रालय की जानकारी में आता है तो चूककर्ता कर्मचारियों और संस्थानों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाती है।

(घ) इस मंत्रालय का कोई क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) मंत्रालय ने योजनाओं के कार्यान्वयन की मानीटरी को सुदृढ़ किया है। राज्य सरकारों के अतिरिक्त, नामित एजेंसियां और इस मंत्रालय के अधिकारी गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं का समय-समय पर निरीक्षण करते हैं। अनुदानग्राही संगठनों को निधियों के इलेक्ट्रानिक अंतरण के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं।

राजधानी एक्सप्रेस में यात्री क्षमता का उपयोग

1214. **श्री बी. विनोद कुमार : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ी यात्री क्षमता का उपवैकल्पिक उपयोगिता का अभाव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

गोदावरी बेसिन में गैस भण्डार

1215. **श्री किन्जरपु येरननायडु : क्या पट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ओ. एन. जी. सी. ने कृष्णा गोदावरी बेसिन में गैस भण्डार का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) वहां से उत्पादन कार्य कब तक आरम्भ हो जायेगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) जी, हां। कृष्णा गरोदावरी जमीनी बेसिन में आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ एन जी सी) ने पहली वाणिज्यिक खोज 1983 में आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले में रजोल संरचना में की थी। अपतट में पहली गैस खोज 1987 में जी एस-8 सम्भावना में की गई थी। ओ एन जी सी ने अपने प्रचालनात्मक क्षेत्रों में जमीनी और अपतटीय कृष्णा गोदावरी बेसिन में क्रमश: गैस की 97.68 बिलियन घन मीटर (बी सी एम) और 40.14 बी सी एम आरम्भिक स्थानिक मात्रा का पता लगाया है। उसके अलावा कृष्णा गोदावरी अपतट, जहां ओ एन जी सी का 40% हिस्सा है, में राव्वा और संयुक्त उद्यम क्षेत्रों में गैस की 11.89 बी सी एम आरंभिक स्थानिक मात्रा है।

(ग) कृष्णा गोदावरी जमीनी बेसिन में रजोल क्षेत्र से गैस का वाणिज्यिक उत्पादन अक्तूबर, 1988 में आरम्भ हुआ। अपतट में जी एस-15 और जी एस-23 क्षेत्रों का उत्पादन 2001 में आरम्भ हुआ।

01.05.2004 की स्थिति के अनुसार दो अपतट सहित 24 खोजों से कृष्णा गोदावरी बेसिन में 4.9 मिलियन मीट्रिक मानक घन मीटर प्रतिदिन का उत्पादन हो रहा है। इसके अलावा राव्वा संयुक्त उद्यम क्षेत्र से प्राकृतिक गैस का उत्पादन लगभग 2.61 एम एम एस सी एम डी है।

बिहार में रेल उपरिपुल का निर्माण

1216. **श्री रघुनाथ झा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के पूर्वी चंपारन के रक्सौल, सुगहोली एवं मोतीहारी तथा पश्चिमी चंपारन के नरकटियागंज एवं चापनी में कोई भी रेल उपरिपुल नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या शीतलपुर गांव के समीप सुगहोली रक्सौल खंड में चौकीदार रहित रेल समपार पर अनेक व्यक्ति मारे गए थे;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा फ्लाईओवर के निर्माण और चौकीदार रहित रेल समपार को चौकीदार वाले समपार बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां। बहरहाल मोतीहारी में उपरि सड़क पुल (आर.ओ.बी.) का कार्य प्रगति पर है। इसे 1982-83 में लागत में भागीदारी के आधार पर स्वीकृत किया गया था। रेलवे द्वारा अपने हिस्से का कार्य 1990 में पूरा कर लिया गया है। इसी प्रकार, रक्सौल और बलवा स्टेशनों के बीच किमी. 188/13-14 पर (नरकटियागंज के समीप) समपार सं. 34 के बदले और आदपुर तथा रक्सौल स्टेशनों के बीच किमी. 186/13-14 पर समपार सं. 33 के बदले एक उपरि सड़क पुल 2002-03 में लागत में भागीदारी के आधार पर स्वीकृत किया गया था।

(ख) जून 1999 में किमी. 19/3-4 के चौकीदार रहित समपार सं. 6 पर 15 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। बहरहाल, रक्सौल-सगौली खंड में धरमिना और सगौली के बीच शीतलपुर गांव के नजदीक अनधिकृत रास्ता है।

(ग) और (घ) रेलें मौजूदा समपारों, जहां यातायात का घनत्व 1 लाख या उससे अधिक टी वी यू (टी वी यू-एक इकाई जिसे 24 घंटे में एक समपार पर से गुजरने वाली रेलगाड़ियों की संख्या को वहां से गुजरने वाले सड़क वाहनों की संख्या से गुणा करके प्राप्त किया जाता है) के बदले में लागत में भागीदारी के आधार पर, अथवा अन्यथा जहां यातायात कम है निक्षेप शर्तों पर उपरि/निचले सड़क पुलों का निर्माण करती है जिसके लिए संबंधित राज्य सरकार द्वारा मौजूदा नियमों के तहत कतिपय अपेक्षित प्रारंभिक पूर्वापेक्षाओं को विधिवत रूप से पूरा करते हुए प्रस्ताव प्रायोजित किए जाते हैं। 2004-05 के निर्माण कार्यक्रम में सेमरा-सगौली खंडों के बीच 186/3-4 किमी. पर समपार सं. 175 के बदले लागत में भागीदारी के आधार पर एक उपरि सड़क पुल के निर्माण का प्रस्ताव किया गया है।

शीतलपुर के नजदीक अनाधिकृत रास्ते के स्थान पर चौकीदार सहित समपार उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यदि समपार की आवश्यकता हुई तो उसे निक्षेप शर्तों पर उपलब्ध कराया जा सकता है, जिसकी पूरी लागत राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। जहां तक 19/3-4 किमी. पर समपार सं. 6 "सी" पर चौकीदार नियुक्त करने का प्रश्न है यह चौकीदार रहित समपारों पर चौकीदार नियुक्त करने संबंधित मानदंडों को पूरा नहीं करता है।

कॉकण रेल निगम का भारतीय रेल के साथ विलय करने हेतु प्रस्ताव

1217. **श्री परसुराम माझी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कोंकण रेल निगम का भारतीय रेल के साथ विलय करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस विलय के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

पुणे-नासिक रेल लाइन का निर्माण

1218. **श्री शिवाजी अधलराव पाटील** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुणे-नासिक रेल लाइन के निर्माण हेतु प्रस्ताव काफी समय से लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण भी किया गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस पर कितना व्यय हुआ;

(घ) सर्वेक्षण का कार्य काफी पहले पूरा होने के बावजूद पुणे-नासिक रेल लाइन का निर्माण नहीं किये जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) आगामी वर्षों में इस रेल लाइन के निर्माण के संबंध में सरकार का निर्णय क्या है; और

(च) अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है और निर्माण कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (च) पुणे-नासिक नई रेल लाइन का सर्वेक्षण 2001-01 में पूरा किया गया था। सर्वेक्षण के अनुसार, इस 266 कि.मी. लंबी लाइन के निर्माण की लागत 1044 करोड़ रुपए आकलित की गई थी। चालू परियोजनाओं के अत्यधिक थ्रोफारवर्ड और संसाधनों की भारी तंगी को देखते हुए प्रस्तावित लाइन पर विचार करना व्यवहारिक नहीं पाया गया है।

उड़ीसा में नदी के ऊपर रेलवे पुल

1219. **श्री अनन्त नायक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा में कटक के समीप महानदी पर एक और रेलवे उपरी पुल के निर्माण का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) उपरोक्त परियोजना के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) हाल ही में महानदी पर दूसरे पुल के लिए 91.10 करोड़ रु. (अनुमानित) की लागत पर विस्तृत अनुमान स्वीकृत किए गए हैं। बिरुपा और महानदी नदियों पर दूसरे पुल के निर्माण कार्यों के लिए रेल बजट 2004-05 में 11 करोड़ रु. के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है।

खड़गपुर-मिदनापुर के बीच दोहरी लाइन

1220. **श्री प्रबोध पाण्डा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-पूर्व रेलवे के खड़गपुर मंडल के अंतर्गत खड़गपुर-मिदनापुर बरास्ता गीरी मैदान के बीच दोहरी लाइन के संबंध में हुई प्रगति की मौजूदा स्थिति क्या है;

(ख) क्या अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) पश्चिमी बंगाल में उक्त रेल लाइन का कार्य कब तक आरम्भ एवं पूर्ण होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (घ) दो एकल लाइन खंडों अर्थात खड़गपुर-गोकुलपुर और दूसरे कोसी नदी को छोड़कर खड़गपुर से मिदनापुर एक दोहरी लाइन वाला खंड है। 2004-05 के बजट में गिरी मैदान के रास्ते खड़गपुर-मिदनापुर के अद्यतन सर्वेक्षण को शामिल किया गया है।

गृह निर्माण हेतु सर्वेक्षण

1221. **श्री ए.के. मूर्ति** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ''एक परिवार एक आवास'' योजना के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में गृह निर्माण हेतु कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा उन्नत तकनीक से पुराने मिग बेड़े को बदलने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) तमिलनाडु में ग्रामीण आवास की आवश्यकताओं का ब्योरा क्या है और गत तीन वर्षों के लिए इसकी लागत क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों में इस परियोजना के लिए अब तक कितनी धनराशि जारी की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सूर्यकान्ता पाटील) : (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ''एक परिवार एक आवास'' नामक कोई योजना नहीं है। अत: उक्त योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में आवासों के निर्माण के लिए किसी सर्वेक्षण कार्य का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मिग विमान को हटाया जाना

1222. **श्री रामदास बंडु आठवले** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय वायुसेना से मिग 21, 23 और 25 लड़ाकू विमानों को हटाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन लड़ाकू विमानों को भविष्य में कुछ अन्य उपयोग में लाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) भारतीय वायुसेना विमानों के कलैण्डर उपयोगिताकाल/कुल तकनीकी उपयोगिताकाल पर निर्भर करते हुए मिग-21, मिग-23 तथा मिग-25 लड़ाकू विमान चरणबद्ध ढंग से हटाने की प्रक्रिया में हैं। ये विमान वर्ष 2006 से 2017 के बीच चरणबद्ध ढंग से सेवा से हटाए जाएंगे।

(ग) जी, नहीं। चूंकि किसी विमान को उसके उपयोगिताकाल के अंतिम समय में उड़ानयोग्य नहीं माना जाता है, इसलिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उसका निपटान कर दिया जाता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राजस्थान में ग्रामीण विकास योजनाएं

1223. **श्री दुष्यन्त सिंह** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक राजस्थान में शुरू की गई प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम और ग्रामीण विकास योजनाओं का ब्योरा क्या है;

(ख) इस राज्य में इन कार्यक्रमों के अंतर्गत राष्ट्रीय औसत की तुलना में क्या उपलब्धियां हासिल की गई;

(ग) राजस्थान में गरीबी अनुपात को कम करने के लिए दसवीं योजना में कौन से विशिष्ट कार्यक्रम तैयार किए गए हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जारी धनराशि और प्राप्त उपलब्धियां क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील) : (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राजस्थान में पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई), संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.), इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.), मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) और समेकित वाटरशेड विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.), पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम (डी.डब्ल्यू.एस.) और संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टी.एस.सी.) नामक प्रमुख योजनाएं कार्यान्वित की हैं। स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य सरकारी सब्सिडी और बैंक ऋण के समिश्रण से

सहायता प्राप्त गरीब परिवारों को आय सर्जक अवसर मुहैया कराकर उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लाना है।

(ख) राष्ट्रीय औसत की तुलना में राजस्थान राज्य में इन कार्यक्रमों के अंतर्गत शामिल उपलब्धियां संलग्न विवरण-I पर दी गई हैं।

(ग) एस.जी.एस.वाई. राजस्थान सहित ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी अनुपात में कमी लाने की विशेष योजना है।

(घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा रिलीज की गई निधियों और पिछले तीन वर्षों अर्थात 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 और 2004-2005 में मार्च, 2004 तक विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हासिल उपलब्धियां संलग्न विवरण-II में दी गई हैं।

विवरण-I

वर्ष 2001-2002, 2002-2003 और 2003-2004 के दौरान जे.जी.एस.वाई./एस.जी.आर.वाई-I, ई.ए.एस./एस.जी.आर.वाई-II और एस.जी.एस.वाई. के ग्रामीण विकास कार्यक्रम का केन्द्रीय आबंटन

वर्ष	2001-2002	2002-2003	2003-2004
राष्ट्रीय औसत आबंटन	13099.09	12486.21	14909.86
राजस्थान के लिए केन्द्रीय आबंटन (लाख रु. में)	13137.46	12469.97	14854.85

विवरण-II

वर्ष 2001-02 से 2004-05 के दौरान राजस्थान राज्य में सभी ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की केन्द्रीय रिलीज

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	निम्नलिखित वर्षों में केन्द्रीय रिलीज (लाख रुपए में)				निम्नलिखित वर्षों में वास्तविक उपलब्धियां				इकाइयां
		2001-2002	2002-2003	2003-2004	2004-2005	2001-2002	2002-2003	2003-2004	2004-2005	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	ईएएस/एसजीआरवाई-I	5706.92	7641.87	6839.00	*	82.56	199.38	146.78	*	सृजित रोजगार (लाख श्रमदिन)
2.	जेजीएसवाई/एसजीआरवाई-II	5689.05	7262.89	7021.68	7991.19	72.13	32241.00	26306.00	7770.83	सृजित रोजगार (लाख श्रमदिन)
3.	एफएफडब्ल्यू	25786.44	*	*	*	1072.52	*	*	*	सृजित रोजगार (लाख श्रमदिन)
4.	एसजीएसवाई	1759.38	2143.41	2261.24	1521.23	36053.00	27901.00	20792.00	1521.23	सहायता प्राप्त कुल स्वरोजगारी (संख्या)
5.	डीआरडीए प्रशासन	1255.35	1245.01	1358.28	623.58	*	*	*	623.58	
6.	आईएवाई	3315.96	3149.31	3748.00	2438.12	30471.00	37592.00	41888.00	2438.00	आवासीय इकाई (संख्या)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	एनएफबीएस	398.57	*	*	*	2408.00	*	*	*	सहायता प्राप्त परिवार (संख्या)
8.	एनओएपीएस	1441.85	*	*	*	101460.00	*	*	*	सहायता प्राप्त व्यक्ति (संख्या)
9.	अन्नपूर्णा	665.7	*	*	*	61402.00	*	*	*	लाभार्थियों की संख्या
	भूमि संसाधन विभाग									
1.	डीडीपी	8164.26	8893.54	9146.74	*	0.00	0.00	*	*	कवर किया गया क्षेत्रफल (एकड़ में)
2.	डीपीएपी	1195.13	1430.96	1979.36	*	0.00	0.00	*	*	कवर किया गया क्षेत्रफल (एकड़ में)
3.	आईडब्ल्यूडीपी	2810.05	772.06	2097.32	86.30	0.00	0.00	*	86.30	वाटरशेड (संख्या)
4.	एसआरए एण्ड यूएलआर	25.00	0.00	*	*	0.00	*	*	*	
5.	सीएलआर	313.67	0.00	*	*	0.00	*	*	*	
	पेयजल आपूर्ति विभाग									
1.	एआरडब्ल्यूएसपी	20713.73	23620.38	23368.51	*	10903.00	11254.00	1634.00	*	कवर की गई बसावटें (संख्या)
2.	एआरडब्ल्यूएसपी(एमएनपी)	*	265.62	*	*	0.00	0.00	*	*	

(i) काम के बदले अनाज कार्यक्रम तथा अन्नपूर्णा योजना 2002-03 से समाप्त कर दी गई है।

(ii) 2003-04 से राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना राज्य सरकार को अंतरित कर दी गई है।

[हिन्दी]

निजी कंपनियों को अपने उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि करने की अनुमति

1224. **श्री मनोज कुमार : क्या पेट्रलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में निजी कंपनियों को अपने तेल उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि करने की अनुमति दी है; और

(ख) यदि हां, तो इस वृद्धि के फलस्वरूप सरकार को और निजी कंपनियों को पृथक रूप से कितना लाभ होने की संभावना है?

पट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) पेट्रोलियम उत्पादों का विपणन कर रही निजी कंपनियों को मूल्यों में संशोधन करने के लिए सरकारी अनुमोदन की जरूरत नहीं होती। इसलिए निजी कंपनियों को प्रोद्भूत होने वाले प्रत्याशित सम्भावित लाभ की गणना करना संभव नहीं है। सरकार को इस संबंध में कोई लाभ प्रोद्भूत नहीं होता।

वर्धा में लम्बित रेल उपरि पुल

1225. **श्री सुरेश वाघमरे :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरावती जिले के धमन गांव और वर्धा जिले के सिंधी रेलवे स्टेशन पर रेल उपरि पुल के निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उपरोक्त प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित किये जाने की सम्भावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) जी, नहीं। इन स्थलों पर लागत की भागीदारी के आधार पर उपरि पुलों के निर्माण की कोई मंजूरी नहीं दी गई है। बहरहाल, क्योंकि उपरि सड़क पुल बन जाने के बाद समपार बंद करने में राज्य सरकार द्वारा अपनी अक्षमता व्यक्त करने के कारण धमनगांव स्टेशन के नजदीक निक्षेप आधार पर उपरि सड़क पुल का निर्माण करने के लिए राज्य लोक निर्माण विभाग से 1995 में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। मिट्टी संबंधी विस्तृत जांच, परिवर्तित स्थल और कार्य क्षेत्र पर आधारित अद्यतन अनुमानित लागत लगभग 378 लाख रु. है। बहरहाल, पहले वाले स्थान पर पुल बनाने की प्रारंभिक अनुमानित लागत के आधार पर राज्य सरकार ने 1996 में केवल 73.50 लाख रु. जमा कराए थे। रेलवे को शेष राशि जमा कराए जाने के बाद ही कार्य शुरू किया जा सकता है।

[अनुवाद]

अनुसूचित जाति की सूची में थाचर समुदाय को शामिल करना

1226. **श्री पी. राजेन्द्रन :** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल में थाचर समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में स्वीकृति देने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) और (ख) केरल की अनुसूचित जाति की सूची में थाचर (बढ़ई को छोड़कर) को शामिल करने संबंधी केरल सरकार का. प्रस्ताव राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पास उसकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया है। चुंकि प्रस्ताव पर भारत के महारजिस्ट्रार और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के परामर्श से कार्रवाई की जाती है, इस पर अंतिम निर्णय लेने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

बांदा और फतेहपुर की पंचायतों को रसोई गैस की आपूर्ति

1227. **श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में बांदा और फतेहपुर जिले की पचायतों के नाम क्या हैं जिन्हें रसोई गैस की आपूर्ति की जा रही है;

(ख) ऐसे गांवों की संख्या कितनी है जो मुख्य सड़क से 100-500 फुट दूरी पर स्थित हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार गैस सिलेण्डरों की फ्री होम डिलीवरी सेवा प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) वर्ष 2004-2005 के दौरान उत्तर प्रदेश के बांदा और फतेहपुर जिले में खोली जाने वाली प्रस्तावित गैस एजेंसियों की संख्या एवं स्थान क्या हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) फिलहाल, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओ एम सी) उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की 414 पंचायतों में और फतेहपुर जिले की 220 पंचायतों में रसोई गैस सिलेंडरों की आपूर्ति कर रही हैं।

(ख) तेल विपणन कंपनियों के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार बांदा जिले में 206 गांव तथा फतेहपुर जिले के 24 गांव मुख्य सड़क मार्गों से 100-500 गज की दूरी पर स्थित हैं।

(ग) और (घ) तेल विपणन कंपनियों के एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटर अपने प्रचालन क्षेत्र में आने वाले अपने उपभोक्ताओं को एल पी जी सिलेंडरों की निशुल्क घर पर सुपुर्दगीसेवा उपलब्ध करा रहे हैं।

(ङ) तेल विपणन कंपनियों का उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में बांदा में एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप तथा फतेहपुर जिलों में कोराजाहानाबाद, देवमाई, मलावां, तेलयांडी तथा हसवा में एल पी जी डिस्ट्रब्यूटरशिपें स्थापित करने की योजना है।

[अनुवाद]

आर्टिसन इन्टरनेशनल फाउंडेशन द्वारा अप्रयुक्त धनराशि

1228. **श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कापार्ट (सी.ए.पी.ए.आर.टी.) ने गैर-सरकारी संगठनों में से एक आर्टिसन इन्टरनेशनल फाउंडेशन के माध्यम से ग्रामीण विकास परियोजनाओं के लिए 13.21 लाख रुपए से अधिक वित्तीय सहायता दी थी;

(ख) क्या उक्त गैर-सरकारी संगठन इस उद्देश्य हेतु स्वीकृत निधियों का उपयोग करने में विफल रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाई की गई?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) जी, हां। ग्रामीण विकास परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए कपार्ट ने आर्टिसन इन्टरनेशनल फाउंडेशन के लिए 16.71 लाख रु. मंजूर किए और 13.21 लाख रु. रिलीज किए।

(ख) जी, हां।

(ग) इस गैर-सरकारी संगठन को काली-सूची में डाल दिया गया है और अनुदान की दुरुपयोग में लाई गई राशि की वसूली के लिए स्थानीय पुलिस के पास एफ.आई.आर. दर्ज की गई है।

रेल टिकटों पर यात्री सुविधा उपकर

1229. **श्री मिलिन्द देवरा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यात्रियों की सुरक्षा के लिए टिकटों पर उपकर लगाना कब से शुरू किया गया;

(ख) अब तक एकत्र की गई धनराशि कितनी है और इस निधि का किस प्रकार उपयोग किया गया है;

(ग) तब से हुई रेल दुर्घटनाओं की संख्या कितनी है;

(घ) क्या रेल दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए, टिकटों पर लगाया गया उपकर अप्रासांगिक हो गया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस उपकर को वापस लेने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके जारी रखने के क्या कारण हैं जबकि इससे राजस्व जुटाने के अलावा कोई भी लाभदायक उद्देश्य पूर्ण नहीं हो रहा है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) टिकटों पर संरक्षा प्रभार 01.10.2001 से शुरू किया गया था।

(ख) 31.3.2004 तक संरक्षा प्रभार के रूप में 1,538.94 करोड़ रु. एकत्रित किए गए हैं। इस प्रभार को विशेष रेलवे संरक्षा निधि में विनियोजित किया जा रहा है जिसका उपयोग नवीकरण के कार्यों को पोषित करने और समयबद्ध तरीके से संरक्षा संबंधी परिसंपत्तियों को बदलने के लिए किया जाता है।

नवीकरण के कार्यों को पोषित करने और समयबद्ध तरीके से संरक्षा संबंधी परिसंपत्तियों को बदलने के लिए किया जाता है।

(ग) 01.10.2001 से 31.3.2002 तक 140 परिणामी गाड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं। इसके अतिरिक्त वर्ष 2002-03 के दौरान 351 और वर्ष 2003-04 के दौरान 325 (अनंतिम आंकड़े) परिणामी गाड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं जो कि अब तक की सबसे कम संख्या है।

(घ) से (छ) प्रश्न नहीं उठता।

बोंगाईगांव का बाटलिंग संयंत्र

1230. **श्री मणी कुमार सुब्बा :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोंगाईगांव तेलशोधन शाला में बाटलिंग संयंत्र लगभग बेकार पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तेलशोधन शाला की बाटलिंग क्षमता कितनी है और यह किस सीमा तक बेकार है; और

(ग) इस क्षमता के पूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) बोंगाईगांव रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (बीआरपीएल) के एलपीजी भरण संयंत्र का प्रचालन बीआरपीएल और आईओसीएल के बीच 24.6.2003 को हस्ताक्षरित प्रचालन करार के तहत इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) के विपणन प्रभाग द्वारा किया जा रहा है। संयंत्र का प्रचालन 15.10.2003 से आरंभ कर दिया गया है और तब से यह लगातार प्रचालनरत है।

(ख) और (ग) एक पाली के प्रचालन के आधार पर संयंत्र की क्षमता 22,000 टन प्रतिवर्ष है। इस समय यह संयंत्र लगभग 30,000 टन प्रतिवर्ष की क्षमता पर प्रचालन कर रहा है।

निजी क्षेत्र की महत्वपूर्ण परियोजनाएं

1231. **श्री अधीर चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत दो वर्षों के दौरान बोल्ट योजना के अन्तर्गत निजी पक्षों को कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं दी हैं;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या इन परियोजनाओं में कोई प्रगति नहीं हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दुस्तान न्यूज प्रिंट लिमिटेड का विनिवेश

1232. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की हिन्दुस्तान न्यूज प्रिंट लिमिटेड, कोट्टायम, केरल का विनिवेश करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) सरकारी क्षेत्र के लाभ अर्जित कर रहे उद्यमों के संबंध में राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में निर्धारित नीति के संदर्भ में हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड, कोट्टायम, केरल का विनिवेश करने के पूर्व निर्णय (अक्टूबर, 2003) की समीक्षा करने का प्रस्ताव किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

1233. **श्री रायापति सांबासिवा राव** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने एक परामर्श पत्र तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने कैस को स्वैच्छिक बनाने के लिए किस सीमा तक विचार मांगे हैं;

(ग) क्या देश में कैस को स्वैच्छिक रूप से शुरू करने के लिए कोई ठोस कदम और उपाय किए गए हैं;

(घ) केबल आपरेटरों द्वारा उपभोक्ताओं को अन्य क्या सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की संभावना है; और

(ङ) दिल्ली और अन्य राज्यों में कैस कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने अप्रैल माह, 2004 में "टी वी चैनलों के प्रसारण और वितरण से संबंधित मुद्दों" पर एक परामर्श-पत्र जारी किया है। यह परामर्श-पत्र भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की वेबसाइट (http://www.trai.gov.in) पर उपलब्ध है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित मुद्दों पर विचार मांगे हैं:-

– क्या पे-चैनलों को देखने के लिए सशर्त पहुंच प्रणाली को लागू किया जाना चाहिए? यदि हां, तो क्या इसे कानूनन

अनिवार्य बनाया जाना चाहिए अथवा सेवा प्रदाताओं द्वारा स्वैच्छिक रूप से शुरू किया जाना चाहिए?

– यदि सशर्त पहुंच प्रणाली को स्वैच्छिक रूप से शुरू किया जाना है, तो इसे कैसे किया जाना चाहिए और इसे शुरू करने की पहल कौन करेगा?

(ग) और (घ) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की सिफारिशें प्रतीक्षित हैं।

(ङ) इस चरण में कोई समय-सीमा निर्दिष्ट नहीं की जा सकती है।

[हिन्दी]

सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन संबंधी लाभों का भुगतान न किया जाना

1234. श्री कमला प्रसाद रावत : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सैन्यकर्मियों से सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन संबंधी लाभों का भुगतान न किए जाने की शिकायतें मिल रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान अभी तक ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) सेवानिवृत्ति के बाद के पेंशन संबंधी लाभों का भुगतान सभी पेंशनभोगियों को आमतौर पर समय से किया जाता है। तथापि, पेंशन का संशोधन न करने, परिवार पेंशन न मिलने, महंगाई राहत का भुगतान न होने आदि जैसे विभिन्न मसलों के बारे में रक्षा मंत्रालय में सेवानिवृत्त रक्षा कार्मिकों से एक वर्ष में लगभग पांच से छह हजार अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं। अत: वर्ष 2001, 2002 और 2003 के दौरान रक्षा मंत्रालय में कुल मिलाकर 17002 अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। पेंशनभोगियों की शिकायतों पर सेना मुख्यालय, रक्षा लेखा महानियंत्रक, प्रधान नियंत्रक, रक्षा लेखा (पेंशन) आदि के साथ परामर्श करके अग्रता आधार पर कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

रेलवे सुरक्षा कोष

1235. श्रीमती मिनाती सेन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2002-2003 में जर्जर हालत वाले पुलों, वैगनों और रेलपथों की मरम्मत हेतु 17000 करोड़ रुपये का एक रेलवे सुरक्षा कोष सृजित किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अभी तक किए गए कार्यों का ब्योरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) गतायु हो चुके रेलपथ पुलों, चल स्टॉक, सिगनल गियरों से संबंधित परिसंपत्तियों के नवीकरण/बदलाव के बकाया को समाप्त करने के लिए तथा संरक्षा संवर्धन के कुछ कार्यों के लिए 1.10.2001 को 17,000 करोड़ रु. से एक अव्यपगत विशेष रेल संरक्षा निधि (वि.रे.सं.नि.) बनाई गई थी।

(ख) वि.रे.सं.नि. के तहत किए जाने वाले कार्यों को रेल बजट के साथ प्रस्तुत की जाने वाली कार्य मशीनरी और चल स्टॉक भाग-III या "ग्रीन बुक" में शामिल किया गया है। वास्तविक लक्ष्य और अब तक प्राप्त की गई उपलब्धियां इस प्रकार हैं :-

परिसंपत्तियों के प्रकार	2001-07 के लिए संचयी लक्ष्य	2001-02 मार्च 2004 तक वास्तविक निष्पादन
1	2	3
रेलपथ नवीकरण	16538 सीटीआर*-इकाइयां	8937.65 सीटीआर*-इकाइयां
पुलों संबंधी कार्य	2700 पुल	1306 पुल

1	2	3
सिगनल एवं दूरसंचार	1448 स्टेशन पूरे किए गए, 911 स्टेशनों का आकस्मिक नवीकरण	नवीकरण पूरा किया गया-441 स्टेशन, आकस्मिक नवीकरण-102 स्टेशन
रेलपथ परिपथन	5307 स्थल	1785 स्थल
चल स्टाक	डीजल इंजन बड़ी लाइन (ब.ला.)-93, छोटी लाइन (छो.ला.)-6;	इंजन ब.ला.-24;
	सवारी डिब्बा ब.ला.-767, मीटर लाइन (मी.ला.)-520, छो.ला.-157;	226 ब.ला.-सवारी डिब्बे; 30मी.ला.-सवारी डिब्बे 19 छो.ला.-सवारी डिब्बे
	शिरोपरि उपस्कर (ओएचई) निरीक्षण यान-52;	12-शिरोपरि उपस्कर यान,
	स्वनोदित दुर्घटना राहत गाड़ी (एआरटी)-60;	
	मालडिब्बे-7698 वाहन इकाइयां (वीयूएस)	974 माल डिब्बे;

मार्च, 2004 तक वि.रे.सं.नि. का वर्ष-वार आबंटन और व्यय इस प्रकार है :–

वर्ष	स्वीकृत राशि (करोड़ रु. में)	शुद्ध व्यय (करोड़ रु. में)
2001-02	1400.00	1434.28
2002-03	2310.00	2486.31
2003-04	2350.66 (संशोधित अनुमान)	2583.78 (अनंतिम)

*सीटीआर-पूर्ण रेलपथ नवीकरण

केरल में सरकारी क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रम

1236. **श्री सी.के. चन्द्रप्पन** : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में सरकारी क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों और प्रत्येक के वर्तमान वित्तीय कार्य-निष्पादन का ब्योरा क्या है; और

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य में इन सरकारी क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों को बचाने और उनके आधुनिकीकरण हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) दिनांक 8.6.2004 को संसद में प्रस्तुत लोक उद्यम सर्वेक्षण, 2002-03 जो आम जनता के लिए एक प्रकाशित दस्तावेज है, के अनुसार केरल में स्थित पंजीकृत कार्यालय/मुख्यालय वाले केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नामों के साथ वर्ष 2002-03 के दौरान

निवल लाभ/घाटे के रूप में उनके वित्तीय निष्पादन का विवरण इस प्रकार है :–

(लाख रुपए)

केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम	निवल लाभ/घाटा
कोचीन शिपयार्ड लि.	1649
फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स (त्रावणकोर) लि.	-28773
हिन्दुस्तान लेटेक्स लि.	1414
हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लि.	-489
कोच्चि रिफाइनरीज लि.	45602

(ख) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रशासनिक मंत्रालयों/प्रबंधनों द्वारा केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्यनिष्पादन में सुधार के लिए उद्यम विशेष उपाय किए जाते हैं। जिनमें (प्रत्येक मामले के अनुसार) पुनरूद्धार योजनाएं तैयार करना, व्यापार तथा वित्तीय पुनर्गठन, सिरे से राशि लगाना, लागत नियंत्रण उपाय तथा कर्मचारियों की संख्या का यौक्तिकीकरण इत्यादि शामिल है।

[हिन्दी]

दिल्ली में एलपीजी के गोदाम

1237. **श्री बीर सिंह महतो :**
श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में एलपीजी के गोदाम रिहायशी इलाकों में स्थित है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्योरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटरों के एलपीजी गोदाम सांविधिक और स्थानीय प्राधिकरणों के सम्यक अनुमोदन से और विस्फोटक विभाग द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप निर्मित किए गए हैं।

(ख) और (ग) तेल विपणन कंपनियों के क्षेत्रीय अधिकारी और विस्फोटक विभाग के कर्मचारी समय-समय पर विभिन्न सुरक्षा उपायों के लिए डिस्ट्रीब्यूटरों के गोदामों का निरीक्षण करते हैं।

[अनुवाद]

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची हेतु विशेष पैकेज

1238. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन रांची, झारखंड को बंद होने से बचाने के लिए उसे विशेष पैकेज देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या हैं;

(ग) क्या राज्य सरकार ने भी इस संबंध में कोई अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन (एचईसी), रांची को वर्ष 1992 में औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) को संदर्भित कर दिया गया था। बीआईएफआर ने एचईसी के पुनरूद्धार का एक पैकेज वर्ष 1996 में संस्वीकृत किया लेकिन कम्पनी का पुनरूद्धार नहीं किया जा सका। जुलाई, 2002 में, पुनरूद्धार पैकेज के कार्यान्वयन की जांच करते समय, बीआईएफआर ने घोषित किया कि पैकेज विफल हो गया है तथा एचईसी को बन्द करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बीआईएफआर ने दिनांक 07.07.2004 को एचईसी को बन्द करने के आदेश को पारित कर दिया है। एचईसी के भविष्य से संबंधित मामलों को लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड के गठन के संबंध में सरकार द्वारा हाल ही में की गई घोषणा के आलोक में समीक्षा किए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) जी, हां। एचईसी की सम्पूर्ण अधिशेष भूमि को पुन: प्राप्त करने के झारखण्ड राज्य सरकार को अनुमति देने के अतिरिक्त लगभग 730 करोड़ रुपये के ऋण को माफ करने तथा लगभग 432 करोड़ रुपये की नगद राशि की सहायता देने के लिए भारत सरकार की सहमति के अध्यधीन झारखण्ड राज्य सरकार (जी.ओ.जे.) ने एचईसी को अपने विद्युत तथा विक्री कर की देय राशि के भुगतान के लिए 493.84 करोड़ रुपये मुहैया कराने की इच्छा व्यक्त की है। झारखण्ड सरकार को सूचित किया गया है कि कम्पनी का पुनरूद्धार करने के लिए उनके द्वारा की गई पेशकश अपर्याप्त है।

राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग पर रेल समपार

1239. श्री निहाल चन्द : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों, विशेषकर राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों पर कितने रेल समपार हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन राजमार्गों पर अन्डर ब्रिज और उपरि पुल बनाने हेतु कोई उपाय किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) देश के विभिन्न भागों में राष्ट्रीय राजमार्गों पर आने वाले समपारों की कुल संख्या 572 है जिसमें से 42 समपार राजस्थान राज्य में हैं।

(ख) और (ग) वर्तमान नियमों के अनुसार, 1 लाख या उससे अधिक टी वी यू वाले व्यस्त समपारों के स्थान पर उपरि/निचले सड़क पुलों का निर्माण रेलवे द्वारा राज्य सरकार/सड़क प्राधिकरण के साथ लागत में भागीदारी के आधार पर किया जाता है बशर्ते कि उपरि/निचले सड़क पुल के बन जाने पर समपारों को बंद करना, भूमि अधिग्रहण के लिए अग्रिम कार्रवाई, संबंधित राज्य सरकार/सड़क प्राधिकरणों के वार्षिक कार्यक्रम में कार्यों को शामिल करना, साथ ही साथ पहुंच मार्गों के कार्य को पूरा करने आदि जिसे अन्य निर्धारित शर्तों को स्वीकार करते हुए और लागत वहन करने की सहमति देते हुए राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव प्रायोजित किया जाए। उन समपारों पर जहां यातायात घनत्व 1 लाख टी वी यू से कम है, उन पर भी उपरि/निचले सड़क पुलों का निर्माण निक्षेप शर्तों, अर्थात् पूरी लागत प्रायोजित प्राधिकरण द्वारा वहन की जाएगी, के आधार पर विचार किया जा सकता है।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर 104 समपारों को उपरि/निचले सड़क पुलों से बदलने का कार्य लागत में भागीदारी निक्षेप शर्तों/बी ओ टी (निर्माण, परिचालन और हस्तांतरण) के आधार पर स्वीकृत किया गया है।

गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले विकलांगों के लिए मकान

1240. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले विकलांगों को मकान देने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्योरा क्या है; और

(ग) आज की तारीख के अनुसार देश में कितने मकान बनाए गए और उससे कितने विकलांग व्यक्ति लाभान्वित हुए?

ग्रामीण विकास मंत्रालय मे राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) और (ग) इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों सहित गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले परिवारों को ग्रामीण क्षेत्रों में मकान बनाने के लिए सहायता दी जाती है। बजट आबंटन का 3 प्रतिशत विकलांग व्यक्तियों के लिए निर्धारित है। तथापि, इंदिरा आवास योजना के तहत विकलांग व्यक्तियों के लिए बनाए गए मकानों के ब्योरे इस मंत्रालय में सिर्फ 1998-1999 से रखे जा रहे हैं तदनुसार, आज तक बनाए गए मकानों में विकलांग व्यक्तियों के लिए बनाए गए मकानों की संख्या के राज्य-वार ब्योरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

1998-99 से आज तक इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत विकलांग बी पी एल व्यक्तियों को आबंटित मकानों एवं निर्मित मकानों की राज्यवार संख्या को दर्शाने वाला विवरण

(संख्या में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	निर्मित मकानों की संख्या	विकलांग बी पी एल व्यक्तियों को आबंटित मकानों की संख्या
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	549525	6752

1	2	3	4
2.	अरुणाचल प्रदेश	22910	76
3.	असम	304511	4745
4.	बिहार	976468	1377
5.	छत्तीसगढ़	77056	381
6.	गोवा	2054	0
7.	गुजरात	164173	1852
8.	हरियाणा	62024	416
9.	हिमाचल प्रदेश	22407	134
10.	जम्मू-कश्मीर	37105	0
11.	झारखंड	190069	753
12.	कर्नाटक	257505	921
13.	केरल	145227	526
14.	मध्यप्रदेश	439574	3967
15.	महाराष्ट्र	487682	1583
16.	मणिपुर	6577	117
17.	मेघालय	19181	150
18.	मिजोरम	9434	52
19.	नागालैंड	29018	0
20.	उड़ीसा	1012414	1515
21.	पंजाब	31900	342
22.	राजस्थान	223321	303
23.	सिक्किम	7778	141
24.	तमिलनाडु	337865	1898
25.	त्रिपुरा	61810	211
26.	उत्तर प्रदेश	1036286	5585
27.	उत्तरांचल	59000	336
28.	पश्चिमी बंगाल	432670	5341
29.	अ. और नि. द्वीपसमूह	2131	0
30.	दा.ना. हवेली	314	0
31.	दमन और दीव	122	2
32.	लक्षद्वीप	130	1
33.	पांडिचेरी	2077	0
	जोड़	7010318	39477

[अनुवाद]

भारत ऑप्थाल्मिक ग्लास लिमिटेड की दुर्गापुर इकाई का पुनरूद्धार

1241. **श्री सुनील खां :** क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत ऑप्थाल्मिक ग्लास लिमिटेड की दुर्गापुर इकाई का पुनरूद्धार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या हैं और यह कार्य कब तक किया जाएगा;

(ग) क्या सरकार ने माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, दुर्गापुर और रिहैब्लिटेशन इंडस्ट्रीज कारपोरेशन, टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड और ऐसे पांच अन्य उद्योगों पर पुनर्विचार करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) बीआईएफआर, जो एक न्यायिक-कल्प निकाय है, ने कंपनी को बंद करने की सिफारिश की है।

(ग) और (घ) माइनिंग एंड एलायड मशीनरी कारपोरेशन लि. (एमएएमसी) तथा रिहैब्लिटेशन इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लि. (आरआईसी) को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत् बन्द कर दिया गया है। टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लि. (टीसीआईएल) बीआईएफआर के संदर्भाधीन है तथा प्रचालन एजेन्सी ने बीआईएफआर को एक मसौदा पुनरूद्धार योजना प्रस्तुत की है। नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लि. (एनआईएल) को बंद करने की सिफारिश से संबंधित बीआईएफआर के आदेश के विरुद्ध एएआईएफआर में एक अपील दायर की गई है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को नवरत्न का दर्जा देना

1242. श्री कैलाश मेघवाल : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख के अनुसार सरकारी क्षेत्र के कितने उपक्रमों को नवरत्न का दर्जा दिया गया है;

(ख) नवरत्न का दर्जा देने हेतु क्या मानदण्ड अपनाये गये हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के कुछ अन्य उपक्रमों को नवरत्न का दर्जा देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से नवरत्न का दर्जा प्रदान किए जाने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) आज की तारीख तक केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 9 उपक्रमों को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। नवरत्न उद्यमों की पहचान वर्ष 1997 में तुलनात्मक लाभ तथा विश्वस्तरीय स्वरूप धारण कर पाने की क्षमता के आधार पर की गई थी।

(ग) और (घ) अन्य सरकारी उपक्रमों को नवरत्न का दर्जा देने के बारे में सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं किया गया है।

(ङ) और (च) नवरत्न का दर्जा देने के लिए निम्नलिखित सरकारी उपक्रमों द्वारा अनुरोध किया गया है :-

1. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
2. भारत संचार निगम लिमिटेड
3. हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड
4. कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड
5. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड
6. नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड
7. पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड
8. पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
9. रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड
10. टेलीकम्युनिकेशन्स कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड

लूट लिए गए यात्रियों को मुआवजा

1243. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने माना है कि लूटे गए यात्रियों को मुआवजा देना रेलवे मंत्रालय की जिम्मेदारी है;

(ख) यदि हां, तो उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद रेलगाड़ियों में डकैती के कितने ऐसे माले सामने आए और अब तक कितने लोगों को मुआवजा दिया गया;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय के निर्णय के मद्देनजर रेलगाड़ियों में पहले हुई डकैतियों में लूट लिए गए लोगों को भी मुआवजा मिलेगा; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) 1999 की सिविल अपनी सं. 2252 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने रेलवे द्वारा मुहैया कराई जा रही सेवाओं में कमी और उसे परिणामस्वरूप अपीलकर्त्ता के बिना बुक किए गए सामान की लूटपाट के लिए रेलवे को दोषी ठहराया है। माननीय उच्चतम न्यायालय के इस फैसले के विरुद्ध रेल मंत्रालय ने पुनरीक्षा याचिका दायर करने का विचार किया है।

(ख) माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद लूटपाट की लगभग 59 घटनाएं दर्ज की गई हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के

फैसले के बाद यात्रियों के सामान की लूटपाट के लिए रेलवे द्वारा कोई भी मुआवजा नहीं दिया गया है क्योंकि इस फैसले का प्रतिवाद किए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त उत्तर (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

कोच्चि में एलएनजी टर्मिनल

1244. श्री वरकला राधाकृष्णन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोच्चि में एलएनजी टर्मिनल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इस संघ में शामिल की गई कंपनियों के क्या नाम हैं;

(घ) क्या एनटीपीसी संभावित ग्राहक बनने को तैयार हो गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ङ) जी, हां। चार सार्वजनिक तेल कंपनियों नामत: गेल (इंडिया) लिमिटेड (गेल), आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी), भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और इंडिया आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी) द्वारा प्रवृत्त एक संयुक्त उद्यम कंपनी मैसर्स पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड ने कोच्चि में एक 2.5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमएमटीपीए) क्षमता का एलएनजी टर्मिनल स्थापित करना प्रस्तावित था। कोच्चि में टर्मिनल संकल्पना एनटीपीसी के कायमकुलम विद्युत संयंत्र के प्रस्तावित विस्तार के आधार पर की गई थी।

इस परियोजना के लिए भूमि का आबंटन पुथुवाईपीन द्वीप, कोच्चि में किया गया है। पीएलएल ने परियोजना-पूर्व के क्रियाकलाप पूरे कर लिए हैं और इससे संबंधित विभागों से आवश्यक सांविधिक स्वीकृतियां और अनुमोदन प्राप्त कर लिए हैं। परन्तु एनटीपीसी ने कायमकुलम विद्युत परियोजना के 350 मे.वा. से 2300 मे.वा. के प्रस्तावित विस्तार के लिए प्राकृतिक गैस/एलएनजी के प्रापण के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोलियां आमंत्रित की हैं। पीएलएल ने उक्त परियोजना के लिए पुनर्गैसीकरण और पुनर्गैसीकृत एलएनजी के परिवहन के लिए सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु एनटीपीसी बोली में प्रतिभागिता की है। चूंकि एलएनजी परियोजनाओं में ''माल उठाओ अथवा भुगतान करो'' की कड़ी शर्त का उपबंध है, इसलिए पीएलएल, एनटीपीसी द्वारा उनकी बोली स्वीकार किए जाने की स्थिति में अथवा प्रस्तावित टर्मिनल की कम से कम 60% क्षमता प्राप्त करने के लिए वैकल्पिक विपणन समझौता होने की स्थिति में उक्त परियोजना को क्रियान्वित करने के उपाय करेगी।

कोंकण रेलवे के सुधार हेतु धनराशि

1245. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोंकण रेलवे के कार्यकरण के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है/किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या कोंकण रेलवे के सुधार हेतु कोई धनराशि जारी की गई/किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) इसकी कोई आवश्यकता महसूस नहीं की गई है

युद्धक टैंक के लिए मिसाइल का विकास

1246. डा. एम. जगन्नाथ : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में युद्धक टैंक 'अर्जुन' के लिए कोई मिसाइल विकसित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या उक्त मिसाइल का परीक्षण कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने मुख्य युद्धक टैंक 'अर्जुन' पर लेजर होमिंग टैंक-रोधी प्रक्षेपास्त्र 'लाइट' लगाने संबंधी व्यवहार्यता अध्ययन तथा फायरिंग का प्रथम दौर पूरा कर लिया है।

(ख) 'लाहट' प्रक्षेपास्त्र मुख्य युद्धक टैंक 'अर्जुन' के बैरल से दागे गए हैं। यह लेजर होमिंग निर्देशन वाला अर्ध-सक्रिय प्रक्षेपास्त्र है।

(ग) जी, हां। इसे दागने का सफल परीक्षण किया गया है।

(घ) मुख्य युद्धक टैंक 'अर्जुन' की मुख्य तोप से दागकर 'लाहट' प्रक्षेपास्त्र की संकल्पना को सिद्ध करने के लिए दागने संबंधी प्रदर्शन जनवरी 2004 में महाजन फील्ड फायरिंग रेंजों में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया है।

केरल में एलएनजी टर्मिनल

1247. **श्री चेंगरा सुरेन्द्रन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में एलएनजी टर्मिनल स्थापित करने की परियोजना का प्रस्ताव काफी समय से लंबित है; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना को क्रियान्वित करने में विलंब के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) चार सार्वजनिक तेल कंपनियों नामत: गेल (इंडिया) लिमिटेड (गेल), आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी), भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी) द्वारा प्रवृत्त एक संयुक्त उद्यम कंपनी मैसर्स पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड ने कोच्चि में एक 2.5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमएमटीपीए) क्षमता का एलएनजी टर्मिनल स्थापित करने का प्रस्ताव किया था। कोच्चि में टर्मिनल संकल्पना एनटीपीसी के कायमकुलम विद्युत संयंत्र के प्रस्तावित विस्तार के आधार पर की गई थी। परन्तु एनटीपीसी ने कायमकुलम विद्युत परियोजना के 350 मे.वा. से 2300 मे.वा. के प्रस्तावित विस्तार के लिए प्राकृतिक गैस/एलएनजी के प्रापण के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोलियां आमंत्रित की हैं। पीएलएल ने उक्त परियोजना के लिए पुनर्गैसीकरण और पुनर्गैसीकृत एलएनजी के परिवहन के लिए सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु एनटीपीसी बोली में प्रतिभागिता की है। चूंकि एलएनजी परियोजनाओं में "माल उठाओ अथवा भुगतान करो" की कड़ी शर्त का उपबंध है, इसलिए पीएलएल, एनटीपीसी द्वारा उनकी बोली स्वीकार किए जाने की स्थिति में अथवा प्रस्तावित टर्मिनल की कम से कम 60% क्षमता प्राप्त करने के लिए वैकल्पिक विपणन समझौता होने की स्थिति में उक्त परियोजना को क्रियान्वित करने के उपाय करेगी।

कच्चे तेल का आयात

1248. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी :**
श्री पी.के. वासुदेवन नायर :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2003-04 के दौरान भारत द्वारा विभिन्न देशों से कितनी मात्रा में कच्चे तेल का आयात किया गया;

(ख) देश में प्रति लीटर तेल के शोधन और ढुलाई की लागत क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न देशों को तेल आयात बिल हेतु कितनी विदेशी मुद्रा का भुगतान किया गया;

(घ) क्या सरकार नया तेल मूल्य निर्धारण फार्मूला तैयार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(च) आयातित तेल और घरेलू तेल उत्पादन से देश की मांग को पूरा करने का ब्योरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) 2003-04 के दौरान विभिन्न देशों से 90.434 एमएमटी कच्चे तेल का आयात किया गया।

(ख) शोधन की लागत रिफाइनरी-दर-रिफाइनरी अलग-अलग होती है। परिवहन लागत भी परिवहन के साधन के आधार पर भिन्न होती है।

(ग) 2003-04 के दौरान कच्चे तेल के आयात के लिए दी गई विदेशी मुद्रा की अनुमानित राशि 18,268 मिलियन अमरीकी डालर थी।

(घ) और (ङ) मुख्य पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारण की नीति समीक्षाधीन है।

(च) लगभग 29% मांग स्वेदेशी स्त्रोतों से पूरी की जाती है।

[हिन्दी]

छावनी बोर्डों का गठन

1249. **श्री संतोष गंगवार :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छावनी बोर्डों के गठन की प्रक्रिया में विलम्ब किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन बोर्डों में प्रतिनिधि कब तक चुन लिए जाएंगे;

(घ) क्या चुने गए जन प्रतिनिधि (सांसदों/विधायकों) को छावनी बोर्डों का पदेन सदस्य बनाया जाता है;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार चुने गए जन प्रतिनिधियों को छावनी बोर्डों का पदेन सदस्य बनाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, नहीं। 62 छावनी परिषदों में से 51 छावनी परिषदों के गठन में छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 14 के अधीन फेरबदल किया गया है और फेरबदल की गई परिषदें कार्य कर रही हैं। पांच अन्य छावनी परिषदों के गठन में फेरबदल करने संबंधी प्रस्ताव पर कार्रवाई की जा रही है। शेष छह छावनी परिषदों में निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल पूरा होने में अभी समय है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) नया छावनी अधिनियम लाने की प्रक्रिया शुरू किए जाने को देखते हुए यह निर्णय लिया गया था कि इसके अधिनियमन के तत्काल बाद चुनाव करा लिए जाएं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) उपर्युक्त भाग (ङ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

उन्नत जेट प्रशिक्षण विमानों का विकास

1250. **डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :**
श्री कीर्तिवर्धन सिंह :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्रीमती निवेदिता माने :
श्री खीरेन रिजीजू :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उन्नत जेट प्रशिक्षण विमानों का विकास किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उन्नत जेट प्रशिक्षण विमानों को देश में कब तक विकसित किया जाएगा तथा भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा;

(घ) सरकार द्वारा परियोजना पर अभी तक कितना व्यय किया गया है;

(ङ) क्या सरकार को रूस से संयुक्त रूप से नवीनतम उन्नत जेट प्रशिक्षण विमानों का निर्माण करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(च) यदि नहीं, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(छ) क्या इन विमानों के कल-पुर्जों की अन्य देशों को आपूर्ति किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उन्नत जेट ट्रेनर के स्वदेश में विकास का मामला अभी प्रारंभिक अवस्था में है और इसके विकास की समयावधि और वायु सेना में इसे शामिल किए जाने के बारे में बताना अभी जल्दी होगी।

(घ) अभी तक कोई व्यय नहीं किया गया है।

(ङ) रूसी सरकार ने उन्नत जेट ट्रेनर मिग एटी के अधिप्राप्ति कार्यक्रम के लिए प्रस्ताव किया था।

(च) भारतीय वायु सेना ने मिग एटी का मूल्यांकन किया और इसे अनुपयुक्त पाया।

(छ) जी, नहीं।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ग्रामीण विकास हेतु धनराशि का उपयोग

1251. **श्री निखिल कुमार चौधरी :**
श्री प्रभुनाथ सिंह :
श्री रघुराज सिंह शाक्य :
श्री प्रदीप गांधी :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तारीख के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य के लिए स्वीकृत ग्रामीण विकास परियोजनाओं/योजनाओं की संख्या और उनका ब्योरा क्या है;

(ख) उपर्युक्त परियोजनाओं हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गई और उसमें से अभी तक कितनी राशि का उपयोग किया गया;

(ग) समस्त धनराशि का उपयोग न करने के क्या कारण हैं;

(घ) परियोजनाओं/योजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ङ) क्या सरकार यह मानती है कि विभिन्न राज्यों, विशेषकर बिहार में ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से लापरवाही बरती गई है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा उपर्युक्त योजनाओं के संबंध में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय मुख्य योजनाएं अर्थात् स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस जी एस वाई), संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस जी आर वाई), इंदिरा आवास योजना (आई ए वाई), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी एम जी एस वाई), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी पी ए पी), मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी डी पी), समेकित वाटरशेड विकास कार्यक्रम (आई डब्ल्यू डी पी), हरियाली, पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम (डी डब्ल्यू एस) और संपूर्ण स्वच्छता अभियान कार्यान्वित करता रहा है। विगत तीन वर्षों अर्थात् 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के दौरान आबंटित और रिलीज की गई तथा राज्य सरकारों द्वारा उपयोग की निधियों सहित इन योजनाओं के ब्योरे संलग्न विवरण में I से VII दिए गए हैं।

(ग) राज्य सरकारों द्वारा संपूर्ण राशि का उपयोग न करने के मुख्य कारण मुख्यत: परियोजना के ब्योरे तैयार करने, वार्षिक कार्य योजना के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब, विभिन्न लाइन विभागों के बीच समन्वय का अभाव, राज्य सरकारों द्वारा निधियों की रिलीज में विलम्ब आदि है।

(घ) योजनाओं का कार्यान्वयन जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों द्वारा तैयार की गई कार्य योजना के अनुसार किया जाता है। तथापि, वाटरशेड विकास परियोजनाओं के अंतर्गत कुछ परियोजनाओं के समापन की दीर्घकालीन समयावधि 4 वर्ष से लेकर 6 वर्ष है।

(ङ) बिहार सहित अन्य राज्यों की सरकारों ने कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसार परियोजनाओं/योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए सभी प्रयास किए हैं। तथापि, अधिकारियों के निरंतर स्थानान्तरण से ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(च) ग्रामीण विकास मंत्रालय में प्रगति रिपोर्टों, क्षेत्र अधिकारी योजनाओं, निष्पादन समीक्षा समिति, जिला स्तरीय निगरानीकर्ताओं, राष्ट्रीय स्तर के निगरानीकर्ताओं आदि के माध्यम से कार्यक्रम/योजनाओं की प्रभावी निगरानी के लिए एक व्यापक प्रणाली है। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य प्राधिकारियों के साथ आवधिक अंतरालों की समीक्षा की जाती है।

विवरण-I

वर्ष 2001-02 से 2003-04 के दौरान ग्रामीण विकास कार्यक्रम

क्र. सं	राज्य का नाम	जे.जी.एस.वाई./एस.जी.आर.वाई.-I (2001-02)			जे.जी.एस.वाई./एस.जी.आर.वाई.-I (2002-03)			जे.जी.एस.वाई./एस.जी.आर.वाई.-I (2003-04)		
		केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीज	व्यय	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीज	व्यय	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीज	व्यय
1	2	45	46	47	48	49	50	51	52	53
1.	आंध्र प्रदेश	9921.52	9980.37	7092.77	9451.49	12663.57	12627.88	10945.80	11846.34	14452.62
2.	अरुणाचल प्रदेश	519.38	556.49	733.83	493.74	331.12	446.29	571.71	744.44	371.83
3.	असम	13495.28	13495.28	11145.93	12810.39	11470.02	14652.49	14833.49	14800.73	15259.39
4.	बिहार	18730.78	18730.78	14296.83	18926.54	13497.24	18862.92	21918.95	18096.76	19872.89
5.	छत्तीसगढ़	4197.65	4197.63	6766.85	5334.11	6819.08	8495.59	6177.47	6628.74	7912.29
6.	गोवा	145.98	145.98	170.47	21.79	10.83	5.23	25.24	15.14	7.32
7.	गुजरात	3734.65	3734.65	4239.83	3557.65	2936.50	4993.17	4120.14	4166.53	8358.85
8.	हरियाणा	2197.16	2984.54	3006.33	2093.09	2750.04	3832.77	2424.02	2709.50	2973.57
9.	हिमाचल प्रदेश	925.31	925.31	1219.06	881.48	1013.77	834.77	1020.85	1135.71	1462.76
10.	जम्मू-कश्मीर	1145.20	1411.76	1694.54	1090.95	1099.36	796.84	1263.44	9355.84	2437.45
11.	झारखंड	13771.01	13771.01	15936.75	12035.69	8688.60	4078.66	13938.60	12534.80	16365.20
12.	कर्नाटक	7492.16	7569.55	6181.20	7137.20	8880.42	11149.44	8265.64	9640.95	10763.48
13.	केरल	3361.70	3361.70	4904.70	3202.48	4068.31	2475.34	3708.80	4455.91	5568.49
14.	मध्य प्रदेश	12276.64	12276.62	16691.83	10359.77	12674.74	14838.66	11997.72	1255076	13113.17
15.	महाराष्ट्र	14810.16	14810.16	18017.65	14108.68	13724.74	10734.38	16339.34	15415.69	16916.87
16.	मणिपुर	904.72	399.45	287.16	860.17	383.38	एनआर	996.01	833.38	396.37

के लिए केन्द्रीय आबंटन केन्द्रीय रिलीज और व्यय

(लाख रु. में)

ई.ए.एस./एस.जी.आर.वाई.-II (2001-02)			ई.ए.एस./एस.जी.आर.वाई.-II (2002-03)			ई.ए.एस./एस.जी.आर.वाई.-II (2003-04)		
केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीज	व्यय	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीज	व्यय	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीज	व्यय
54	55	56	57	58	59	60	61	62
9952.70	9952.70	14199.86	9525.83	11716.60	13304.35	11068.38	12149.16	13986.16
519.21	592.30	298.20	493.24	493.14	301.20	571.14	816.31	443.87
13490.96	13490.97	12103.40	12816.04	11026.94	12147.40	14840.03	14880.28	14736.38
19930.10	19671.60	12422.60	17400.97	13230.18	16145.33	20218.76	16106.35	18119.09
5616.92	6583.59	8722.80	3951.95	5193.96	5268.12	4591.90	5394.63	5788.65
22.94	22.94	11.36	136.57	75.04	103.48	158.69	95.22	32.67
3746.38	3604.51	3156.86	4175.66	4006.37	4017.17	4846.03	5488.14	9554.40
2204.06	2904.06	3148.04	2197.16	2860.33	4046.24	2552.95	2889.95	3195.90
928.71	928.21	1123.64	925.31	1032.23	659.86	1075.15	1259.50	1184.81
1148.80	1448.80	1276.32	1063.89	952.25	736.11	1236.17	1447.20	1757.85
12673.81	11700.79	12657.03	12793.29	8896.08	10721.62	14864.95	14486.16	17414.48
7515.70	7520.70	6639.50	6960.88	8548.62	10165.53	8088.08	9787.44	10334.62
3372.27	3372.27	4987.47	3123.04	3596.86	2142.66	3628.76	4240.83	3165.33
10909.15	12256.71	15143.97	11481.35	14197.28	10978.82	13340.51	14154.50	16698.43
14856.70	14131.25	17451.63	13894.00	15235.84	10238.85	16143.90	15796.41	16541.16
904.42	523.72	एनआर	859.19	386.00	एनआर	994.88	498.02	179.29

1	2	45	46	47	48	49	50	51	52	53
17.	मेघालय	1013.61	835.53	1281.81	963.63	927.55	294.60	1115.82	1072.09	974.95
18.	मिजोरम	234.54	304.90	331.42	222.99	316.54	256.69	258.21	370.98	288.88
19.	नागालैंड	695.29	750.98	324.39	660.99	356.70	600.26	765.38	562.83	531.21
20.	उड़ीसा	11348.19	11348.19	14868.61	10810.67	14072.61	12600.88	12519.90	12646.73	14483.16
21.	पंजाब	1067.80	1067.80	1240.19	1017.21	11.91.49	978.27	1178.05	1349.38	1765.65
22.	राजस्थान	5689.04	5689.05	8578.13	5119.60	7641.87	9205.88	6276.45	6839.00	11557.58
23.	सिक्किम	259.69	337.59	279.75	246.88	246.88	138.10	285.87	385.87	393.00
24.	तमिलनाडु	8772.80	9967.89	12026.49	8357.28	10936.45	12663.76	9678.62	11505.68	14915.61
25.	त्रिपुरा	1633.50	2075.78	2166.52	1553.21	2329.81	806.75	1798.50	2015.98	2707.01
26.	उत्तर प्रदेश	33540.13	33551.39	33367.40	31940.92	33630.78	28882.21	36990.97	32147.19	33383.06
27.	उत्तरांचल	2228.37	2228.37	2291.85	2133.31	2203.31	2158.91	2470.60	2645.51	3699.69
28.	पश्चिमी बंगाल	12611.24	12611.24	11806.60	12013.90	9937.03	12198.53	13913.37	9605.24	13905.34
29.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	96.21	96.21	64.39	50.27	0.00	22.19	58.22	34.93	एनआर
30.	दादरा और नागर हवेली	63.51	63.51	एनआर	50.27	26.47	एनआर	58.22	0.00	0.00
31.	दमन और दीव	30.77	0.00	एनआर	1.68	0.00	एनआर	1.95	0.00	0.00
32.	लक्षद्वीप	48.23	24.12	8.94	3.35	0.00	एनआर	3.88	0.00	2.59
33.	पांडिचेरी	97.76	97.76	37.46	63.68	31.66	115.60	73.75	44.25	एनआर
	योग	187059.98	189401.59	201059.68	177875.06	184860.87	189747.06	205994.98	206156.31	234840.28

54	55	56	57	58	59	60	61	62
1013.29	833.84	492.09	962.59	978.37	264.16	1114.61	983.35	1082.71
234.48	334.48	475.54	222.74	257.34	240.14	257.92	386.88	212.79
695.06	695.06	171.61	660.30	310.58	286.80	764.58	605.25	481.72
11383.84	12350.52	9483.49	10542.48	13333.94	12430.52	12249.66	12097.22	13773.00
1071.15	1048.38	1355.85	2443.84	2665.11	1060.57	2839.58	3270.70	3160.68
5706.92	5706.92	8988.03	5291.01	7262.89	8993.29	6147.80	7021.68	10518.04
259.60	259.60	170.00	246.62	192.30	230.70	285.57	317.68	367.00
8800.37	10134.03	11993.08	8207.15	10224.64	12530.97	9536.15	11812.86	16495.10
1632.98	1604.69	2396.72	1551.28	1520.26	1164.79	1796.27	1975.91	1767.29
33634.47	34002.10	19657.72	31302.41	32461.30	26956.92	36371.30	33548.66	39660.25
2246.42	2220.90	2155.66	2125.56	2195.23	1844.87	2469.75	2710.24	2827.28
12650.87	11668.23	7504.91	11715.86	10712.86	13078.83	13613.04	11848.72	13374.62
52.94	0.00	13.75	89.61	42.32	एनआर	104.12	62.47	15.98
52.94	26.47	3.86	59.00	34.93	एनआर	68.55	41.13	एनआर
1.76	0.00	एनआर	28.59	0.00	0.00	33.22	0.00	0.00
3.53	1.77	8.57	44.81	0.00	5.79	52.07	28.57	एनआर
67.06	67.06	12.37	90.82	80.95	70.19	105.53	91.88	84.11
187300.01	189659.17	178225.93	177383.04	183720.74	180135.28	206030.00	206293.30	236953.66

विवरण-II

वर्ष 2001-02 से 2003-04 के दौरान ग्रामीण विकास कार्यक्रम

क्र. सं	राज्य का नाम	एस.जी.आर.वाई. (2001-02)			एस.जी.आर.वाई. (2002-03)			एस.जी.आर.वाई. (2003-04)		
		केन्द्रीय आवंटन	केन्द्रीय रिलीज	व्यय	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीज	व्यय	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीज	व्यय
1	2	63	64	65	66	67	68	69	70	71
1.	आंध्र प्रदेश	3068.31	3068.31	6240.76	3068.31	3738.02	4910.62	4238.88	3942.42	4973.47
2.	अरुणाचल प्रदेश	164.76	106.34	185.57	127.10	78.06	47.68	221.53	139.77	87.57
3.	असम	4281.13	3328.48	2989.44	3302.59	2802.61	2207.86	5756.15	5313.00	4210.13
4.	बिहार	7300.00	3348.37	10600.77	7303.00	3493.34	8356.25	10084.97	5488.81	8272.05
5.	छत्तीसगढ़	1620.58	1467.21	3887.90	1620.58	1968.76	1982.71	2238.84	2025.43	2059.67
6.	गोवा	50.00	25.00	44.38	50.00	17.65	28.68	50.00	25.00	44.14
7.	गुजरात	1154.96	885.51	2349.05	1154.96	1403.27	1655.70	1595.58	1508.00	2036.45
8.	हरियाणा	679.48	681.25	1480.58	679.48	827.79	1108.99	938.70	932.06	1272.82
9.	हिमाचल प्रदेश	286.16	286.16	764.93	286.16	348.62	434.46	395.33	296.71	431.97
10.	जम्मू कश्मीर	354.16	342.81	716.22	354.16	350.44	426.34	489.27	427.45	618.44
11.	झारखंड	2751.41	1196.01	4892.33	2751.41	1801.02	2831.29	3801.07	2770.20	4336.51
12.	कर्नाटक	2317.00	1659.33	5147.48	2317.00	2686.99	2676.14	3200.94	2499.55	3708.76
13.	केरल	1039.63	1039.64	1998.68	1039.63	1266.55	1586.52	1436.25	1435.18	1498.88
14.	मध्य प्रदेश	3474.22	3425.29	7583.71	3474.22	4232.53	5203.50	4799.65	4397.14	5121.94
15.	महाराष्ट्र	4580.15	3842.09	10288.29	4580.15	5579.85	5162.82	6327.50	5712.39	5765.27
16.	मणिपुर	287.00	13.02	एनआर	221.40	0.00	0.00	385.88	56.75	एनआर

के लिए केन्द्रीय आबंटन केन्द्रीय रिलीज और व्यय

(लाख रु. में)

आई.ए.वाई. (2001-02)			आई.ए.वाई. (2002-03)			आई.ए.वाई. (2003-04)		
केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीज	व्यय	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीज	व्यय	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीज	व्यय
72	73	74	75	76	77	78	79	80
11794.45	18086.39	15553.62	12070.22	12357.15	16275.62	13669.37	12946.66	16063.49
555.06	527.56	822.02	569.92	738.43	449.12	627.75	797.11	693.74
12489.11	8621.13	10974.00	12823.65	9987.33	9317.66	14124.59	14702.75	11250.40
32038.79	19973.04	30940.08	32787.84	19729.90	20708.01	37131.83	25848.10	28219.09
2016.89	2067.53	2796.40	2064.05	2027.85	2194.93	2337.51	2520.38	2650.52
76.20	53.03	56.88	77.98	39.00	27.72	88.32	69.56	66.61
3389.92	6124.94	4364.16	3468.85	5518.01	4670.68	3928.46	3744.63	5233.89
1146.14	1392.29	1677.30	1172.95	1189.76	1683.86	1328.34	1365.84	1833.58
507.06	853.17	706.68	518.91	857.59	363.14	587.66	574.15	554.77
606.54	1023.27	1143.06	620.72	458.65	637.85	702.96	698.16	1253.69
9413.29	3852.51	3186.32	9633.38	5455.84	2446.40	10909.67	8693.63	9696.91
6100.88	5278.94	7261.22	6243.55	4852.22	5781.78	7070.71	6580.16	6555.68
3780.58	3815.93	4618.14	3868.97	2970.30	3576.24	4381.56	4272.75	5767.37
7038.38	7469.59	9534.23	7202.92	7018.01	6314.11	8157.24	8333.54	8506.76
10824.79	10893.45	18346.48	11077.83	10109.70	10796.55	12545.56	12315.63	15004.83
661.80	334.36	एनआर	679.51	260.01	178.14	748.47	446.05	188.70

1	2	63	64	65	66	67	68	69	70	71
17.	मेघालय	321.55	83.38	305.43	248.05	27.51	50.01	432.33	33.78	114.41
18.	मिजोरम	74.41	64.17	101.77	57.40	86.08	29.23	100.04	99.96	81.39
19.	नागालैंड	220.57	69.98	65.99	170.16	83.15	79.40	296.58	157.80	105.63
20.	उड़ीसा	3509.50	2744.13	6138.55	3509.50	4181.99	3343.10	4848.39	4553.07	4769.66
21.	पंजाब	330.22	325.37	635.92	330.22	391.58	383.43	456.20	443.97	671.96
22.	राजस्थान	1759.38	1759.38	3462.03	1759.38	2152.97	1710.50	2430.60	2261.24	2339.30
23.	सिक्किम	82.38	82.38	231.06	63.55	95.33	86.57	110.76	110.76	178.70
24.	तमिलनाडु	2713.06	2713.06	5445.97	2713.06	3290.35	3588.32	3748.10	3690.70	5610.47
25.	त्रिपुरा	518.20	622.08	1116.40	399.75	599.65	697.06	696.73	696.74	817.62
26.	उत्तर प्रदेश	10509.37	6316.37	15536.66	10509.37	7126.87	9247.01	14518.73	11756.85	15675.91
27.	उत्तरांचल	552.30	496.90	1558.90	552.30	667.95	829.56	763.00	619.80	1356.48
28.	पश्चिमी बंगाल	3900.11	78.26	2865.13	3900.11	1121.19	4325.29	5388.41	2617.59	4103.16
29.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	50.00	12.50	23.33	50.00	0.00	14.41	50.00	0.00	4.21
30.	दादरा और नागर हवेली	50.00	0.00	0.99	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	6.16
31.	दमन और दीव	50.00	0.00	1.44	50.00	0.00	एनआर	50.00	0.00	एनआर
32.	लक्षद्वीप	50.00	0.00	0.10	50.00	0.00	0.60	50.00	0.41	2.53
33.	पांडिचेरी	50.00	28.93	60.32	50.00	53.64	52.64	50.00	25.00	44.50
	योग	58150.00	40111.71	96720.07	56793.00	50473.76	63056.69	80000.41	64037.53	80320.16

72	73	74	75	76	77	78	79	80
879.29	441.45	460.15	902.85	906.15	312.86	994.44	481.18	824.60
211.09	174.34	223.78	216.73	174.58	130.52	238.73	319.91	188.48
567.62	583.81	622.27	582.84	291.42	653.83	641.95	673.94	412.04
9494.97	46488.04	18158.99	9716.97	32543.45	66404.87	11004.35	27731.05	26132.25
759.25	862.13	919.92	777.00	598.55	741.84	879.95	802.72	1059.94
3198.28	3315.96	4635.03	3273.06	3149.31	3915.40	3706.70	3748.00	5257.82
152.17	133.82	237.31	156.25	149.87	135.27	172.10	161.71	308.97
5922.86	7079.45	12065.45	6061.33	6205.43	10015.87	6864.39	6922.99	11988.63
1283.85	1669.01	1713.38	1318.25	1977.39	1269.49	1451.97	1340.96	2749.89
21595.12	23528.40	29346.45	22100.04	20996.84	15375.26	25028.00	24672.82	13674.18
2242.99	1364.63	2464.75	2295.43	2011.59	1895.77	2599.55	3263.04	3977.92
12729.32	10704.46	12293.36	13026.91	10161.08	10781.48	14752.84	12892.42	11869.40
143.47	171.55	145.89	146.82	40.32	31.76	166.27	110.44	102.17
75.29	49.70	16.42	77.05	0.00	3.48	87.26	33.55	एनआर
31.16	15.58	9.12	31.89	0.00	6.44	36.12	0.00	0.37
2.44	1.62	3.10	2.50	2.50	2.75	2.83	2.83	2.76
71.22	23.31	42.09	72.90	74.63	40.55	82.55	41.28	35.16
161799.97	186974.39	195338.05	165640.07	162852.86	197139.25	187050.00	187107.94	192124.64

विवरण-III

वर्ष 2001-02 से 2003-04 के दौरान ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय आबंटन केन्द्रीय रिलीज और व्यय

(लाख रु. में)

क्र. सं	राज्य का नाम	ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. (2001-02)			ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. (2002-03)			ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. (2003-04)		
		केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीज	व्यय	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीज	व्यय	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीज	व्यय
1	2	81	82	83	84	85	86	87	88	89
1.	आंध्र प्रदेश	13889.68	14277.64	14047.34	14865.00	17823.92	14283.20	13112.00	13112.00	15274.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	4476.00	2455.91	2365.67	4977.00	3650.00	1352.89	4962.00	4102.40	2473.79
3.	असम	7561.00	5357.67	5125.00	8407.00	5252.50	4668.25	8403.00	5772.62	4172.00
4.	बिहार	7274.00	0.00	932.28	7406.00	3703.00	2501.05	6319.00	3159.50	1857.35
5.	छत्तीसगढ़	3877.00	3977.00	3977.00	2443.00	2943.00	2106.53	1901.00	2574.00	1686.29
6.	गोवा	1455.00	727.50	166.10	122.00	0.00	10.21	105.00	0.00	11.04
7.	गुजरात	8237.00	9776.30	11169.58	6699.00	9997.75	4890.58	5690.00	8458.00	9155.91
8.	हरियाणा	3108.64	3475.92	3774.93	2946.00	3346.00	2822.63	2662.00	2662.00	2662.00
9.	हिमाचल प्रदेश	5559.41	6457.21	6362.88	5643.00	8244.75	4304.29	4927.00	5137.00	3498.57
10.	जम्मू-कश्मीर	10105.88	6292.10	8157.16	12388.00	11196.39	4951.35	10898.00	12850.63	7906.50
11.	झारखण्ड	3619.00	1809.50	एनआर	3063.00	1949.80	1918.50	2575.00	2060.00	1113.91
12.	कर्नाटक	13547.74	13861.68	7025.76	12313.00	14355.36	4479.62	11312.00	12062.00	7297.07
13.	केरल	6331.00	5045.00	4233.27	3698.00	1899.30	3102.35	3645.00	4268.71	2262.45
14.	मध्य प्रदेश	8877.00	9077.00	8438.42	7159.00	9586.08	7094.56	6079.00	7310.00	5625.15
15.	महाराष्ट्र	19159.00	19659.00	20467.22	16829.00	19336.24	10379.88	15710.00	15710.00	11069.11
16.	मणिपुर	1643.00	821.50	517.23	1826.00	947.00	398.82	1833.00	1624.15	11.10
17.	मेघालय	1760.00	1215.51	1518.38	1957.00	2935.50	1014.04	1967.00	1811.78	1302.24
18.	मिजोरम	1257.00	1634.10	1255.48	1398.00	2105.00	894.00	1386.00	1386.00	1779.20
19.	नागालैंड	1308.00	1700.40	1700.40	1454.00	2181.00	1628.40	1453.00	1626.73	1671.12

1	2	81	82	83	84	85	86	87	88	89
20.	उड़ीसा	6522.00	4852.09	6483.23	6225.00	5829.80	3255.37	5303.00	4713.81	3151.50
21.	पंजाब	2277.00	1985.50	2085.73	2581.00	3081.00	1884.77	2269.00	2269.00	1560.11
22.	राजस्थान	24499.65	20713.73	21830.98	26750.00	23620.38	23058.80	22026.00	23368.51	18982.32
23.	सिक्किम	536.00	696.80	696.80	597.00	895.50	298.40	603.00	763.00	541.94
24.	तमिलनाडु	7956.00	8956.00	7656.00	6358.00	7558.00	6358.00	4869.00	6269.00	6392.79
25.	त्रिपुरा	1559.00	2026.70	1578.94	1734.00	2427.60	1454.81	1743.00	1903.00	2131.75
26.	उत्तर प्रदेश	13269.00	13063.35	7750.17	13022.00	11492.50	8004.93	11086.00	10457.00	9284.11
27.	उत्तरांचल	3356.00	3447.88	3117.39	3083.00	3683.00	1130.54	2635.00	2371.50	1299.35
28.	पश्चिमी बंगाल	8773.00	8947.63	8824.46	8545.00	10129.00	3616.56	6827.00	6827.00	8362.04
29.	अं. और नि. द्वीपसमूह	13.00	0.00	एनआर	13.00	0.00	एनआर	5.63	0.00	एनआर
30.	दादरा और नागर हवेली	7.00	0.00	10.04	7.00	0.00	एनआर	3.75	0.00	एनआर
31.	दमन और दीव	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00		
32.	लक्षद्वीप							0.00		
33.	पांडिचेरी	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	2.81	0.00	0.00
	योग	191823.00	172310.62	161567.84	184518.00	190169.37	121863.33	162315.00	164629.34	132534.71

विवरण-IV

वर्ष 2001-02 से 2003-04 के दौरान ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय आबंटन केन्द्रीय रिलीज और व्यय

(लाख रु. में)

क्र. सं	राज्य का नाम	पी.एम.जी.एस.वाई. (2001-02)			पी.एम.जी.एस.वाई. (2002-03)			पी.एम.जी.एस.वाई. (2003-04)		
		केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीज	व्यय	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीज	व्यय	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीज	व्यय
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	19000.00	22465.00	11318.00	19000.00	21929.00	एन.आर.	9000.00	10000.00	एन.आर.
2.	अरुणाचल प्रदेश	3500.00	4500.00	3934.00	3500.00	4151.00	एन.आर.	3500.00	0.00	0.00

1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.	असम	7500.00	8000.00	3767.00	7500.00	7492.00	एन.आर.	7500.00	17002.00	एन.आर.
4.	बिहार	15000.00	0.00	एन.आर.	15000.00	0.00	एन.आर.	15000.00	15000.00	एन.आर.
5.	छत्तीसगढ़	8700.00	9862.00	5471.00	8700.00	15960.00	एन.आर.	8700.00	11000.00	एन.आर.
6.	गोवा	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	5000.00	6000.00	4247.00	5000.00	5170.00	एन.आर.	5000.00	4435.00	एन.आर.
8.	हरियाणा	2000.00	3000.00	1258.00	2000.00	4475.00	एन.आर.	2000.00	799.00	एन.आर.
9.	हिमाचल प्रदेश	6000.00	7209.00	3048.00	6000.00	10457.00	एन.आर.	6000.00	6635.00	एन.आर.
10.	जम्मू-कश्मीर	2000.00	0.00	192.00	2000.00	3500.00	एन.आर.	2000.00	0.00	0.00
11.	झारखण्ड	11000.00	12000.00	2582.00	11000.00	0.00	एन.आर.	11000.00	12387.00	एन.आर.
12.	कर्नाटक	9500.00	10837.00	3341.00	9500.00	9774.00	एन.आर.	9500.00	5900.00	एन.आर.
13.	केरल	2000.00	2765.00	1014.00	2000.00	1143.00	एन.आर.	2000.00	1038.00	एन.आर.
14.	मध्य प्रदेश	21300.00	24800.00	4000.00	21300.00	45039.00	एन.आर.	21300.00	29090.00	एन.आर.
15.	महाराष्ट्र	13000.00	13450.00	7104.00	13000.00	11458.00	एन.आर.	13000.00	7500.00	एन.आर.
16.	मणिपुर	4000.00	4000.00	2000.00	4000.00	0.00	एन.आर.	2000.00	0.00	0.00
17.	मेघालय	3500.00	4572.00	3495.00	3500.00	3500.00	एन.आर.	3500.00	0.00	0.00
18.	मिजोरम	2000.00	2653.00	2041.00	2000.00	5088.00	एन.आर.	2000.00	2078.00	एन.आर.
19.	नागालैंड	2000.00	2553.00	1327.00	2000.00	2223.00	एन.आर.	2000.00	2144.00	एन.आर.
20.	उड़ीसा	17500.00	17500.00	3384.00	17500.00	17009.00	एन.आर.	17500.00	17500.00	एन.आर.
21.	पंजाब	2500.00	5500.00	2160.00	2500.00	2039.00	एन.आर.	2500.00	2735.00	एन.आर.
22.	राजस्थान	13000.00	15000.00	9098.00	13000.00	24174.00	एन.आर.	13000.00	19016.00	एन.आर.
23.	सिक्किम	2000.00	2000.00	1370.00	2000.00	1781.00	एन.आर.	2000.00	2000.00	एन.आर.
24.	तमिलनाडु	8000.00	8857.00	8857.00	8000.00	8032.00	एन.आर.	8000.00	8500.00	एन.आर.
25.	त्रिपुरा	2500.00	2685.00	1890.00	2500.00	2500.00	एन.आर.	2500.00	0.00	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	31500.00	34811.00	20800.00	31500.00	24054.00	एन.आर.	31500.00	33527.00	एन.आर.

1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27.	उत्तरांचल	6000.00	7000.00	650.00	6000.00	0.00	एन.आर.	6000.00	7041.00	एन.आर.
28.	पश्चिमी बंगाल	13500.00	14965.00	2805.00	13500.00	15952.00	एन.आर.	13500.00	13500.00	एन.आर.
29.	अं. और नि. द्वीपसमूह	1000.00	0.00	एन.आर.	1000.00	0.00	एन.आर.	1000.00	0.00	0.00
30.	दादरा और नागर हवेली	500.00	500.00	एन.आर.	500.00	0.00	एन.आर.	500.00	0.00	0.00
31.	दमन और दीव	500.00	0.00	एन.आर.	500.00	0.00	एन.आर.	500.00	0.00	0.00
32.	दिल्ली	500.00	500.00	एन.आर.	500.00	0.00	एन.आर.	500.00	0.00	0.00
33.	लक्षद्वीप	500.00	489.00	एन.आर.	500.00	0.00	एन.आर.	500.00	0.00	0.00
34.	पांडिचेरी	500.00	0.00	एन.आर.	500.00	0.00	एन.आर.	500.00	0.00	0.00
	योग	237500.00	248973.00	111653.00	237500.00	246900.00	एन.आर.	225500.00	228827.00	एन.आर.

विवरण-V

वर्ष 2001-02 से 2003-04 के दौरान ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय आबंटन केन्द्रीय रिलीज और व्यय

(लाख रु. में)

क्र. सं	राज्य का नाम	आई.डब्ल्यू.डी.पी. (2001-02)			आई.डब्ल्यू.डी.पी. (2002-03)			आई.डब्ल्यू.डी.पी. (2003-04)		
		केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीज	व्यय	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीज	व्यय	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीज	व्यय
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	आंध्र प्रदेश	5551.78	5551.78	5551.78	1395.33	1395.33	1395.33	3444.82	3444.82	एन.आर.
2.	अरुणाचल प्रदेश	85.86	85.86	85.86	458.64	458.64	458.64	351.89	351.89	एन.आर.
3.	असम	1619.93	1619.93	1619.93	1440.19	1440.19	1440.19	1729.91	1729.91	एन.आर.
4.	बिहार	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	371.25	371.25	एन.आर.
5.	छत्तीसगढ़	3397.14	3397.14	3397.14	549.54	549.54	549.54	1197.26	1197.26	एन.आर.
6.	गोवा							82.50	82.50	एन.आर.
7.	गुजरात	1132.29	1132.29	1132.29	1494.42	1494.42	1494.42	1733.56	1733.56	एन.आर.

1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23
8.	हरियाणा	577.59	577.59	577.59	206.27	206.27	206.27	388.55	388.55	एन.आर.
9.	हिमाचल प्रदेश	1209.04	1209.04	1209.04	1500.73	1500.73	1500.73	1349.51	1349.51	एन.आर.
10.	जम्मू-कश्मीर	321.07	321.07	321.07	220.86	220.86	220.86	241.96	241.96	एन.आर.
11.	झारखण्ड	77.65	77.65	77.65	193.63	193.63	48.30	272.25	272.25	एन.आर.
12.	कर्नाटक	1609.94	1609.94	755.32	1394.38	1394.38	630.94	2319.84	2319.84	एन.आर.
13.	केरल	269.36	269.36	269.36	96.20	96.20	96.20	314.75	314.75	एन.आर.
14.	मध्य प्रदेश	9024.15	9024.15	9024.15	3089.13	3089.13	3089.13	2866.22	2866.22	एन.आर.
15.	महाराष्ट्र	2067.37	2067.37	2067.37	705.08	705.08	705.08	949.41	949.41	एन.आर.
16.	मणिपुर	327.99	327.99	327.99	642.18	642.18	642.18	313.25	313.25	एन.आर.
17.	मेघालय	53.37	53.37	53.37	23.68	23.68	23.68	443.65	443.65	एन.आर.
18.	मिजोरम	481.91	481.91	481.91	1156.16	1156.16	1156.16	612.44	612.44	एन.आर.
19.	नागालैंड	1162.69	1162.69	1162.69	1740.56	1740.56	1740.56	1868.31	1868.31	एन.आर.
20.	उड़ीसा	1885.51	1885.51	1885.51	885.06	885.06	885.06	1940.11	1940.11	एन.आर.
21.	पंजाब	186.61	186.61	186.61				50.66	50.66	एन.आर.
22.	राजस्थान	2810.05	2810.05	2810.05	772.06	772.06	772.06	2097.32	2097.32	एन.आर.
23.	सिक्किम	371.91	371.91	371.91	184.12	184.12	184.12	268.98	268.98	एन.आर.
24.	तमिलनाडु	743.00	743.00	743.00	837.95	837.95	837.95	1993.50	1993.50	एन.आर.
25.	त्रिपुरा	160.23	160.23	160.23				31.61	31.61	एन.आर.
26.	उत्तर प्रदेश	1663.85	1663.85	1663.85	1657.04	1657.04	1657.04	1974.33	1974.33	एन.आर.
27.	उत्तरांचल	305.30	305.30	305.30	335.90	335.90	335.90	364.30	364.30	एन.आर.
28.	पश्चिमी बंगाल	517.38	517.38	517.38	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	82.50	82.50	एन.आर.
29.	अं. और नि. द्वीपसमूह	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
30.	दादरा और नागर हवेली	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
31.	दमन और दीव	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.

1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23
32.	दिल्ली	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
33.	लक्षद्वीप	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
34.	पांडिचेरी	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
	योग	37678.97	37678.97	36824.35	21045.01	21045.04	20136.24	29654.64	29654.64	0.00

विवरण-VI

वर्ष 2001-02 से 2003-04 के दौरान ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय आबंटन केन्द्रीय रिलीज और व्यय

(लाख रु. में)

क्र. सं	राज्य का नाम	डी.पी.ए.पी. (2001-02)			डी.पी.ए.पी. (2002-03)			डी.पी.ए.पी. (2003-04)		
		केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीज	व्यय	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीज	व्यय	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीज	व्यय
1	2	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1.	आंध्र प्रदेश	4067.00	4067.00	4067.00	4855.02	4855.02	4855.02	4937.40	937.40	एन.आर.
2.	अरुणाचल प्रदेश									
3.	असम									
4.	बिहार	242.06	242.06	242.06	249.75	249.75	249.75	323.07	323.07	एन.आर.
5.	छत्तीसगढ़	700.28	700.28	700.28	1599.63	1599.63	1599.63	1329.11	1329.11	एन.आर.
6.	गोवा									
7.	गुजरात	1165.31	1165.31	1165.31	3273.16	3273.16	3273.16	3363.14	3363.14	एन.आर.
8.	हरियाणा									
9.	हिमाचल प्रदेश	317.00	317.00	317.00	370.82	370.82	370.82	529.67	529.67	एन.आर.
10.	जम्मू-कश्मीर	297.00	297.00	297.00	222.75	222.75	222.75	422.20	422.20	एन.आर.
11.	झारखण्ड	882.12	882.12	882.12	553.50	553.50	555.22	1212.34	1212.34	एन.आर.
12.	कर्नाटक	2094.00	2094.00	834.19	2265.04	2265.04	1189.40	3215.77	3215.77	एन.आर.

1	2	24	25	26	27	28	29	30	31	32
13.	केरल									
14.	मध्य प्रदेश	4361.00	4361.00	4361.00	4721.06	4721.06	4721.06	5021.66	5021.66	एन.आर.
15.	महाराष्ट्र	2010.00	2010.00	2010.00	1294.64	1294.64	1294.64	1434.30	1434.30	एन.आर.
16.	मणिपुर									
17.	मेघालय									
18.	मिजोरम									
19.	नागालैंड									
20.	उड़ीसा	970.10	970.10	970.10	901.11	901.11	901.11	1045.92	1045.92	एन.आर.
21.	पंजाब									
22.	राजस्थान	1195.13	1195.13	1383.11	1430.96	1430.96	1430.96	1979.36	1979.36	एन.आर.
23.	सिक्किम									
24.	तमिलनाडु	865.00	865.00	865.00	1055.56	1055.56	1055.56	2401.60	2401.60	एन.आर.
25.	त्रिपुरा									
26.	उत्तर प्रदेश	906.00	906.00	906.00	1717.88	1717.88	1717.88	1498.13	1498.13	एन.आर.
27.	उत्तरांचल	511.00	511.00	511.00	376.37	376.37	376.37	473.36	473.36	एन.आर.
28.	पश्चिमी बंगाल	318.00	318.00	318.00	108.00	108.00	108.00	243.00	243.00	एन.आर.
29.	अं. और नि. द्वीपसमूह									
30.	दादरा और नागर हवेली									
31.	दमन और दीव									
32.	दिल्ली									
33.	लक्षद्वीप									
34.	पांडिचेरी									
	योग	20901.00	20901.00	19839.17	24995.25	24995.25	23921.33	29480.03	29480.03	0.00

विवरण-VII

वर्ष 2001-02 से 2003-04 के दौरान ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय आबंटन केन्द्रीय रिलीज और व्यय

(लाख रु. में)

क्र. सं	राज्य का नाम	डी.डी.पी. (2001-02)			डी.डी.पी. (2002-03)			डी.डी.पी. (2003-04)			टी.एस.सी (2003-04)		
		केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीज	व्यय	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीज	व्यय	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीज	व्यय	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीज	व्यय
1	2	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
1.	आंध्र प्रदेश	999.00	999.00	999.00	1212.45	1212.45	1212.45	566.68	566.68	566.68	36018.31	9850.97	19239.16
2.	अरुणाचल प्रदेश										507.51	152.26	362.65
3.	असम										2556.33	742.91	150.60
4.	बिहार										16903.17	4336.09	555.92
5.	छत्तीसगढ़										5853.93	1405.14	281.51
6.	गोवा										415.58	0.00	0.00
7.	गुजरात	2258.37	2258.37	2258.37	3418.14	3418.14	3418.14	5612.08	5612.08	5612.08	2143.52	453.75	492.62
8.	हरियाणा	1483.00	1483.00	1483.00	1809.78	1809.78	1809.78	1920.32	1920.32	1920.32	4667.67	1490.05	725.58
9.	हिमाचल प्रदेश	514.13	514.13	514.13	850.87	850.87	850.87	786.99	786.99	786.99	691.11	132.82	466.03
10.	जम्मू-कश्मीर	575.00	575.00	575.00	901.72	901.72	901.72	1127.54	1127.54	1127.54	4387.38	1163.26	41.21
11.	झारखण्ड										5996.93	1624.93	700.47
12.	कर्नाटक	994.43	994.43	994.43	1412.52	1412.52	654.50	2319.65	2319.65	2319.65	1856.79	758.04	528.34
13.	केरल										6099.61	2726.69	4885.74
14.	मध्य प्रदेश										27276.11	7936.25	3717.56
15.	महाराष्ट्र										22162.99	5769.95	4046.73
16.	मणिपुर										505.48	151.64	5.00
17.	मेघालय										737.91	221.37	0.00
18.	मिजोरम										115.13	11.51	0.00

1	2	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
19.	नागालैंड										532.32	132.12	399.30
20.	उड़ीसा										15905.11	3179.96	3185.74
21.	पंजाब										3547.86	1182.33	252.58
22.	राजस्थान	8164.26	8164.26	8164.26	8893.54	8893.54	8893.54	9146.74	9146.74	9146.74	8699.71	2003.42	321.03
23.	सिक्किम										414.74	272.82	298.73
24.	तमिलनाडु										18639.10	8543.56	12273.63
25.	त्रिपुरा										2283.64	1940.72	2362.50
26.	उत्तर प्रदेश										28409.70	10881.26	7573.65
27.	उत्तरांचल										3434.40	702.41	11.74
28.	पश्चिमी बंगाल										14213.95	6087.89	13049.19
29.	अं. और नि. द्वीपसमूह												
30.	दादरा और नागर हवेली										35.50	3.15	0.00
31.	दमन और दीव												
32.	दिल्ली												
33.	लक्षद्वीप												
34.	पांडिचेरी										158.06	94.84	30.81
	योग	14988.19	14988.19	14988.19	18499.02	18499.02	17741.00	21480.00	21480.00	21480.00	235011.49	73857.27	75927.21

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में रेलमार्गों को परस्पर जोड़ना

1252. श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलमार्गों को परस्पर जोड़ने के संबंध में प्राथमिकताओं का ब्योरा क्या है;

(ख) मध्य प्रदेश में कतंगी और तिरेडी जिन्हें अभी रेल से जोड़ा जाना है के बीच की दूरी कितनी है;

(ग) इन दो स्थानों के बीच प्रस्तावित रेलमार्ग का ब्योरा क्या है;

(घ) क्या इस प्रयोजनार्थ कोई आरंभिक सर्वेक्षण किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में एक विस्तृत सर्वेक्षण हेतु जारी किए गए अनुदेशों का ब्योरा क्या है; और

(च) नैनपुर और सिवनी के बीच आमान परिवर्तन की स्थिति क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) रेलमार्गों की इंटरलिंकिंग से संबंधित कोई परिभाषित दिशानिर्देश नहीं है। बहरहाल, नई लाइनों और आमान परिवर्तनों, जो कभी-कभार मार्गों के बीच इंटरकनेक्शन उपलब्ध कराते हैं, को शुरू करने से संबंधित प्रस्तावों के बारे में परिचालनिक और अन्य तथ्यों के आधार पर विचार किया जाता है।

(ख) से (ङ) 2001-02 में कटंगी-तिरोड़ी नई लाइन के लिए टोह इंजीनियरी-एवं यातायात सर्वेक्षण पूरा किया गया था जिसके अनुसार इस 15.36 कि.मी. लंबी लाइन के निर्माण की लागत (-) 10.51% के प्रतिफल की दर से 34.39 करोड़ रुपए आंकी गई थी। अलाभप्रद प्रकृति, चालू परियोजनाओं के लिए थ्रो-फारवर्ड अधिक होने और संसाधनों की कमी के कारण इस प्रस्ताव पर कार्रवाई नहीं की जा सकी।

(च) नैनपुर-छिंदवाड़ा छोटे आमान खंड पर एक स्टेशन सिवनी है। नैनपुर-छिंदवाड़ा (139.6 किमी.) खंड को छोटी लाइन से बड़ी लाइन में बदलने के लिए 2003-04 में किए गए प्रारंभिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण से पता चला है कि इस परियोजना की लागत (-) 5% से कम के प्रतिफल की दर से लगभग 228.22 करोड़ रुपए होगी। परियोजना की अलाभप्रद प्रकृति, चालू परियोजना के थ्रो-फारवर्ड अधिक होने और संसाधनों की अत्यधिक तंगी को देखते हुए इस प्रस्ताव पर विचार करना फिलहाल व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

[अनुवाद]

स्वसहायता समूहों के कार्यकरण को चुस्त-दुरूस्त बनाना

1253. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत देश में गठित स्वसहायता समूहों (एस.जी.एच.) के नाम और राज्यवार संख्या क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान देश में विशेषकर मध्य प्रदेश में इन स्वसहायता समूहों द्वारा कौन-कौन से विभिन्न कार्यकलाप किये गये;

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव इन स्वसहायता समूहों के कार्यकरण को चुस्त-दुरूस्त बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस..जी.एस.वाई.) के अंतर्गत योजना की शुरूआत से आज तक 17.52 लाख स्वसहायता समूह बनाए गए हैं। राज्यवार ब्योरा सलंग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत स्वसहायता समूह मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में विभिन्न प्रकार के क्रिया-कलापों में लगे हुए हैं जिनमें जमीन से संबंधित क्रियाकलाप, पशुपालन, हस्तकरघा, हस्तशिल्प, ग्रामीण उद्योग, कृषि प्रसंस्करण, निर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल हैं।

(ग) और (घ) राज्यों को सलाह दी गई है कि वे स्वसहायता समूहों की क्षमता निर्माण, समूह संचालन में प्रशिक्षण एवं कौशल विकास, ऋण संपर्क, स्वसहायता समूहों को विपणन, प्रौद्योगिकी एवं बुनियादी सहायता प्रदान करने के लिए सुविधादाताओं/गैर-सरकारी संगठनों की सेवाएं लेकर स्वसहायता समूहों की कार्य-प्रणाली में सुधार लाएं।

विवरण

1.4.99 से बनाए गए स्वयं सहायता समूह राज्यवार

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1.4.99 से बनाए गए स्वयं सहायता समूह
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	372533
2.	अरुणाचल प्रदेश	192
3.	असम	84387
4.	बिहार	61639
5.	छत्तीसगढ़	42571
6.	गोवा	336
7.	गुजरात	90433

1	2	3
8.	हरियाणा	6630
9.	हिमाचल प्रदेश	6518
10.	जम्मू-कश्मीर	5858
11.	झारखंड	14301
12.	कर्नाटक	29880
13.	केरल	45902
14.	मध्य प्रदेश	229906
15.	महाराष्ट्र	88029
16.	मणिपुर	0
17.	मेघालय	2652
18.	मिजोरम	927
19.	नागालैंड	494
20.	उड़ीसा	107171
21.	पंजाब	2339
22.	राजस्थान	23010
23.	सिक्किम	451
24.	तमिलनाडु	141595
25.	त्रिपुरा	13061
26.	उत्तर प्रदेश	287013
27.	उत्तरांचल	16997
28.	पं. बंगाल	76303
29.	अ. और नि. द्वीपसमूह	165
30.	दादरा और नागर हवेली	0
31.	दमन व दीव	12
32.	लक्षद्वीप	2
33.	पांडिचेरी	1065
	जोड़	1752372

नाग प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण

1254. श्री कीर्तिवर्धन सिंह :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में टैंक-रोधी प्रक्षेपास्त्र नाग का परीक्षण किया गया;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सभी आवश्यकताओं को पूरा करने में सफल है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) इस प्रक्षेपास्त्र को कब तक सेना को सौंप दिए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दिनांक 10.6.2004 और 03.7.2004 को किए गए दोनों उड़ान परीक्षण सफल हुए थे और उन्होंने अपने लिए निर्धारित सभी मिशन उद्देश्य पूरे किए। पहली उड़ान के दौरान प्रक्षेपास्त्र को इमेजिंग इंफ्रा रेड सीकर का इस्तेमाल करके टॉप आक्रमण पद्धति में लक्ष्य की ओर निर्देशित किया गया था और इसने सीधे लक्ष्य पर वार किया था तथा दूसरी उड़ान के दौरान मुख्यास्त्र अधिस्फोटन अनुक्रम का सफलतापूर्वक मूल्यांकन किया गया था।

(घ) 2004 के अंत तक प्रयोक्ता परीक्षण किए जाने की योजना है जिसके बाद प्रक्षेपास्त्र प्रणाली उत्पादन के चरण में प्रवेश करेगी।

रेल परियोजनाओं की निगरानी के लिए समिति

1255. श्री पी.एस. गड़वी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पांच वर्षों में पूरी की जाने वाली 62 परियोजनाओं सहित राष्ट्रीय रेल विकास योजना (एन.आर.वी.वाई.) के अंतर्गत विभिन्न रेल परियोजनाओं की निगरानी के लिए रेलवे के अतिरिक्त सदस्यों की एक समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति की संरचना क्या है और इससे संबंधित अन्य विचारार्थ विषय क्या हैं;

(ग) क्या इस समिति की सिफारिशें सरकार पर बाध्य होंगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) इस समिति में रेलवे बोर्ड के अधिकारी अपर सदस्य/योजना, अपर सदस्य/निर्माण, अपर सदस्य/बजट, अपर सदस्य/वाणिज्य, अपर सदस्य/सिगनल और अपर सदस्य/बिजली शामिल हैं। यह समिति गैर बजटीय संसाधनों को बढ़ाने सहित राष्ट्रीय रेल विकास योजना के कार्यान्वयन के सभी पहलुओं पर निगरानी रखेगी।

समिति की भूमिका मुख्यत: योजना के कार्यान्वयन पर निगरानी रखना है।

[हिन्दी]

नयी रेल लाइनों का निर्माण

1256. श्री वाई.जी. महाजन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में कितनी लंबी नयी रेल लाइन बिछायी गयीं और इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान महाराष्ट्र में नयी रेल लाइन बिछाने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्मित नई रेल लाइनों की कुल लंबाई 434 कि. मी. है। पिछले तीन वर्षों के दौरान सभी नई लाइन परियोजनाओं पर लगभग 4,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।

(ख) और (ग) अमरावती-नारखेड़ नई लाइन परियोजना के अमरावती-चंदुरबाजार (44 कि.मी.) खण्ड को 2004-05 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्रशिक्षण

1257. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंचायती राज प्रतिनिधियों को संवदनशील बनाने और उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए कौन-कौन सी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं;

(ख) पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त धनराशि में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के अंशदान का क्रमश: अनुपात क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार अपने अंशदान की राशि को बढ़ाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक निर्णय ले लिया जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) पंचायती राज के प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण और उन्हें सक्रिय बनाने की योजना का नाम "पंचायत विकास एवं प्रशिक्षण" है।

(ख) योजना के अंतर्गत राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों की कुल अनुमोदित लागत को केन्द्र और राज्य सरकार के बीच 75:25 के अनुपात में वहन किया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान में मंजूर की गयी योजनाएं

1258. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में नयी/चालू/लंबित रेल लाइनों/आमान परिवर्तन, दोहरीकरण, विद्युतीकरण की मंजूर की गयी योजनाओं का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या राजस्थान के जोधपुर जिले में पीपर रोड बिलारा में आमान परिवर्तन कार्य आरंभ किया जा चुका है; और

(ग) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) राजस्थान में नई/चालू/लंबित रेल लाइनों/आमान परिवर्तन, दोहरीकरण परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार है :-

क्र. सं.	परियोजना का नाम	किमी.	प्रत्याशित लागत	2004-05 के दौरान प्रस्तावित परिव्यय
	नई लाइनें			
1.	दौसा-गंगापुर सिटी	92.67	208.83	5.00
2.	अजमेर-पुष्कर	26.3	88.40	5.00
3.	कोलायत-फलोदी	111.394	163.93	81.00 निधि रक्षा मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है।
	आमान परिवर्तन			
1.	भीलड़ी-समदड़ी	223	244.74	20.00
2.	पीपर रोड-बिलारा	41.14	33.44	3.00
3.	उदयपुर से उमरा के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन सहित अजमेर-उदयपुर-चित्तौड़गढ़	311	455.18	41.55
4.	आगरा फोर्ट-बांदीकुई	152	175.03	40.00
5.	सादुलपुर-हिसार के आमान परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन सहित रिवाड़ी-सादुलपुर	211	268.32	5.00
6.	श्रीगंगानगर-सरूपसर कैनाल लूप (चरण-I)	116	106.09	3.21
7.	लूनी-बाड़मेर-मुनाबाओ	298.95	304.25	11.00 निधि रक्षा मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है।
	दोहरीकरण			
1.	जयपुर-फुलेरा	54.75	82.80	3.00

(ख) जी हां, कार्य शुरू किया जा चुका है।

(ग) पूरे खंड के लिए भूमि संबंधी कार्य, पुलों (लूनी पुल छोड़कर) और गिट्टी आपूर्ति के लिए ठेके दिए जा चुके हैं। विभिन्न क्रियाकलाप प्रगति पर है।

[अनुवाद]

विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में अंशदान

1259. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विभिन्न विकास योजनाओं को कार्यान्वित करने में बराबर अंशदान करना है;

(ख) यदि हां, तो बिहार, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य सरकारों ने अपना अंशदान नहीं किया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील) : (क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.), जो शत-प्रतिशत केंद्र प्रायोजित योजना है, को छोड़कर ग्रामीण विकास के प्रमुख कार्यक्रमों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 75:25 के अनुपात में निधियों की हिस्सेदारी की जाती है। संघ राज्य क्षेत्रों (दिल्ली,और चंडीगढ़ को छोड़कर, जहां कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं किए जाते) में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए पूरी धनराशि केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है।

(ख) से (घ) वर्ष 2003-04 में आंध्र प्रदेश, बिहार और कर्नाटक की सरकारों ने राज्य अंश का बड़ा हिस्सा रिलीज कर दिया गया है।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल का संकट

1260. **श्री मोहन सिंह :**
कुंवर मानवेन्द्र सिंह :
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण :
श्री मोहन रावले :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल संकट वाले गांवों की संख्या पता लगाने के लिए सर्वेक्षण कराये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और सरकार द्वारा पेयजल संकट को दूर करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं;

(ग) सरकार द्वारा देश के विभिन्न भागों में ग्रीष्म ऋतु के दौरान पेयजल के गहराते संकट से निपटने के लिए क्या तत्काल कदम उठाये गये हैं;

(घ) क्या सरकार को यह जानकारी है कि पेयजल संकट का कारण कतिपय क्षेत्रों में गिरता भू-जल स्तर है;

(ङ) यदि हां, तो भूम-जल को संरक्षित/रिचार्ज करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(च) देश में प्रभावित राज्यों को गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तिथि तक पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कितनी धनराशि उपलब्ध करायी गयी है/उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र) : (क) से (ग) जी, हां। फरवरी, 2003 के दौरान, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से ग्रामीण बसावटों में पेयजल आपूर्ति की स्थिति के संबंध में नवीन सर्वेक्षण कराने का आग्रह किया गया है। अब तक 22 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने बसावट सर्वेक्षण के परिणाम प्रस्तुत किए हैं, जो कि अनंतिम हैं। अनंतिम परिणामों को स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा वैधीकृत किया जाना है।

पेयजल आपूर्ति राज्यों का विषय है और पेयजल आपूर्ति सुविधाएं मुहैया कराने की योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा उनके स्वयं के संसाधनों से कार्यान्वित की जाती हैं। भारत सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए आर डब्ल्यू एस पी) के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्य सरकारों के प्रयासों में केवल मदद करती है। भारत सरकार प्राकृतिक आपदा से प्रभावित राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कृषि मंत्रालय/गृह मंत्रालय के माध्यम से राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष (एन सी सी एफ) और आपदा राहत कोष (सी आर एफ) का प्रबंध करती रही है। जहां तक पेयजल आपूर्ति विभाग का संबंध है, वर्ष 2002-03 से, वित्तीय वर्ष में ए आर डब्ल्यू एस पी के अंतर्गत आबंटित निधियों का 5% प्रत्येक वर्ष प्राकृतिक आपदाओं एवं आकस्मिक परिस्थितियों से उत्पन्न होने वाली आकस्मिकताओं से निपटने के लिए निर्धारित किया जाता रहा है। इन प्रावधानों का उपयोग केवल उन्हीं क्षेत्रों में किया जा सकता है जिन्हें राज्य सरकार द्वारा आपदा प्रभावित क्षेत्रों के रूप में घोषित किया गया है या जहां आकस्मिक परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं और इसके बारे में विधिवत सूचित किया गया है। इस निर्धारित 5% ए आर डब्ल्यू एस पी निधि में से की गई रिलीजों की वर्ष-वार और राज्य-वार स्थिति संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(घ) और (ङ) जी, हां। वर्षा जल एकत्रीकरण न्यूनतम साझा कार्यक्रम में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक है। राज्य सरकारों को सभी ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं में वर्षाजल एकत्रीकरण को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। 5% ए आर डब्ल्यू एस पी निधियां स्रोतों के स्थायित्व के लिए निर्धारित की जाती हैं, जिसमें वर्षाजल एकत्रीकरण और अन्य पुनर्भरण गतिविधियां शामिल होती हैं। निधियों का इस्तेमाल पारंपरिक स्रोतों को फिर से चालू करने, जिसमें गाद निकालना आदि शामिल है, के लिए भी किया जा सकता है। इसके अलावा, विभाग

ने राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की मदद से पुनर्भरण गतिविधियों के लिए परिवारों, समुदायों और संस्थाओं में वर्षाजल एकत्रीकरण की एक नई योजना शुरू करने के लिए प्रस्ताव तैयार किया है। भारत सरकार ने राज्य सरकारों को एक मॉडल बिल भी परिचालित किया है जिसके जरिए राज्य सरकारें अपने राज्यों में भू-जल के उपयोग को विनियमित करेगी।

(च) ग्रामीण बसावटों में पेयजल सुविधाएं मुहैया कराने में राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद करने के लिए, भारत सरकार त्वरित ग्रामीण ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम नामक केंद्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। प्रधानमंत्री जी द्वारा 15.8.2002 को की गई घोषणा के अनुसार राज्यों को ए आर डब्ल्यू एस पी के अंतर्गत एक लाख हैंड-पंप लगाने, एक लाख प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल सुविधाएं मुहैया कराने और पेयजल के एक लाख पारंपरिक स्रोतों को फिर से चालू करने के लिए निधियां भी रिलीज की जाती हैं। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आज की तारीख तक ए आर डब्ल्यू एस पी के अंतर्गत आबंटित/रिलीज की गई निधियों के राज्य-वार ब्योरे सलंग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

प्राकृतिक आपदाओं एवं आकस्मिक परिस्थिति के लिए निर्धारित 5 प्रतिशत त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम निधि में से की गई वर्षवार रिलीज

(लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	केन्द्रीय रिलीज			
		2002-03	2003-04	2004-05	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	1150.00	0.00	1724.00	2874.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	750.00	802.40	0.00	1552.40
3.	असम	0.00	70.90	0.00	70.90
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	0.00	673.00	0.00	673.00
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	1353.00	2768.00	0.00	4121.00
8.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	890.00	210.00	0.00	1100.00
10.	जम्मू-कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	झारखण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	157.68	750.00	0.00	907.68
13.	केरल	0.00	770.95	280.00	1050.95
14.	मध्य प्रदेश	1027.08	1231.00	0.00	2258.08
15.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	मणिपुर	34.00	0.00	0.00	34.00
17.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	उड़ीसा	311.25	500.00	0.00	811.25
21.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	राजस्थान	1200.00	1500.00	0.00	2700.00
23.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	तमिलनाडु	0.00	1400.00	0.00	1400.00
25.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	उत्तर प्रदेश	900.00	0.00	0.00	900.00
28.	पश्चिमी बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	7773.01	10676.25	2004.00	20453.26

विवरण-II

आपदा के लिए अतिरिक्त रिलीज सहित ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. (सामान्य) के अन्तर्गत आबंटित एवं रिलीज की गई निधियां

(लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005	
		आबंटन	रिलीज	आबंटन	रिलीज	आबंटन	रिलीज	आबंटन	रिलीज (02-07-2004)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	13044.00	13601.10	13477.00	166481.42	11688.00	11688.00	9661.00	6554.50
2.	बिहार	7274.00	0.00	7406.00	7303.00	6319.00	3159.50	5467.00	0.00
3.	छत्तीसगढ़	3877.00	3977.00	2443.00	2943.00	1901.00	2574.00	1966.00	983.00
4.	गोवा	1455.00	727.50	122.00	0.00	105.00	0.00	89.00	0.00
5.	गुजरात	7837.0	9376.30	6546.00	9844.75	5537.00	8305.00	4890.00	2445.00
6.	हरियाणा	2200.00	2200.00	2002.00	2402.00	1694.00	1694.00	1458.00	729.00
7.	हिमाचल प्रदेश	5552.00	6452.00	5635.00	8225.00	4919.00	5129.00	4007.00	2003.50
8.	जम्मू-कश्मीर	9896.00	6292.10	12324.00	11164.39	10833.00	12800.00	9231.00	4615.50
9.	झारखण्ड	3619.00	1809.50	3063.00	1949.80	2575.00	2060.00	2178.00	1088.83
10.	कर्नाटक	12414.00	12714.00	11136.00	13568.68	10104.00	10854.00	7418.00	3708.89
11.	केरल	6331.00	5045.00	3698.00	1899.30	3645.00	4268.71	2914.00	280.00
12.	मध्य प्रदेश	8877.00	9077.00	7159.00	9586.08	6079.00	7310.00	5719.00	2859.50
13.	महाराष्ट्र	19159.00	19659.00	16829.00	19336.24	15710.00	15710.00	11792.00	5896.00
14.	उड़ीसा	6522.00	4852.09	6225.00	5829.80	5303.00	4713.81	5120.00	2560.00
15.	पंजाब	2277.00	1985.50	2581.00	3081.00	2269.00	2269.00	2078.00	1039.00
16.	राजस्थान	18705.00	14919.08	20731.00	18825.30	15852.00	17194.51	15057.00	7528.35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	तमिलनाडु	7956.00	8956.00	6358.00	7558.00	4869.00	6269.00	5261.00	2630.50
18.	उत्तरांचल	3356.00	3447.88	3083.00	3683.00	2635.00	2371.50	2241.00	1120.50
19.	उत्तर प्रदेश	13269.00	13063.35	13022.00	11349.46	11086.00	10457.00	9592.00	0.00
20.	पश्चिमी बंगाल	8773.00	8947.63	8545.00	10115.00	6827.00	6827.00	6296.00	3148.00
21.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	13.00	0.00	13.00	0.00	5.63	0.00	5.63	0.00
22.	चण्डीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	दादरा और नागर हवेली	7.00	0.00	7.00	0.00	3.75	0.00	3.75	0.00
24.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	दिल्ली	5.00	0.00	5.00	0.00	2.81	0.00	2.81	0.00
26.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	पांडिचेरी	5.00	0.00	5.00	0.00	2.81	0.00	2.81	0.00
28.	अरुणाचल प्रदेश	4476.00	2455.91	4977.00	3650.00	4962.00	4102.40	5570.00	2785.00
29.	असम	7561.00	5357.67	8407.00	5252.50	8403.00	5772.62	9395.00	0.00
30.	मणिपुर	1643.00	821.50	1826.00	947.00	1833.00	1624.15	1912.00	956.00
31.	मेघालय	1760.00	1215.51	1957.00	2935.50	1967.00	1811.78	2203.00	0.00
32.	मिजोरम	1257.00	1634.10	1398.00	2097.00	1386.00	1386.00	1580.00	790.00
33.	नागालैण्ड	1308.00	1700.40	1454.00	2181.00	1453.00	1626.73	1621.00	810.50
34.	सिक्किम	536.00	696.80	597.00	895.50	603.00	763.00	665.00	0.00
35.	त्रिपुरा	1559.00	2026.70	1734.00	2427.60	1743.00	1903.00	1954.00	977.00
	कुल	182523.00	163010.62	174765.00	331931.32	152315.00	154643.71	137350.00	55508.57

ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. (मरूभूमि विकास कार्यक्रम) के अन्तर्गत निधियों की रिलीज

(लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2001-02 रिलीज	2002-03 रिलीज	2003-04 रिलीज	2004-05 रिलीज (2.7.04 की स्थिति के अनुसार)
1.	आन्ध्र प्रदेश	676.54	1342.50	1424.00	304.50
2.	गुजरात	400.00	153.00	153.00	33.00
3.	हरियाणा	1275.92	944.00	968.00	330.00
4.	हिमाचल प्रदेश	5.21	4.00	8.00	5.00
5.	जम्मू-कश्मीर	0.00	32.00	50.63	165.00
6.	कर्नाटक	1147.68	786.68	1208.00	779.50
7.	राजस्थान	5794.65	4770.66	6174.00	3983.00
	कुल	9300.00	8032.84	9985.63	5600.00

[अनुवाद]

हिमाचल प्रदेश में लंबित और चालू रेल परियोजना

1261. डा. कर्नल (सेवानिवृत) धनीराम शांडिल्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में लंबित/चालू रेल परियोजनाओं/सर्वेक्षणों का ब्योरा क्या है और तत्संबंधी परियोजनावार कितनी प्रगति की गई है;

(ख) इनमें से प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गयी और अब तक इन पर कितनी धनराशि खर्च की गयी;

(ग) क्या कुछ परियोजनाएं निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके परियोजनावार कारण क्या हैं; और

(ङ) सरकार ने इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) हिमाचल प्रदेश में लंबित/चालू रेल परियोजनाओं साथ ही निधियों के आबंटन, किए गए व्यय और प्रगति के ब्योरे निम्नानुसार हैं :–

(रुपए करोड़ में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	प्रत्याशित लागत	मार्च, 2004 तक किया गया प्रत्याशित व्यय	2004-05 के दौरान प्रस्तावित परिव्यय	स्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	मुकेरियन-तलवाड़ा साइडिंग का अधिग्रहण करके नांगल डैम-तलवाड़ा के बीच बड़े आमान की नई लाइन	210.00	91.47	11.00	नांगल और ऊना (17 किमी.) के बीच नई बड़ी लाइन का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है और इसे चालू कर दिया गया है। ऊना-चुरारू टकराला (16 किमी.) का निर्माण कार्य भी पूरा कर लिया गया है और रेल संरक्षा आयोग द्वारा इस पर पैसेंजर गाड़िया चलाने की

					स्वीकृति दे दी गई है। अगले ब्लाक खंड अर्थात् चुरारू टकराला और आंब अंदूरारा (11 किमी.) के लिए विस्तृत अनुमान की स्वीकृति दे दी गई है। भूमि के अधिग्रहण में विलंब हो रहा है चूंकि वन विभाग से क्लियरेंस की प्रतीक्षा की जा रही है।
2.	कालका-परवानू के बीच बड़े आमान की नई लाइन	27.90	0.15	0.15	हिमाचल प्रदेश में कांबली गांव में भूमि के अधिग्रहण से संबंधित मामले पर हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ बातचीत की गई है, जिन्होंने टर्मिनस स्टेशन के स्थान को कांबली से बदलकर तिपरा करने का प्रस्ताव दिया है। तिपरा में जगह की कमी को देखते हुए, राज्य सरकार को मामले पर पुन: विचार करने के लिए कहा गया है। राज्य सरकार का अंतिम निर्णय पता चलने पर और भूमि उपलब्ध होने पर ही इस लाइन के निर्माण का वास्तविक कार्य शुरू किया जाएगा।
3.	जालंधर-पठानकोट-जम्मू तवी के बीच दोहरी लाइन बिछाना	408.69	95.42	33.97	जालंधर-पठानकोट-जम्मू तवी खंड का लगभग 11 किमी. भाग हिमाचल प्रदेश राज्य में पड़ता है। परियोजना के लिए विस्तृत अनुमान की स्वीकृति दे दी गई है। यह कार्य पूरे जोर-शोर से किया जा रहा है और तीन खंडों अर्थात् सूचीपिंड-भोगपुर-सिरवाल (26 किमी.) मुकेरियन-मिरथल (18 किमी.) और भारोली-माधोपुर पंजाब (13 किमी.) का कार्य 2004-05 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस पूरी परियोजना को 2007-08 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

राज्य में भानुपलि-बिलासपुर नई लाइन के लिए अद्यतन सर्वेक्षण को शुरू किए जाने का प्रस्ताव है, जिसे 2004-05 के बजट में शामिल कर लिया गया है।

(ग) से (ङ) संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार ही निर्माण कार्य में प्रगति हो रही है। चालू परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के सामान्य बजटीय संसाधनों से इतर अनेक प्रयास किए गए हैं।

मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना

1262. **श्रीमती कृष्णा तीरथ** : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए पेंशन अथवा/और अन्य कोई सहायता प्रदान करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी योजनाओं का ब्योरा क्या है और इनके अन्तर्गत कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई; और

(ग) मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के सम्मानपूर्ण जीवन के लिए इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) और (ख) मानसिक मंदता सहित विकलांग व्यक्तियों को राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराई गई सहायता का ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय "दीन दयाल विकलांगजन पुनर्वास योजना" कार्यान्वित कर रहा है, जिसके तहत मानसिक मंदताग्रस्त बच्चों के लिए विशेष स्कूल और मानसिक रूप से रूग्ण बच्चों के लिए एक व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र सहित 9 पुनर्वास केन्द्र चलाने हेतु 239 गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता दी जाती है। सहायक यंत्रों तथा उपकरणों को खरीदने और फिटिंग की सहायता योजना के अन्तर्गत, मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को जरूरत के आधार पर सहायक यंत्र व उपकरण प्रदान किए जाते हैं।

आटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता तथा बहु-विकलांगताग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास "सपोर्टेड गार्जियनशिप स्कीम" नामक एक तीन वर्षीय प्रायोगिक परियोजना चला रहा है, जिसके तहत गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों से गंभीर रूप से विकलांग 750 व्यक्तियों को प्रदत्त आधार पर संरक्षणता प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय न्यास 113 दिवा देखभाल केन्द्रों, राहत देखभाल केन्द्रों और आवासीय/स्थायी गृहों को वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रहा है।

राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम मानसिक-मंदताग्रस्त व्यक्तियों को उनके माता-पिता या विधिक अभिभावक या पति/पत्नी के माध्यम से तीन लाख रुपए तक ऋण तथा आय अर्जन कार्यकलापों के लिए मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों के माता-पिता संगमों को 5 लाख रुपए तक ऋण प्रदान करता है।

विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	क्या विकलांगता पेंशन दी जा रही है	दर/प्रतिमाह प्रति व्यक्ति (रुपए)	पात्रता	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	हां	75	18-65 की आयु के सभी विकलांग	
2.	अरुणाचल प्रदेश	नहीं			
3.	असम	नहीं			
4.	बिहार	नहीं			
5.	छत्तीसगढ़	हां	150	40% या इससे अधिक विकलांगता वाले सभी विकलांग अध्ययनरत विकलांग बच्चे भी पेंशन के लिए पात्र हैं।	

1	2	3	4	5	6
6.	दिल्ली	नहीं			विकलांग व्यक्तियों को एकमुश्त 1000 रुपए की सहायता दी जाती है, बशर्ते कि उनकी वार्षिक आय 22,000 रुपए से अधिक न हो।
7.	गोवा	हां	500	व्यक्ति को विकलांग होना चाहिए। 15 वर्षों तक गोवा का निवासी हो। आयु 21 वर्ष से अधिक हो। प्रति व्यक्ति आय 6000 रुपए प्रति वर्ष से अधिक न हो।	मानसिक मंदता को छोड़कर सभी श्रेणी।
8.	गुजरात	हां	200	व्यक्ति 75% से अधिक विकलांगता वाला हो। 8 वर्ष से अधिक तथा गरीबी की रेखा से नीचे हो।	संत सूरदास योजना के अंतर्गत दी जाती है।
9.	हरियाणा	हां	200	हरियाणा का निवासी, ओ एच वी एच मूक तथा बधिर, मानसिक मंदता में 70% या अधिक विकलांगता, श्रम विभाग द्वारा यथा अधिसूचित अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी से अधिक आय नहीं होनी चाहिए।	
10.	हिमाचल प्रदेश	हां	150	न्यूनतम विकलांगता 40% वार्षिक आय 6000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए और अर्जन करने वाले पुत्र की आय 11000 रुपए प्रतिवर्ष से अधिक नहीं हो।	डिस्ट्रेस रिलिफ एलाउन्स नाम के अंतर्गत प्रदत्त।
11.	जम्मू व कश्मीर	हां	300	विकलांग तथा आयु 18 वर्ष से ऊपर।	मनिआर्डर के माध्यम से प्रदत्त।
12.	झारखण्ड	नहीं			
13.	कर्नाटक	हां	125	सभी स्रोतों से पारिवारिक आय 6000 रुपए प्रतिवर्ष से कम हो।	अनुरक्षण भत्ते के रूप में प्रदत्त। विकलांगता की 4 श्रेणियों को प्रदत्त पेंशन:- 1. दृष्टि विकलांगता 2. श्रवण विकलांगता 3. अस्थि विकलांगता 4. मानसिक मंदता

1	2	3	4	5	6
14.	केरल	हां	150	वार्षिक आय 12,000 रुपए से अधिक नहीं हो।	पंचायतों के माध्यम से वितरित।
15.	मध्य प्रदेश	नहीं			राष्ट्रीय सामाजिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत छ: वर्ष की आयु के सभी निराश्रितों को 150 रुपए प्रतिमाह दिया जाता है। गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले 6-14 आयु समूह के विकलांग बच्चों के लिए भी इसका प्रावधान है, बशर्ते कि वे किसी स्कूल में पढ़ रहे हों, भले ही वे निराश्रित न हो।
16.	महाराष्ट्र	हां	250		
17.	मणिपुर	नहीं			सामान्य तौर पर 60 वर्ष के व्यक्तियों को मणिपुर वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 100 रुपए वृद्धावस्था पेंशन। विकलांग व्यक्ति आयु में 10 वर्ष की छूट पाते हैं। इस योजना के अंतर्गत सभी विकलांगता के सभी वृद्ध विकलांग पेंशन पाने को पात्र होते हैं।
18.	मिजोरम	हां	100	पूर्णत: दृष्टिबाधितार्थ, शैय्या पर पड़े अपने परिवारों पर पूर्णत: आश्रितों के लिए।	
19.	मेघालय	नहीं			
20.	नागालैण्ड	हां	100	पात्र विकलांगों के लिए	अब तक 743 लाभान्वित
21.	उड़ीसा	हां	100	5 वर्ष से अधिक तथा अस्थि विकलांग/दृष्टिहीन/मानसिक अंगघात से पीड़ित। सभी स्रोतों से पारिवारिक आय 11000 रुपए से अधिक नहीं हो। नैतिक चरित्रहीनता संलिप्त किसी अपराधिक अपराध का सजा याफ्ता नहीं हो। उड़ीसा का स्थायी निवासी।	

1	2	3	4	5	6
				केन्द्र या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के अंतर्गत या राज्य/ केन्द्र सरकार द्वारा सहायता प्रदत्त किसी संगठन से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं कर रहा हो।	
22.	पंजाब	हां	200		
23.	राजस्थान	हां	200	विकलांग होना चाहिए, 8 वर्ष या इससे ऊपर की आयु की होना चाहिए और विकलांगता के कारण कमाने में असमर्थ होना चाहिए। 20 वर्ष की अधिक से आयु वाला कोई कमाने वाला पारिवारिक सदस्य नहीं होना चाहिए।	यदि पति व पत्नी दोनों विकलांग हैं और अन्य पात्रता शर्तें पूरी करते हैं तो दोनों पात्र हैं। सभी श्रेणियों के विकलांग पेंशन के हकदार हैं।
24.	सिक्किम	हां	200	आर्थिक रूप से पिछड़े हों और चिकित्सा प्रमाणपत्र के अनुसार न्यूनतम 40% या इससे अधिक की विकलांगता हो और सिक्किम निवासी हो।	निधियों की कमी के कारण सभी पात्र व्यक्ति पेंशन नहीं प्राप्त कर रहे हैं। कुछ ज्ञात विकलांग व्यक्ति 3700 हैं।
25.	तमिलनाडु	हां	200	बेसहारा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति।	
26.	त्रिपुरा	हां	125	दृष्टिहीन और विकलांगता पेंशन, 18 वर्ष से अधिक की आयु के दृष्टिबाधित/मंद दृष्टि, अस्थि विकलांग, कुष्ठरोग उपचारी व एच.आई. को दी जाती है बशर्ते में गरीबी रेखा परिधार से नीचे हो, अपनी जीविका को कमाने में पूरी तरह असमर्थ हों। चिकित्सा बोर्ड से विकलांगता प्रमाण की आवश्यकता होती है।	
27.	उत्तर प्रदेश	हां	125	ऐसे निराश्रितों को विकलांगता पेंशन दी जा रही है जिन्हें न्यूनतम 40% विकलांगता है और 1000 रुपए तक की अधिक आय है।	सभी श्रेणियों के विकलांग हकदार हैं।

1	2	3	4	5	6
28.	उत्तरांचल	हां	125	40% की विकलांगता या अधिक और आय 1000 रुपए मासिक से कम हो।	ऐसा ही।
29.	पश्चिम बंगाल	हां	400	निराश्रित विकलांग/मानसिक रूप से मंद।	
	संघ राज्य क्षेत्र				
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	नहीं			
31.	चंडीगढ़	हां	200	40% या इससे अधिक की विकलांगता वाले निराश्रित व्यक्ति जिनके पास भरण-पोषण का कोई साधन नहीं है और अपनी जीविका कमाने में असमर्थ हैं। मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए आई.क्यू. 70 से कम होना चाहिए। पेंशन 18 वर्ष की आयु से दी जाती है। पिछले तीन वर्षों से चंडीगढ़ का निवासी होना चाहिए। विकलांग व्यक्ति की आय माहवार 1000 रुपए से अधिक। पति-पत्नी दोनों की आय 1500 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।	
32.	दमन और दीव	हां	60	विकलांगता आयु 55 और इससे अधिक।	
33.	दादरा और नागर हवेली	हां	60	निराश्रित विकलांग	
34.	लक्षद्वीप	हां	100	वृद्ध और निराश्रित	
35.	पांडिचेरी	हां	400 और 500	40% से 74% के बीच के विकलांग व्यक्ति को 400 रुपए, 75% से 100% की विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए 500 रुपए। वार्षिक पारिवारिक आय 35000 रुपए से कम होनी चाहिए।	

[हिन्दी]

अहमदाबाद और मुंबई के बीच तृतीय रेलमार्ग का सर्वेक्षण

1263. **श्री काशीराम राणा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अहमदाबाद और मुंबई पर बढ़ते यातायात को निर्बाध बनाने के लिए इनके बीच तीसरे रेल मार्ग को बिछाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा इसकी तत्कालिकता और महत्व के मद्देनजर इस कार्य को प्राथमिकता प्रदान किये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) अहमदाबाद और विरार के बीच तीसरी लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण 1998 में पूरा हो गया था। सर्वेक्षण के अनुसार विरार और अहमदाबाद के बीच अतिरिक्त लाइन के निर्माण की लागत 11.48% के प्रतिफल की दर से 1665.12 करोड़ रुपए निर्धारित की गई थी।

स्वचालित सिगनल और अन्य यातायात सुविधा कार्यों को अपनाकर वर्तमान मार्ग की लाइन क्षमता बढ़ाने का निश्चय किया गया है जिससे कि इस खंड पर गाड़ियों का यातायात सुगम हो सकेगा।

सूरत से कोसाम्बा के बीच तीसरी लाइन के निर्माण को भी स्वीकृत किया जा चुका है। इसके अलावा, विरार से अहमदाबाद के बीच तीसरी लाइन के लिए अद्यतन सर्वेक्षण को बजट 2004-05 में शामिल कर लिया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

हिमाचल प्रदेश में माता बगला मुखी मंदिर की खुदाई

1264. **श्री सुरेश चन्देल :** क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की तहसील देहरा में वनखांडी स्थित माता बगला मुखी का प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर 1905 के विनाशकारी भूंकप में धंस गया;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र में खुदाई करने का है ताकि इस प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर की खोज की जा सके;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) से (घ) कांगड़ा जिला (हिमाचल प्रदेश) की तहसील देहरा में वनखंडी स्थित माता बगला मुखी का वर्तमान मंदिर प्राचीन मंदिर के अवशेषों पर निर्मित किया हुआ जान पड़ता है। वर्तमान मंदिर के आस-पास भारी निर्माण को ध्यान में रखकर इस स्थल का पुरातात्विक उत्खनन करना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

भारतीय प्राचीन साहित्य और विरासत पर केन्द्रित सॉफ्टवेयर का विकास

1265. **श्री भर्तृहरि महताब :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन भारतीय प्राचीन साहित्य और विरासत पर केन्द्रित सॉफ्टवेयर का विकास करने के लिए 50 करोड़ रुपये की योजना आरंभ करने वाला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सॉफ्टवेयर इन हाऊस प्रोडक्शन अथवा कमीशंड अथवा अक्वीजिशन के माध्यम से विकसित किया जा रहा है;

(घ) साहित्यिक कार्य की सूची को छोटा करने का कार्य जिस कोर समिति को सौंपा गया है, उस के सदस्यों के नाम क्या हैं और टीवी कार्यक्रमों में विकसित किए जाने वाले विषय क्या हैं; और

(ङ) इनके विषय का चयन करने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि 50.00 करोड़ रुपयों को तीन ढंगों नामत: घरेलू उत्पाद एवं कमीशनिंग के जरिए आउटसोर्सिंग और 15 मान्य भाषाओं में बच्चों आदि के लिए कला और विरासत, पर्यावरण तथा वन्यजीवन एवं कहानियों पर साहित्यिक कार्यों को कवर करते कार्यक्रमों के अधिग्रहण में खर्च किया जाना प्रस्तावित है।

(घ) कार्यक्रमों के चयन हेतु गठित कोर कमेटियों का विषय, भाषावार ब्योरा संलगन विवरण में दिया गया है।

(ङ) यह परियोजना कला और विरासत, पर्यावरण और वन्यजीवन के संगत पहलुओं को भी ध्यान में रखते हुए हास्य एवं मनोरंजन, शैक्षिक तथा सामाजिक मूल्यों वाले बाल साहित्य सहित साहित्यिक कार्यों के चयन की परिकल्पना करती है।

विवरण

कोर समितियों का ब्योरा

श्रीमती चित्रा मुद्गल, सदस्य प्रसार भारती बोर्ड सभी कोर समितियों की अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष के अलावा समितियों के सदस्यों की सूची नीचे दी गई है :–

1. **(क) हिन्दी (शास्त्रीय)**

   (i) डा. प्रभाकर श्रोत्रिया

   (ii) श्री महेश दर्पण

   (ख) नाटकों (हिन्दी) के लिए कोर समिति

   (i) श्री देवेन्द्र राज अंकुर

   (ii) श्री जयदेव तनेजा

   (iii) श्री रामगोपाल बजाज

   (ग) बाल (हिन्दी) के लिए कोर समिति

   (i) श्री प्रयाग शुक्ल

   (ii) डा. हरिकिशन देवसरे

   (iii) श्रीमती क्षमा शर्मा

2. **असमिया**

   डा. इंद्रा गोस्वामी

3. **बंगला**

   डा. इंद्रनाथ चौधरी

4. **डोगरी**

   श्रीमती पद्मा सचदेव

5. **गुजराती**

   (i) श्री जोसफ मकवान

   (ii) डा. रघुवीर चौधरी

6. **कन्नड़**

   डा. यू आर अनन्तमूर्ति

7. **कश्मीरी**

   डा. गुलशन मजीद

8. **मलयालम**

   श्री एम टी वासुदेवन नायर

9. **मराठी**

   (i) डा. अरूणा धेरे

   (ii) डा. चन्द्रकांत वदीवदेकर

10. **उड़िया**

    डा. प्रतिभा राय

11. **पंजाबी**

    डा. सतिन्द्र सिंह तूर

12. **तमिल**

    श्री अव्वई नटराजन

13. **तेलुगु**

डा. शेषेन्द्र शर्मा

14. **उर्दू**

डा. गोपीचंद नारंग

15. **संस्कृत**

डा. रमेश चन्द्र पाण्डेय

[हिन्दी]

राष्ट्रीय संग्रहालय से चोरी

1266. **श्री हरिकेवल प्रसाद : क्या संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय संग्रहालय से कितनी और कौन-कौन सी चीजों की चोरी का मामला प्रकाश में आया है;

(ख) इस संबंध में कितने व्यक्ति दोषी पाये गये और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी;

(ग) उनसे कौन-कौन सी वस्तुएं और कितनी वस्तुएं बरामद की गयीं; और

(घ) सरकार ने इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या उपाय किये हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय संग्रहालय में भारतीय नौसेना की सामुद्रिक दाय वीथि से 28 जून, 2003 को एक पिस्तौल गुम होने की सूचना प्राप्त हुई थी।

(ख) और (ग) यह मामला जांच हेतु दिल्ली पुलिस को सौंपा गया था और अभी इसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

(घ) सचिव (संस्कृति) ने केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सहित सभी संबंधितों के साथ आयोजित बैठक में उक्त संगठन की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की थी। राष्ट्रीय संग्रहालय ने सुरक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु कार्रवाई शुरू की है।

[अनुवाद]

दूरदर्शन अधिकारियों की गिरफ्तारी

1267. **श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन के कुछ अधिकारियों को हाल ही में सी. बी.आई द्वारा घूसखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) हाल ही में, एक शिकायतकर्त्ता से उसके दो धारावाहिकों के प्रसारण हेतु अनुमति देने के लिए एक अधिकारी को दिनांक 18.06.2004 को 1,00,000/- रुपये की रिश्वत मांगते और लेते हुए रंगे-हाथों पकड़ा गया था। उन्हें केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार किया गया था और दिनांक 18.06.2004 को घटनास्थल पर ही हिरासत में ले लिया गया था।

(ग) उन्हें दिनांक 18.06.2004 से निलंबित कर दिया गया है।

[अनुवाद]

तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) द्वारा तेल गवेषणा और खोज पर खर्च की गयी धनराशि

1268. **श्री विजय कृष्ण : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2003-2004 के दौरान तेल की गवेषणा तथा खोज पर तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा खर्च की गयी पूंजी का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या रुपये के मूल्य में वृद्धि के कारण, ओएनजीसी को खाना पकाने की गैस और केरोसिन के संबंध में कम सबसिडी प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) क्या इससे तेल और प्राकृतिक गैस निगम का कार्यनिष्पादन प्रभावित हुआ है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) ओएनजीसी ने वर्ष 2003-04 के दौरान हाईड्रोकार्बनों के अन्वेषण और खोज पर 2672.20 करोड़ रुपये का व्यय किया।

(ख) से (घ) वर्ष 2003-04 के दौरान ओएनजीसी ने तेल विपणन कंपनियों को उन्हें आपूर्ति किए गए कच्चे तेल, एलपीजी और एसकेओ में 2690 करोड़ रुपये की छूट दी। जहां तक डालर की तुलना में भारतीय रुपये का मूल्य बढ़ने का संबंध है, ओएनजीसी के क्रूड राजस्व पर 2003-04 के दौरान इसका लगभग 1200 करोड़ रुपये का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

रक्षा सौदों में अनियमितताएं

1269. **श्री असादुद्दीन ओवेसी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों के दौरान रक्षा सौदों में बड़ी संख्या में अनियमितताएं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन अनियमितताओं की जांच कराने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ङ) जब कभी रक्षा खरीददारियों में अनियमितताओं के मामले सरकार के ध्यान में लाए जाते हैं, उनकी समुचित रूप से जांच की जाती है। सरकार को अनियमितताओं के आरोप संबंधी शिकायतें प्राप्त होते ही मौजूदा अनुदेशों के तहत् उनकी जांच की जाती है।

मजदूर संघों को मान्यता

1270. **श्री गुरूदास कामत** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रक्षा मंत्रालय में मजदूर संघ को मान्यता देने के लिए किन दिशानिर्देशों का पालन किया जा रहा है;

(ख) क्या निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन किये बिना रक्षा उद्योग में किसी विशेष मजदूर संघ को मान्यता प्रदान की गयी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) रक्षा मंत्रालय में किसी ट्रेड यूनियन को मान्यता देने के लिए यूनियनों को मान्यता प्रदान करने संबंधी नियमों का पालन किया जा रहा है। इन नियमों के तहत शामिल किए गए मुख्य दिशानिर्देशों का ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

रक्षा मंत्रालय की स्थापनाओं में नियुक्त कामगारों की ट्रेड यूनियनों को मान्यता प्रदान करने संबंधी दिशानिर्देश

रक्षा मंत्रालय की स्थापनाओं में नियुक्त कामगारों की ऐसी यूनियनों, जो यूनियनों को मान्यता प्रदान करने संबंधी नियमों के तहत प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करती हैं, की रक्षा मंत्रालय के समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 6 सितंबर, 1995 के पत्र सं. 14(4)/93/डी (जे सी एम) के द्वारा परिचालित नियमों के तहत जांच की जाती है। इन नियमों के तहत मुख्य दिशानिर्देश इस प्रकार हैं:—

1. सामान्य सिद्धांत के रूप में, कामगारों की यूनियनों को मान्यता प्रदान करना तथा इस मान्यता को जारी रखना सरकार के विवेक पर निर्भर करता है।

2. यूनियन को ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 के तहत अवश्य पंजीकृत होना चाहिए।

3. यूनियन को औद्योगिक स्थापना में कार्यरत होना चाहिए।

4. मान्यता की मांग कर रही यूनियन की सदस्यता उसी उद्योग/उद्योगों जो गहनता से जुड़े अथवा आपस में संबद्ध हों, में कार्यरत कामगारों तक ही सीमित होनी चाहिए।

5. यह यूनियन उद्योग अथवा उद्योगों में कार्यरत सभी कामगारों का प्रतिनिधित्व करती हो तथा ऐसी श्रेणियों के कर्मचारियों, जिनके लिए किसी यूनियन का सदस्य बनने की मनाही है, को छोड़कर इस यूनियन में किसी वर्ग के कामगारों को सदस्यता ग्रहण करने की मनाही न हो।

6. इस यूनियन के पास सदस्य बनने के लिए अर्हक कामगारों/कर्मचारियों की कुल संख्या के कम से कम 15% की सदस्यता होनी चाहिए।

7. यूनियन के नियमों अथवा इसके संविधान में हड़तालें घोषित करने की प्रक्रिया के संबंध में आदर्श हड़ताल धारा का उल्लेख होना चाहिए।

8. यूनियन के नियमों/संविधान में इसकी कार्यकारिणी की बैठक हर छमाही में कम से कम एक बार आयोजित करने का प्रावधान होना चाहिए।

9. यूनियन कोई राजनैतिक कोष नहीं रखेगी।

10. यूनियन को कोई भी पदाधिकारी सरकारी सेवा से अनुशासनिक आधार पर बर्खास्त/निष्कासित/कार्यमुक्त व्यक्ति नहीं होना चाहिए।

कच्चे तेल से पेट्रोल, मिट्टी के तेल का उत्पादन

1271. **श्री तुकाराम गंगाधर गदाख :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 एमटी कच्चे तेल से निकाले गये पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल, नाफ्था का अनुपात कितना है;

(ख) क्या कच्चे तेल से अन्य कोई उत्पाद निकाला जाता है;

(ग) देश में पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल और नाफ्था का कुल कितना उत्पादन है;

(घ) इन उत्पादों की उत्पादनवार कुल कितनी खपत है;

(ङ) इन उत्पादों से तेल कंपनियों को कुल कितना लाभ प्राप्त होता है;

(च) क्या सरकार का विचार इन उत्पादों के मूल्य की वृद्धि को रोकना सुनिश्चत करना है, और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) वर्ष 2003-04 के दौरान 1 एमटी कच्चे तेल से निष्कर्षण किए गए पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल और नाफ्था का अनुपात निम्नानुसार है:–

उत्पाद	अनुपात
पेट्रोल (एमएस)	9.5%
डीजल (एचएसडी)	36.3%
मिट्टी तेल (एसकेओ)	8.4%
नाफ्था	9.3%

(ख) कच्चे तेल से उत्पादित अन्य प्रमुख उत्पादों में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी), उड्डयन इंजन ईंधन (एटीएफ), हल्का डीजल तेल (एलडीओ), स्नेहक तेल, निम्न गंधक भारी स्टाक (एलएसएचएस), बिटुमेन, पेट्रोलियम कोक आदि शामिल हैं।

(ग) कच्चे तेल की रिफाइनरियों से 2003-04 के दौरान देश में पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल और नाफ्था का कुल उत्पादन निम्नानुसार था:–

(हजार मीट्रिक टन (टीएमटी) में)

उत्पाद	अनुपात
पेट्रोल (एमएस)	11211
डीजल (एचएसडी)	43129
मिट्टी तेल (एसकेओ)	9948
नाफ्था	11046

(घ) इन उत्पादों की 2003-04 में कुल खपत निम्नानुसार थी:-

उत्पाद	खपत (टीएमटी)
पेट्रोल (एमएस)	7921
डीजल (एचएसडी)	37289
मिट्टी तेल (एसकेओ)	10207
नाफ्था	11842

(ङ) तेल कंपनियों का समग्र लाभ अथवा हानि तेल कंपनियों के तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणामों में दर्शाए जाते हैं।

(च) और (छ) जी, नहीं। सरकार ऐसा कोई आश्वासन नहीं दे सकती है, किन्तु, उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले भार की लगातार समीक्षा की जाएगी।

गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा रक्षा उपकरणों का विनिर्माण

1272. **श्री सुरेश कलमाडी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रक्षा उपकरणों के गैर-सरकारी विनिर्माण के प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) गैर-सरकारी क्षेत्र की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या कई विदेशी रक्षा कंपनियों ने भारत के साथ आपसी सहयोग के प्रति गहरी रुचि दिखायी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग ने रक्षा मंत्रालय से परामर्श करके विभिन्न प्रकार के रक्षा उपस्करों के विनिर्माण के लिए अब तक 16 आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस जारी किए हैं। लेकिन आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस धारकों में से अभी तक किसी ने भी उत्पादन शुरू नहीं किया है।

(घ) जी, हां।

(ङ) फ्रांस, इजरायल, रूस, संयुक्त राज्य अमरीका, यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर, स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका, पोलैंड और जर्मनी के रक्षा उपस्करों के बड़े विदेशी विनिर्माताओं ने भारतीय विनिर्माताओं के साथ आपसी सहयोग के प्रति रुचि दर्शाई है।

कच्चे तेल और गैस के नौवहन का विविधीकरण

1273. **श्रीमती ऊषा वर्मा** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) कच्चे तेल और गैस के नौवहन के क्षेत्र में भी प्रवेश करने की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्योरा क्या है; और

(ग) इस पर कितनी धनराशि खर्च किये जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज्य मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) ने सरकार को सूचित किया है कि अपनी प्रचालनीय इकाइयों के साथ सहक्रियाशील एकीकरण तथा अपनी कारोबारी वृद्धि योजना के भाग के रूप में, वह क्रूड तथा प्राकृतिक गैस शिपिंग क्षेत्र में प्रवेश करने पर विचार कर रही है।

(ख) से (ग) प्रस्ताव वैचारिक स्तर पर है और यह इस संदर्भ में है कि प्रस्ताव में दूसरे विकल्प निहित हैं, उनका मूल्यांकन किया जा रहा है। केवल इसके बाद ही किए जाने वाले संभावित व्यय का निर्धारण किया जा सकता है।

केरल में कायमकुलम से रेल लाइन का दोहरीकरण

1274. **श्री पी.सी. थामस** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल में कोट्टायम से कायमकुलम तक रेल लाइन के दोहरीकरण का कार्य प्रगति पर है;

(ख) यदि हां, तो बरास्ता कोट्टायम और अलेप्पी के निर्माण के चरण का ब्योरा क्या है;

(ग) अब तक आबंटित तथा उपयोग में लाई गई धनराशि का ब्योरा क्या है; और

(घ) इस कार्य के कब तक पूर्ण होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) कोट्टायम मार्ग पर एर्णाकुलम-मुलनतुरूत्ती, कायमकुलम मावोलिकडा और मावेलिकड़ा-चेंगनूर खंडों और अलेप्पी मार्ग पर कायमकुलम-चेप्पाड़ और चेप्पाड़-हरीपाद खंडों पर कहीं-कहीं दोहरीकरण का कार्य शुरू किया गया है।

एर्णाकुलम-मुलनतुरूत्ती दोहरीकरण परियोजना पर मिट्टी संबंधी कार्य, पुल संबंधी कार्य, स्टेशन इमारत और गिट्टी इकट्ठा करने का कार्य प्रगति पर है। समग्र वास्तविक प्रगति 40% है। केरल सरकार को इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण कार्य शीघ्र करने के लिए भी कहा गया है।

अन्य जगह कहीं-कहीं दोहरीकरण कार्य शुरू करने के लिए आरंभिक व्यवस्था की जा रही हैं।

(ग) 31.3.2004 तक उपरोक्त उल्लिखित दोहरीकरण कार्यों पर 23.87 करोड़ रुपए का खर्च किया जा चुका है। इन कार्यों के लिए बजट 2004-05 में 16.34 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है।

(घ) ये चल रहे निर्माण कार्य संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार आगामी वर्षों में पूरे कर लिए जाएंगे।

बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान का विकास

1275. **श्री किरिप चालिहा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और रूस ने बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान विकसित करने में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि कुछ दक्षिण पूर्व एशियाई देशों ने इस परियोजना में शामिल होने की अपनी इच्छा जताई है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

नागपुर में रिंग रेलवे का निर्माण

1276. **श्री प्रकाशबापू वी. पाटिल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा नागपुर में रिंग रेलवे के निर्माण का कोई प्रस्ताव प्राप्त किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रस्ताव पर कोई निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

फर्जी सेना भर्ती बोर्ड

1277. **श्री उदय सिंह** :
श्री अशोक कुमार रावत :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में एक फर्जी सेना भर्ती बोर्ड का रहस्योद्घाटन हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्योरा क्या है;

(ग) क्या यह फर्जी बोर्ड विभिन्न सेना भर्ती बोर्डों के कर्मचारीवृंद, भूतपूर्व सैनिकों और भारतीय सेना के कार्मिकों की मिलीभगत से काम कर रहा था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए कि फर्जी बोर्डों के माध्यम से भर्ती किए गए कर्मियों को हटाया जाए और सेना के अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय की जाए, सरकार द्वारा कौन-से कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (घ) किसी फर्जी भर्ती बोर्ड का रहस्योद्घाटन नहीं हुआ है। एक समाचार रिपोर्ट में कहा गया था कि 22-25 जून, 2004 के दौरान जब स्वतंत्र भर्ती कार्यालय

द्वारा एक खुले भर्ती मेले में भर्ती की जा रही थी तब कुछ दलालों को गिरफ्तार किया गया था जो दिल्ली छावनी में भर्ती क्षेत्र से दूर भर्ती के लिए जाली रिहायशी, जाति तथा चरित्र प्रमाणपत्र जारी कर रहे थे। तथापि, मुख्यालय दिल्ली क्षेत्र द्वारा सिविल पुलिस के सहयोग से सैन्य आसूचना एजेंसी तथा सेना पुलिस के जरिए इस मामले की जांच की गई है। अब तक, दलालों तथा सेना भर्ती स्टॉफ के बीच कोई संबंध नहीं पाया गया है। यदि कोई सेना भर्ती स्टॉफ इसमें शामिल पाया गया तो नियमानुसार उसके विरुद्ध कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

रेल टिकटों का दुरूपयोग

1278. **श्री बी. विनोद कुमार :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि रेल यात्री टिकट एजेंसियों द्वारा रेल टिकटों का दुरुपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा और तथ्य क्या हैं;

(ग) अब तक इस संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त की गयी हैं; और

(घ) टिकटों के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाये जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) झूठे नामों से आरक्षण को ब्लॉक करने और अधिक लाभ पर उन्हें इच्छुक यात्रियों को बेचने के कुछ मामले समय-समय पर सामने आते हैं। बहरहाल, इस प्रकार की शिकायतों का विवरण नहीं रखा जाता।

(घ) टिकटों के दुरुपयोग को रोकने के लिए रेल प्रशासन द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं:-

(i) अनियमितताओं का पता लगाने के लिए प्राधिकृत और अप्राधिकृत ट्रेवल एजेंटों तथा टिकट एजेंसियों के परिसरों की जांच की जाती है।

(ii) रेलवे परिसरों में और गाड़ियों में भी परिवर्तित नाम से यात्रा करने वाले यात्रियों की जांच की जाती है। एजेंसियों और उनसे मिलीभगत करने वाले रेल कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है।

संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का क्रियान्वयन किया जाना

1279. **श्री किन्नरपु येरननायडु :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस वर्ष के दौरान देश के कतिपय ग्रामों से विशेषत: पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से भूख के कारण हुई मौतों की खबरें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) सहायता इन स्थानों तक नहीं पहुंच रही है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी आपराधिक लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) पश्चिमी बंगाल एवं उड़ीसा सहित किसी भी राज्य सरकार ने इस मंत्रालय को ऐसी कोई सूचना नहीं दी है।

(ख) संपूर्ण रोजगार योजना (एस जी आर वाई) उन सभी ग्रामीण गरीबों के लिए है जिन्हें मजदूरी रोजगार की आवश्यकता है और जो अपने गांव/बस्ती में अथवा उसके समीप शारीरिक श्रम एवं अकुशल कार्य करने के इच्छुक हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पंचायत के तीनों स्तरों को जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में रेल परियोजनाओं की स्थिति

1280. **श्री तथागत सत्पथी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में वर्तमान में क्रियान्वयनाधीन विभिन्न रेल परियोजनाओं की स्थिति क्या है;

(ख) प्रत्येक परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) इन परियोजनाओं के पूर्ण होने की निर्धारित अंतिम तिथि क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग)

उड़ीसा में विभिन्न चालू नई लाइन, आमान परिवर्तन, दोहरीकरण और रेल विद्युतीकरण कार्यों से संबंधित परियोजनावार प्रगति, अनुमानित लागत और कार्य पूरा करने की लक्ष्य तिथि, जहां निर्धारित की गई है, की स्थिति निम्नानुसार है:-

क्रम सं.	परियोजना का नाम	वर्तमान स्थिति	अनुमानित लागत (करोड़ रुपयों में)
1	2	3	4
		नई लाइनें	
1.	दैतारी-बांसपानी (155 कि.मी.)	बांसपानी-जोरुली (11 कि.मी.) खंड का कार्य पूरा हो गया है और इसे चालू कर दिया गया है। जोरुली-क्योंझर (48 कि.मी.) खंड का कार्य भी पूरा हो गया है। क्योंझर-टोमका (98 कि.मी.) खंड पर मिट्टी संबंधी कार्य, पुल संबंधी कार्य और अन्य गौण कार्य चल रहे हैं। संसाधन उपलब्ध होने पर इस परियोजना को 2005-06 में पूरा कर लेने की संभावना है।	590.60
2.	लांजीगढ़ रोड़-जुनागढ़ (56 कि.मी.)	आंशिक रूप से भूमि अधिग्रहीत कर ली गई है। इस समय में लांजीगढ़-भवानीपटना (31 कि.मी.) खंड पर कार्य आरंभ किया गया है जहां मिट्टी और पुल संबंधी कार्य किए जा रहे हैं।	119.29
3.	खुर्दा रोड़-बोलांगीर (289 कि.मी.)	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण आंशिक रूप से पूरा हो गया है। आंशिक रूप से भूमि अधिग्रहीत कर ली गई है। खुर्दा रोड़ छोर से 2.5 कि.मी. खंड पर कार्य चल रहा है जहां रेलवे के पास भूमि उपलब्ध है।	700.00
4.	हरिदासपुर-पारादीप (82 कि.मी.)	बड़े पुलों के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण और मिट्टी की जांच का कार्य पूरा हो गया है। आंशिक रूप से भूमि अधिग्रहीत कर ली गई है। रेल विकास निगम लिमिटेड (आर.वी.एन.एल.) द्वारा कार्य किया जा रहा है।	301.64
5.	अंगुल-सुकिंदा रोड़ (82 कि.मी.)	सभी बड़े पुलों के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण और मिट्टी जांच का कार्य पूरा हो गया है।	245.58
6.	तालचेर-बिमलागढ़ (154 कि.मी.)	पूरक बजट 2003-04 में नया कार्य शुरू किया गया।	726.96
		आमान परिवर्तन	
1.	रुपसा-बंगरीपोसी (89 कि.मी.)	रुपसा-बारीपाड़ा (52 कि.मी.) खंड का आमान परिवर्तन का कार्य 2004-05 में पूरा करने का लक्ष्य है जहां मिट्टी और पुल संबंधी कार्य चल रहे हैं।	89.00

1	2	3	4
2.	नौपाड़ा-गुनुपुर (90 कि.मी.)	भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति में है। 88 कि.मी. के लिए मिट्टी और पुल संबंधी कार्य का ठेका दे दिया गया है और कार्य चल रहा है।	91.30
		दोहरीकरण	
1.	नेरगुंडी-कटक-रघुनाथपुर (43 कि.मी.)	कपिलास रोड़-नेरगुंडी-बिरुपा कैबिन खंड का कार्य पूरा हो गया है और इसे चालू कर दिया गया है। शेष खंड पर मिट्टी और पुल संबंधी कार्य चल रहा है। कटक-रघुनाथपुर खंड का कार्य 2004-05 में पूरा होने की संभावना है।	122.25
2.	राहामा-पारादीप (23 कि.मी.)	कार्य पूरा हो गया है और खंड अभी चालू किया जाना है।	63.47
3.	महानदी और बिरुपा पर दूसरा पुल (3 कि.मी.)	बिरुपा नदी पर दूसरे पुल का कार्य प्रगति पर है। दूसरे महानदी पुल का कार्य रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) द्वारा किया जाना है। निविदाएं प्रक्रियाधीन हैं।	109.82
4.	लांजीगढ़-टिटलागढ़ (47 कि.मी.)	केसिंगा-नोरला रोड़ (23 कि.मी.) और नोरला रोड़-लांजीगढ़ (11 कि.मी.) खंडों का कार्य 2004-05 में पूरा करने का लक्ष्य है। शेष खंड का मिट्टी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है।	100.05
5.	रजतगढ़-बैरंग (20 कि.मी.)	महानदी के पुल को छोड़कर सभी बड़े पुलों का अंतिम स्थल निर्धारण सर्वेक्षण और भू-तकनीकी जांच पूरी हो गई है। भू-अधिग्रहण का कार्य चल रहा है। यह कार्य रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) द्वारा किया जा रहा है।	157.98
6.	खुर्दा रोड़-पुरी (फेज-I) (15.3 कि.मी.)	मिट्टी संबंधी कार्य और पुल कार्य प्रगति पर है। हरीपुर, मोटारी और डेलांग में स्टेशन बिल्डिंग का कार्य चल रहा है।	47.28
7.	संबलपुर-रेंगाली (22.7 कि.मी.)	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। भू-अधिग्रहण की कार्रवाई चल रही है और निविदाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है।	70.36

1	2	3	4
8.	झारसुगुडा बाईपास लाइन (8.73 कि.मी.)	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। नक्शे और अनुमान तैयार किए जा रहे हैं।	19.62
9.	कटक-बैरंग (12 कि.मी.)	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण प्रगति पर है। यह कार्य रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) द्वारा किया जा रहा है।	127.13
10.	खुर्दा रोड़-बैरंग तीसरी लाइन (35 कि.मी.)	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण किया जा रहा है। यह कार्य रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) द्वारा किया जा रहा है।	133.41
		रेल विद्युतीकरण	
1.	तालचेर-कटक-पारादीप की शाखा लाइन सहित खड़गपुर/निमपुरा-भुवनेश्वर (540 मार्ग कि.मी.)	कटक-पारादीप खंड जिसके लिए लक्ष्य तिथि अभी निर्धारित नहीं की गई है क्योंकि वहां दोहरीकरण का कार्य प्रगति में है, को छोड़कर यह कार्य अब राष्ट्रीय रेल विकास योजना (एनआरवीवाई) के अंतर्गत किया जा रहा है।	325.18
2.	खुर्दा रोड़-पुरी सहित भुवनेश्वर-कोटवालासा (470 मार्ग कि.मी.)	भुवनेश्वर-कोटवालासा खंड पूरा हो गया है। खुर्दा रोड़-पुरी के कार्य की मंजूरी बाद में मिलने के कारण इस कार्य को पूरा करने का लक्ष्य दिसंबर, 2004 है।	322.71

एफ एम-II उदारीकरण संबंधी समिति

1281. श्री जयावहन बी. ठक्कर : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एफ एम-II उदारीकरण हेतु एक विशिष्ट समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो चर्चा के विषय, विचारार्थ विषय, सदस्यगण, उनके दायित्व/जिम्मेदारियां इत्यादि का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या कृतक बल/पैनल/समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी;

(घ) यदि हां, तो उसकी सिफारिशें क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार ने सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इनके कब तक लागू होने की सम्भावना है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) जी, हां। समिति के गठन संबंधी आदेश की प्रति संलग्न विवरण में दी गयी है जिसमें उसकी संरचना, विचारार्थ विषय, आदि का ब्योरा दिया गया है।

(ग) और (घ) समिति ने अपनी रिपोर्ट नवम्बर, 2003 में सरकार को सौप दी थी। समिति की रिपोर्ट मंत्रालय की वेबसाइट (htty:// www.mib.nic.in) पर उपलब्ध है।

(ङ) से (छ) रिपोर्ट को सिफारिशें करने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के पास भेज दिया गया था जोकि प्रतीक्षित हैं।

विवरण

संख्या 212/94/2003-बी (डी)/एफ.एम
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
'ए' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110 001

दिनांक 24.07.2003

आदेश

सरकार ने चरण-II के रेडियो प्रसारण के लिए सिफारिशें करने हेतु एक समिति का गठन किया है। समिति में निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा :–

सर्व श्री

1.	अमित मित्रा (अध्यक्ष)	फिक्की
2.	दिलीप चिनाय	सी.आई.आई.
3.	किरण कार्णिक	नैसकाम
4.	अमीन सयानी	रेडियो व्यक्तित्व
5.	पी.के. गर्ग, बेतार सलाहकार	डब्ल्यू पी सी
6.	के.एम. पाल, प्रमुख अभियंता	आकाशवाणी
7.	के.आर.पी. वर्मा, सी एम डी	बेसिल
8.	शार्दूल श्राफ	अमीरचन्द मंगाल दास
9.	सुश्री नौरीन नकवी, उपमहानिदेशक (कार्यक्रम)	आकाशवाणी
10.	सुश्री महुआ पाल, निदेशक	सूचना और प्रसारण मंत्रालय

3. समिति के सलाह/सुझाव प्राप्त करने के लिए, समय-समय पर, यदि आवश्यक हो, तो क्षेत्र विशेष के विशेषज्ञों को सहयोजित कर सकती है।

4. समिति के विचारार्थ विषयों में अन्य के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल होंगे :–

1. आवृत्तियों के आबंटन के लिए अपनाई जाने वाली पारदर्शी और प्रभावशाली बोली/निविदा प्रक्रिया का निर्धारण करना।

2. विभिन्न शहरों के लिए व्यवहार्य लाइसेंस धारक शुल्क संरचना (एक मुश्त प्रवेश शुल्क, नियत लाइसेंस शुल्क, राजस्व हिस्सेदारी, इत्यादि) का स्पष्ट रूप से परिभाषित पैरामीटरों के आधार पर मूल्यांकन।

3. राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं और अन्य क्षेत्रों की व्यवस्था को भी ध्यान में रखते हुए निजी एफ.एम. चैनलों को आर्थिक रूप से अधिक व्यवहार्य/सतत बनाने के लिए विदेशी इक्विटी भागीदारी की सीमा से संबंधित सुझाव।

4. चरण-I के लाइसेंस धारकों की लाइसेंसिंग व्यवस्था के आशोधन करने की वांछनीयता एव कानूनी अड़चनों का अध्ययन करना, चरण-II के लिए एक अलग लाइसेंसिंग व्यवस्था प्रस्ताव करना।

5. प्रसारित की जा रही सामग्री की विषय-वस्तु में सुधार लाने के लिए सुझाव देना और इसमें समाचारों को शामिल करने पर विचार करना।

6. उन्हीं वाणिज्यिक प्रसारकों द्वारा परिचालित किए जाने/लाइसेंस प्रदान किए जाने वाले गैर वाणिज्यिक, गैर विज्ञापन चालित चैनलों को शुरू करने, उनकी निबंधन एवं शर्तों की संभावना की जांच करना, इस बात पर विचार करना कि क्या इन चैनलों की विषय-वस्तु में भारत की विरासत एवं संस्कृति से संबंधित विषयों को शामिल किया जा सकता है।

7. कार्यक्रम संबंधी मामलों में आचार संहिता और उसके उल्लंघनों के संबंध में सख्त प्रवर्तन के तरीकों के लिए सिफारिशें।

8. इस बात का मूल्यांकन करना कि क्या स्थल सह-निर्धारण अनिवार्य और वांछनीय है और यदि अन्यथा पाया गया तो महानगरों के प्रति एक दृष्टिकोण अपनाया जाना जहां पर कि भारी निवेश वाली सह-स्थल निर्धारण संरचनाएं परिचालित हैं।

9. ऐसी व्यवस्था की कानूनी अड़चनों का निर्धारण करना जिसका प्रस्ताव मौजूदा व्यवस्था के विरुद्ध किया जा सकता है।

10. नीलामी दस्तावेजों और संविदा/लाइसेंस करार के प्रारूप तैयार करना।

11. अन्य ऐसे मामले जिनको समय-समय पर समिति के पास भेजा जा सकता है।

5. समिति के सदस्य सहभागिता करेंगे और स्वेच्छा से अपना योगदान देंगे और सरकार द्वारा कोई भी यात्रा/दैनिक भत्ता अथवा आकस्मिक व्यय देय नहीं होगा।

6. समिति अपनी रिपोर्ट 30 सितम्बर, 2003 तक प्रस्तुत कर देगी।

हस्ताक्षरित
(महुआ पाल)
निदेशक (प्रा.नी. एवं वि.अ.)
दूरभाष : 23381246

प्रतिलिपि,
समिति के सभी सदस्य

कंप्यूटरीकृत टिकट आरक्षण केन्द्र

1282. श्री अनन्त नायक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न रेल जोनों के अन्तर्गत कितने कंप्यूटरीकृत टिकट आरक्षण केन्द्र खोले गए;

(ख) क्या उन वर्षों में से किसी भी वर्ष पूर्व तटीय रेल जोन में ऐसा कोई कंप्यूटरीकृत टिकट आरक्षण केन्द्र खोला गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या और वर्ष 2004-2005 के लिए इस संबंध में किन प्रस्तावों पर विचार किया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) विभिन्न रेलों पर विगत तीन वर्षों में खोले गए कंप्यूटरीकृत केन्द्रों की संख्या 503 है। रेलवेवार स्थान संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) पूर्व-तट रेलवे पर पिछले तीन वर्षों (अप्रैल-जून 2004-05 सहित) में खोले गए कंप्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्रों की संख्या 19 है। वर्षवार ब्योरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। ऐसे स्थानों, जिनके लिए स्वीकृति प्राप्त है परन्तु जिन्हें अभी चालू किया जाना है, की संख्या 5 है। इसके अलावा चालू बजट (2004-05) में 2 स्थानों का प्रस्ताव किया गया है।

विवरण-I

विगत 3 वर्षों में विभिन्न रेलों पर खोले गए कंप्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्रों की संख्या

रेलवे	वर्ष			
	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05 (अप्रैल-जून)
मध्य रेलवे	8	12	11	कुछ नहीं
पूर्व रेलवे	9	8	12	2
उत्तर रेलवे	15	29	30	4
पूर्वोत्तर रेलवे	7	8	13	3
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	2	6	9	कुछ नहीं
दक्षिण रेलवे	6	16	20	कुछ नहीं
दक्षिण-मध्य रेलवे	6	16	11	कुछ नहीं
दक्षिण-पूर्व रेलवे	14	21	7	1
पश्चिम रेलवे	6	11	10	1
पूर्व-मध्य रेलवे*	20	11	10	1
पूर्व-तट रेलवे*	4	4	10	1
उत्तर-मध्य रेलवे*	4	9	6	1
उत्तर-पश्चिम रेलवे*	5	10	14	1
पश्चिम-मध्य रेलवे*	2	9	5	कुछ नहीं
दक्षिण-पश्चिम रेलवे*	3	2	11	2
दक्षिण-पूर्व-मध्य रेलवे*	8	8	6	2
कुल	119	180	185	19

नोट: प्रत्येक जोनल रेलवे के अंतर्गत पड़ने वाले स्टेशनों के निर्धारण के लिए नवीनतम पुनर्गठित क्षेत्रीय रेलों की सीमा का उपयोग किया गया है।

विवरण-II

1. पूर्व तट रेलवे पर विगत 3 वर्षों में (चालू वर्ष के पहले 3 महीनों सहित) खोले गए कंप्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्रों की संख्या।

	वर्ष	स्थानों की संख्या
खोले गए	2001-02	4
खोले गए	2002-03	4
खोले गए	2003-04	10
खोले गए	2004-05 (अप्रैल-जून)	1
कुल		19

2. पूर्व तट रेलवे पर पिछले 3 वर्षों (चालू वर्ष के पहले 3 महीनों सहित) में कंप्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्रों की संख्या जिनके लिए स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है, परन्तु जिन्हें अभी खोला जाना है।

स्थानों की संख्या — 5

3. पूर्व-तट रेलवे पर 2004-05 के चालू बजट में प्रस्तावित कंप्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्रों की संख्या

स्थानों की संख्या — 2

रामगंज मंडी और भोपाल के बीच रेल लाइन का निर्माण

1283. श्री दुष्यंत सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का रामगंज मंडी और भोपाल के बीच एक रेल लाइन के निर्माण का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस नई लाइन के निर्माण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) इस लाइन की अनुमानित लागत कितनी है; और

(घ) यह प्रस्ताव किस चरण में लम्बित है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (घ) रामगंज मंडी - भोपाल नई लाइन परियोजना एक स्वीकृत कार्य है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 727.13 करोड़ रुपए है। रामगंज मंडी - झालावाड़ खंड में भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है। संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर कार्य की प्रगति की जा रही है।

भारतीय सीमेंट निगम लिमिटेड में भ्रष्टाचार

1284. श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय सीमेंट निगम लिमिटेड में व्याप्त भ्रष्टाचार उनके ध्यान में आया है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान भारतीय सीमेंट निगम लिमिटेड के चेयरमैन के विरुद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में संसद सदस्यों द्वारा दर्ज शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) सी.सी.आई. के प्रबंधन द्वारा किये गये कुप्रबंधन, घपलेबाजी और अनियमितताओं के आरोपों के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) यह मामला इस विभाग के जांच के अधीन है।

सिन्थेसिस गैस का उत्पादन

1285. श्री मिलिन्द देवरा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "गेल" "शेल इंटरनेशनल" के सहयोग से सिन्थेसिस गैस का उत्पादन करने की प्रौद्योगिकी पर कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या इस गैस की कीमत एलएनजी से कम होगी;

(घ) क्या पूर्वी भारत में कोयला भंडारों के गैसीयकरण से उद्योगों के लिए एक अर्थक्षम विकल्प खुल जायेगा; और

(ङ) यदि हां, तो इससे तेल आयात बिल में कितनी कमी जाएगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ङ) जी, हां। गेल और मैसर्स शेल इन्टरनेशनल के बीच कोयले से प्रस्तावित सिंथेसिस गैस का मामला आरंभिक चरण में हैं। आगे का ब्योरा तैयार नहीं किया गया है।

डाल्टनगंज रेल स्टेशन का आधुनिकीकरण

1286. **श्री मनोज कुमार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाल्टनगंज रेल स्टेशन के आधुनिकीकरण का कार्य शुरू नहीं हुआ है जबकि इस उद्देश्य के लिए पहले ही धनराशि का आबंटन हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस कार्य को पूर्ण करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) डाल्टनगंज में अतिरिक्त यात्री सुविधाओं के प्रावधान के लिए 69 लाख रुपए की लागत के निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए हैं। कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं और इन कार्यों की प्रगति के लिए निधि की तंगी नहीं रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इन कार्यों की प्रगति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

पश्चिम बंगाल में नयी रेल लाइनें

1287. **श्री अधीर चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ समय पूर्व पश्चिम बंगाल के बड़े शहरों को जोड़ती हुई कई नई रेल लाइनें स्वीकृत हुई थीं और इसके लिए कितना आबंटन किया गया था;

(ख) क्या इन परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु सरकार की कोई समय-सीमा है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं का ब्योरा क्या है और इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किए जाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल में नई रेल लाइनों, जिन्हें पिछली बजटों में अनुमोदित किया गया था, प्रत्याशित लागत, 31.3.2004 तक खर्च की गई राशि, 2004-2005 के दौरान प्रस्तावित व्यय, उनकी वर्तमान स्थिति और इसके पूरा करने की लक्ष्य तिथि, जो भी निर्धारित की गई है, से संबंधित विवरण निम्नानुसार है:–

परियोजना का नाम	प्रत्याशित लागत (करोड़ रुपए में)	31.3.2004 तक व्यय की गई राशि (करोड़ रुपए में)	प्रस्तावित व्यय 2004-05 (करोड़ रुपए में)	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
लक्ष्मीकांतपुर-नामखाना, (47.5 कि.मी.)	100.88	93.97	1.00	कार्य पूरा कर लिया गया है।
तारकेश्वर-विष्णुपुर (85 कि.मी.)	276.00	22.66	2.99	भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है।
दुमका के रास्ते से मंदार हिल-रामपुर हाट (130 कि.मी.)	254.07	57.43	10.0	लागत की हिस्सेदारी के आधार पर झारखंड सरकार के साथ कार्य शुरू कर दिया गया है, जो इस लागत का दो तिहाई वहन कर रही हैं मिट्टी भरने, पुल के निर्माण तथा अन्य कार्य प्रगति के अलग-अलग स्तर पर हैं।

1	2	3	4	5
एकलाखी-बालुरघाट तथा गाजोल-इटेहार (118 कि.मी.)	274.41	207.25	5.00	एकलाखी-बालुरघाट का कार्य पूरा किया जा चुका है।
हावड़ा-आमटा के साथ बरगाचिया-चंपादंगा (73.5 कि.मी.)	154.3	68.42	5.00	हावड़ा-महेंद्रलाल नगर का कार्य पूरा किया जा चुका है। महेंद्रलाल नगर-आमटा लाइन का कार्य 2004-05 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।
मामलुक-डीघा (87.5 कि.मी.)	293.97	241.19	11.00	तामलुक-कांठी का कार्य पूरा किया जा चुका है ओर इस खंड को चालू कर दिया गया है। कांठी-डीघा खंड का कार्य प्रगति पर है और इसे 2004-05 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।
अजीम गंज (नासीपुर)-जिया गंज (घाट तक) (3 कि.मी.)	22.78	—	0.01	अपेक्षित स्वीकृतियां लेने के पश्चात् कार्य शुरू किया जाएगा। इसके लिए कार्रवाई आरंभ कर दी गई है।
न्यू मैनागुडी-जोगीघोपा (245 कि.मी.)	733	33.97	42.00	स्थान के लिए अंतिम सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है। भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है। मैनागुडी रोड चंगराबंधा के बीच मिट्टी भरने तथा पुल के निर्माण का कार्य चल रहा है।

ये निर्माण कार्य उनकी समग्र प्राथमिकता के अनुसार तथा संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर पूरे किए जा रहे हैं।

दिल्ली में संरक्षित स्मारक

1288. **श्री रघुनाथ झा :** क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली/नई दिल्ली में संरक्षित स्मारकों का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 और इसके अन्तर्गत नियमों के उपबंधों के अनुसार संरक्षित संस्मारकों के निषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों के भीतर किसी भी ढांचे चाहे वह कितना भी छोटा या अस्थायी हो के निर्माण की अनुमति नहीं दी जा सकती है;

(ग) क्या उपर्युक्त अधिनियम और नियमों के उपबंधों का बिना दण्ड के उल्लंघन किया जा रहा है और इन संस्मारकों के निषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों में बड़े स्तर पर अनधिकृत निर्माण कार्य हो गए हैं और क्या यह ए एस आई/क्षेत्र उपायुक्त, जी एम सी टी, दिल्ली का कर्तव्य है कि संरक्षित संस्मारकों के निषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों से सभी निर्माणों को हटाए; और

(घ) यदि हां, तो संरक्षित संस्मारकों के निषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों से सभी ढांचों का हटाया जाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) दिल्ली के केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची विवरण में है।

(ख) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 तथा उसके तहत बनाए गए नियम, 1959 के अनुसार

केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों से 100 मीटर के भीतर, निषिद्ध क्षेत्र के रूप में घोषित क्षेत्र में किसी प्रकार के निर्माण या खनन कार्य करने की अनुमति नहीं है। तथापि, निषिद्ध क्षेत्र के बाद 200 मीटर के क्षेत्र में, जिसे विनियमित क्षेत्र घोषित किया जाता है, निर्माण या खनन के कार्य महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से लाइसेंस प्राप्त करके किए जा सकते हैं।

(ग) दिल्ली के केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के निषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में अनाधिकृत निर्माण के संबंध में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के ध्यान में काफी बड़ी संख्या में मामले आए हैं। प्राचीन संस्मारक तथा पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 तथा नियम, 1959 के अनुसार केन्द्रीय सरकार के पास संरक्षित स्मारकों के निषिद्ध या विनियमित क्षेत्र में बने अनाधिकृत भवन के स्वामी या उसमें रहने वालों को एक निश्चित अवधि में ऐसे भवन को हटाने के आदेश जारी करने की शक्तियां हैं। यदि भवन का स्वामी या उसमें रहने वाला आदेशों को नहीं मानता तो केन्द्रीय सरकार जिला मजिस्ट्रेट को अनाधिकृत भवनों को हटाने के निदेश दे सकती है।

(घ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 तथा नियम, 1959 में निहित प्रावधानों के अनुसार दोषी स्वामियों के विरुद्ध पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखवाकर, सक्षम प्राधिकारी से नोटिस जारी करवा कर निषिद्ध तथा विनियमित क्षेत्रों से अनाधिकृत संरचनाओं को हटाने के लिए कदम उठाए हैं तथा जहां भी आवश्यक हुआ कानूनी कार्रवाई की गई है। इसके अलावा (न्यायालय के आदेशों के अनुसार) स्मारकों के संरक्षित क्षेत्र से अनाधिकृत निर्माण हटाए गए हैं।

विवरण

दिल्ली मंडल के क्षेत्राधिकार में आने वाले केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची

क्रमांक	स्मारकों/स्थलों का नाम	स्थान
1	2	3
1.	बुर्जी, जहां पर जहां पनाह की दीवार राय पिथारा किले से मिलती है	अदचीनी
2.	राय पिथौरा किले के ढलाव व प्रवेशद्वार	-वही-
3.	नवाब बहादुर जाविद खान का प्रसिद्ध संगमरमर का मकबरा	अलीगंज
4.	लाल बंगला	बाबरपुर, काकानगर
5.	खैर-उल-मंजिल	बाबरपुर, बाजीपुर, काकानगर
6.	कोस मीनार अथवा मुगल मील का पत्थर	-वही-
7.	शेरशाह का मोती द्वार, दिल्ली	-वही-
8.	बेगमपुरी मस्जिद	बेगमपुर
9.	फूल चादर जलसेतु अथवा नजफगढ़ झील जलसेतु	चौकरी मुबारकबाद
10.	लाल गुम्बद	चिराग दिल्ली
11.	बहलोल लोदी का मकबरा	-वही-
12.	अजमेरी गेट	बाजार अजमेरी गेट

1	2	3
13.	अलीपुर कब्रिस्तान	दिल्ली-अलीपुर कैंपिंग मैदान
14.	अशोक स्तंभ	फिरोजाबाद फिरोजशाह किला अथवा विक्रम नगर कालोनी
15.	बारा खंभा कब्रिस्तान	इम्पीरियल सिटी
16.	चौबुर्जी	हिंदुराव अस्पताल के पास पहाड़ी
17.	इरेमो कब्रिस्तान	किशनगंज रेलवे स्टेशन
18.	दिल्ली किला अथवा लाल किला, नौबत खाना, दीवान-ए-आम, मुमताज महल, रंग महल, बैठक, मसेउ बुर्ज, दीवान-ए-खास, मोती मस्जिद, सावन भादों, शाह बुर्जए, हम्माम तथा उसके आसपास के बगीचे, रास्ते, चबूतरे तथा वाटर कोर्सेज	लाल किला
19.	दिल्ली गेट	दरियागंज
20.	ले. एडवर्ड तथा अन्यों की कब्रें जिन्हें 1857 में मारा गया था	उत्तरी रिज, फलैग स्टाफ टावर के समीप, सिविल लाइंस
21.	नजफ खान के साथ लगी दीवार तथा मकबरा	सफदरजंग फलाईओवर
22.	फ्लैग स्टाक टावर	चौबुर्जी मस्जिद के 400 गज उत्तर
23.	जंतर मंतर	कनाट पैलेस
24.	कश्मीरी गेट तथा शहर दीवार का हिस्सा जोकि कश्मीरी गेट के दोनों तरफ और दूसरी तरफ दीवार के उत्तरी कोने पर जहां पानी की बुर्जी भी शामिल है तथा शहर दीवार का बाहरी हिस्सा जहां दीखता है	कश्मीरी गेट
25.	कोटला फिरोजाबाद तथा दीवारें, बुर्जियां तथा प्रवेशद्वार एवं बाग, पुरानी मस्जिद तथा कुआं तथा इसमें शामिल अन्य अवशेष	जेल के दो फर्लांग पूर्व तथा शाहजहानाबाद दिल्ली के दक्षिण पूर्वी कोने के दक्षिण दो तीन फर्लांग
26.	लाल दरवाजा, शेरशाह की दिल्ली की बाहरी दीवारों का उत्तरी द्वार	दिल्ली गेट के दक्षिण में तीन फर्लांग
27.	लोथियान रोड कब्रिस्तान	कश्मीरी गेट
28.	मस्जिद	कुदसिया बाग
29.	म्यूटिनी टेलीग्राफ स्मारक	पुराने टेलीग्राफ भवन के सामने, कश्मीरी गेट

1	2	3
30.	निकलसन अथवा कशमीरी गेट कब्रिस्तान	कशमीरी गेट
31.	निकलसन की मूर्ति तथा उसका प्लेटफार्म तथा उसके आसपास के बाग, रास्ते तथा लगी हुई दीवार	कशमीरी गेट के बाहर
32.	हिन्दूराव अस्पताल के एकदम समीप प्राचीन बावली	रिज, दिल्ली
33.	बाग के पुराने प्रवेशद्वार	कुदसिया, दिल्ली
34.	पीरहैब-उत्तर में तथा हिन्दुराव अस्पताल के समीप	रिज, दिल्ली
35.	शहर दीवार का वह हिस्सा जहां ब्रिगे. जान निकलसन को 14 सितम्बर, 1857 को घातक रूप से जख्मी कर दिया गया था	रिज, दिल्ली
36.	रोशनारा में पंजाबी गेट	म्यूनिसिपल बोर्ड स्कूल के सामने, सब्जी मंडी
37.	पुराना किला (इन्द्रपट) अथवा दिल्ली अपनी सभी दीवारों, तोरणपथों, प्रवेशद्वारों तथा बुर्जियों, शेरशाह की मस्जिद किला कोहना मस्जिद, शेरमंडल तथा प्रवेशद्वार	शाहजहानाबाद, दिल्ली के दिल्ली गेट से 2 मील दक्षिण की तरफ
38.	राजपुर म्यूटिनी कब्रिस्तान	पुराना राजपुर कैंट, उत्तरी जिला
39.	प्राचीन मैगाजीरा तथा उनके साथ लगे हुए भवनों के बचे हुए प्रवेशद्वार	पेस्ट आफिस, दिल्ली
40.	शेरशाह का गेट तथा उसके साथ लगी दीवारें तथा बुर्जियां तथा उसके सामने दोनों तरफ की संरचनाओं के अवशेष	पुराना किले के एक दम सामने व खैरुल मंजिल मस्जिद के उत्तर पूर्व में
41.	सीज बैटरी का स्थल जिसे सैमी हाउस बैटरी जाना जाता है जिसमें निम्नलिखित शिलालेख हैं: बैटरी, सैमी हाउस, मेजर रेमिंगटन टेंक, आर.ए. कमांडिंग अरमामेंट 86 पाउंड। मोरी बुर्जी के समीप कमांड ग्राउंड	म्यूटिनी स्मारक के 300 गज पूर्व में
42.	शिलालेख सहित सीज बैटरी का स्थल	पुलिस लाइन में अस्पताल के पूर्व में
43.	शिलालेख सहित सीज बैटरी का स्थल	मकान नं. 7 का परिसर, कोर्ट रोड
44.	शिलालेख सहित सीज बैटरी का स्थल	कर्जन हाउस का परिसर
45.	शिलालेख सहित सीज बैटरी का स्थल	दिल्ली क्लब मैदान के दक्षिण पश्चिम प्रवेशद्वार के समीप बाग
46.	दिल्ली किले के पास सुनहरी मस्जिद	दिल्ली किला
47.	कै. मैक बर्नाट एवं अन्यों का मकबरा जोकि किशनगंज के आक्रमण में मारे गए	किशनगंज

1	2	3
48.	ग्यासुद्दीन तुगलक का मकबरा, तुगलकाबाद, दीवारें, बुर्जियां, द्वार तथा दोउ खान के मकबरे को शामिल करके	तुगलकाबाद
49.	रोशनारा का मकबरा तथा बारादरी	सब्जी मंडी
50.	मौहल्ला बुलबुल खाना में रजिया बेगम का मकबरा	शाहजहानाबाद
51.	सफदरंजंग का मकबरा मिर्जा मुकीम मंसूर अली खान तथा इसकी दीवारें, प्रवेशद्वार, बाग तथा बाग के पूर्वी तरफ मस्जिद	लोदी रोड, नई दिल्ली
52.	त्रिपोलिया प्रवेशद्वार	दिल्ली-करनाल मार्ग
53.	उग्रसेन की बावली	जंतर मंतर के समीप
54.	दरिया खान का मकबरा	पूर्वी किदवई नगर
55.	घियासपुर स्थित बावली	निजामुद्दीन
56.	मिर्जा मुजफ्फर का मकबरा, छोटा बादशाह नं. 153, घियासपुर	निजामुद्दीन
57.	अमीर खुसरो का मकबरा, घियासपुर	निजामुद्दीन
58.	मिर्जा मुजफ्फर का मकबरा, बड़ा बादशाह नं. 151 घियासपुर	निजामुद्दीन
59.	निजामुद्दीन औलिया का मकबरा, घियासपुर, न. 167	निजामुद्दीन
60.	अज्ञात मकबरा, घयासपुर, न. 153	निजामुद्दीन
61.	फिरोजशाह का मकबरा	हौजखास
	सं. के पश्चिम में गुम्बदाकार भवन	
	1 व 2 के बीच में दालान	
	सं. 3 के दक्षिण में गुम्बदाकार भवन तथा उसका आंगन	
	सं. 1 से 10 तक के उत्तर में दालान तथा सभी ध्वस्त भवन	
	सं. 1 व 5 की तरफ पांच छतरियां	
	सं. 6 के उत्तर में पुराना द्वार	
	सं. 7 के उत्तर-पश्चिम में तीन छतरियां	
	सं. 8 के उत्तर-पश्चिम में गुम्बदाकार भवन के ध्वस्त आंगन तथा उसके दालान	

1	2	3
	सं. 4 से पूर्व की तरफ जा रही पुरानी दीवार	
	उपरोक्त स्मारकों को घेरती हुई 2.23 एकड़ भूमि जो कि घिरी हुई है	
	उत्तर : छंगा तथा मेहरचंद पुत्र श्री हंसराम एवं उदेराम पुत्र कुशा के मकानों से	
	दक्षिण : गढ़ी मुनकान रास्ता	
	पूर्व : गांव का सलि जोकि गांव के लोगों के मकान हैं जैसे नोटस जदर पुत्र जयसिंह चमार तथा फील्ड नं. 338 एवं 331 जोकि नैदार तथा अन्यों से संबंधित है	
	पश्चिम : फील्ड नं. 185 जोकि उदाराम पुत्र कुशल जाट तथा फील्ड नं. 186 जोकि जागिण व संजावल राजपूत से संबंधित है, सं. 195 घैरमुनकीन जोहर, जोकि जाटों व मुसलमानों से संबंधित है तथा फील्ड नं. 196, घैरमुनकीन पाल।	
62.	मस्जिद सहित बाग-ए-आलम गुम्बद	हुमायूंपुर
63.	काली गुंटी	हुमायूंपुर हौजखास
64.	टेफेवाला गुम्बद	हुमायूंपुर डीयर पार्क हौजखास
65.	अरब सराय	पट्टी, हौज इन्द्रपेट में घीयापुर
66.	पुराना किला की तरफ उत्तर की दिशा की तरफ वाला की सराय का प्रवेशद्वार	अरब सराय गांव के समीप
67.	हुमायूं के मकबरे की तरफ पूर्व की दिशा की तरफ वाला अरब की सराय का प्रवेशद्वार	अरब सराय गांव के समीप
68.	अरब सराय व आबादी-बाग-मुहालिमा के बचे हुए प्रवेशद्वार	अरब सराय गांव के समीप
69.	लाखरवाल गुम्बद मकबरा	इन्द्रपट एस्टेट, सुन्दर नर्सरी
70.	सुन्दरवाला बुर्ज	इन्द्रपट एस्टेट, सुन्दर नर्सरी
71.	सुन्दरवाला महल	इन्द्रपट एस्टेट, सुन्दर नर्सरी
72.	बिजय मंडल, साथ के गुंबद, भवन तथा बेगमपुर के उत्तर की तरफ दालान	कालूसराय गांव में सर्वप्रिय बिहार
73.	पुराना लोदी ब्रिज, रास्तों सहित	सिकंदर लोदी के मकबरे के पास, खैरपुर

1	2	3
74.	दालान एवं आंगन सहित मस्जिद तथा बड़ा गुम्बज मस्जिद में गुम्बदाकार प्रवेश	खैरपुर
75.	मौहम्मद शाह का मकबरा जिसे मुबारक खान के गुम्बज के नाम से भी जाना जाता है	खैरपुर
76.	सिकंदर लोदी का मकबरा तथा उसके साथ लगी दीवारें तथा बुर्जियां, द्वार तथा परिसर	खैरपुर
77.	शीशा गुम्बद के नाम से जाना जाने वाला अज्ञात मकबरा जिसमें सजावट के लिए नीली टाइलें लगी हैं	खैरपुर
78.	बांदी अथवा पोती का गुम्बद III-280	हौजखास व कुतुब रोड के बीच खरेरा गांव
79.	बीरन का गुम्बद-282	हौजखारा व कुतुब रोड के बीच खरेरा गांव
80.	बीवी और दादी का गुम्बद-281	हौजखास व कुतुब रोड के बीच खरेरा गांव
81.	चोर मीनार नं. 289 भाग III	खरेरा हौजखास एन्कलेव
82.	चोटी गुंटी	खरेरा गांव ग्रीन पार्क
83.	खरेरा की ईदगाह सं. 287, भाग III	खरेरा गांव हौजखास एन्कलेव
84.	नीली मस्जिद	खरेरा गांव हौजखास एन्कलेव
85.	सकरी गुमटी-284	खरेरा गांव ग्रीन पार्क
86.	थ्खड़की मस्जिद	खिड़की गांव
87.	सतपुला-III-216	खिड़की गांव
88.	यूसुफ कुतल का मकबरा	खिड़की गांव में फील्ड नं. 81, शामलाल की संपत्ति
89.	महरौली में जहाज महल	महरौली
90.	प्लेटफार्म व प्रवेशद्वार सहित शमसीद तालाब	महरौली
91.	मोती मस्जिद	महरौली
92.	बहादुर शाह II का प्रचीन महल उर्फ महरौली का लाल महल	महरौली

1	2	3
93.	बारा-खंभा-285	खरेरा गांव मकबरे जोकि हौजखास, कुतुब रोड के बीच हैं
94.	कुतुब पुरातत्वीय क्षेत्र जिसकी अब फेंसिंग कर दी गई है जिसमें मस्जिद, लौह स्तंभ, कुतुब दीन की मीनार, अर्द्ध निर्मित मीनार, सभी स्तंभावली, स्क्रीन मेहराब, अल्तमश का मकबरा, कालेज, अलाउद्दीन के भवन, इमाम जमीन का मकबरा तथा उपरोक्त क्षेत्र में लगे उत्कीर्ण पत्थर तथा बाग, रास्ते तथा पानी के चैनल तथा सभी प्रवेशद्वार तथा अलाई दरवाजा व उपरोक्त क्षेत्र में सभी कब्रें	महरौली
95.	आदम खान का मकबरा आराम गाह	महरौली
96.	मौलाना जमाली कमाली का मकबरा तथा मस्जिद	महरौली
97.	महरौली स्थित दीवार मस्जिद	महरौली
98.	सेहन गेट से आदम खान के मकबरे तक लाल कोट व राय पिथौरा किले की दीवारें तथा बाहीह दीवार के पास खाईं को मिलाकर	महरौली खसरा नं. 1783, 1765 1766, 1767, 1770, 1772, 1773, 1768 तथा 1764
99.	लाल कोट व राय पिथौरा किले की दीवारों के आपस में मिलने का स्थान	जमाली कमाली मस्जिद के पास महरौली खसरा नं. 1754, लाडो सराय खसरा नं. 86 व 87
100.	प्रवेशद्वारों व बुर्जियों को मिलाकर राय पिथौरा किले की दीवार	महरौली
101.	गांव मुबारकपुर में मुबारकपुर, कोटला के द्वार व दीवारें	मुबारकपुर गांव, कोटला
102	मोती की मस्जिद	साउथ एक्सटेंशन पार्ट II के पीछे
103	इंचला वाली गुंटी	मुबारकपुर गांव, कोटला
104.	काला गुम्बद	मुबारकपुर गांव कोटला
105.	बड़े खान, छोटे खान के मकबरे, मुबारकपुर, कोटला	मुबारकपुर गांव, कोटला
106.	मुबारकपुर, कोटला में मुबारिक का मकबरा	मुबारकपुर गांव, कोटला
107.	मुबारक शाह के मकबरे के साथ की मस्जिद	मुबारकपुर गांव, कोटला
108.	भूरा खान का मकबरा	मुबारकपुर गांव, कोटला
109.	तीन बुर्जी वाला गुम्बद	मोहम्मदपुर गांव II, 304

1	2	3
110.	बिना नाम का मकबरा	मोहम्मदपुर गांव, 305
111.	बावली	मुनीरका II, 318
112.	मुंडा गुम्बद	मुनीरका 302
113.	बिना नाम की मस्जिद	मुनीरका 314
114.	बिना नाम का मकबरा	मुनीरका 313
115.	बिना नाम का मकबरा	मुनीरका 315
116.	बिना नाम का मकबरा	मुनीरका 316
117.	बिना नाम का मकबरा	मुनीरका 317
118.	बिना नाम का मकबरा	मुनीरका 321
119.	बिना नाम की मस्जिद	मुनीरका 322
120.	वजीरपुर की गुम्बद	मुनीरका 312
121.	अफसाह वाल्ला की मस्जिद जोकि हुमायूं के मकबरे के पश्चिम द्वार के बाहर स्थित है तथा इसके दालान व आंगन जिसके पूर्व में हुमायूं का मकबरा, पश्चिम में अरब सराय की आबादी, उत्तर में सड़क तथा खसरा सं. 252 तथा दक्षिण में अरब सराय की आबादी	निजामुद्दीन
122.	गुफा के उत्तरी प्रवेशद्वार के बाहर बारा खंभा	निजामुद्दीन
123.	निजामुद्दीन के समीप बड़ा पुल	निजामुद्दीन दक्षिण
124.	मिर्जा निजामुद्दीन अजीज का कोकलताश का मकबरा तथा बारा खंभा	निजामुद्दीन
125.	जहांनारा बेगम की कब्र	निजामुद्दीन
126.	मोहम्मद शाह की कब्र	निजामुद्दीन
127.	मिर्जा जहांगीर की कब्र	निजामुद्दीन
128.	हुमायूं का मकबरा, इसके प्लेटफार्म, बाग, लगी हुई दीवारें तथा प्रवेशद्वार खसरा सं. 258 पूर्व की तरफ मीरी सिंह के खसरा सं. 180, 181 तथा 224 तथा पश्चिम की तरफ खसरा सं. 268 तथा 253, उत्तर की तरफ खसरा सं. 266, दक्षिण में मीरी सिंह के खसरा सं. 245 तथा सैय्यद मौहम्मद के खसरा सं. 248 व 249	निजामुद्दीन

1	2	3
129.	हुमायूं के मकबरे के दक्षिण कोने से बाहर लगा हुआ नीला गुम्बद खसरा सं. 243 जोकि पूर्व में खसरा सं. 182 से, पश्चिम में हुमायूं के मकबरे से, उत्तर में खसरा सं. 181 से तथा दक्षिण में मीरी सिंह के खसरा सं. 244 से घिरा हुआ है	निजामुद्दीन
130.	नीली छतरी अथवा सब्ज बुर्ज	निजामुद्दीन पूर्वी
131.	अफसरवाला की मस्जिद के एकदम साथ अफसरवाला का मकबरा	निजामुद्दीन
132.	अतगाह खान का मकबरा	निजामुद्दीन
133.	ईसा खान का मकबरा तथा उसके साथ की दीवारें तथा बाग, प्रवेशद्वार तथा मस्जिद खसरा सं. 281 जोकि पूर्व में अरब की सराय खसरा सं. 236, पश्चिम में प्यारे लाल की समाधि खसरा सं. 283 तथा बडोन का खसरा सं. 283, उत्तर में पंडित बृज वल्लभ का खसरा सं. 236 तथा दक्षिण में अरब सराय खसरा सं. 238 से घिरा है	निजामुद्दीन
134.	खान-ए-खाना का मकबरा	निजामुद्दीन
135.	रेलवे स्टेशन के समीप तीन गुम्बदों के साथ मकबरा	निजामुद्दीन
136.	शिकारगाह कुशक-II-327	पुराना कुशक गांव
137.	बादली-की-सराय के प्रवेशद्वार	पीपलथला गांव
138.	थोक शाहपुर तथा अढहेनी की संपत्ति जोकि 31 सराय शाह फील्ड सं. 81 में स्थित है में शेख कबरूद्दीन का मकबरा जिसे रकाबवाला गुम्बद भी जाना जाता है	मालवीय नगर
139.	शाहपुरजाट में खसरा सं. 88, 265 तथा 447 में सीरी के ध्वस्त दीवारों की पंक्तियां, बुर्जियां तथा प्रवेशद्वार	शापुर जाट
140.	शाहपुरजाट में खसरा सं. 14 में सीरी मेहम्मदी वली के अंदरूनी भवन बुल-बुल-की, खसरा सं. 256, शाहपुरजाट मखदमू की खसरा सं. 255, शाहपुरजाट बारादरी, शाहपुरजाट मोतियांवाला गुम्बद, शाहपुरजाट थानावाला, शाहपुरजाट	शाहपुर जाट
141.	तुबलकाबाद में नाई-का-कोट	तुगलकाबाद, कोटला

1	2	3
142.	ग्यासुद्दीन तुगलक का मकबरा, दीवारें तथा बुर्जियां प्रवेशद्वार तथा पक्का नदी पथ तथा दाद खान का मकबरा	तुगलकाबाद
143.	मोहम्मद तुगलकाबादशाह, तुगलकाबाद का मकबरा	बदरपुर जेल
144.	तुगलकाबाद प्राचीन नगर की दीवारें	बदरपुर जेल
145.	तुगलकाबाद किले के दोनों अंदर व बाहर के दुर्गों की दीवारें, प्रवेशद्वार, बुर्जियां तथा अंदरूनी भवन	तुगलकाबाद
146.	आदिलाबाद मोहम्मदाबाद की दीवारें, द्वार तथा बुर्जियां तथा तुगलकाबाद से जाने वाला पक्का नदी पथ	तुगलकाबाद
147.	मकबरा	वजीराबाद
148.	मस्जिद	वजीराबाद
149.	पास का पुल	वजीराबाद
150.	सर्वे प्लाट सं. 167 के भाग में दर्शित टीला जिसे जागा बाई कहते हैं	जामिया नगर
151.	अशोक शिलालेख	पूर्वी कैलाश कालोनी
152.	मैरी मस्जिद	लाडो सराय
153.	मस्जिद एवं छतरी सहित राजों-की बैन	लाडो सराय
154.	बादुन द्वार	लाडो सराय
155.	लाल कोट का प्रवेशद्वार	लाडो सराय
156.	राय पिथौरा किले का प्रवेशद्वार	लाडो सराय
157.	राय पिथौरा किले तथा जहां पनाह की दीवारों के मिलने का स्थान	हौजरानी व लाडो सराय
158.	सुल्तान गारी का मकबरा	नालिकपुर कोही
159.	डाइविंग वाल के नाम से प्रसिद्ध बावली जिसे स्थानीय रूप से केंडक की बावली जाना जाता है	महरौली
160.	शाह आलम बहादुर शाह, शाह आलग से अकबर शाह II के मकबरे तथा आसपास की इमारतें	महरौली
161.	महरौली के फील्ड सं. 157-81, 1586-97, 1614 तथा 1624 स्थित शांसी मकान तथा मध्य में लाल पत्थर का मंडप	महरौली

1	2	3
162.	लौह स्तंभ हिन्दु अवशेष	महरौली
163.	प्राचीन मस्जिद	पलम
164.	शीश महल	शालीमार गार्डन गांव हैदरपुर
165.	अशोक स्तंभ	हिंदुराव अस्पताल की रिज पर
166.	शेख मुहम्मद इब्राहिम जॉक की मजार	चिंद बाग, कदम शरीफ, पहाड़गंज, दिल्ली
167.	चहारदीवारी असद बुर्ज, वाटर गेट, दिल्ली गेट, लाहोरी गेट, जहांगीरी गेट, छत्ता बाजार, बावली	लाल किला, दिल्ली
168.	चहारदीवारी, द्वार, बुर्जियां तथा सलीमगढ़ किले की प्राचीन इमारत	बेला रोड
169.	शाहजहानाबाद की शहरी दीवार के भाग	अंसारी रोड
170.	सत नारायन भवन	दिल्ली सधारा खुर्द, दीना नाथ मार्ग, रोशनारा रोड, नई दिल्ली

कच्चे तेल का तेल शोधन लाभ

1289. श्री शिवाजी अधलराव पाटील : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कच्चे तेल के तेल शोधन लाभ का अंतर दुनिया के अन्य देशों की तुलना में बहुत अधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) कच्चे तेल के तेल शोधन में उच्च लाभ के बावजूद मूल्य वृद्धि का औचित्य क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ग) समय-समय पर विभिन्न एजेंसियों द्वारा शोधन मार्जिन का विश्लेषण किया जाता है। कलैण्डर वर्ष 2003 के लिए फीड स्टाक के रूप में दुबई क्रूड का प्रयोग करते हुए सिंगापुर काम्पलैक्स शोधन मार्जिनों पर मैसर्स मेरिल लाइंच द्वारा किए गए विश्लेषणों के अनुसार शोधन मार्जिन 4.23 डालर प्रति बैरल का और वर्ष 2004 के प्रथम तिमाही के लिए शोधन मार्जिन 6.81 डालर प्रति बैरल था।

इसके विपरीत वर्ष 2003-04 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का शोधन मार्जिन करीब 4.56 डालर प्रति बैरल था।

प्रचलित उच्च अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों को ध्यान में रखते हुए तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) ने 16.6.2004 से पेट्रोल, डीजल तथा घरेलू एलपीजी के मूल्यों में वृद्धि की है। तथापि इन उत्पादों के घरेलू उपभोक्ता मूल्यों की वृद्धि में अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों के पूर्ण भार को न डालते हुए तेल विपणन कंपनियों ने उच्च अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों के भार का एक हिस्सा वहन किया था। इसके अतिरिक्त तेल विपणन कंपनियों ने पीडीएस मिट्टी तेल के मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं की है।

रोजगार समन्वय कार्यक्रम

1290. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सौ दिनों का रोजगार समन्वय कार्यक्रम शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस कार्यक्रम के लिए कितनी वार्षिक राशि निर्धारित की गयी है;

(ग) इसकी घोषणा/क्रियान्वयन कब तक किए जाने की संभावना है; और

(घ) बेरोजगार ग्रामीणों के लिए इसके कितने लाभप्रद होने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील) : (क) से (घ) प्रत्येक ग्रामीण/शहरी गरीब परिवार के लिए हर वर्ष कम-से-कम 100 दिनों का रोजगार मुहैया कराने की कानूनी गारंटी प्रदान करने हेतु एक राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम बनाया जाएगा। अपने बजट भाषण, 2004 में वित्त मंत्री ने बताया है कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा उपयुक्त कानून बनाया जाएगा। इस अधिनियम में विषय की बारीकियों का ध्यान रखा जाएगा।

[हिन्दी]

रेल लाइनों का दोहरीकरण

1291. **श्री कमला प्रसाद रावत :**
श्री दिनशा पटेल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में जहां कहीं भी एकल रेल लाइनें हैं उन सभी स्थानों पर रेल लाइनों का दोहरीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जोन-वार ब्योरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) जी, नहीं। सैक्शन का दोहरीकरण लाइन क्षमता के संतृप्त हो जाने पर ही किया जाता है बशर्ते कि परिचालनिक आवश्यकता और संसाधनों की उपलब्धता हो।

इस समय देशभर में 89 दोहरीकरण परियोजनाएं प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं और इसके अलावा बजट 2004-05 में 5 नए दोहरीकरण कार्य शामिल किए गए हैं। इन परियोजनाओं को पूरा होने पर लगभग 2531 किमी. रेलपथ जुड़ जाएगा।

दोहरीकरण कार्यों का जोनवार ब्योरा इस प्रकार है:-

रेलवे (जोन)	कार्यों की संख्या	कुल लंबाई (किमी. में)
मध्य	4	72.48
पूर्व तटीय	8	169.20
पूर्व मध्य	9	162.09
पूर्व	14	265.64
उत्तर मध्य	8	152.03
उत्तर पूर्व	4	80.56
पूर्वोत्तर सीमा	2	36.00
उत्तर	11	451.41
उत्तर पश्चिम	1	54.75
दक्षिण मध्य	5	357.10
दक्षिण पूर्व मध्य	4	164.63
दक्षिण	14	282.44
दक्षिण पूर्व	3	61.60
दक्षिण पश्चिम	4	131.45
पश्चिम	3	89.45
जोड़	94	2530.83

[अनुवाद]

ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा हेतु सम्मेलन

1292. **श्री सी.के. चन्द्रप्पन :**
श्री किरीप चालिहा :
श्री अजय चक्रवर्ती :
श्री के.एस. राव :
डा. एम. जगन्नाथ :

श्री किन्जरपु येरननायडु :
श्री शिवाजी अधलराव पाटील :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान कई ग्रामीण विकास और गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के प्रति लापरवाही बरती गयी है या उनको कम प्राथमिकता दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार देश में ग्रामीण विकास और गरीबी उपशमन को प्राथमिकता देने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और ग्रामीण जनता के साथ प्रस्तावित नए तरीके से व्यवहार किए जाने के आलोक में कौन से महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा के लिए हाल ही में गरीबी उपशमन और ग्रामीण विकास पर मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था;

(च) यदि हां, तो इस सम्मेलन में किन मुख्य मुद्दों पर चर्चा की गयी है; और

(छ) इसके क्या परिणाम निकले और इस सम्मेलन में दिए गए सुझावों/लिये गये निर्णयों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) ग्रामीण समृद्धि को गहन एवं व्यापक बनाना राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एन.सी.एम.पी.) में पहचाने गए अष्ट क्षेत्रों में एक है। एन.सी.एम.पी. में अन्य बातों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक मजदूरी रोजगार सृजन कार्यक्रम, काम के बदले अनाज कार्यक्रम, लघु उद्यमों को प्रोत्साहन, व्यापक वाटरशेड एवं बंजरभूमि विकास कार्यक्रम, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा, ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गों के लिए आवास का बड़े पैमाने पर विस्तार, सड़क सिंचाई, विद्युतीकरण, कोल्ड-चेन और विपणन दुकानों वाली ग्रामीण आधारभूत सुविधा को बढ़ाना एवं आधुनि बनाना, ग्रामीण क्षेत्रों में सभी वर्गों के लिए पेयजल मुहैया कराना आदि शामिल है।

(ङ) जी, हां।

(च) और (छ) सम्मेलन के दौरान मंत्रालय की संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ग्रामीण आवास, समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम, पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता जैसे ग्रामीण विकास एवं गरीबी उपशमन के प्रमुख कार्यक्रमों का कार्यान्वयन और पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका पर चर्चा की गई थी एवं इनकी समीक्षा की गई थी। विभिन्न कार्यक्रमों के संबंध में सम्मेलन में राज्यों द्वारा दी गई जानकारी से मंत्रालय को इन कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने में मदद मिलेगी।

[हिन्दी]

मलेशिया से रेल डिब्बों का निर्माण

1293. श्री सुभाष सुरेशचन्द्र देशमुख : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मलेशिया सरकार से रेल डिब्बों के निर्माण हेतु मांग पत्र प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) जी, नहीं। बहरहाल, मलेशियन रेलवे के लिए मै. हरतासुमा एसडीएन. बीएचडी. मलेशिया ने सवारी डिब्बा कारखाना (सडिका), चेन्नई को बिना बोगियों और आंतरिक साज-सज्जा के मीटर गेज के 11 वातानुकूलित कोच शैलों की आपूर्ति के लिए आदेश दिया है। यह आदेश 790,174 अमेरिकी डालर की लागत का है। सवारी डिब्बा कारखाना (सडिका) ने इस आदेश को अपनी स्वीकृति दे दी है।

झारखण्ड में कोडरमा-रांची रेल लाइन पूर्ण होना

1294. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि धनराशि की कमी के कारण गत छह माहों से झारखण्ड में कोडरमा-रांची रेल लाइन के निर्माण का कार्य रुक गया है;

(ख) यदि हां, तो यह रेल लाइन हजारीबाग को जोड़ती है जो उत्तरी छोटानागपुर मण्डल का मुख्यालय है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा यथाशीघ्र उक्त रेल लाइन का निर्माण कार्य पूर्ण कराने के लिए कब तक धनराशि उपलब्ध कराये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) कोडरमा-रांची नई लाइन के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। इस परियोजना का निष्पादन झारखंड राज्य सरकार के साथ लागत में भागीदारी के आधार पर किया जा रहा है, जो इस परियोजना की 2/3 लागत वहन कर रही है।

(ख) यह लाइन बरकाकाना के रास्ते रांची तक आगे विस्तार सहित कोडरमा और हजारीबाग को जोड़ेगी।

(ग) 2004-05 के बजट में इस कार्य के लिए 50 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव है। झारखंड राज्य सरकार द्वारा समानुपातिक आधार पर हिस्सेदारी मुहैया कराई जाएगी।

[अनुवाद]

डी.ए.वी.पी. द्वारा विज्ञापन

1295. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी.ए.वी.पी. समय-समय पर प्रिंट मीडिया को विज्ञापन जारी करता है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रिंट मीडिया को भुगतान करने के लिए निर्धारित मानदंड क्या है;

(ग) क्या भुगतान करने में भेद-भाव बरता जाता है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार 'प्रशासनिक मशीनरी' को सुगम बनाएगी तथा यह सुनिश्चित करेगी कि प्रिंट मीडिया को शीघ्र भुगतान किया जाए; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार की विज्ञापन नीति और विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय के पैनल में समाचारपत्रों को शामिल करने संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रिंट मीडिया को भुगतान किया जाता है। नीति के अनुसार विज्ञापन के प्रकाशित होने के 30 दिनों के भीतर समाचारपत्रों के द्वारा संबंधित दस्तावेज सहित पूर्ण रूप से भरे हुए अपने विज्ञापन बिल प्रस्तुत करने होते हैं। विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय बिल प्राप्ति के 60 दिन के भीतर विज्ञापन बिल के भुगतान का प्रयास करता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) हाल ही में इलैक्ट्रॉनिक निकासी प्रणाली (ईसीएस) की शुरूआत करके समाचारपत्रों के विज्ञापन बिलों के भुगतान को सुगम बनाया गया है। बिलों की स्थिति के साथ-साथ भुगतान की स्थिति को विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय की वेबसाइट (www.davp.nic, in) पर डाल दिया गया है ताकि इस संबंध में अधिक पारदर्शिता लाई जा सके।

[अनुवाद]

दक्षिण पूर्व रेलवे में सड़क उपरिपुल

1296. श्री प्रबोध पाण्डा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर मंडल के अंतर्गत आई.आई.टी., खड़गपुर के नजदीक पुरीघाट तथा मिदनापुर स्टेशन के नजदीक रंगमती में सड़क उपरिपुल के संबंध में हुई प्रगति की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) आज तक इन परियोजनाओं के लिए कितनी निधियां आवंटित की गईं; और

(ग) उक्त सड़क उपरिपुल का निर्माण कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) रंगामाटी में ऊपरी सड़क पुल के निर्माण कार्य को 2000-01 में स्वीकृत किया

गया था और पुरीगेट, खड़गपुर आई आई टी में ऊपरी सड़क पुल के निर्माण कार्य को 2003-04 में स्वीकृत किया गया था।

(ख) 2004-05 के दौरान रंगामाटी के ऊपरी सड़क पुल के लिए 50 लाख रुपए और पुरीगेट, खड़गपुर के लिए 1 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं।

(ग) रेल लाइनों के ऊपर से गुजरने वाले रेल के हिस्से का निर्माण रेलवे द्वारा तथा पहुंच मार्गों का निर्माण राज्य सरकार/सड़क प्राधिकरणों द्वारा किया जाता है। रंगामाटी के ऊपरी सड़क पुल के लिए रेलवे के हिस्से के निर्माण के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। पुरीगेट, खड़गपुर में ऊपरी सड़क पुल के लिए सामान्य आरेखण व्यवस्था को स्वीकृत किया जा चुका है। ऊपरी सड़क पुलों का निर्माण राज्य सरकार द्वारा पहुंच मार्गों के कार्य के पूरा होने पर निर्भर करता है। रेलवे अपने हिस्से के निर्माण कार्य को पहुंच मार्गों के पूरा होने के साथ-साथ या पहले पूरा करने का हरसंभव प्रयास करेगी।

पेट्रोलियम उत्पादों की मांग

1297. **श्री कैलाश मेघवाल :**
श्री एस.पी.वाई. रेड्डी :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों की मांग बढ़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्षवार ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस समय देश में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग को पूरा करने की स्थिति में नहीं है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) जी, हां।

(ख) 2001-02 से 2003-04 के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों की वर्षवार खपत निम्नानुसार है:-

2001-02	–	100.4 एमएमटी*
2002-03	–	104.1 एमएमटी
2003-04	–	108.0 एमएमटी (अनंतिम)

*(मिलियन मीट्रिक टन)

(ग) से (ङ) देश में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग पूरी की जा रही है।

कोच्चि रिफाइनरीज लिमिटेड द्वारा विद्युत परियोजना

1298. **श्री वरकला राधाकृष्णन :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोच्चि रिफाइनरीज लिमिटेड द्वारा 500 मेगावाट की विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) प्रस्तावित विद्युत परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ग) कोच्चि रिफाइनरीज लिमिटेड (केआरएल) ने आस्फल्टीन्स (कच्चे तेल को संसाधित किए जाते समय प्राप्त भारी अवशिष्ट) का उपयोग ईंधन के रूप में करते हुए एक 500 मे.वा. की क्षमता की विद्युत परियोजना स्थापित करने का एक प्रस्ताव रखा था जिसके लिए एक विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट (डी एफ आर) भी तैयार की गई थी। परन्तु उक्त परियोजना वित्तीय परिपूर्णता प्राप्त नहीं कर पाई क्योंकि केरल राज्य विद्युत बोर्ड बिजली की खरीद के भुगतान विषयक निलंब लेख, गारंटी आदि के संबंध में पुष्ट प्रतिबद्धता की पेशकश नहीं कर सका।

प्रस्तावित परियोजना के लिए निम्नलिखित सांविधिक अनापत्तियां प्राप्त की गईं:-

(1) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से सिद्धांत रूप में अनापत्ति (22.12.1995 को)

(2) डीएफआर तैयार करने के लिए भारत सरकार से चरण-1 का अनुमोदन (28.2.1997 को)

(3) पर्यावरण और वन मंत्रालय से पर्यावरणीय अनापत्ति (18.5.1999 को)

चूंकि उक्त परियोजना वित्तीय परिपूर्णता नहीं प्राप्त कर पाई इसलिए और अनापत्तियां प्राप्त नहीं की गईं।

निजी दूरदर्शन चैनलों के लिए पृथक सांविधिक प्राधिकरण

1299. डा. एम. जगन्नाथ : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का निजी दूरदर्शन चैनलों के कार्यकरण को विनियमित करने के लिए अलग से एक सांविधिक प्राधिकरण के गठन का प्रस्ताव है जैसाकि 31 मई, 2004 के 'इंडियन एक्सप्रेस' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस सांविधिक प्राधिकरण की संरचना का ब्योरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) से (ग) इलैक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रसारित कार्यक्रमों की विषय-वस्तु को विनियंत्रित करने के लिए एक उपयुक्त विधान प्रस्तुत करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है। इसी बीच, सरकार ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को दिनांक 9.1.2004 को अधिसूचना के जरिए प्रसारण सेवाओं हेतु विनियामक के रूप में नियुक्त कर दिया है।

आरक्षित श्रेणी के डिब्बों को सामान्य डिब्बों में परिवर्तित करना

1300. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन :
श्री पंकज चौधरी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिन के समय आरक्षित श्रेणी के डिब्बों को सामान्य डिब्बों में परिवर्तित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रकार के निर्णय लेने से पूर्व सरकार ने लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखा है जिन्हें दिन के समय भी कुछ आराम की जरूरत होती है; और

(घ) यदि हां, तो आरक्षित श्रेणी के यात्रियों को आरामदायक यात्रा उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा कौन से उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में इंडियन आयल टर्मिनल में आग

1301. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में इंडियन आयल टर्मिनल में आग लगी थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त आग से हुई हानि का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) भविष्य में ऐसी आग की घटना को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) जी, हां। इंडियन आयल टर्मिनल के पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिलान्तर्गत राजबंध स्थित टर्मिनल में 3.6.2004 को आग लगी थी।

(ख) उक्त आग के कारण मानव जीवन की कोई हानि नहीं हुई या किसी को चोट नहीं पहुंची। 360 किलो लीटर पेट्रोल का नुकसान हुआ और यह जिस टैंक में रखा था, वह भी क्षतिग्रस्त हो गया।

(ग) से (ङ) तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी) ने इस आग की जांच-पड़ताल की है। जांच रिपोर्ट के अनुसार आग बज्रपात के कारण लगी जिससे एमएस भंडारण टैंक प्रभावित हुआ। आग आन्तरिक अग्निशमन सुविधाओं के प्रयोग द्वारा सफलतापूर्वक बुझा ली गई जो आग पर काबू पाने और इसे नियंत्रित करने के लिए पूर्णत: प्रचालन में थीं। पारस्परिक सहायता के लिए आपदा प्रबंधन योजना का भी

उपयोग किया गया। टर्मिनल में अग्निशमन सुविधाओं का उन्नयन किया जा रहा है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में सड़क उपरिपुल का निर्माण

1302. **श्री सतोष गंगवार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश इस समय कहां-कहां रेल उपरिपुलों का निर्माण किया जा रहा है और इन परियोजनाओं को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में अवस्थित मीरगंज तथा फतेहगंज के चौपाल तथा राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 24 पर रेल उपरिपुलों का निर्माण किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) उत्तर प्रदेश राज्य में लागत में भागीदारी के आधार पर स्वीकृत ऊपरी सड़क पुलों के निर्माण कार्य के ब्योरे दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) समपार सं. 356-विशेष और 250/ए के बदले में चौपाला में ऊपरी सड़क पुल का निर्माण कार्य लागत में भागीदारी के आधार पर 1999-2000 में स्वीकृत किया गया था। रेलवे के हिस्से का निर्माण कार्य अर्थात् रेलपथ पर पुल का भाग रेलवे द्वारा और पहुंचमार्गों के निर्माण कार्य राज्य सरकार द्वारा निष्पादित किया जाता है। रेलवे के भाग का निर्माण कार्य राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे पहुंचमार्गों के निर्माण कार्य के साथ-साथ पूरा होने की संभावना है। मीरगंज और फतेहगंज के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 24 ऊपरी सड़क पुल के निर्माण के लिए राज्य सरकार/स्थानीय निकायों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण

क्रमांक	निर्माण कार्य	कार्य पूर्ण होने की सम्भावित तारीख के सम्बन्ध में टिप्पणी
1	2	3
1.	इरादतगंज-केटीई-एएलडी खंड पर किमी. 1341/4 पर समपार सं. 430/ए के बदले में ऊपरी सड़क पुल	रेलवे पुल खास अर्थात् रेलपथ के ऊपर वाले हिस्से का निर्माण करती है और राज्य सरकार पहुंच-मार्गों का निर्माण करती है। रेलवे अपने हिस्से का काम राज्य सरकार के साथ-साथ पूरा कर देगी।
2.	पर्तापुर-जीजेडबी-एसआरई खंड पर किमी 59/6-7 पर समपार सं. 21-ए के बदले में ऊपरी सड़क पुल	-वही-
3.	दिल्ली-सहारनपुर (सकोटी)-जीजेडबी-एसआरई खंड पर किमी. 91/7-8 पर समपार सं. 40-बी के बदले में ऊपरी सड़क पुल	-वही-
4.	हाथरस-सीएनबी-जीजेडबी खंड पर किमी. 1296/29-31 पर समपार फाटक सं. 95-ए के बदले में ऊपरी सड़क पुल	-वही-
5.	कानपुर-एएलडी-सीएनबी खंड पर किमी. 1016/5-12 पर समपार सं. 79-डी जीटी रोड के बदले में ऊपरी सड़क पुल	-वही-

1	2	3
6.	मेजा रोड-मेजा रोड के निकट एमजीएस-एएलडी खंड पर किमी. 788/11-13 पर समपार सं. 25-बी/3-टी के बदले में ऊपरी सड़क पुल	रेलवे पुल खास अर्थात् रेलपथ के ऊपर वाले हिस्से का निर्माण करती है और राज्य सरकार पहुंच-मार्गों का निर्माण करती है। रेलवे अपने हिस्से का काम राज्य सरकार के साथ-साथ पूरा कर देगी।
7.	चौपाला-एमबी-एलकेओ खंड पर समपार सं. 356-विशेष और 250/ए के बदले में ऊपरी सड़क पुल	-वही-
8.	रामपुर-एमबी-एलकेओ खंड पर समपार सं. 403-ए के बदले में ऊपरी सड़क पुल	-वही-
9.	बाराबंकी-एलकेओ-बाराबंकी खंड पर किमी. 1073/3-5 पर समपार सं. 180-ए के बदले में ऊपरी सड़क पुल	-वही-
10.	फतेहपुर-एएलडी-सीएनबी खंड पर किमी. 943/3-5 पर समपार सं. 50 के बदले में परिपथ के साथ-साथ ऊपरी सड़क पुल	-वही-
11.	देवरिया सदर-नुनखर के बीच समपार सं. 129 के बदले में ऊपरी सड़क पुल	-वही-
12.	लखनऊ शहर में डालीगंज और महिबुल्लापुर के बीच समपार सं. 6 के बदले में ऊपरी सड़क पुल	-वही-
13.	रामपुर में समपार सं. 1 विशेष के बदले में ऊपरी सड़क पुल (राष्ट्रीय राजमार्ग-24)	-वही-
14.	औंड़िहार-छपरा खंड पर गाजीपुर सिटी और गाजीपुर घाट खंड के बीच कि.मी. 198/4-5 पर समपार सं. 24 "ए" के बदले में ऊपरी सड़क पुल	-वही-
15.	कानपुर-किमी. 1017/31-35 पर टाटा मिल समपार के निकट ऊपरी सड़क पुल को चौड़ा करना	-वही-
16.	दिल्ली-शामली सहारनपुर ई सी. किमी. 88/1-2 पर समपार सं. 0.90 के बदले में ऊपरी सड़क पुल	-वही-
17.	मंडुआडीह स्टेशन यार्ड-पश्चिमी छोर पर समपार सं. 4/ए के बदले में ऊपरी सड़क पुल	-वही-
18.	लखनऊ में लखनऊ-आलमनगर एवं एलकेओ-सीएनबी मुख्य रेलवे लाइनों पर क्रमश: किमी. 2/31-32 पर समपार सं. 1/बी (सीएनबी क्रासिंग) और किमी. 1076/3-4 पर 218ए (हरदोई क्रासिंग) के बदले में ऊपरी सड़क पुल	-वही-

1	2	3
19.	बिजनौर-नजीबाबाद खंड-बिजनौर-नजीबाबाद रोड पर किमी. 1498/13-14 पर समपार सं. 484-ए के बदले में ऊपर सड़क पुल	रेलवे पुल खास अर्थात् रेलपथ के ऊपर वाले हिस्से का निर्माण करती है और राज्य सरकार पहुंच मार्गों का निर्माण करती है। रेलवे अपने हिस्से का काम राज्य सरकार के साथ-साथ पूरा कर देगी।
20.	गाजियाबाद-टुंडला खंड-अलीगढ़ के निकट किमी. 1329/19-21 पर समपार सं. 112-सी/3 के बदले में ऊपरी सड़क पुल	-वही-
21.	गाजियाबाद-मुरादाबाद खंड-अमरोहा के निकट किमी. 30/20 पर समपार सं. 26-ए के बदले में ऊपरी सड़क पुल	-वही-
22.	लखनऊ-रायबरेली स्टेशन के बीच किमी. 1071/371.35 पर समपार सं. 215/3 टी के बदले में लखनऊ पर ऊपरी सड़क पुल	-वही-
23.	लखनऊ जंक्शन और ऐशबाग स्टेशन के बीच समपार सं. 3 ए (टी) के बदले में ऊपरी सड़क पुल	-वही-
24.	अकबरपुर-लखनऊ-फैजाबाद खंड के बीच किमी. 907/2-3 पर समपार सं. 83/ए के बदले में ऊपरी सड़क पुल	-वही-
25.	मुरादाबाद-गाजियाबाद खंड-किमी. 131/12-13 पर समपार सं. 95 के बदले में महरौली और डासना स्टेशनों के बीच ऊपरी सड़क पुल	-वही-
26.	इज्जतनगर-बरेली खंड-किमी. 314/4-5 पर समपार सं. 244 के बदले में इज्जतनगर-बरेली सिटी स्टेशनों के बीच ऊपरी सड़क पुल	-वही-

[अनुवाद]

राज्यों में खुले बाजार में पेट्रोल की बिक्री

1303. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ राज्यों में खुले बाजार में पेट्रोल की बिक्री की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में ऐसी अवैध बिक्री की जा रही है; और

(ग) नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई न किए जाने के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ग) यह संभव हो सकता है कि खुदरा बिक्री केन्द्रों तक निकट पहुंच न रखने वाले दूरदराज के और अलग पड़े स्थानों पर कुछ व्यक्ति धूर्ततापूर्वक पेट्रोल की बिक्री कर रहे हों। जब कभी तेल कंपनी के क्षेत्र अधिकारी ऐसी घटनाओं से रुबरु होते हैं तो वे आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला प्राधिकारियों के साथ मामला उठाते हैं। चूंकि तेल कंपनियों का ऐसे व्यक्तियों के साथ कोई कारोबारी संबंध नहीं होता इसलिए तेल कंपनियों द्वारा कोई कार्रवाई आरंभ नहीं की जा सकती। सरकार ने राज्य सरकारों को पहले ही

सलाह दी है कि एमएस/एचएसडी नियंत्रण आदेश, 1998 के प्रावधानों के अनुसार एमएस अथवा एचएसडी की सुपुर्दगी अथवा बिक्री केवल तेल कंपनियों के अधिकृत डीलरों द्वारा ही की जा सकती है। ऐसी धूर्ततापूर्ण प्रचालनों के मामले में कार्रवाई अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसार की जा सकती है। सरकार ने सभी राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रशासनों से ऐसे सभी अनधिकृत खुदरा बिक्री केन्द्रों को बंद करने के लिए कार्रवाई करने का अनुरोध किया है जो एमएस/एचएसडी नियंत्रण आदेश, 1998 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं हैं।

तेल उद्योग के लिए पेट्रोलियम उत्पादों से उपकर

1304. **श्री कीर्ति वर्धन सिंह :**
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्रीमती निवेदिता माने :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य स्वामित्व वाले तेल उद्योग के विकास के लिए पेट्रोलियम उत्पादों से उपकर एकत्रित किया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी शुरूआत से अब तक एकत्रित निधियों का वर्ष-वार ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार तेल उद्योग विकास बोर्ड को कोई निधियां भुगतान नहीं करती है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाए किए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) राजकीय-स्वामित्व वाले तेल उद्योग के विकास के लिए पेट्रोलियम उत्पादों पर कोई उपकर नहीं लगाया गया है। उपकर तेल उद्योग विकास अधिनियम (1974) के तहत, तेल उद्योग के विकास के लिए, कच्चे तेल के घरेलू उत्पादन पर लगाया गया है। उपकर की वर्तमान दर 1800 रुपये प्रति मीट्रिक टन है। आरंभ से तेल उद्योग विकास अधिनियम (1974) के तहत उगाहे गए उपकर का वर्षवार ब्योरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) से (ङ) ओआईडीबी के प्रारंभ से, सरकार ने कच्चे तेल पर उगाहे गए उपकर में से 902.40 करोड़ रुपये की धनराशि का भुगतान ओआईडीबी को किया है।

विवरण

केन्द्र सरकार द्वारा उगाहे गए उपकर और ओआईडीबी को इसके आवंटन का विस्तृत ब्योरा

(रुपए/करोड़)

क्र. सं.	वर्ष	कच्चे तेल पर सरकार द्वारा उगाह्य गया उपकर	उगाहने का प्रभार	उगाहे गए उपकर की निवल राशि	सरकार द्वारा ओआईडीबी को किया गया भुगतान
1	2	3	4	5	6
1.	1974-75	30.82	0.63	30.20	16.01
2.	1975-76	50.05	1.00	49.05	62.27
3.	1976-77	52.88	0.53	52.35	48.19
4.	1977-78	63.72	0.64	63.08	50.10
5.	1978-78	68.89	0.69	68.20	20.00
6.	1979-80	69.70	0.70	69.00	140.00
7.	1980-81	60.70	0.60	59.80	25.01
8.	1981-82	138.97	1.39	137.58	142.92
9.	1982-83	268.83	2.69	266.14	100.00
10.	1983-84	812.8	8.13	804.67	—
11.	1984-85	850.12	5.70	844.42	—
12.	1985-86	897.66	6.01	891.65	—
13.	1986-87	981.50	6.57	974.93	—
14.	1987-88	1806.60	12.10	1794.50	—

1	2	3	4	5	6
15.	1988-89	2013.64	13.49	2000.15	63.09
16.	1989-90	2914.57	19.53	2895.04	50.00
17.	1990-91	2785.15	18.65	2766.50	89.81
18.	1991-92	2500.64	16.76	2483.88	95.00
19.	1992-93	2207.61	14.70	2192.91	—
20.	1993-94	2175.46	14.57	2160.89	—
21.	1994-95	2566.16	17.19	2548.97	—
22.	1995-96	2819.52	18.89	2800.63	—
23.	1996-97	2558.03	17.14	2540.89	—
24.	1997-98	2528.74	16.95	2511.79	—
25.	1998-99	2448.18	16.40	2431.78	—
26.	1999-00	2589.44	17.35	2572.09	—
27.	2000-01	2582.21	17.31	2564.91	—
28.	2001-02	2722.79	18.24	2704.55	—
29.	2002-03	4873.17	32.65	4840.52	—
30.	2003-04	4919.49	32.96	4886.53	—
	योग	51357.74	350.15	51007.6	902.40

पैलेस आन व्हील्स

1305. श्री पी. राजेन्द्रन :
श्री प्रकाशबापू वी. पाटिल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में 'पैलेस आन व्हील्स' परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या 'पैलेस आन व्हील्स' को अन्य राज्यों विशेषकर केरल में पर्यटन की संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए पर्यटक रेलगाड़ी के रूप में चलाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में राज्य सरकारों द्वारा कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ङ) क्या इस संबंध में कोई संभाव्यता अध्ययन कराया गया है; और

(च) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे तथा इसे कब तक क्रियान्वित किया जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) राजस्थान में राजस्थान पर्यटन विकास निगम (आर टी डी सी) के सहयोग से "पैलेस आन व्हील" टूरिस्ट रेलगाड़ी और गुजरात में मैसर्स टूरिस्ट कारपोरेशन ऑफ गुजरात लि. (टी सी जी एल) के सहयोग से "रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस" चलाई जा रही है। इस वर्ष 16 जनवरी, 2004 से महाराष्ट्र में महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम (एम टी डी सी) के सहयोग से दक्कन ओडोसी नाम की नई लक्सरी टूरिस्ट रेलगाड़ी शुरू की गई है। कर्नाटक में इस प्रकार की गाड़ी चलाने के लिए भी शहरी विकास मंत्रालय से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ख) केरल में एक लक्सरी टूरिस्ट रेलगाड़ी (आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल को जोड़ते हुए) चलाने की घोषणा केंद्रीय रेलवे बजट 2004-05 में करने के लिए 18 जून, 2004 को केरल सरकार से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था।

(ग) से (च) जी नहीं, बहरहाल, 2.7.04 को राज्य सरकारों जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल को प्रतिफल की दर, लागत/राजस्व के बटवारे के तौर-तरीके आदि को दर्शाते हुए एक संभाव्य अध्ययन सहित विस्तृत प्रस्ताव रेलवे के विचारार्थ भेजने को कहा गया है। संबंधित राज्य सरकारों से जवाब अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

[हिन्दी]

पेयजल की उपयोगिता के लिए निधियों की समीक्षा

1306. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2003-04 से लेकर आज की तारीख तक विभिन्न ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं के अंतर्गत आबंटित कुल निधियों का राज्य-वार ब्योरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में उक्त योजनाओं के लिए जारी की गई/उपयोग की गई/अभी उपयोग की जाने वाली राशि का राज्य-वार ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन योजनाओं के लिए आबंटित राशि के उपयोग के संबंध में कोई आकलन/समीक्षा की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र) : (क) और (ख) विभिन्न ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं के अंतर्गत, पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आज की तारीख तक उपयोग और खर्च न की गयी शेष राशि सहित आबंटित की गयी निधियों के राज्यवार ब्योरे विवरण-I और II में दर्शाए गए हैं।

(ग) और (घ) निधियों की दूसरी किस्त की रिलीज के समय, जो राज्य सरकारों को पहले रिलीज की गई निधियों का कम से कम 60% भाग इस्तेमाल करने के बाद ही रिलीज की जाती है, ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं के लिए आबंटित/रिलीज की गई निधियों के उपयोग की समीक्षा की जाती है। किसी वर्ष के दौरान अत्यधिक मात्रा में खर्च न की गई शेष राशि को अगले वर्ष ले जाने के लिए राज्यों को उनके बाद की रिलीजों में कटौती करके दंडित किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप, राज्य रिलीज की गई निधियों का पूरी तरह इस्तेमाल करने के लिए यथासंभव प्रयत्न करते हैं।

विवरण-I

वर्ष 2001-2002 के दौरान ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय प्रगति

(रु. लाख में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केंद्रीय क्षेत्र (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी+डी.डी.पी.)				व्यय (राज्यों द्वारा 2.7.2004 तक सूचित व्यय)
		1.4.2001 को अथशेष	आबंटन (सामान्य+डी.डी.पी)	रिलीज	कुल उपलब्धता	
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	580.50	13889.68	14277.64	14858.14	14047.34
2.	अरुणाचल प्रदेश	19.05	4476.00	2455.91	2474.96	2365.56
3.	असम	1354.96	7561.00	5357.67	6712.63	5122.79
4.	बिहार	1370.21	7274.00	0.00	1370.12	932.29
5.	छत्तीसगढ	0.00	3877.00	3977.00	3977.00	3843.60
6.	गोवा	175.97	1455.00	727.50	903.47	241.23
7.	गुजरात	1636.25	8237.00	9776.30	11412.55	11169.58
8.	हरियाणा	0.00	3108.64	3475.92	3475.92	3475.92

1	2	3	4	5	6	7
9.	हिमाचल	27.46	5559.41	6457.21	6484.67	6484.67
10.	जम्मू-कश्मीर	3063.94	10105.88	6292.10	9356.04	8159.48
11.	झारखंड	4246.15	3619.00	1809.50	6055.65	4483.00
12.	कर्नाटक	792.17	13547.74	13861.68	14653.85	12806.17
13.	केरल	2235.65	6331.00	5045.00	7280.65	4203.99
14.	मध्य प्रदेश	0.00	8877.00	9077.00	9077.00	8438.42
15.	महाराष्ट्र	69.25	19159.00	19659.00	19728.25	19228.25
16.	मणिपुर	253.52	1643.00	821.50	1075.02	497.23
17.	मेघालय	456.49	1760.00	1215.51	1672.00	1515.04
18.	मिजोरम	0.85	1257.00	1634.10	1634.95	1255.48
19.	नागालैंड	0.00	1308.00	1700.40	1700.40	1308.00
20.	उड़ीसा	2518.99	6522.00	4852.09	7371.08	6632.53
21.	पंजाब	256.14	2277.00	1985.5	2241.64	2085.73
22.	राजस्थान	8154.84	24499.65	20713.73	28868.57	20048.22
23.	सिक्किम	0.00	536.00	696.80	696.80	696.80
24.	तमिलनाडु	0.00	7956.00	8956.00	8956.00	7956.00
25	त्रिपुरा	0.00	1559.00	2026.70	2026.70	1559.00
26.	उत्तर प्रदेश	2196.00	13269.00	13063.35	15259.35	10733.51
27.	उत्तरांचल	0.00	3356.00	3447.88	3447.88	3117.39
28.	प. बंगाल	243.40	8773.00	8947.63	9191.03	8824.46
29.	अं व नि द्वीपसमूह	4.40	13.00	0.00	4.40	0.00
30.	द व न हवेली	10.49	7.00	0.00	10.49	10.04
31.	दमन व दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
32.	दिल्ली	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
33.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	पांडिचेरी	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	29666.59	191823.00	172310.62	201977.21	171241.72

वर्ष 2002-2003 के दौरान ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय प्रगति

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केंद्रीय क्षेत्र ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. (सामान्य+डी.डी.पी.+प्राकृतिक आपदा)				व्यय (राज्यों द्वारा 2.7.2004 तक सूचित व्यय)
		1.4.2002 को अथशेष	आबंटन (सामान्य+डी.डी.पी)	रिलीज	कुल उपलब्धता	
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	810.80	14865.00	17823.92	18634.72	14984.72
2.	अरुणाचल प्रदेश	109.40	4977.00	3650.00	3759.40	2748.96
3.	असम	1589.84	8407.00	5252.50	6842.34	4848.70
4.	बिहार	437.83	7406.00	3703.00	4140.83	3309.23
5.	छत्तीसगढ़	133.40	2443.00	2943.00	3076.40	2602.92
6.	गोवा	662.24	122.00	0.00	662.24	23.62
7.	गुजरात	242.97	6699.00	9997.75	10240.72	9491.48
8.	हरियाणा	0.00	2946.00	3346.00	3346.00	3346.00
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	5643.00	8229.00	8229.00	7675.60
10.	जम्मू-कश्मीर	1196.56	12388.00	11196.39	12392.95	6120.99
11.	झारखंड	1572.65	3063.00	1949.80	3522.45	3369.46
12.	कर्नाटक	1847.68	12313.00	14355.36	16203.04	13070.34
13.	केरल	3076.66	3698.00	1899.30	4975.96	4252.69

1	2	3	4	5	6	7
14.	मध्य प्रदेश	638.58	7159.00	9586.08	10224.66	8594.90
15.	महाराष्ट्र	500.00	16829.00	19336.24	19836.24	16842.07
16.	मणिपुर	577.79	1826.00	947.00	1524.79	1193.41
17.	मेघालय	156.96	1957.00	2935.50	3092.46	1663.69
18.	मिजोरम	379.47	1398.00	2097.00	2476.47	2097.00
19.	नागालैंड	392.40	1454.00	2181.00	2573.40	1628.78
20.	उड़ीसा	738.55	6225.00	5829.80	6568.35	6531.73
21.	पंजाब	155.91	2581.00	3081.00	3236.91	3236.91
22.	राजस्थान	8820.35	26750.00	23595.96	32416.31	29881.02
23.	सिक्किम	0.00	597.00	895.50	895.50	639.06
24.	तमिलनाडु	1000.00	6358.00	7558.00	8558.00	7358.00
25.	त्रिपुरा	467.70	1734.00	2427.60	2895.30	1335.82
26.	उत्तर प्रदेश	4525.84	13022.00	11349.46	15875.30	12683.40
27.	उत्तरांचल	330.49	3085.00	3683.00	4013.49	3169.75
28.	पश्चिमी बंगाल	366.57	8545.00	10115.00	10481.57	7930.44
29.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	4.40	13.00	0.00	4.40	0.00
30.	दादरा और नागर हवेली	0.45	7.00	0.00	0.45	0.00
31.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दिल्ली	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
33.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	पांडिचेरी	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	30735.49	184518.00	189964.16	220699.65	180630.69

वर्ष 2003-2004 के दौरान ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय प्रगति

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केंद्रीय क्षेत्र ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. (सामान्य+डी.डी.पी.+प्राकृतिक आपदा+ प्रधानमंत्री की योजना)				व्यय (राज्यों द्वारा 2.7.2004 तक सूचित व्यय)
		1.4.2003 को अथशेष	आबंटन (सामान्य+ डी.डी.पी.+पीएमएस)	रिलीज	कुल उपलब्धता	
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	3650.00	15999.65	18699.79	22349.79	16205.83
2.	अरुणाचल प्रदेश	1010.44	5196.46	4219.63	5230.07	3108.90
3.	असम	1993.64	126.28.21	9997.83	11991.47	6790.00
4.	बिहार	831.60	7209.73	3604.87	4436.47	2805.16
5.	छत्तीसगढ़	473.48	2359.46	3046.77	3520.25	1945.88
6.	गोवा	638.62	130.65	12.83	651.45	11.04
7.	गुजरात	749.24	6239.19	9022.58	9771.82	9587.79
8.	हरियाणा	0.00	2673.80	2673.80	2673.80	2666.90
9.	हिमाचल प्रदेश	553.40	6172.05	5759.53	6312.93	5955.72
10.	जम्मू-कश्मीर	6271.96	11919.50	13872.13	20144.09	16118.03
11.	झारखंड	152.99	3100.87	2322.94	2475.93	1549.24
12.	कर्नाटक	3132.70	13819.13	14584.25	17716.95	16405.03
13.	केरल	723.27	4456.81	4674.62	5397.89	4197.43
14.	मध्य प्रदेश	1629.76	7671.46	10451.86	12081.62	9123.31
15.	महाराष्ट्र	2994.17	19383.34	17546.67	20540.84	13867.96
16.	मणिपुर	331.38	1989.42	1702.36	2033.74	11.10
17.	मेघालय	1428.77	2369.67	2214.45	3643.22	2352.34
18.	मिजोरम	379.47	1474.65	1474.65	1854.12	1806.54
19.	नागालैंड	944.62	1698.61	1749.54	2694.16	1671.12

1	2	3	4	5	6	7
20.	उड़ीसा	36.62	6577.67	5351.15	5387.77	3549.12
21.	पंजाब	0.00	2762.20	2515.60	2515.60	1999.83
22.	राजस्थान	2535.29	24659.66	25623.59	28158.88	26876.40
23.	सिक्किम	256.44	659.25	791.13	1047.57	1005.32
24.	तमिलनाडु	1200.00	5198.40	8848.40	10048.40	7707.09
25.	त्रिपुरा	1559.48	1967.19	2015.10	3574.58	2438.07
26.	उत्तर प्रदेश	3191.90	12436.54	11132.27	14324.17	10486.71
27.	उत्तरांचल	843.74	3054.58	2581.29	3425.03	1299.35
28.	पश्चिमी बंगाल	2551.13	8766.60	9096.72	14647.85	10253.57
29.	अण्डमान और निकोबार	4.40	27.06	10.72	15.12	0.00
30.	दादरा और नागर हवेली	0.45	55.41	25.83	26.28	0.00
31.	दमन और दीव	0.00	0.27	0.14	0.14	0.00
32.	दिल्ली	0.00	4.43	0.81	0.81	0.00
33.	लक्षद्वीप	0.00	1.62	0.81	0.81	0.00
34.	पांडिचेरी	0.00	26.21	11.69	11.69	0.00
35.	चण्डीगढ़	0.00	0.27	0.14	0.14	0.00
	कुल	40068.96	192690.02	195636.49	235705.45	183794.78

वर्ष 2004-2005 के दौरान ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय प्रगति

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केंद्रीय क्षेत्र ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. (सामान्य+डी.डी.पी.+प्राकृतिक आपदा+ प्रधानमंत्री की योजना)				व्यय (राज्यों द्वारा 2.7.2004 तक सूचित व्यय)
		1.4.2003 को अथशेष	आबंटन (सामान्य+ डी.डी.पी.+पीएमएस)	रिलीज	कुल उपलब्धता	
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	4143.93	19097.80	8398.63	12542.59	0.00

1	2	3	4	5	6	7
2.	अरुणाचल प्रदेश	2121.17	5570.00	2785.00	4906.17	0.00
3.	असम	5201.47	13579.75	2092.38	7293.85	176.00
4.	बिहार	1631.31	5467.00	0.00	1631.31	0.00
5.	छत्तीसगढ़	1574.37	1966.00	983.00	2557.37	0.00
6.	गोवा	640.41	89.00	0.00	640.41	0.00
7.	गुजरात	184.03	5789.67	2894.82	3078.85	435.23
8.	हरियाणा	6.90	2141.27	1070.63	1077.53	176.39
9.	हिमाचल प्रदेश	357.21	4017.00	2008.50	2365.71	0.00
10.	जम्मू-कश्मीर	4026.06	9561.00	4780.50	8806.56	0.00
11.	झारखंड	926.69	2443.30	1221.48	2148.17	0.00
12.	कर्नाटक	1311.92	11058.65	5008.80	6320.72	0.00
13.	केरल	1200.46	2914.00	280.00	1480.46	0.00
14.	मध्य प्रदेश	2958.31	8601.22	3580.05	6538.36	0.00
15.	महाराष्ट्र	6672.88	16219.09	8109.55	14782.43	0.00
16.	मणिपुर	2022.64	1912.00	1404.25	3426.89	0.00
17.	मेघालय	1290.88	2456.49	126.75	1417.63	0.00
18.	मिजोरम	47.58	1580.00	790.00	837.58	0.00
19.	नागालैंड	1023.04	1621.00	810.50	1833.54	0.00
20.	उड़ीसा	1838.65	6912.98	2560.00	4398.65	0.00
21.	पंजाब	515.77	2078.00	1039.00	1554.77	0.00
22.	राजस्थान	1282.48	25237.87	12065.07	13347.55	0.00
23.	सिक्किम	42.25	737.59	36.29	78.54	0.00
24.	तमिलनाडु	2341.31	6786.65	3393.33	5734.64	133.91

1	2	3	4	5	6	7
25.	त्रिपुरा	1136.51	2480.82	1240.41	2376.92	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	3837.46	10383.64	395.82	4233.28	0.00
27.	उत्तरांचल	2125.68	2241.00	1698.57	3824.25	0.00
28.	पश्चिमी बंगाल	1394.28	8608.29	3148.00	4542.28	152.41
29.	अण्डमान और निकोबार	15.12	5.63	0.00	15.12	0.00
30.	दादरा और नागर हवेली	26.28	3.75	0.00	26.28	0.00
31.	दमन और दीव	0.14	0.00	0.00	0.14	0.00
32.	दिल्ली	0.81	2.81	0.00	0.81	0.00
33.	लक्षद्वीप	0.81	0.00	0.00	0.81	0.00
34.	पांडिचेरी	11.69	2.81	0.00	11.69	0.00
35.	चण्डीगढ़	0.14	0.00	0.00	0.14	0.00
	कुल	51910.67	181566.05	71921.33	123832.00	1073.94

विवरण-II

स्वजलधारा योजना

राशि (लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	वर्ष 2003-04 के लिए आबंटन			वर्ष 2004-05 के लिए आबंटन
		आबंटन	रिलीज की गई राशि	2.7.2004 तक सूचित व्यय	
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	12.00	0		12.69
2.	आंध्र प्रदेश	1616.07	808.00	56.77	1632.65
3.	अरुणाचल प्रदेश	447.41	223.71		473.76
4.	असम	754.59	377.30		797.36
5.	बिहार	873.73	0		923.98
6.	चंडीगढ़	0	0		
7.	छत्तीसगढ़	262.80	0		332.26
8.	दादरा व ना. हवेली	8.00	4.00		8.45
9.	दमन व दीव	0	0		
10.	दिल्ली	6.00	0		6.35
11.	गोवा	14.55	0		15.04

1	2	3	4	5	6
12.	गुजरात	765.56	765.56	383.27	826.40
13.	हरियाणा	234.23	117.12		246.48
14.	हिमाचल प्रदेश	680.19	340.10		677.16
15.	जम्मू-कश्मीर	1497.90	748.95		1580.02
16.	झारखंड	356.02	178.01		368.12
17.	कर्नाटक	1397.03	698.52		1235.54
18.	केरल	504.03	252.02	16.15	492.54
19.	लक्षद्वीप	0	0		
20.	मध्य प्रदेश	840.54	420.27	4.25	966.49
21.	महाराष्ट्र	2172.15	1086.07		1992.80
22.	मणिपुर	153.59	0		162.88
23.	मेघालय	176.96	0		186.12
24.	मिजोरम	126.88	0		133.25
25.	नागालैंड	130.22	65.11	17.80	137.48
26.	उड़ीसा	733.28	366.64		865.23
27.	पांडिचेरी	6.00	0		6.35
28.	पंजाब	313.79	156.90		351.11
29.	राजस्थान	2191.77	1095.50		2544.51
30.	सिक्किम	53.42	0		57.11
31.	तमिलनाडु	673.22	625.18	274.02	889.10
32.	त्रिपुरा	156.93	78.47		164.97
33.	उत्तर प्रदेश	1532.91	766.46		1621.06
34.	उत्तरांचल	364.33	182.00		378.67
35.	प. बंगाल	943.90	471.50		1064.08
	कुल	20000.00	9827.39	752.26	21147.94

[अनुवाद]

गैस आधारित परियोजनाओं के निर्माण के लिए गैस की मांग

1307. डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश में विभिन्न गैस आधारित परियोजनाओं के निर्माण के कारण गैस की मांग बढ़ गई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान पृथक रूप से इन परियोजनाओं के द्वारा कितनी गैस की मांग की गई; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान उर्वरक, विद्युत, इस्पात और अन्य क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए उपलब्ध कुल गैस में से सरकार द्वारा कितने प्रतिशत गैस आवंटित की गई?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) देश में गैस आधारित नई परियोजनाओं की स्थापना/विस्तार करने के साथ ही प्राकृतिक गैस की मांग में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। उपलब्धता और मूल्य पर मांग निर्भर करती है। फिलहाल, भारतीय गैस बाजार आपूर्ति-अपूर्ण बाजार हैं। इसलिए 120 एमएमएससीएमडी के कुल आबंटन की तुलना में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करीब 65-66 एमएमएससीएमडी के असा-पास है।

भारत हाइड्रोकार्बन झलक-2025 के अनुसार वर्ष 2001-02 में प्राकृतिक गैस की मांग 151 मिलियन मानक घन मीटर प्रतिदिन (एमएमएससीएमडी) निर्धारित की गई थी, जिसके वर्ष 2006-07 में 231 एमएमएससीएमडी तक बढ़ने की संभावना है।

(ग) वर्ष 2003-04 तक प्राकृतिक गैस के 120 एमएमएससीएमडी आबंटन में से 43.6% विद्युत क्षेत्र, 26.6% उर्वरक क्षेत्र, 4.8% स्पांज आयरन तथा 25% अन्यों को आबंटित किया गया था।

युद्धबंदियों का पुनर्वास

1308. **श्रीमती कृष्णा तीरथ :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि कारगिल युद्ध के बाद युद्धबंदी बनाए गए तथा पाकिस्तानी जेलों में बंद बहुत से सैनिकों को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रकाश में आने वाले ऐसे मामलों का ब्योरा क्या है;

(ग) ऐसे सैनिकों को पाकिस्तान से अभिरक्षण सुनिश्चित करने हेतु तथा उनकी क्षतिपूर्ति करने तथा उनको और उनके परिवारों को पुनर्वासित करने हेतु अब तक कौन से कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या कुछ मामलों में उनको अपूर्णीय क्षति हुई है, उनकी मां की मृत्यु भी हुई है और कुछ मामलों में युद्ध बंदियों को उनकी पत्नियों द्वारा उन्हें छोड़ दिया गया है तथा जिनकी पत्नियों ने पुन: शादी कर ली है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ङ) सितंबर 1999 में मश्कोह सेक्टर में तैनात 108 इंजीनियर रेजिमेंट (उप यूनिट 23 फील्ड कंपनी) के दो कार्मिक (सं. 158275ए लांस नायक जगसीर सिंह तथा सं. 1588445एल सैपर मोहम्मद आरिफ) 17 सितंबर, 1999 को गुम हो गए तथा उन्हें उसी तारीख से 'बिना छुट्टी के अनुपस्थित' घोषित कर दिया गया था। उक्त कार्मिकों को उनकी अनुपस्थिति के 30 दिन पूरे होने पर मौजूदा सेना नियमों के अनुसार भगोड़ा घोषित कर दिया गया था।

इन कार्मिकों के पाकिस्तान विधि प्रवर्तन एजेंसी की हिरासत में होने की पुष्ट सूचना प्राप्त होने पर इनके नाम भगोड़ों की सूची से हटा दिए गए हैं। उन्हें प्राप्त होने वाले तथा अदा किए गए आर्थिक लाभ इस प्रकार हैं :-

(क) लांस नायक जगसीर सिंह

(i) इंजीनियर-इन-चीफ शाखा-50,000/-रु. (माता तथा पत्नी प्रत्येक को अनुदान के रूप में 25,000/-रु.)-10 मई, 2004 को भुगतान किया गया।

(ii) भुगतान तथा लेखा कार्यालय-77,340/-रु. (माता तथा पत्नी प्रत्येक को परिवार आबंटन के रूप में सितंबर, 1999 से 31 मई, 2004 तक 38,670/-रु.)-13 जून, 2004 को भुगतान किया गया।

(iii) संवितरित की गई कुल राशि :- 1,27,340/-रु.

(ख) सैपर मोहम्मद आरिफ - शून्य (इनके माता-पिता की मृत्यु हो जाने तथा इनकी पत्नी के दुबारा विवाह कर लेने के कारण)

तथापि, लांस नायक जगसीर सिंह तथा मोहम्मद आरिफ के खातों में वेतन तथा भत्तों के रूप में क्रमश: 2,28,000/-रु. तथा 2,55,000/-रु. जमा कर दिए गए हैं।

लांस नायक जगसीर सिंह के पिता श्री गुरदेव सिंह की मृत्यु हो गई तथा सैपर मोहम्मद आरिफ की माता श्रीमती हाजरा बेगम की वर्ष 2002 में मृत्यु हो गई।

इसके अलावा, जांच करने पर यह भी पता चला था कि सैपर मोहम्मद आरिफ की पत्नी श्रीमती नूरचश्मी खातून उर्फ गुड़िया ने अप्रैल, 2003 में श्री तौफीक से विवाह कर लिया। इन कार्मिकों के पाकिस्तान की विधि एजेंसी की हिरासत में होने की सूचना दिसंबर, 2003 में प्राप्त हुई थी।

परिणामत: इनके परिवारों को इनके पते-ठिकाने तथा सकुशल होने के बारे में सूचित कर दिया गया था।

[हिन्दी]

पायलट परियोजनाएं

1309. **श्री काशीराम राणा :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में अनेक पायलट परियोजनाएं शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार तथा स्थान-वार ब्योरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं पर खर्च की जाने के लिए अलग-अलग कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा निर्धारित अवधि में इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कौन सी प्रणाली तय की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र) : (क) से (घ) भारत सरकार ने 1999-2002 की अवधि के दौरान प्रायोगिक आधार पर 26 राज्यों के 67 जिलों में क्षेत्र सुधार परियोजना शुरू की थी। इसके ब्योरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। प्रायोगिक परियोजनाओं को तीन वर्षों की अवधि में कार्यान्वित किया जाना था तथा 206045.21 लाख रु. का परिव्यय अनुमोदित किया गया था इसमें भारत सरकार का अंश 192285.30 लाख रु. था। परियोजनाओं को शुरू करने में कुछ समय लगा तथा 31.3.2004 तक खर्च अनुमोदित परियोजना लागत से कम था। दिसम्बर, 2002 में स्वजलधारा को शुरू करने से यह निर्णय लिया गया कि चालू क्षेत्र सुधार प्रायोगिक परियोजनाओं को 31.3.2004 तक समाप्त कर दिया जाए तथा सभी योजनाओं चाहे वे 30.6.2004 तक पूरी हो चुकी हो या पूरी नहीं हुई हों, की अंतिम रूप से लेखा-परीक्षा कराई जाए। अधूरी योजनाओं, यदि कोई हो, को स्वजलधारा के अंतर्गत पूरा किया जाना है। भारत सरकार समीक्षा बैठकों तथा समीक्षा मिशनों के दौरों के जरिए क्षेत्र सुधार प्रायोगिक परियोजनाओं की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा करती रही है।

विवरण

(30.6.2004 की स्थिति के अनुसार) (लाख रु. में)

क्र. सं.	जिला	राज्य	अनुमोदित परियोजना लागत	भारत सरकार* का अंश	भारत सरकार द्वारा रिलीज की गई निधियां	सामुदायिक अंशदान	ब्याज	कुल उपलब्ध निधियां	सूचित व्यय	योजनाओं की कुल संख्या	पूरी हो चुकी योजनाएं	समुदाय द्वारा आत्मापर्ण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	चित्तूर	आंध्र प्रदेश	4000.00	3740	2244.00	308.44	132.57	2685.01	2665.11	1641	1148	69
2.	खम्माम	आंध्र प्रदेश	3753.00	3509	3102.70	485.95	104.07	3692.72	3692.72	1598	1597	1597
3.	नालगोंडा	आंध्र प्रदेश	4000.00	3740	2244.00	442.40	148.54	2834.94	2392.54	893	564	294
4.	नेल्लोर	आंध्र प्रदेश	4000.00	3740	2244.00	237.00	100.00	2581.00	1817.76	394	296	296
5.	प्रकाशम	आंध्र प्रदेश	4000.00	3740	3366.00	404.62	100.00	3871.22	3859.55	504	504	504
6.	गुंटूर	आंध्र प्रदेश	4000.00	3740	3693.45	401.42	46.55	4141.42	2698.00	381	197	105
7.	पूर्वी गोदावरी	आंध्र प्रदेश	4000.00	3740	1113.56	257.29	8.82	1379.67	1365.84	176	67	67
8.	लोहित	अरुणाचल प्रदेश	900.00	841.5	252.45	25.76	27.42	305.63	281.20	54	24	24
9.	पं. सियांग	अरुणाचल प्रदेश	700.00	654.5	428.17	42.26	14.40	484.83	438.25	57	22	15
10.	जोरहट	असम	1275.00	1188.6	472.34	34.56	11.30	518.20	297.40	411	220	220
11.	कामरूम	असम	1000.00	935	422.52	28.00	9.36	459.88	303.57	676	536	511

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12.	सोनितपुर	असम	1181.00	1103.49	331.04	37.60	12.02	380.66	340.08	2653	2038	56
13.	वैशाली	बिहार	4000.00	3740	1122.00	107.73	99.65	1329.38	1024.37	466	100	1
14.	दुर्ग	छत्तीसगढ़	4000.00	3740	1122.00	113.65	2.29	1237.94	1268.51	891	0	0
15.	मेहसाना	गुजरात	4000.00	3740	3708.00	634.52	32.14	4374.66	2992.40	320	133	63
16.	राजकोट	गुजरात	4000.00	3740	3043.23	294.36	65.00	3402.59	2283.89	272	267	97
17.	सूरत	गुजरात	4000.00	3740	3366.00	294.26	10.37	3670.63	2543.37	343	110	0
18.	करनाल	हरियाणा	1507.00	1409.05	844.71	65.33	21.79	931.83	498.64	89	36	36
19.	यमुना नगर	हरियाण	986.18	922.08	546.44	42.57	12.57	601.58	325.57	251	216	16
20.	सिरमौर	हिमाचल प्रदेश	2005.00	1857.5	607.36	78.46	38.92	724.74	474.14	193	63	0
21.	श्रीनगर	जम्मू और कश्मीर	2511.00	2347.79	1384.07	84.27	51.89	1520.23	759.06	98	24	23
22.	ऊधमपुर	जम्मू और कश्मीर	2500.00	2250	813.92	59.96	28.28	902.16	712.60	123	89	41
23.	धनबाद	झारखंड	4000.00	3740	1122.00	7.46	65.53	1194.99	14.67	18	0	0
24.	बेल्लारी	कर्नाटक	4000.00	3740	1122.00	244.12	135.18	1501.30	1203.97	680	677	4
25.	मंगलौर	कर्नाटक	4000.00	3740	3660.08	459.00	76.80	4195.88	2156.54	2129	1334	1089
26.	मैसूर	कर्नाटक	4000.00	3740	3554.00	297.00	113.00	3964.00	1257.29	1054	884	884
27.	कसारगोढ़	केरल	4000.00	3740	2742.88	198.87	110.16	3051.91	1719.27	398	257	257
28.	कोल्लम	केरल	4000.00	3740	2244.00	132.90	105.00	2481.90	1116.38	258	98	98
29.	ग्वालियर	मध्य प्रदेश	2927.94	2737.62	821.29	44.68	70.57	936.54	587.19	928	883	11
30.	होशंगाबाद	मध्य प्रदेश	4000.00	3740	1122.00	138.52	99.76	1360.28	1217.01	1061	455	455
31.	नरसिंहपुर	मध्य प्रदेश	4000.00	3740	1122.00	198.62	190.16	1510.78	1324.00	1110	982	952
32.	रायसेन	मध्य प्रदेश	4000.00	3740	1269.01	147.79	138.84	1555.64	1261.20	788	498	498
33.	सीहोर	मध्य प्रदेश	1759.00	1678.15	503.44	66.22	30.75	600.41	522.58	244	139	1
34.	अमरावती	महाराष्ट्र	2126.00	1973.5	1184.10	104.25	57.54	1345.89	1118.78	891	481	481

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35.	धूले	महाराष्ट्र	3952.78	3692.96	1763.43	195.47	106.33	2065.23	1495.26	214	0	0
36.	नांदेड	महाराष्ट्र	4000.00	3740	2244.00	190.00	4.73	2438.73	1039.22	233	72	0
37.	रायगढ़	महाराष्ट्र	3793.00	3473.8	3439.14	240.00	83.36	3762.50	2463.50	340	42	0
38.	रि-भोई	मेघालय	975.11	907.01	272.10	29.45	5.52	307.07	307.07	111	111	111
39.	सिरचिप	मिजोरम	268.98	248.17	223.35	20.80	0.00	244.15	199.35	11	8	0
40.	दीमापुर	नागालैंड	594.00	555.39	333.22	20.29	8.83	362.34	341.53	7	4	4
41.	बालासोर	उड़ीसा	4000.00	3740	1572.00	160.30	106.39	1838.69	1605.12	2339	2089	2089
42.	गंजम	उड़ीसा	4000.00	3740	2244.00	157.38	54.35	2455.73	1243.29	840	529	36
43.	सुंदरगढ़	उड़ीसा	4000.00	3740	2244.00	112.69	132.36	2489.05	2487.01	2598	2502	170
44.	भटिंडा	पंजाब	752.19	700.95	210.28	16.64	5.39	232.31	185.85	22	0	0
45.	मोगा•	पंजाब	344.00	321.44	344.00	19.63	0.99	364.62	117.14	23	0	0
46.	मुक्तसर	पंजाब	3992.80	3733.27	872.41	18.37	56.46	947.24	136.57	31	0	0
47.	अलवर	राजस्थान	4000.00	3740	2244.00	357.07	61.88	2662.95	1650.00	525	205	135
48.	राजसमंद	राजस्थान	4000.00	3740	1122.00	30.00	22.39	1174.39	12.44	40	0	0
49.	जयपुर••	राजस्थान	4000.00	3740	2244.00	280.96	51.12	2576.08	2216.44	391	150	0
50.	सीकर	राजस्थान	2171.00	1986.05	1191.62	21.27	14.21	1227.10	423.21	482	0	0
51.	द. सिक्किम	सिक्किम	1322.48	1210.07	363.02	7.97	0.00	370.99	0.00	0	0	0
52.	प. सिक्किम	सिक्किम	892.35	816.5	244.95	0.00	0.00	244.95	0.00	0	0	0
53.	कोयम्बटूर	तमिलनाडु	4000.00	3740	3366.00	315.00	40.94	3721.94	2833.18	1079	1017	1017
54.	कुडालोर	तमिलनाडु	4000.00	3740	3366.00	411.28	39.05	3816.33	3565.42	2351	2328	2328
55.	पेराम्बलूर	तमिलनाडु	4000.00	3740	2934.30	313.37	165.01	3412.68	1982.55	1038	145	145
56.	मेल्लोर	तमिलनाडु	4000.00	3740	3701.20	370.10	38.80	4110.10	3934.00	2919	2919	2919
57.	कांचीपुरम	तमिलनाडु	4000.00	3740	2855.99	297.22	8.83	3162.04	781.11	280	184	184

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58.	विरुधूनगर	तमिलनाडु	4000.00	3740	1619.78	280.00	10.08	1909.86	738.48	532	0	0
59.	प. त्रिपुरा	त्रिपुरा	2819.40	2566.9	2310.21	154.00	17.08	2481.29	1508.29	14141	13760	13760
60.	आगरा	उत्तर प्रदेश	3000.00	2805	897.83	109.24	101.38	1108.45	952.59	4685	3285	3285
61.	चंदौली	उत्तर प्रदेश	2500.00	2337.5	1286.63	224.83	56.46	1567.92	875.98	4222	2862	2862
62.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	4000.00	3740	1122.00	157.93	112.53	1392.46	1180.04	4061	3809	3809
63.	मिर्जापुर	उत्तर प्रदेश	3000.00	2805	862.41	79.48	47.17	989.06	871.42	1015	946	946
64.	सोनभद्र	उत्तर प्रदेश	2500.00	2337.5	1387.69	166.16	58.43	1612.28	1063.72	6012	5705	5705
65.	मिदनापुर	प. बंगाल	4000.00	3740	1847.79	82.00	50.54	1980.33	952.89	1273	894	110
66.	उ. 24 परगना	प. बंगाल	4000.00	3740	1749.82	137.25	34.85	1921.92	1113.78	1375	1328	1328
67.	हरिद्वार	उत्तरांचल	4000.00	3740	1122.00	96.92	108.96	1327.88	894.08	136	113	10
	कुल		206045.21	192285.3	110539.93	11592.91	3876.26	126009.10	85703.98	75369	59946	49718

*मुक्तसर से 247.57 लाख रु. लेकर मोगा को दिए गए।

**राजसमंद से 700.00 लाख रु. लेकर जयपुर को दिए गए।

[अनुवाद]

उड़ीसा में संरक्षित स्मारक

1310. श्री भर्तृहरि महताब :
श्री परसुराम माझी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों के स्थान-वार नाम क्या हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान इस हेतु सरकार द्वारा स्वीकृत राशि कितनी है;

(ग) इस प्रकार संरक्षित प्रत्येक स्मारक के संदर्भ में संरक्षण संबंधी क्या उपाय अपनाये गये हैं;

(घ) क्या सरकार को उड़ीसा सरकार की ओर से परमहंस मंदिर को केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम/प्रस्तावित कार्रवाई क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) उड़ीसा में केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, उड़ीसा स्थित केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के रोजमर्रा के अनुरक्षण तथा संरक्षण के वास्ते निम्नलिखित राशि स्वीकृत/आबंटित की गई है :-

(लाख रुपए)

2001-2002 145.00 रुपए

2002-2003	102.00 रुपए
2003-2004	190.00 रुपए

(ग) केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों का दिन-प्रति-दिन का अनुरक्षण, विशेष प्रकार का संरक्षण, परिरक्षण तथा उनके आस-पास का पर्यावरण संबंधी विकास कार्य एक सतत प्रक्रिया है और कार्य पुरातत्वीय मानदण्डों के अनुसार किए जाते हैं बशर्ते कि जनशक्ति और साधन उपलब्ध हों।

(घ) और (ङ) जी, नहीं।

विवरण

भुबनेश्वर मंडल, उड़ीसा के क्षेत्राधिकार में आने वाले केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची

क्र.सं.	स्मारक/स्थल का नाम	स्थान	जिला
1	2	3	4
1.	चौसट्टी जोगिनी मंदिर साथ में तीन लघु वेदियां	झारीयल	बोलनगीर
2.	ध्वस्त गढ़ी	अगरहट्ट, वलडल्स, चवडर, छतीसा, गोविन्दजाव, पटना, जाज, भरीयव, कपलेश्वर, केदारेश्वर, मुडमल	कटक
3.	बौद्ध मंदिरों तथा प्रतिमाओं के अवशेष	बंडरेश्वर	कटक
4.	भुवनेश्वर महादेव मंदिर	भवानीपुर (बलिया तालुक)	कटक
5.	चोटी पर बौद्ध काल की बहुमूल्य मूर्तिकलाओं, प्रतिमाओं तथा शिलालेखों वाली पहाड़ी, महाकाल पर एक मठ और एक छोटा मंदिर है	चांडिया	कटक
6.	बाराबटी गढ़ी के प्रचीन स्मारक तथा सभी प्राचीन प्रवेश द्वारों आदि के खंडहर एवं अवशेष, मस्जिद	कटक	कटक
7.	सारनगढ़ के रूप में स्थानीय तौर पर मशहूर चूरनगढ़ किला जिसमें राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहीत इलाका शामिल नहीं है	दाधापटना	कटक
8.	उप संभागीय आफीसर्स क्वाटर्स परिसर, जयपुर की चार विराट प्रतिमाएं नामत: 1. चामुंडा, 2. इद्राणी, 3. कलियुग, बाराही	जाजपुर	कटक
9.	तीन बौद्ध प्रतिमाएं	जाजपुर	कटक
10.	बौद्ध मंदिरों एवं प्रतिमाओं के अवशेष	नलटीगिरी (ललीतगिरी)	कटक

1	2	3	4
11.	अनेक बहुमूल्य मूर्तिकलाओं एवं प्रतिमाओं से संपन्न पहाड़ी	रत्नागिरी	कटक
12.	स्थानीय तौर पर अथरनुल्ला एवं टैंटुलीमल के नाम से मशहूर महरट्टा सेतु (18 तोरण वाला सेतु) तथा	सिरियापुर	कटक
13.	चंडेश्वर स्तंभ नामक पाषण	सिरियापुर	कटक
14.	सिंहनाथ महादेव मंदिर	सीमहनथा, पीथा, मौजा, गोपीनाथपुर	कटक
15.	पंच पांडव मंदिर	गनेश्वरपुर	कटक
16.	दुर्गा मंदिर	बैदेश्वर	कटक
17.	बनेश्वरनासी स्थित प्राचीन स्थल	पदमल पट्टना	कटक
18.	महिमामणि मंदिर	रगड़ी (बंकी)	कटक
19.	चौदार स्थित प्राचीन स्थल	चौदर	धेनकनाल
20.	खिंगेश्वर महादेव मंदिर	बाजराकोट	धेनकनाल
21.	राक कट विष्णु	रसोल	गंजम
22.	गंगाधर स्वामी मंदिर	कोटाकोला	गंजम
23.	जगदीश्वर स्वामी मंदिर	कोटाकोला	गंजम
24.	भीम मंदिर	महेन्द्रागिरी	गंजम
25.	कुंती मंदिर	महेन्द्रागिरी	गंजम
26.	युद्धिष्ठिर मंदिर	महेन्द्रागिरी	गंजम
27.	जौगडा स्थित अशोक के शिलालेख	पांड्या	गंजम
28.	प्रागैतिहासिक स्थल	बैद्यापुर	म्यूरभंज
29.	प्राचीन किले के खंडहर	हरीपुरगढ़	म्यूरभंज
30.	प्रागैतिहासिक स्थल	कुचई	म्यूरभंज
31.	प्रागैतिहसिक स्थल	कुलीयाना	म्यूरभंज

1	2	3	4
32.	रावण छाया के नाम से स्थानीय तौर पर मशहूर प्रस्तर चित्रकारी तथा अन्य प्राचीन स्मारक एवं अवशेष	सीताभांजी	केनझार
33.	असुरगढ़ किले के प्राचीन स्थल	असुरगढ़	कालाहांडी
34.	नीलमाधव और सिधेश्वर मंदिर	गन्धारधी	पुलबनी
35.	पश्चिम सामनाथ, भुवनेश्वर तथा कपिलेश्वर मंदिर	बौद्ध टाऊन	पुलबनी
36.	मास्करेश्वर मंदिर	बारागढ़	पुरी
37.	ब्रहमेश्वर मंदिर तथा अहाते में स्थित इसकी मीनार वेदियां	बारागढ़	पुरी
38.	नबकेश्वर मंदिर	बारागढ़	पुरी
39.	रामेश्वर मंदिर	बारागढ़	पुरी
40.	माधेश्वर मंदिर तथा इसकी मीनार वेदियां	बेसुईयाचंई	पुरी
41.	अनंत वासुदेव मंदिर	भुवनेश्वर	पुरी
42.	वकेश्वर मंदिर	भुवनेश्वर	पुरी
43.	चित्रकर्णी मंदिर	भुवनेश्वर	पुरी
44.	जामेश्वर मंदिर तथा इसकी मीनार वेदी	भुवनेश्वर	पुरी
45.	भगवान लिंगराज मंदिर तथा परिसर के सभी मीनार मंदिर नामत:		
	1. अमानिया कूआं 2. अष्ट मूर्ति 3. चंडेश्वर देव 4. गोपालुनि मंदिर 5. लडुकेश्वर मंदिर 6. पार्वती मंदिर 7. सावित्री देवी मंदिर 8. सकरेश्वर मंदिर 9. सती दोसी मंदिर	भुवनेश्वर	पुरी

1	2	3	4
46.	मैत्रेश्वर मंदिर तथा परिसर के सभी मीनार मंदिर	भुवनेश्वर	पुरी
47.	मकटेश्वर मंदिर तथा इसकी मीनार	भुवनेश्वर	पुरी
48.	मरकंडेश्वर मंदिर तथा इसकी मीनार	भुवनेश्वर	पुरी
49.	मुक्तेश्वर मंदिर तथा इसकी मीनार किन्तु मुरिच कुंड शामिल नहीं	भुवनेश्वर	पुरी
50.	परम गुरू मंदिर	भुवनेश्वर	पुरी
51.	पापनाशिनी कुंड	भुवनेश्वर	पुरी
52.	परशुरामेश्वर मंदिर	भुवनेश्वर	पुरी
53.	राजारानी मंदिर	भुवनेश्वर	पुरी
54.	सहस्रलिंग कुंड	भुवनेश्वर	पुरी
55.	सारी देउल	भुवनेश्वर	पुरी
56.	सिधेश्वर मंदिर	भुवनेश्वर	पुरी
57.	शिशिरेश्वर मंदिर	भुवनेश्वर	पुरी
58.	वाराही मंदिर	भुवनेश्वर	पुरी
59.	अशोक के शिलालेख तथा हाथी की मूर्ति	धौली	पुरी
60.	लघु राक कट सेल तथा ताख्रा और शांतिकर का एक शिलालेख	धौली	पुरी
61.	महामाया मंदिर के नाम से मशहूर चौसठ योगिनी मंदिर	हीरापुर	पुरी
62.	खंडागिरी पहाड़ की चोटी पर स्थित पारसनाथ मंदिर को छोड़कर उदयागिरी तथा खंडागिरी पहाड़ पर स्थित सभी प्राचीन गुफाएं, ढ़ांचे तथा अन्य स्मारक या अवशेष तथा बड़ाभुजी एवं त्रिशूल गुफाओं के सामने स्थित मंदिर भी	जगमरा	पुरी
63.	सूर्य मंदिर	कोणार्क	पुरी
64.	अठारह नाला सेतु के नाम से मशहूर मधुपुर झरने पर स्थित पुल	पुरी	पुरी

1	2	3	4
65.	श्री जगन्नाथ मंदिर तथा गौण वेदियां	पुरी	पुरी
66.	दक्ष प्रजापति मंदिर	रघुनाथपुर	पुरी
67.	रैंपार्ट के अंदर-बाहर प्राचीन अवशेष	शिशुपालगढ़	पुरी
68.	विक्रमखोल तथा शिलालेख	विक्रमखो	संबलपुर
69.	धर्म महाकाल मंदिर	रत्नागिरी	जाजपुर
70.	जगन्नाथ मंदिर	जाजपुर टाऊन	जाजपुर
71.	त्रिलोचनेश्वर मंदिर	जाजपुर टाऊन	जाजपुर
72.	वाराहनाथ मंदिर	जाजपुर टाऊन	जाजपुर
73.	बौद्ध स्थल (उत्खनित)	उदयगिरी	जाजपुर
74.	प्राचीन बौद्ध स्थल, लंगुडी पहाड़ी	मौजा पानीमुहानी फाजिलपुर एवं सालिपुर, तहसील-धर्मशाला	जाजपुर
75.	कपिलेश्वर महादेव मंदिर	अल-हतुआरी, तहसील-कामाख्यानगर	जाजपुर

[हिन्दी]

विपणन अनुशासन संबंधी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन

1311. **श्री हरिकेवल प्रसाद :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विपणन अनुशासन संबंधी दिशानिर्देशों तथा डिस्ट्रीब्यूटरशिप समझौता के उल्लंघन में तीन वर्षों के दौरान दर्ज मामलों की संख्या क्या है;

(ख) इस संबंध में कितने लोगों को दोषी करार दिया गया; और

(ग) इन मामलों के दोषी करार दिए गए लोगों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्योरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने गत तीन वर्षों में विपणन अनुशासन दिशानिर्देश (एमडीजी)/डिस्ट्रीब्यूटरशिप करार के उपबंधों का उल्लंघन करने पर अपने एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों के खिलाफ 1032 मामले दर्ज किए हैं।

(ख) और (ग) विपणन अनुशासन दिशानिर्देश (एमडीजी) तथा डिस्ट्रीब्यूटरशिप करार में दिए गए प्रावधानों के अनुसार अनियमितताओं की प्रकृति के अनुसार गलती करने वाले सभी डिस्ट्रीब्यूटरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। एमडीजी तथा डिस्ट्रीब्यूटरशिप करार में डिस्ट्रीब्यूटर को सजा दिए जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। सजा की कार्रवाई आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा आरंभ की जाती है।

रेल भर्ती नीति

1312. **श्री पुन्नूलाल मोहले :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल भर्ती नीति के कारण असम में तथा देश के कुछ अन्य भागों में भी हिंसा की घटनाएं हुई थीं;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे भर्ती नीति में कोई संशोधन किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो वर्तमान में रेलवे की भर्ती नीति क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) रेलवे में विभिन्न श्रेणियों की रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा भरी जाती हैं। समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार समूह 'ग' और 'घ' की सीधी भर्ती वाली रिक्तियां रेलवे भर्ती बोर्डों द्वारा भरी जाती हैं।

फिल्मों को वित्तीय सहायता

1313. **श्री रामदास बंडु आठवले** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा किन-किन फिल्मों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई तथा फिल्म-वार उनका ब्योरा क्या है;

(ख) उक्त सहायता प्रदान करने के लिए क्या मानदंड हैं;

(ग) उन व्यक्तियों के नाम तथा पते क्या हैं जिन्होंने उक्त सहायता प्राप्त की है; और

(घ) उक्त सहायता में से कितनी फिल्में पूरी की गई और उन्हें कहां-कहां दिखाया गया?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) से (घ) सूचना और प्रसारण मंत्रालय फिल्मों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराता है। तथापि, इस मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम सौंदर्यपरख उत्कृष्टता वाली कम बजट की फिल्में बनाने के लिए प्रतिभाशाली युवा फिल्म निर्माताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। अधिकतम 25.00 लाख रुपये की 75% तक की निर्माण लागत के लिए वित्तीय सहायता फिल्म पटकथा समिति की अनुशंसा के आधार पर और बोर्ड के अनुमोदन से प्रदान की जाती है। निगम प्रत्येक फिल्म के लिए अधिकतम 40.00 लाख रुपये तक का शत-प्रतिशत वित्त उपलब्ध कराकर सभी क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्म निर्माण के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है।

इस मंत्रालय के अधीन बाल चित्र समिति, भारत और फिल्म प्रभाग फिल्मों की कमीशनिंग करते हैं लेकिन वे निर्माताओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराते हैं।

फिल्मों और फिल्मों को बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले फिल्म निर्माताओं के नामों के ब्योरे सहित गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा प्रदान की गयी वित्तीय का ब्योरा निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	फिल्म निर्माताओं के नाम/पता	फिल्मों के नाम और भाषा	संस्वीकृत राशि
2001-2002			
1.	डॉ. सतरूपा सान्याल ए-23, नेताजी रामाबाया अबाश, प्रफुल्ल कानन, कोलकाता-700059	आततायी (बंगाली)	10,00,000/-रु.
2002-2003			
1.	श्री इकबाल दुर्रानी, 13-ए/401 गिल्लत नगर, कार्यालय: न्यू लिंक रोड, अंधेरी (प.) मुम्बई-400053	गांधी से पहले गांधी (हिन्दी)	25,00,000/-रु.
2003-2004			
1.	श्री राजीव विजयाराघवन, एम एफ-iv/224 वृंदावन हाऊसिंग कॉलोनी, पोट्टम, त्रिवेन्द्रम-695004	मार्गम (मलयालम)	20,00,000/-रु.

उपरोक्त में से पूरी हुई फिल्मों की संख्या और वे स्थान जहां उन्हें दिखाया गया था।

उपरोक्त तीन फिल्मों में से दो अर्थात् आततायी और मार्गम पूरी हो चुकी हैं। जहां तक गांधी से पहले गांधी फिल्म का संबंध है, यह निर्माणाधीन है।

फिल्म आततायी को कोलकाता में दिनांक 22 अप्रैल, 2004 को रिलीज किया गया था।

फिल्म मार्गम ने वर्ष 2003 के लिए सात केरल राज्य फिल्म पुरस्कार जीते हैं, जो इस प्रकार हैं:-

1. सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार
2. निर्माता को 45,000/-रु. और निर्देशक को 20,000/-रु. का नकद पुरस्कार
3. सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार
4. सर्वश्रेष्ठ पटकथा लेखन पुरस्कार
5. सर्वश्रेष्ठ छायांकन पुरस्कार
6. सर्वश्रेष्ठ पृष्ठभूमि संगीत पुरस्कार
7. सर्वश्रेष्ठ ध्वनि रिकार्डिंग पुरस्कार और अभिनेत्री मीरा कृष्णन को विशेष ज्यूरी पुरस्कार एफ आई पी आर ई एस सी आई विशेष ज्यूरी मैंशन।

फिल्म रिलीज करने के लिए तैयार है।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की उपयोग क्षमता

1314. **श्री विजय कृष्ण :** क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की क्षमता उपयोग में बड़ा परिवर्तन देखने में आया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या क्षमता उपयोग में एक उत्पाद से दूसरे उत्पाद तथा एक वर्ष से दूसरे वर्ष में काफी अंतर है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने मामले की जांच की है तथा क्षमता उपयोग में सुधार तथा उसमें भिन्नता को दूर करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (च) केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों में क्षमता उपयोग के मामले में वर्ष-दर-वर्ष तथा उत्पाद-दर-उत्पाद कुछ अंतर रहा है। इन अंतरों का ब्योरा तथा अंतर के कारणों के संबंध में उपलब्ध जानकारी दिनांक 8.6.2004 को सदन के सभा पटल पर प्रस्तुत लोक उद्यम सर्वेक्षण, 2002-03 (खण्ड-I, अध्याय-9) में दी गई है। उसमें क्षमता उपयोग में सुधार के लिए किए गए उपायों का भी उल्लेख किया गया है।

रेल परियोजनाओं के लिए आंध्र प्रदेश से प्रस्ताव

1315. **श्री असादुद्दीन ओवेसी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से नई रेल लाइन, आमान परिवर्तन, पटरियों का दोहरीकरण तथा विद्युतीकरण के लिए प्राप्त प्रस्तावों का ब्योरा क्या है;

(ख) प्रत्येक नई तथा चालू परियोजना का ब्योरा क्या है तथा उनके लिए कितनी राशि आवंटित की गई तथा अब तक कितनी खर्च की गई है;

(ग) इन परियोजनाओं के समापन के लिए परियोजना-वार निर्धारित लक्ष्य क्या है;

(घ) क्या ये परियोजनाएं अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रही हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जाने वाले कदम क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान नई रेल लाइनें बिछाने, आमान परिवर्तन, रेल लाइनों के दोहरीकरण और विद्युतीकरण के संबंध में आंध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त कुछ प्रस्तावों का ब्योरा और उनकी मौजूदा स्थिति निम्नानुसार है:-

क्रमांक	प्रस्ताव का नाम	मौजूदा स्थिति
1.	पांडुरंगापुरम-सारापाका नई लाइन	पांडुरंगापुरम-भद्राचलम (सारापाका से 3 कि.मी. दूर) नई लाइन के लिए सर्वेक्षण वर्ष 2003 में किया गया था। इस सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 13.25 कि.मी. लंबी इस लाइन की लागत 34.59 करोड़ रुपए आंकी गई थी, जिसकी क्षेत्रीय रेलवे के परामर्श से जांच की जा रही है। सर्वेक्षण के परिणामों को अंतिम रूप दिए जाने के उपरांत ही इस परियोजना के बारे में आगे विचार करना संभव होगा।
2.	जोगीपेट के रास्ते पाटनचेरु-अकनापेट नई लाइन	वर्ष 1998-99 में किए गए सर्वेक्षण के परिणाम के अनुसार 102 कि.मी. लंबी इस लाइन का निर्माण लागत 183.44 करोड़ रुपए आंकी गई थी। चालू निर्माण कार्यों के भारी बकाया और संसाधनों की तंगी के कारण इस प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सका।
3.	फलकनुमा-शमशाबाद नई लाइन	फलकनुमा-उम्दानगर लाइन के दोहरीकरण और उम्दानगर से शाहनगर (शमशाबाद के निकट) तक नई लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है और इसके परिणामों को क्षेत्रीय रेलवे के परामर्श से अंतिम रूप दिया जा रहा है।
4.	मंत्रालयम-कुरनूल नई लाइन	सर्वेक्षण हाल ही में पूरा किया गया है। 110.70 कि.मी. लंबी इस लाइन की लागत 241.31 करोड़ रुपए आंकी गई है और रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
5.	कृष्णापत्तनम पोर्ट से संपर्क की व्यवस्था	राष्ट्रीय रेल विकास योजना (एनआरवीवाई) के अंतर्गत ओबुलावरी-पल्ली से कृष्णापत्तनम पोर्ट तक नई लाइन बिछाने के कार्य की बंदरगाह से संपर्क कायम के कार्य के रूप में पहचान की गई है। रेल विकास निगम लि. (आरवीएनएल) इस सर्वेक्षण रिपोर्ट पर कार्रवाई कर रहा है।
6.	बीबीनगर-नडिकुडे दोहरी लाइन	नडिकुडे के रास्ते बीबीनगर-नालापाडु खंड (गुंटूर के निकट) के दोहरीकरण के लिए सर्वेक्षण वर्ष 1998-99 में किया गया था। 243 कि.मी. लंबी इस लाइन के दोहरीकरण की लागत 340.37 करोड़ रुपए आंकी गई थी। चालू परियोजनाओं के भारी बकाया कार्य के अलावा संसाधनों की अत्यधिक तंगी को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सका।
7.	फलकनुमा-उम्दानगर खंड का विद्युतीकरण	संसाधनों की तंगी के कारण प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सका।
8.	बीबीनगर-नडिकुडे खंड का विद्युतीकरण	संसाधनों की तंगी के कारण प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सका।
9.	बीबीनगर-गुंटूर खंड का विद्युतीकरण	संसाधनों की तंगी के कारण प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सका।
10.	तिरूपति-पकाला-काटपाडी खंड का विद्युतीकरण	स्वीकृत।

(ख) से (ङ) आंध्र प्रदेश में विभिन्न नई तथा चालू परियोजनाओं के ब्योरे उनकी स्थिति, 2004-05 के लिए परिव्यय, 31.3.04 तक किए गए खर्च तथा पूरा होने की समय अनुसूची जहां कहीं निर्धारित की गई हो, के साथ निम्नानुसार हैं:-

(करोड़ रु. में)

परियोजना का नाम	31.3.04 तक खर्च	प्रस्तावित परिव्यय (2004-05)	मौजूदा स्थिति
1	2	3	4
नई लाइनें			
पुट्टापारथी के रास्ते धर्मावरम-पेनुकोंडा	112.35	0.02	पूरी कर दी गई है तथा चालू कर दी गई है।
काकीनाडा-कोटिप्पली	46.76	15.00	कार्य प्रगति पर है तथा इसे 2004-05 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।
माचेली-नालगोंडा	0.25	1.00	अंतिम स्थान सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है तथा विस्तृत अनुमानों पर कार्रवाई चल रही है।
गडवाल-रायचुर	9.23	5.00	अंतिम स्थान सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। भूमि अधिग्रहण की कार्यवाहियां चल रही है।
नंदयाल-येरागुंतला	14.29	5.00	कुड्डापा जिले में भूमि अधिग्रहीत कर ली गई है तथा करनूल जिले में कर्यवाहियां चल रही है।
काकीनाडा-पीथापुरम	0.01	0.01	अपेक्षित क्लीयरेंस प्राप्त हो जाने के बाद कार्य शुरू किया जाएगा जिसके लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
पेड्डापल्ली-करीमनगर-निजामाबाद	85.56	14.00	पेड्डापल्ली-करीमनगर का कार्य पूरा कर लिया गया है। भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है।
कोटिप्पली-नरसापुर	9.3	2.00	अंतिम स्थान सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है।
मुनीराबाद-महबूबनगर	23.35	10.00	अंतिम स्थान सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है तथा कृष्णा-येरमारास के बीच दोहरीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है।
आमान परिवर्तन			
धर्मावरम-पकाला	1.18	5.00	विस्तृत अनुमान स्वीकृत कर दिए गए हैं। पकाला-मदनापल्ली के बीच मिट्टी संबंधी कार्य तथा छोटे पुलों के कार्य के लिए निविदाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है।

1	2	3	4
नौपाडा-गुनूपुर	15.65	15.00	मिट्टी तथा पुल संबंधी कार्य चल रहे हैं।
सिकन्दराबाद-मुदखेड़ तथा जानखामपेट-बोधान	206.38	36.00	मुदखेड़-निजामाबाद और जानखामपेट-बोधान का कार्य पूरा कर लिया गया है। मनोहराबाद-निजामाबाद और बोलारम-सिकन्दराबाद के बीच कार्य प्रगति पर है। मनोहराबाद-निजामाबाद का कार्य 2004-05 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।
पेंडाकल्लू से गुटी तक गुंटूर-गुंतकल और गुंतकल-काल्लूरू नई लाइन	468.73	0.01	गुंटूर-गुंतकल तथा पेंडाकल्लू-गुटी नई लाइन का काम पूरा कर लिया गया है। गुंतकल काल्लूरू का कार्य धर्मावरम-पकाला के साथ किया जाएगा।
काठपाड़ी-पकाला-तिरूपति	127.56	11.89	पूरा कर दिया गया है तथा खोल दिया गया है।
सिकन्दराबाद-डोणाचलम	310.84	0.01	पूरा कर दिया गया है तथा खोल दिया गया है।
मुदखेड़-आदिलाबाद	59.85	30.00	मिट्टी तथा पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है। आदिलाबाद-किनवत खंड का कार्य 2004-05 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।
दोहरीकरण			
गुडूर-रेणिगुंट्टा-तिरूपति	125.81	15.47	रेणिगुंटा-तिरूपति में कार्य प्रगति पर है और इसे पूरा होने का लक्ष्य 2004-05 तक है। इसके अतिरिक्त कार्य पूरा हो चुका है।
रायचुर-गुंतकल	0	10.00	राष्ट्रीय रेल विकास योजना के अंतर्गत रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा योजना को कार्यान्वित किया जाना है।
गजपातनगरम-विजयनगरम	46	0.01	पूरा और चालू कर दिया गया है।
होस्पेट-गुंतकल	79.53	65.00	मिट्टी संबंधी कार्य, पुल संबंधी कार्य और रेलपथ जोड़ने संबंधी कार्य प्रगति पर है। होस्पेट-बेल्लारी तोरणगल्लू और गुंतकल-हगरी खंडों में कार्य पूरा होने का लक्ष्य 2004-05 है।
व्हाइटफील्ड-कप्पम	125.64	2.00	योजना पूरी हो चुकी है। शेष कार्य प्रगति पर है।
बालापल्लि-पुल्लमपेट गुटी-रेणिगुंटा का फेस-	58.63	5.00	रेलपथ जोड़ने का कार्य पूरा हो गया है।
गूटी-रेणिगुंटा पेच दोहरीकरण	34.96	37.50	पुल्लमपेट-मकरापेट पर मिट्टी एवं पुल संबंधी कार्य पूरा हो गया है। राष्ट्रीय रेल विकास योजना के अंतर्गत रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा योजना को कार्यान्वित किया जाना है। शेष कार्य के लिए निविदा प्रक्रिया जारी है।

1	2	3	4
विजयवाडा-कृष्णा कनाल तीसरी लाइन	42.96	2.09	रेलपथ जोड़ने आदि का कार्य पूरा हो गया है।
महानगरीय यातायात परियोजना			
हैदराबाद-मल्टीमोडल उपनगरीय दैनिक यातायात प्रणाली	34.46	5.89	पूरी और चालू कर दी गई है।
रेल विद्युतीकरण			
रेणिगुंटा-गुंतकल	52.42	40.00	रेणिगुंटा-नंदलूर का कार्य पूरा हो गया है। और नंदलूर-गुंतकल का विद्युतीकरण का कार्य राष्ट्रीय रेल विकास योजना के अंतर्गत रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा शुरू कर दिया गया है।

इन परियोजनाओं पर संसाधनों की समग्र उपलब्धता के आधार पर उनकी समग्र प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जा रही है।

स्व-सहायता समूह

1316. **श्री सुरेश कुरूप : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने** की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 70% गरीब वर्ग की बैंक ऋण तक पंहुच नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या इनमें से अधिकांश का ऋणदाताओं द्वारा शोषण किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार की कृषि ऋण सुविधाओं का प्रचार करने हेतु स्व-सहायता समूह तैयार करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) और (ख) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत बनाए गए स्व-सहायता समूहों को बैंक ऋण के सुचारू वितरण में समस्याओं के बारे में कुछ राज्य सरकारों से रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक ने योजना के अंतर्गत ऋण के वितरण में विलंब से बचने के लिए सभी बैंकों को निर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकारों और वाणिज्यिक बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों द्वारा प्रगति की नियमित निगरानी भी की जा रही है। गैर-संस्थागत कर्जदाताओं से ऋण के भारी बोझ को कम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने सभी बैंकों को निर्देश जारी किया है कि वे निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित दिशा-निर्देशों के अधीन उपयुक्त संपार्श्विक अथवा समूह प्रतिभूति लेकर ग्रामीण गरीब को ऋण वितरित करें।

(ग) और (घ) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत स्व-सहायता समूह मुख्यत: आय सर्जक गतिविधियां शुरू करने के लिए बनाए जाते हैं। ये समूह स्वैच्छिक आधार पर भी कृषि ऋण सुविधाओं से संबंधित तथा ग्रामीण गरीबों के लिए लाभदायक जानकारी का प्रचार-प्रसार कर सकते हैं।

किशोरों के अपराध

1317. **श्री गुरूदास कामत : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि किशोरों द्वारा किए गए अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या उपचारात्मक उपाय किए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) से (ग) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, 2000, 2001 और 2002 के दौरान अखिल भारतीय स्तर पर किशोर अपराध के कुल क्रमश: 9267, 16509 और 18560 मामलों की रिपोर्ट आयी। वर्ष 2001 से 16 से 18 वर्ष के आयु समूह में किशोरों द्वारा किए गए अपराधों को शामिल करने के कारण वर्ष 2001 और 2002 में मामलों की संख्या अधिक रही। किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और सुरक्षा) अधिनियम, 2000, जिसने पूर्ववर्ती किशोर न्याय अधिनियम, 1986 को प्रतिस्थापित कर दिया है, में कानून में फंसे किशोरों और देखभाल तथा संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों से संबंधित सभी मामलों के निर्णय और निपटान में बच्चों के अनुकूल दृष्टिकोण अपनाने का प्रावधान है। इस अधिनियम में उनकी विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करते हुए उचित देखभाल, संरक्षण और उपचार का प्रावधान है, ताकि उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाया जा सके और वे अपराध का रास्ता नहीं अपनाएं। जैसा कि अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित है, राज्यों द्वारा सेवाओं का कवरेज सुनिश्चित करने में सहायता करने के उद्देश्य से, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय "किशोर न्याय के लिए कार्यक्रम" योजना कार्यान्वित कर रहा है। यह "बेसहारा बच्चों के लिए एकीकृत कार्यक्रम" योजना भी कार्यान्वित कर रहा है जिसका उद्देश्य बच्चों का पूर्ण और समग्र विकास करना है जिनके घर और परिवार नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा मुहैया कराने की मानव संसाधन विकास मंत्रालय की योजना भी बच्चों, जो स्कूल में नहीं हैं, को मुख्यधारा में लाने के माध्यम से किशोर अपराध कम करने में सहायक है।

रेलवे नेटवर्क का विस्तार

1318. **श्री परसुराम मांझी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे नेटवर्क का विस्तार करने के लिए एक लंबी अवधि वाली एक योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) वित्त वर्ष 2004-2005 में रेलवे के विस्तार से संबंधित ब्योरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) रेलवे के लिए दस पंचवर्षीय योजना (2002-07) में 1310 किमी. नई लाइन के निर्माण, 2365 किमी. के आमान परिवर्तन और 1500 किमी. के दोहरीकरण से रेल नेटवर्क के विस्तार की परिकल्पना की गई है।

(ग) वर्ष 2004-05 में, 273 किमी. नई लाइन के निर्माण, 1,000 किमी. के आमान परिवर्तन और 381 किमी. के दोहरीकरण से रेल नेटवर्क के विस्तार का प्रस्ताव है।

पंचायतों को सीधे धन उपलब्ध कराना

1319. **श्री उदय सिंह** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 जुलाई, 2004 के "द हिन्दु" समाचारपत्र में प्रकाशित समाचार के अनुसार केन्द्र सरकार ने ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए पंचायतीराज संस्थानों को सीधे धन उपलब्ध कराने का हाल ही में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने पंचायतीराज संस्थानों को सीधे धन उपलब्ध कराने के केन्द्र सरकार के कदम का विरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ग्रामीण विकास योजनाओं को क्रियान्वित करके राज्य सरकारों के अधिकारों को छीनने का प्रयास कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील) : (क) से (ङ) सरकार के राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ यह सुनिश्चित करना है कि पंचायतों द्वारा गरीबी उपशमन एवं ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को दी गई सभी निधियों में न तो कोई विलम्ब हो और न ही उसका अन्यत्र उपयोग किया जाए। साथ ही यह उल्लेख है कि सरकार राज्यों से परामर्श कर निर्वाचित पंचायतों को सीधे निधियां प्रदान करने पर विचार करेगी। इसलिए वर्तमान में ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं को सीधे निधियां प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड में सी.बी.आई. छापे

1320. **श्री किन्जरपु येरननायडु** : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के हैदराबाद स्थित तंदूर सीमेंट कारखाने के कार्यालय पर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने छापे मारे हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अधिकारियों/कर्मचारियों के आवासों पर भी छापे मारे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) सूचना प्राप्त हुई है कि सी.बी.आई. ने श्री बी.वी. सुब्बा राव, सहायक प्रबंधक (विपणन)/क्षेत्रीय प्रबंधक, सीमेन्ट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. हैदराबाद के आवास पर उनके ज्ञात आय स्रोत से अधिक धन जमा करने के अभिकथित मामले से संबंधित ट्रेप केस के परिणामस्वरूप तलाशी ली थी।

(घ) सी.बी.आई. ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत् श्री सुब्बा राव के विरुद्ध उपरोक्त अभिकथित अपराध के लिए एक मामला दर्ज किया है तथा उन्हें प्रबंधन द्वारा सीसीआई के आचरण, अनुशासन और अपील नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत 10 मई, 2004 से निलंबित कर दिया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सेवाएं

1321. **श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गरीब राज्यों को विकसित करने के लिए रोजगार सृजन और निवेश के समान अवसर बढ़ाने के लिए समान वृद्धि हेतु संतुलित दृष्टिकोण द्वारा क्या उपाए किए गए हैं;

(ख) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों गरीब बुनियादी सेवाएं प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास निवेश और रोजगार सृजन बढ़ाने हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सूर्यकांता पाटील) : (क) से (ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उपशमन, रोजगार सृजन, बुनियादी सुविधाओं के विकास, क्षेत्र विकास और बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए अनेक कार्यक्रम कार्यान्वित करता है। मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल एवं स्वच्छता सुविधाएं मुहैया कराने के लिए स्वजलधारा एवं संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अलावा त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.) भी कार्यान्वित करता है। राज्यों को निधियों का आबंटन निर्धनतम अनुपात और आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर किया जाता है ताकि एक समान विकास सुनिश्चित किया जा सके।

पानीपत (हरियाणा) में पेट्रोकेमिकल केन्द्र

1322. **श्री मिलिन्द देवरा** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयल कार्पोरेशन ने पानीपत (हरियाणा) में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक पेट्रोकेमिकल केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इसमें कितना निवेश किया जायेगा तथा इसे कब आरंभ किया जाएगा;

(ग) परिसर के निर्माण कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(घ) हरियाणा सरकार द्वारा परियोजना के लिए कितनी सहायता प्रदान की जायेगी तथा राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा करों में दी जाने वाली अन्य छूटें क्या-क्या होंगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी) का 6,300 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के साथ पानीपत में अपनी मौजूदा रिफाइनरी के पास एक नाफ्था क्रेकर तथा पोलिमर परिसर स्थापित करने का प्रस्ताव है। परिसर के क्रियान्वयन के कार्य पहले से शुरू हो गए हैं।

(ग) परिसर का निर्माण कार्य जुलाई, 2007 तक पूरा होने की संभावना है।

(घ) आईओसी ने हरियाणा सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें राज्य सरकार ने उक्त परिसर के लिए कुछ वित्तीय तथा गैर वित्तीय प्रोत्साहन/रियायतें उपलब्ध करने पर सहमति प्रकट की है। समझौता ज्ञापन में पानीपत में विश्व-स्तर के पेट्रोरसायन हब के विकास के लिए हरियाणा सरकार के समर्थन की भी परिकल्पना की गई है।

धन का दुरुपयोग

1323. **श्री अधीर चौधरी : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ संस्थान सामाजिक, सांस्कृतिक रूप से पिछड़े लोगों के उत्थान के लिए आबंटित धन का दुरुपयोग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार धन के उचित उपयोग के लिए कोई ठोस नीति बनाने का है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि धन जिन लोगों की पहचान की गई है उन्हीं के पास पहुंच रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) और (ख) जी, हां। संस्थानों द्वारा निधियों का उपयोग सामान्यतः संतोषप्रद पाया गया। परन्तु, अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता स्कीम के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को दी गई सहायता के कुछ मामलों में, निधियों के उपयोग में कुछ कमिया निरीक्षणों के दौरान ध्यान में आयी। विगत 5 वर्षों का ब्योरा संलग्न विवरण में है।

(ग) और (घ) वर्तमान मशीनरी संस्थानों द्वारा निधियों का दुरुपयोग रोकने के लिए काफी है।

विवरण

क्रम सं	आबंटित निधि का दुरुपयोग करने वाले संगठन/सस्थान का नाम	परियोजना का नाम	वर्ष जिसमें अन्तिम अनुदान दिया गया	की गई कार्रवाई का ब्योरा
1	2	3	4	5
1.	राजेन्द्र शिक्षा व सामाजिक कल्याण संस्थान, हलीमपुर, डाकखाना दुमारी कला, जिला सीतामढ़ी (बिहार) पिन-843315	शिल्प प्रशिक्षण केन्द्र	2001-02	राज्य सरकार और संबंधित जिला कलेक्टर से अनुरोध किया गया है कि सरकारी सहायता से सृजित की गई सम्पत्तियों को जब्त करें, इसे बेच दें और इस प्रकार, एकत्रित धनराशि को सरकार के पास जमा करें और शेष राशि को भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल करें।
2.	बिहार जन सहयोग एवं कल्याण प्रतिष्ठान, केलगढ़, बाजार, डाकखाना केलगढ़, जिला सिवान, बिहार	शिल्प प्रशिक्षण केन्द्र	2001-02	-तदैव-
3.	आदर्श सर्वांगीण महिला एवं बाल विकास समिति, गांव व डाकखाना बेलवामोर, वाया लौरिया, जिला-पश्चिम चम्पारन (बिहार)	शिल्प प्रशिक्षण केन्द्र	2001-02	-तदैव-

1	2	3	4	5
4.	विश्व बन्धु, समान्तर जमुना मध्य विद्यालय, हलीमपुर, डाकखाना-डुमरी (बिहार) पिन-843315	शिल्प प्रशिक्षण केन्द्र	2001-02	-तदैव-
5.	सुशील शिशु निकेतन शिक्षा समिति, रामैपत्ती (कोतवाली देहात रोड) मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश	वैल्डिंग व फिटर प्रशिक्षण	2002-03	-तदैव-
6.	कर्मभूमि संस्थान, गांव खेड़ी मार्कण्डा, डाकखाना सिरशाला, जिला-कुरुक्षेत्र, हरियाणा	टंकण व आशुलिपिक प्रशिक्षण	1999-2000	-तदैव
7.	जन जागृति संगठन, 326/13-अर्बन एस्टेट कुरुक्षेत्र, हरियाणा	टंकण व आशुलिपिक प्रशिक्षण	1999-2000	-तदैव-
8.	अखिल भारतीय समाज कल्याण समिति, मुख्य कार्यालय : महावीर कालोनी, गली नं.-5, लड़वा, जिला कुरुक्षेत्र, हरियाणा	दूरी निर्माण केन्द्र	2001-02	-तदैव-

पेट्रोल और एलपीजी में धोखाधड़ी

1324. श्री रघुनाथ झा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में पेट्रोल पंप और एलपीजी एजेंसियां उपभोक्ताओं द्वारा किए गए भुगतान से कम की आपूर्ति करते हुए पकड़े गये हैं तथा क्या वे ऐसा वर्षों से कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए क्या कार्रवाई प्रस्तावित की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) पेट्रोल पंपों पर कम सुपुर्दगी और एलपीजी एजेंसियों द्वारा कम वजन के एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति के कुछ मामलों का तेल विपणन कंपनियों द्वारा पता लगाया गया है। चूककर्ता डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों के विरुद्ध विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों और/या डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप करार के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की गई है।

स्वदेशी 'अवॉक्स' का विकास

1325. श्री शिवाजी अधलराव पाटील : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वदेशी एयरबोर्न अर्ली वारनिंग एंड कंट्रोल सिस्टम (अवॉक्स) को विकसित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) भारत कब तक अवॉक्स प्रणाली में आत्मनिर्भर बन जाएगा?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) भारतीय वायुसेना और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने संक्रियात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वायुवाहित पूर्व चेतावनी एवं नियंत्रण प्रणाली का स्वदेशी उत्पादन करने के लिए प्रणाली स्तर की आवश्यकताओं का संयुक्त रूप से अध्ययन तथा विकास किया है।

(ग) यह आशा की जाती है कि भारत इस तरह की प्रणालियों के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में आत्म-निर्भरता का वांछित स्तर प्राप्त कर लेगा।

प्रसारण क्षेत्र के लिए विनियामक

1326. **श्री रायापति सांबासिवा राव :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रसारण क्षेत्र के लिए एक अलग विनियामक गठित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या कंडीशनल एक्सेस सिस्टम के क्रियान्वयन को नया रूप दिया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्योरा क्या है तथा यह किस सीमा तक उपयोगी सिद्ध होंगे; और

(ङ) इसके कब तक आरंभ/क्रियान्वित होने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) सरकार ने दिनांक 9.1.2004 को प्रसारण सेवाओं के लिए विनियामक के रूप में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को नियुक्त किया है।

(ग) और (घ) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने अप्रैल माह, 2004 में ''टी वी चैनलों का वितरण और प्रसारण से संबंधित मुद्दों'' पर एक परामर्श-पत्र जारी किया है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण विभिन्न स्टेकहोल्डरों के साथ परामर्श की प्रक्रिया में है और उनकी सिफारिशें प्रतीक्षित हैं।

(ङ) इस चरण में कोई समय-सीमा निर्दिष्ट नहीं की जा सकती है।

पंचायती धनराशि का अन्यत्र प्रयोग

1327. **श्री सी.के. चन्द्रप्पन :**
श्री सुरेश कुरूप :

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि कुछ राज्य पंचायतों को केन्द्र द्वारा आबंटित धनराशि को अन्यत्र उद्देश्यों के लिए प्रयोग कर रहे हैं, इस तरह इनके लिए बुनियादी स्वच्छता योजनाओं और अन्य कार्यक्रमों को चलाना कठिन हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में ब्योरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है कि पंचायतों को आबंटित धनराशि का अन्यत्र प्रयोग न किया जाए और पंचायतों को समय पर धन मिले?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय, जिसका कि पंचायती राज हाल तक एक हिस्सा रहा है, ने सूचित किया है कि उन्हें ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए पंचायतों को आबंटित धनराशि के अन्यत्र उपयोग की शिकायत नहीं मिली है।

(ग) जैसा कि राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में बताया गया है, यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त निगरानी की जाएगी कि पंचायतों को दी जाने वाली धनराशि में कोई विलम्ब अथवा उसका अन्यत्र उपयोग न हो। वैकल्पिक उपाय राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श करके तय किया जाएगा।

[हिन्दी]

इंडियन आयल कार्पोरेशन के कार्यालय खोलना

1328. **श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख :**
श्री सुशील कुमार मोदी :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशों में इंडियन आयल कार्पोरेशन के कार्यालय खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) विदेशों में इन कार्यालयों के खोलने के पीछे क्या उद्देश्य है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी) का पहले से ही दुबई (यूएई) में एक गैर व्यवसायी संपर्क कार्यालय है और श्रीलंका तथा मारीशस में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां हैं। कंपनी का इंडोनेशिया में व्यवसाय इकाई स्थापित करने की योजना है।

(ग) आईओसी स्वयं को राष्ट्र पार की एक बड़ी तेल कंपनी बना रही है। देश के लिए विदेशी मुद्रा अर्जन तथा हमारी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के अलावा विदेशों में स्थापनाएं आईओसी को अपने इस दृष्टिकोण को पूरा करने में मदद करेंगी।

[अनुवाद]

देश में खोजे गए तेल क्षेत्र

1329. श्री दुष्यंत सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में देश में खोजे गए नए गैस और तेल क्षेत्रों का राज्यवार ब्योरा क्या है; और

(ख) इन क्षेत्रों विशेषकर राजस्थान में इन तेल और गैस भंडार क्षेत्रों के समुचित दोहन के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का ब्योरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) गत तीन वर्षों अर्थात् 2001-02 से 2003-04 के दौरान आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) आयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) तथा गैर सरकारी/संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा राज्यवार खोजे गए तेल और गैस क्षेत्रों के ब्योरे निम्नवत् हैं:-

राज्य		खोज
1		2
आंध्र प्रदेश	:	सीतारामापुरम, पेंडूरू तथा सानारूद्रावरम
असम	:	नजीरा, बनमाली, लाइपलिंगांव, पूर्व लखीबाड़ी, उरियामगुड़ी, दक्षिण चांदमाड़ी, उत्तर माकुम, सियालकाटी, चाबुआ, माटीमेखाना, उत्तर डीकोम, बागजन, मेचाकी, उत्तर चानमाड़ी तथा पूर्व राजाली
गुजरात	:	देगाम, भीमा-1, एनएस, चाकलासी तथा काटपुर
राजस्थान	:	सरस्वती, रागेश्वरी, कामेश्वरी, मांगला, एनए तथा चिन्नेवाला टिब्बा
तमिलनाडु	:	पीबीएस-1
त्रिपुरा	:	सोनापुरा

(ख) ओएनजीसी द्वारा एक नए क्षेत्र चिन्नेवाला टिब्बा में एक कूप का वेधन किया गया और गैस का पता लगा। तत्पश्चात् ओएनजीसी द्वारा खोजी गई नई गैस का चित्रण करने के लिए 79.27 वर्ग कि.मी. त्रिआयामी भूकंपीय सर्वेक्षण का अर्जन किया गया है। जहां तक राजस्थान के बाड़मेर जिले में मैसर्स कैर्न एनर्जी इंडिया प्रा. लि. द्वारा ब्लाक आरजे-ओएन-90/1 में की गई खोजों का संबंध है, मूल्यांकन के लिए तथा व्यवसायिकता, तेल और गैस के परिवर्द्धन तथा उत्पादन की स्थिति में, उत्पादन हिस्सेदारी संविदा में एक समय-सीमा का प्रावधान है।

रेल की पटरियों पर कूड़ा-करकट फेंकना

1330. श्री श्रीनिवास दादा साहिब पाटील : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न एक्सप्रेस और मेल रेलगाड़ियों के रसोईयान आपरेटर्स पटरियों पर कूड़ा-करकट फेंक देते हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर रोक लगाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या सरकार इस बात से भी अवगत है कि रेलगाड़ियों में रसोईयान से यात्रियों को खाना देने वाले कर्मचारीवृन्द साफ-सुथरे नहीं रहते हैं;

(घ) क्या रसोईयान आपरेटर्स के लिए यह अनिवार्य किया जाएगा कि वे स्वयं रसोईयान को और साफ-सुथरा रखें; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने रसोईयान में स्वच्छता को प्रभावी रूप से तथा कड़ाई से लागू करने के लिए क्या कार्रवाई प्रस्तावित की है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) पेंट्रीकार सेवाओं के कारण होने वाले कूड़े की संभाल और निकासी की प्रक्रिया के आदेश लाइसेंस धारकों और विभागीय कर्मचारियों के अनुपालन के लिए रेलों को दे दिए गए हैं। उपर्युक्त आदेशों की कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

(i) सभी पैंट्रीकारों में सुविधाजनक स्थान पर बड़े आकार का कूड़ेदान रखा जाना चाहिए।

(ii) क्षेत्रीय रेलों को बड़े आकार के प्लास्टिक के थैले मुहैया कराने चाहिए जिन्हें कूड़ा दान में रखा जाए। लाइसेंस धारकों द्वारा परिचालित सेवाओं के मामले में इनकी आपूर्ति लाइसेंस धारकों द्वारा की जानी चाहिए।

(iii) पैंट्रीकार में खाना बनाने से उत्पन्न होने वालाकूड़ा यदि कोई हो, तो उसे कूड़ादान में एकत्रित किया जाए।

(iv) सभी बैरे/वेटर ग्राहकों को सेवा प्रदान करने के बाद खाली कैसरोल, मिनरल वाटर की बोतलें/पाउच, गिलास, कटलरी, नैपकिन आदि जैसा कूड़ा-कर्कट संबंधित कोच से इकट्ठा करेंगे तथा उसे उसी कूड़ादान में डालेंगे। किसी भी हालत में वे कूड़े को वैस्टीब्यूल में या कोच में नहीं फेकेंगे। वे चलती गाड़ी से भी कूड़ा बाहर नहीं फेकेंगे।

(v) प्लास्टिक के थैलों में इकट्ठा किया गया कूड़ा संभाल कर रखा जाए। प्रत्येक चालक दल द्वारा परिवर्तन स्थल पर इन थैलों को खाली किया जाना चाहिए जहां स्टेशन पर सफाई वाले इस कूड़े को इकट्ठा करने के लिए उपलब्ध होंगे।

(vi) यदि किसी स्टेशन विशेष पर गाड़ी खड़ी होने के दौरान रसोई यान के नजदीक कोई सफाई वाला उपलब्ध न हो तो पैंट्रीकार के कर्मचारी इन थैलों को खाली करेंगे और प्लेटफार्म पर रखे कूड़ादान में कूड़ा डालेंगे।

(vii) स्टेशन सफाई वाले इन थैलों को स्टेशन के अन्य कूड़े के साथ एकत्रित करेंगे और स्टेशन के बाहर रखे कूड़ादान में डाल देंगे जहां से इसकी निकासी रेलवे सफाई व्यवस्था वाले कर्मचारियों का नगर निगम कर्मचारियों द्वारा जैसा भी मामला हो, की जाएगी।

(viii) विभागीय इकाइयों के मामले में प्रभारी खान-पान निरीक्षक की और निजी रूप से संचालित इकाइयों के मामले में लाइसेंस धारक की यह जिम्मेदारी होगी कि पैंट्रीकार के कर्मचारियों के पास हर समय पर्याप्त मात्रा में प्लास्टिक के थैले उपलब्ध रहें।

क्षेत्रीय रेलों को भी यह निदेश दिया गया है कि वे विभिन्न स्तरों पर लगातार जांच करें और सुनिश्चित करें कि इन निदेशों का सख्ती से अनुपालन किया जाए। जब भी अनियमितताएं पाई जाती हैं तो विभागीय कर्मचारियों और लाइसेंस धारकों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है।

(ग) से (ङ) पैंट्रीकारों के विभागीय कर्मचारियों और लाइसेंस धारकों द्वारा अनुपालन हेतु व्यक्तिगत साफ-सफाई और खाद्य संरक्षा संबंधी निदेश क्षेत्रीय रेलों को जारी किए गए हैं। इन निदेशों में शामिल है। (i) खाना बनाने/परोसने आदि से संबंधित व्यक्तियों की आवधिक चिकित्सा जांच (ii) खानपान कर्मचारियों द्वारा व्यक्तिगत साफ-सफाई रखना (iii) जैविक पदार्थों को बाहर करना, सभी पंखे, कूलरों के ब्लोअर, रसोई का फ्रीजर और भंडारण क्षेत्र की नियमित सफाई तथा दीवारों, खिड़कियों, दरवाजों और पैंट्रीकार की स्काई लाइटों से जाले और धूल हटाना आदि जैसे उपाय अपना कर क्षेत्र को साफ रखना। यह देखने के लिए कि संबंधित निदेशों का कुशलतापूर्वक अनुपालन किया जा रहा है, नियमित और औचक जांच भी की जाती है।

गुजरात में बड़ी लाइन के रेल मार्गों का उन्नयन

1331. श्री जयाबहन बी. ठक्कर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने बड़ी लाइन के पांच रेल मार्गों—(1) राजकोट-वेरावल लाइन का सोमनाथ और कोडीनार तक उन्नयन करने (2) गांधीनगर को अहमदाबाद-दिल्ली बड़ी लाइन से जोड़ने (3) तेहसाणा-विरमगढ़ (4) मेहसाणा-पाटन तथा (5) भड़ूच-दाहेज रेलमार्गों के उन्नयन करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है तथा इस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है; और

(ग) कब तक उक्त परियोजनाओं के आरंभ होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अहमदाबाद-दिल्ली मेन लाइन के साथ गांधीनगर को जोड़ते हुए राजकोट-वेरावल लाइन का सोमनाथ तक विस्तार संबंधी कार्य और विरमगांव-महेसाना पाटन के आमान परिवर्तन संबंधी कार्य पहले ही शुरू कर दिए गए हैं और निर्माण कार्य की प्रगति विभिन्न चरणों में है।

भरूच-दाहेज छोटी लाइन के आमान परिवर्तन के कार्य को राष्ट्रीय रेल विकास योजना के अन्तर्गत शामिल किया गया है लेकिन अभी स्वीकृति मिलनी बाकी है।

विरमगाम-मेहसाना खंड के निर्माण कार्य को 2004-05 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और शेष कार्य को संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर आने वाले वर्षों में पूरा किया जाएगा।

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति

1332. **श्री प्रबोध पाण्डा :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत के "चीफ आफ डिफेंस स्टाफ" पद के सृजन का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में नियुक्ति कर दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, नहीं। सरकार ने इस विषय पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था की समग्र रूप से गहन समीक्षा के लिए 17 अप्रैल, 2000 को गठित किए गए मंत्री समूह ने अन्य बातों के साथ-साथ रक्षा स्टाफ प्रमुख (सी डी एस) के पद का सृजन करने की सिफारिश की थी। एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय स्थापित किया गया है जिसके प्रमुख सेनाध्यक्ष समिति के अध्यक्ष से सम्बद्ध एकीकृत रक्षा स्टाफ के अध्यक्ष हैं। रक्षा स्टाफ प्रमुख की संस्थापना पर राजनीतिक दलों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

करगिल चोटी पर पाकिस्तान का नियंत्रण

1333. **श्री कैलाश मेघवाल :**
श्री के.एस. राव :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि करगिल की एक चोटी अभी भी पाकिस्तान के नियंत्रण में है;

(ख) यदि हां, तो तत्संधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) करगिल सेक्टर में पाकिस्तान के कब्जे में ऐसी कोई पर्वत चोटी नहीं है जो करगिल संघर्ष से पहले भारतीय सेना के पास थी। पाकिस्तान की घुसपैठ को रोकने के लिए नियंत्रण रेखा पर आवश्यक निगरानी सुनिचित करने हेतु पर्याप्त उपाय किए गए हैं।

नि:शक्त व्यक्तियों को लाभ

1334. **श्री बी. विनोद कुमार :**
डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न श्रेणियों के नि:शक्त व्यक्तियों की राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या कितनी है;

(ख) इस समय विभिन्न श्रेणियों के नि:शक्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ चलाई जा रही प्रत्येक योजना की मुख्य विशेषताएं और उद्देश्य क्या हैं और गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और चालू वर्ष में विभिन्न राज्यों/गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों को योजना के अंतर्गत योजनावार, राज्यवार, गैर-सरकारी संगठनवार/सवैच्छिक संगठनवार कितना धन आबंटित/जारी किया गया;

(ग) क्या सरकार ने उन्हें, विशेषकर मानसिक रूप से नि:शक्त व्यक्तियों को और लाभ पहुंचाने के लिए कोई नई योजना शुरू की है या शुरू करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इसके अंतर्गत कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई; और

(ङ) इन योजनाओं के अंतर्गत राज्यवार/संघराज्य क्षेत्रवार विभिन्न श्रेणियों के कितने नि:शक्त व्यक्ति लाभान्वित हुए और कितनों का पुनर्वास किया गया?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) राष्ट्रीय सैम्पुल सर्वेक्षण संगठन (एन एस एस ओ) द्वारा 58वें दौर (जुलाई-दिसम्बर-2002) में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार देश में विकलांग व्यक्तियों की अनुमानित संख्या 1.85 करोड़ है। विभिन्न विकलांगताओं वाले व्यक्तियों की अनुमानित संख्या इस प्रकार है:-

विकलांगता का प्रकार	व्यक्तियों की संख्या
1. मानसिक मंदता	9.95 लाख
2. मानसिक रुग्णता	11.01 लाख
3. दृष्टिबाधिता	20.13 लाख
4. कम दृष्टि	8.13 लाख
5. श्रवण विकलांगता	30.62 लाख
6. वाणी विकलांगता	21.55 लाख
7. चलन-संबंधी विकलांगता	106.34 लाख

विभिन्न विकलांगताओं की व्यापकता के बारे में राज्यवार ब्योरा, एन एस एस ओ की रिपोर्ट सं. 485 (58/26/1) के शीर्षक "भारत में विकलांग व्यक्ति" में उपलब्ध है।

(ख) विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए मुख्य स्कीमें हैं:– (i) सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद एवं फिटिंग के लिए सहायता स्कीम (एडिप); (ii) दीनदयाल विकलांगजन पुनर्वास स्कीम; और (iii) विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति स्कीम। इन स्कीमों का ब्योरा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की वेब-साइट www.socialjustice.nic.in पर उपलब्ध है। इन स्कीमों का वित्तीय ब्योरा, मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) वर्ष 2003-04 के लिए दीनदयाल विकलांग-जन पुनर्वास स्कीम तथा सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद एवं फिटिंग के लिए सहायता स्कीम के अन्तर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार लाभार्थियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

डीडीडीआर एवं एडिप स्कीम के अंतर्गत राज्यवार विकलांग लाभार्थी (वर्ष 2003-04)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लाभार्थियों की संख्या	
		डीडीडीआर	एडिप स्कीम
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	18574	25044
2.	अरुणाचल प्रदेश	390	72
3.	असम	900	0
4.	बिहार	2145	1440
5.	छत्तीसगढ़	255	1552
6.	दिल्ली	16311	30500
7.	गोवा	221	65
8.	गुजरात	34692	9500
9.	हरियाणा	17955	2507
10.	हिमाचल प्रदेश	353	280
11.	जम्मू-कश्मीर	94	0
12.	झारखण्ड	109	300
13.	कर्नाटक	14102	3990
14.	केरल	18140	750

1	2	3	4
15.	मध्य प्रदेश	2233	900
16.	महाराष्ट्र	13574	13250
17.	मणिपुर	844	0
18.	मिजोरम	190	1350
19.	मेघालय	832	0
20.	नागालैंड	0	0
21.	उड़ीसा	6514	9950
22.	पंजाब	1999	1800
23.	राजस्थान	14513	25500
24.	सिक्किम	0	0
25.	तमिलनाडु	9172	5446
26.	त्रिपुरा	111	150
27.	उत्तर प्रदेश	21331	79750
28.	उत्तरांचल	575	15400
29.	पश्चिमी बंगाल	20118	8782
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0
31.	चण्डीगढ़	871	0
32.	दमन और दीव	0	0
33.	दादरा और नागर हवेली	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0
35.	पांडिचेरी	71	0

केरल में नए रेलवे जोन

1335. **श्री चरकला राधाकृष्णन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों विशेषकर केरल से अपने राज्यों में नए रेलवे जोन स्थगित करने के प्रस्ताव मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और

(ग) इन प्रस्तावों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां।

(ख) तिरुवनंतपुरम में मुख्यालय सहित एक नए रेल जोन को स्थापित करने के लिए केरल सरकार तथा धनबाद में मुख्यालय सहित धनबाद, रांची और चक्रधरपुर मंडलों को मिलाकर झारखंड में एक नए रेलवे जोन स्थापित करने के लिए श्री आदित्य स्वरूप, सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय अवाम समन्वय विभाग, झारखंड से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ग) इन प्रस्तावों की जांच की गई है और इन्हें नए जोनल मुख्यालयों की स्थापना के लिए निर्धारित मानदण्डों के अनुसार इन्हें औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है।

जगुआर इंजन में दोष

1336. **डा. एम. जगन्नाथ :**
श्री मोहन सिंह :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जगुआर एअर क्राफ्ट के इंजन में दोष होने की शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) इन दोषों को शीघ्र दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या सरकार जगुआर बेड़े को चरणबद्ध तरीके से हटाने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) किसी भी अन्य विमान-प्रणाली की तरह जगुआर विमान के इंजन में भी सामान्य खराबियों की शिकायतें मिली हैं। खराबियों को दूर करने का कार्य यूनिट स्तर पर दिन-प्रति-दिन के आधार पर किया जाता है।

जगुआर विमान में लगाए गए लगभग 10% अडॉर इंजनों में सामने आई एकमात्र बड़ी समस्या निम्न प्रणोद (लो-थ्रस्ट) से संबंधित थी।

इस प्रकार के निम्न प्रणोद के कारण ज्ञात करने तथा उसके लिए सुधारात्मक उपाय सुझाने के लिए सितंबर 2002 में एक अध्ययन करने के आदेश दिए गए थे। इस अध्ययन दल में भारतीय वायुसेना, हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड, वैमानिकी गुणता आश्वासन महानिदेशालय तथा मैसर्स रॉल्स रॉयस के प्रतिनिधि शामिल थे और उन्होंने कई सुधारात्मक उपाय सुझाए। ये सभी उपाय कार्यान्वित कर दिए गए हैं। इनके परिणामस्वरूप निम्न प्रणोद की समस्या में काफी कमी आई है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) भारतीय वायुसेना में जगुआर विमान कड़े उड़ान मूल्यांकनों के बाद शामिल किए गए थे। इस विमान का एक परखा हुआ ट्रैक रिकार्ड है तथा विश्व की कई वायुसेनाओं के साथ अग्रिम पंक्ति की सेवा में है। लघु दोष, जो किसी भी सैन्य विमान में सामान्य रूप से आ जाता है तथा प्रणोद की समस्या, जो लगभग 10% इंजनों में देखी गई, के अलावा इस विमान की किसी भी मुख्य प्रणाली के साथ ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं रही है जिससे विमान को चरणबद्ध ढंग से हटाया जाना जरूरी है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में वेतन का भुगतान न किया जाना

1337. **श्री चेंगरा सुरेन्द्रन : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों के कर्मचारियों को कई महीनों से उनके वेतन और सांविधिक देय का भुगतान नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी इकाइवार ब्योरा क्या है;

(ग) उनके बकायों के भुगतान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) कर्मचारियों को कब तक उनका वेतन मिल सकेगा?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार दिनांक 30.6.2004 तक केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के जिन उपक्रमों में सांविधिक देनदारियां तथा वेतन/मजूरी बकाया हैं, उनका ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) सरकार ने केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों को उनके कर्मचारियों को बकाए का भुगतान निम्नानुसार समयबद्ध ढंग से करने की सलाह दी है :-

(i) जो केन्द्रीय सरकारी उपक्रम, बकाया देनदारियों का भुगतान कर पाने में सक्षम हैं, उन्हें यह कार्य शीघ्र करना चाहिए।

(ii) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के जिन उपक्रमों को बकाए के भुगतान के लिए अपनी अधिशेष परिसंपत्तियों की बिक्री से संसाधन जुटाने हैं, वे बाजार से धन संग्रहण करें और इसके लिए सरकार गारंटी तथा आवश्यकतानुसार ब्याज-सहायता प्रदान करेगी।

(iii) जिन मामलों में कोई कानूनी मुद्दा अंतर्ग्रस्त है, उन मामलों को संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा विधि मंत्रालय को भेजा जाना चाहिए, ताकि मुद्दे का शीघ्र समाधान किया जा सके।

(iv) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के जिन उपक्रमों को अपने बकाए के भुगतान में वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, वे अपने उपक्रम/एकक के नवीकरण/बंदीकरण/विनिवेश के बारे में विशिष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत करें, जिससे कि बकाए के शीघ्र भुगतान के लिए उन्हें एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके।

विवरण

क्रम सं.	मंत्रालय/विभाग	सरकारी उद्यम का नाम	दिनांक 30.6.04 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार बकाया देनदारी (लाख रुपए)		
			सांविधिक	मजूरी/वेतन	जोड़
1	2	3	4	5	6
1.	कृषि एवं सहकारिता विभाग	1. राज्य फार्म्स निगम लि.	313.20	0.00	313.20

1	2	3	4	5	6
2.	रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग	1. बंगाल इम्युनिटी लि.	508.00	0.00	508.00
		2. हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि.	1700.00	0.00	1700.00
		3. इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मा. लि.	7585.00	0.00	7585.00
		4. स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट एण्ड फार्मा. लि.	91.00	0.00	91.00
3.	कोयला मंत्रालय	1. भारत कोकिंग कोल लि.	45598.00	0.00	45598.00
4.	वाणिज्य विभाग	1. चाय व्यापार निगम	872.29	1029.52	1901.81
5.	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	1. हिन्दुस्तान वेजीटेबल ऑयल लि.	0.89	0.00	0.89
6.	रक्षा उत्पाद व आपूर्ति विभाग	1. मझगांव डॉक लि.	14.06	0.00	14.06
7.	स्वास्थ विभाग	1. अस्पताल परामर्शदायी सेवाएं निगम लि.	0.76	0.00	0.76
8.	भारी उद्योग विभाग	1. एण्ड्रयू युले एण्ड कंपनी लि.	1086.00	0.00	1086.00
		2. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि.	16.00	0.00	16.00
		3. भारत वेगन एण्ड इंजी. लि.	1252.84	0.00	1252.84
		4. भारत वेगन एण्ड इंजी. लि.	581.00	307.00	888.00
		5. सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया	964.00	661.00	1625.00
		6. भारी इंजीनियरी निगम	7734.00	669.00	8403.00
		7. हिन्दुस्तान केबल्स लि.	8107.08	0.00	8107.00
		8. एचएमटी लि. (सांविधिक देयताओं में सहायक कंपनिया भी शामिल हैं)	2900.00	0.00	2900.00
		9. एचएमटी (मशीन टूल्स) लि.		382.00	382.00
		10. एचएमटी (वाचेज) लि.		598.00	598.00
		11. एचएमटी (चिनार वाचेज) लि.		88.00	88.00
		12. इंस्ट्रूमेंटेशन लि.	823.00	3.25	826.25

1	2	3	4	5	6
		13. नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लि.	263.79	189.00	452.79
		14. प्रागा टूल्स लि.	78.35	186.61	264.96
		15. त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि.	885.78	0.00	885.78
		16. टायर कारपो. ऑफ इंडिया लि.	394.00	0.00	394.00
9.	खान विभाग	1. हिन्दुस्तान कॉपर लि.	1563.00	841.00	2404.00
10.	नौवहन मंत्रालय	1. हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजी. लि.	35.00	242.00	277.00
11.	इस्पात मंत्रालय	1. भारत रिफ्रैक्ट्रीज लि.	1332.22	667.78	2000.00
		2. हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्र. लि.	0.00	8300.00	8300.00
12.	कपड़ा मंत्रालय	1. नेशनल जूट मैन्यु. कारपो. लि.	19000.00	7197.00	26197.00
		2-10. नेटेका और इसकी 9 सहायक कंपनियां	7699.00	0.00	7699.00
13.	जल संसाधन मंत्रालय	1. राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम	3779.00	0.00	3779.00
		कुल जोड़	115177	21361	136538
		करोड़ के बराबर	1152	214	1365

पेट्रो रिटेलर आईबीपी का आईओसी के साथ विलय

1338. श्री तथागत सत्पथी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पेट्रो रिटेलर आईबीपी के आईओसी के साथ विलय को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी निबंधन और शर्तों का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या विलय को पूरा करने के लिए व्यावसायिक बैंकों की नियुक्ति भी कर दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (घ) आईबीपी कं. लिमिटेड का इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी) के साथ विलय के लिए इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड के प्रारंभिक प्रस्ताव को सरकार ने सिद्धांत रूप में अपना अनुमोदन दे दिया है। इस संबंध में सरकार का अंतिम अनुमोदन एकीकरण की विस्तृत योजना पर निर्भर करेगा। कंपनी ने मर्चेण्ट बैंकर तथा वित्तीय सलाहकार के रूप में मैसर्स जे.एम. मोरगन स्टेनली लिमिटेड को नियुक्त किया है।

सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उद्यमों का कार्यनिष्पादन

1339. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उद्यमों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान समीक्षा के अंतर्गत उद्यमवार किस-किस अवधि को शामिल किया गया है; और

(ग) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के वित्तीय निष्पादन को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा उनके प्रबंधन/संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा अलग-अलग आधार पर आवधिक अंतराल पर की जाती है। लोक उद्यम विभाग केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों के वित्तीय परिणामों का संग्रहण व संकलन करता है तथा उन्हें प्रति वर्ष संसद के दोनों सदनों में रखे जाने वाले लोक उद्यम सर्वेक्षण, जो कि आम जनता के लिए एक प्रकाशित दस्तावेज है, के रूप में प्रस्तुत करता है। लोक उद्यम सर्वेक्षण, 2002-03 संसद में दिनांक 8.6.2004 को प्रस्तुत किया जा चुका है।

(ग) सरकारी उद्यमों के कार्यनिष्पादन में सुधार के लिए प्रबंधन/प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा उद्यम-सापेक्ष उपाए किए जाते हैं, जिनमें मामला-विशेष के अनुसार व्यापारिक व वित्तीय पुनर्गठन, संयुक्त उद्यमों की स्थापना, लागत नियंत्रण के उपाय, श्रमशक्ति का यौक्तिकीकरण, नवीकरण योजनाओं का प्रतिपादन तथा आवश्यकतानुसार नए सिरे से पूंजीनिवेश, आदि शामिल हैं।

दूरदर्शन सेवा का आधुनिकीकरण

1340. डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान दूरदर्शन सेवा के विस्तार और उसके आधुनिकीकरण पर होने वाले खर्च में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या देश की 10% आबादी तक दूरदर्शन की सेवा नहीं पहुंच पाती है; और

(घ) यदि हां, तो सम्पूर्ण आबादी को लाभान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) देश के कवर न किए गए क्षेत्रों को अब के यू-बैंड में उपग्रहीय प्रसारण के जरिए टी वी कवरेज उपलब्ध करवाए जाने की परिकल्पना की गयी है जिसको वर्ष 2004 के दौरान शुरू होना है।

विदेशी पे चैनल

1341. श्री भर्तृहरि महताब : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन अपने कार्यक्रमों का विदेशों में प्रसारण करने के लिए विदेशी पे चैनलों के प्रयोग का प्रस्ताव कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इससे दूरदर्शन को क्या लाभ होगा?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) दूरदर्शन, डायरेक्ट-टु-होम (बी स्काई बी) प्लेटफार्म के माध्यम से ब्रिटेन के श्रोता गण/दर्शक गण के लिए डी डी इंडिया और डी डी न्यूज चैनल प्रसारित करने हेतु प्रयासरत रहा है। बी स्काई बी दूरदर्शन के चैनलों को अपने ''फैमिली पैक'' में सम्मिलित करेगा जिसमें इस समय 70 से अधिक चैनल हैं ''फैमिली पैक'' के ग्राहकों को दूरदर्शन के चैनलों को देखने के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं करना पड़ेगा।

(ग) बी स्काई बी के ''फैमिली पैक'' में दूरदर्शन के चैनलों को शामिल करने से ''फैमिली पैक'' के मौजूदा 7 मिलियन ग्राहकों को उनकी तुरन्त उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी।

[हिन्दी]

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रेल लाइनों का विद्युतीकरण

1342. श्री हरिकेवल प्रसाद : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में रेल लाइनों के विद्युतीकरण के लिए राज्यवार क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) राज्य-वार कुल कितनी लम्बाई की रेल लाइनों का विद्युतीकरण किया गया;

(ग) कुल कितनी लम्बाई की रेल लाइनों का विद्युतीकरण कार्य निर्धारित लक्ष्य से पीछे चल रहा है और तत्संबंधी राज्यवार और स्थितिवार ब्योरा क्या है; और

(घ) शेष रेल लाइनों के विद्युतीकरण के लंबित कार्य को परियोजनावार कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युतीकरण 2300 मार्ग किलोमीटर के विद्युतीकरण के लक्ष्य की तुलना में 2484 मार्ग किलोमीटर को विद्युतीकृत किया गया है। राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे। इसलिए रेल परियोजनाएं राज्य सीमाओं के अनुसार नहीं हैं।

(ख) 1.3.2004 को भारतीय रेलों में 16960 मार्ग किलोमीटर रेलपथ विद्युतीकृत किया गया है। राज्यवार विद्युतीकृत रेलपथ के मार्ग किलोमीटर मोटे तौर पर निम्नलिखित प्रकार है:-

क्र.सं.	राज्य	विद्युतीकृत मार्ग कि.मी.
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	2098
2.	बिहार	723
3.	छत्तीसगढ़	861
4.	दिल्ली	129
5.	गुजरात	719
6.	हरियाणा	366
7.	हिमाचल प्रदेश	23
8.	झारखंड	1585
9.	कर्नाटक	104
10.	केरल	301
11.	मध्य प्रदेश	1880
12.	महाराष्ट्र	2059
13.	उड़ीसा	1023
14.	पंजाब	379
15.	राजस्थान	491
16.	तमिलनाडु	1026
17.	उत्तर प्रदेश	1436
18.	उत्तरांचल	13
19.	पश्चिमी बंगाल	1744
20.	अन्य राज्य	–
	कुल	16960

(ग) परियोजनाओं की समाप्ति के लक्ष्य निर्माण कार्यों की प्रगति और संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, वर्ष दर वर्ष आधार पर निर्धारित किए जाते हैं।

(घ) चालू/लंबित विद्युतीकरण परियोजनाओं और उनकी समाप्ति की लक्ष्य तारीख का ब्योरा निम्नलिखित है:-

क्र.सं.	परियोजना कर नाम	लक्ष्य तारीख
1	2	3
1.	भुवनेश्वर-कोट्टावालसा और खुर्दारोड-पुरी	भुवनेश्वर-कोट्टावालसा खण्ड पूरा हो गया है। खुर्दारोड-पुरी खण्ड अंतिम चरण पर है, जिसे दिस. 2004 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

1	2	3
2.	तलचेर-कटक-पारादीप की शाखा लाइन सहित खड़गपुर/ निमपुरा-भुवनेश्वर	मार्च, 2005, कटक-पारादीप खण्ड को छोड़कर जिसके लिए लाइनों के दोहरीकरण का कार्य चलने के कारण लक्ष्य नहीं नियत किया गया है।
3.	तामवरम-विल्लुपुरम एवं चंगलपेटू-अरकोणम	पूरा हो गया है, तक्कोलम-अरकोलम खण्ड को छोड़कर जो नैवल एयर वेस हतु रेलपथ का परिवर्तन होने के कारण अवरुद्ध है।
4.	अंबाला-मुरादाबाद	दिसंबर, 2005
5.	एर्णाकुलम-त्रिवेद्रम	दिसंबर, 2005
6.	कृष्णनगर-लालगोला	जून, 2006
7.	रेणुगुंटा-गुंतकल	रेणुगुंटा-नांदलुर खण्ड पूरा हो गया है और नांदलुर-गुंतकल का निर्माण कार्य रेल विकास निगम लि. (आर वी एन एल) द्वारा किया जा रहा है।
8.	दिल्ली-सराय रोहिल्ला-गुडगांव	अपेक्षित स्वीकृति की प्रतीक्षा में।
9.	मुगलसराय-जफराबाद	अपेक्षित स्वीकृति की प्रतीक्षा में।
10.	खुर्जा-मेरठ-सहारनपुर	अपेक्षित स्वीकृति की प्रतीक्षा में।

सतनामी समाज के लोगों को किसी दूसरी अनुसूची में शामिल किया जाना

1343. श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री सतनामी समाज को 14वीं अनुसूची से हटाकर किसी दूसरी अनुसूची में शामिल किए जाने के बारे में 8 मई, 2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6601 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के महापंजीयक ने सतनामी समाज के लोगों को किसी दूसरी सूची में शामिल किए जाने के छत्तीसगढ़ सरकार के प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार को अपनी टिप्पणी भेज दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) सतनामी समाज के लोगों को किसी दूसरी अनुसूची में शामिल करने के लिए की गई उनकी टिप्पणी पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सतनामी समुदाय को, अनुसूचित जाति की सूची के विद्यमान क्रम सं. 14 से हटाने और इसे क्रम संख्या 14(क) पर स्वतंत्र प्रविष्टि के रूप में जोड़ने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के प्रस्ताव को भारत के महारजिस्ट्रार द्वारा मंजूर नहीं किया गया। अनुमोदित प्रक्रियाओं के अनुसार, छत्तीसगढ़ सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह भारत के महारजिस्ट्रार की टिप्पणियों को देखते हुए, अपनी सिफारिश की समीक्षा करे तथा उसका औचित्य दे।

देश में एलपीजी की आवश्यकता

1344. श्री रामदास बंडु आठवले : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषकर महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में, इस समय अनुमानित रूप से एलपीजी की मासिक आवश्यकता कितनी है;

(ख) इसकी आपूर्ति के संबंध में स्थिति क्या है; और

(ग) महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में एलपीजी की मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्योरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों की 2003-04 की बिक्रियों (अनन्तिम) के आधार पर, एलपीजी की औस्त मासिक मांग, महाराष्ट्र राज्य की 111 टीएमटी की मांग सहित 757 हजार मीट्रिक टन (टीएमटी) थी।

(ख) और (ग) आपूर्ति में कोई बाधा नहीं है, तेल विपणन कंपनियां सुपुर्दगी और वितरण प्रणाली में लगातार सुधार के द्वारा महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में एलपीजी की मांग को पूरा करने का प्रयास कर रही है।

[अनुवाद]

उड़ीसा में बांसपानी-दैतारी रेल लाइन की प्रगति

1345. **श्री अनन्त नायक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में बांसपानी-दैतारी रेल लाइन बिछाने में अब तक कितनी प्रगति हुई है और पूरी परियोजना को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ख) इस परियोजना के लिए अब तक कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है; और

(ग) इस कार्य में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) बांसपानी-जोरुली (11 किलोमीटर) खंड पूरा हो चुका है और यातायात के लिए खोल दिया गया है जोरुली-क्योंझर (48 किमी) खंड भी पूरा हो चुका है। क्योंझर-तोमका (98 किलोमीटर) खंड पर मिट्टी संबंधी पुल निर्माण तथा अन्य आनुषंगिक कार्य प्रगति पर है। 2005-2006 के दौरान परियोजना के पूरे हो जाने की संभावना है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हो।

(ख) 31.03.2004 तक परियोजना पर कुल 446.52 करोड़ रु. का खर्च हुआ है। 2004-05 के बजट में परियोजना के लिए 83 करोड़ रु. के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

(ग) कार्य में तेजी लाने के लिए एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के माध्यम से निधियों की व्यवस्था की गई है और कार्य के एक भाग के निष्पादन के लिए रेल विकास निगम लि. (आर वी एन एल) को सौंप दिया गया है।

देश में रेल परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति

1346. **श्री विजय कृष्ण** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुप्रबंधन के चलते कुछ रेल परियोजनाओं में विलम्ब हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं का ब्योरा क्या है और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है और उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भर्ती की न्यूनतम आयु सीमा को बढ़ाया जाना

1347. **श्री गुरुदास कामत** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जवानों की भर्ती की न्यूनतम आयु सीमा को बढ़ाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस आयु सीमा को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से दबाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) जी, हां। सेना में भर्ती हेतु न्यूनतम आयु अब तक 16 वर्ष थी जिसे अगस्त, 2004 से बढ़ाकर 17 वर्ष और छह माह कर दिया गया है। अधिकतम

आयु सीमा, जोकि 25 वर्ष है, में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) ''बाल-अधिकार संबंधी सम्मेलन'' पर संयुक्त राष्ट्र प्रोटोकॉल से संबंधित राष्ट्र पक्षकारों, जिनकी भारत सरकार भी एक सदस्य है, के निर्णय के मद्देनजर जवानों की भर्ती हेतु न्यूनतम आयु में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है।

रेल मालडिब्बों के लिए क्रयादेश

1348. **श्री सी.के. चन्द्रप्पन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के विभिन्न कारखानों से रेल मालडिब्बों की खरीद के सरकार के क्रयादेश में हाल ही में भारी कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान रेलवे द्वारा दिए गए क्रयादेशों का कारखाने-वार और राज्य-वार ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार क्रयादेशों में वृद्धि करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

पिछले तीन वर्षों में रेलवे द्वारा मालडिब्बों के संबंध में प्रस्तुत किए गए क्रयादेश

(आंकड़े चौपहियों में हैं)

क्र. सं.	फर्म का नाम	वर्ष	वर्ष के प्रारंभ में ओ/एस	नमा आदेश	कुल आदेश
1	2	3	4	5	6
	सार्वजनिक क्षेत्र				
1.	मै. बीडब्ल्यूईएल/एमएफपी (बिहार)	2001-2002	722.2	392.5	1115
		2002-2003	210	850	1060
		2003-2004	562.5	13.35	1897.5
2.	मै बीडब्ल्यूईएल/एमकेए (बिहार)	2001-2002	782.5	337.5	1120
		2002-2003	600	730	1330
		2003-2004	900	0	900
3.	मैं. ब्रेथवैट (पश्चिम बंगाल)	2001-2002	917.5	835	1752.5
		2002-2003	545	1765	2310
		2003-2004	1505	1572.5	3077.5

1	2	3	4	5	6
4.	मै. बर्न/बीपी (पश्चिम बंगाल)	2001-2002	440	817.5	1257.5
		2002-2003	160	1320	1480
		2003-2004	135	3215	3350
5.	मै. बर्न/एचडब्ल्यूएच (पश्चिम बंगाल)	2001-2002	1077.5	50	1127.5
		2002-2003	637.5	1205	1842.5
		2003-2004	335	1902.5	2237.5
6.	मै. ब्रिज एंड रूफ (पश्चिम बंगाल)	2001-2002	187.5	507.5	695
		2002-2003	352.5	100	452.5
		2003-2004	0	735	735
	निजी क्षेत्र				
7.	मै. टैक्समैको (पश्चिम बंगाल)	2001-2002	150	770	920
		2002-2003	0	1830	1830
		2003-2004	0	3955	3955
8.	मै. मोडर्न (उत्तर प्रदेश)	2001-2002	430	507.5	937.5
		2002-2003	92.5	1027.5	1120
		2003-2004	165	1247.5	1412.5
9.	मै. एचईआई (पश्चिम बंगाल)	2001-2002	2457.5	100	2557.5
		2002-2003	1257.5	1360	2617.5
		2003-2044	471	2595	3066
10.	मै. बेस्को (पश्चिम बंगाल)	2001-2002	1380	385	1765
		2002-2003	207.5	1887.5	2095
		2003-2004	411	2320	2731

1	2	3	4	5	6
11.	मै. टिटागढ़ (पश्चिम बंगाल)	2001-2002	885	342.5	1227.5
		2002-2003	127.5	1782.5	1010
		2003-2004	302.5	2440	2742.5
12.	मै. जैसप (पश्चिम बंगाल)	2001-2002	397.5	110	507.5
		2002-2003	67.5	517.5	585
		2003-2004	155	922.5	1077.5

रेलगाड़ियों में अपराध

1349. **श्री सुभाष सुरेशचन्द्र देशमुख :**
श्री धर्मेन्द्र प्रधान :
श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी :
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्री प्रभुनाथ सिंह :
श्री राजनरायन बुधौलिया :
श्री प्रदीप गांधी :
श्री हरिश्चंद्र चौहान :
श्रीमती कृष्णा तीरथ :
श्रीमती ऊषा वर्मा :
श्री उदय सिंह :
श्री पंकज चौधरी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रेलगाड़ियों में विशेषकर बिहार और झारखण्ड में लूट, हत्या, डकैती और अन्य अपराधों की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो जनवरी, 2004 से आज तक प्रत्येक मामले का तथ्यों सहित ब्योरा क्या है और इन मामलों में से प्रत्येक के संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है;

(ग) रेलगाड़ियों में अपराधों से निपटने में जी.आर.पी. और रे.सु.ब. की क्या भूमिका है तथा ऐसे अपराधों से निपटने हेतु रे.सु. ब. को मजबूत बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या रेलगाड़ियों में सुरक्षा प्रदान करने हेतु विभिन्न राज्यों द्वारा किए जाने वाले व्यय में मंत्रालय की भागीदारी होती है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार रेलगाड़ियों में सुरक्षा प्रदान करने हेतु राज्यों को दी गयी निधियों को खर्च करने की जिम्मेदारी राज्यों पर सौंपने की है; और

(छ) सरकार द्वारा रेलगाड़ियों में यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु क्या अन्य उपाय किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) चलती गाड़ियों में और रेल परिसरों में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना तथा यात्रियों और उनके सामान की सुरक्षा संबंधित राज्य सरकार की सांविधिक जिम्मेदारी है। रेलवे में होने वाले आपराधिक मामले राजकीय रेलवे पुलिस (रा.रे.पु.) को सूचित किए जाते हैं, रा.रे.पु. द्वारा दर्ज किए जाते हैं और रा.रे.पु. द्वारा उनकी जांच की जाती है। और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) अपराधों को रोकना और उनकी जांच राज्य सरकारों की संवैधानिक जिम्मेदारी है जिसे वे राजकीय रेलवे पुलिस स्कंध द्वारा निभाते हैं। अत: रेल मंत्रालय को रेलवे पर होने वाले अपराधों पर नियंत्रण रखने के लिए राज्य सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है। रेल मंत्रालय के अधीन रेलवे सुरक्षा बल केवल रेलवे संपत्ति और रेलवे को परिवहन के लिए सौंपी गई संपत्ति के लिए जिम्मेदार हैं। यद्यपि रेल अधिनियम, 1989 और रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम, 1957 में हाल ही में किए गए संशोधन से रेल यात्रियों और यात्री एरिया में होने वाले छोटे मोटे

अपराधों के विरुद्ध सुरक्षा की अतिरिक्त जिम्मेदारी रेलवे सुरक्षा बल को प्रदान कर दी गई है। संशोधन 1 जुलाई, 2004 से प्रभावी हो गया है रेलगाड़ी में यात्रियों को अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया कराने और वे स्थान जहां यात्रियों की आवा-जाही होती रहती है, में छोटे-मोटे अपराध को रोकने के लिए रेल सुरक्षा बल अतिरिक्त संख्या में कार्मिकों की तैनाती कर रहा है तथा अन्य ड्यूटी प्वाइंटों से अस्थाई रूप से कर्मचारी हटा रही है। इससे काफी हद तक राज्य सरकार की कठिनाइयां कम होंगी और इस प्रकार वे यात्रिगणों को प्रभावित करने वाले गंभीर किस्म के अपराधों पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकती हैं।

(घ) जी, हां। रेलवे पर राज्य सरकार द्वारा तैनात की गई राजकीय रेल पुलिस पर होने वाले व्यय में रेल मंत्रालय की भी भागीदारी होती है।

(ङ) प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश द्वारा तैनात किए गए राजकीय रेल पुलिस के अधिकारी और अन्य पदों के कर्मचारियों पर होने वाले पूरे खर्च का 50% खर्च रेल मंत्रालय द्वारा वहन किया जाता है।

(च) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल, रेल यात्रियों और रेल प्रणाली की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के लिए सभी स्तरों पर राज्य सरकारों को पत्र लिखे जाते हैं और आवधिक रूप से बैठकें आयोजित की जाती हैं।

(छ) यद्यपि रेलों पर अपराध को रोकने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है, तथापि रेलों ने राज्य सरकार के प्रयासों को बल देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

1. रेलवे सुरक्षा बल द्वारा (रे.सु.ब.) रेलवे परिसरों और गाड़ियों से असामाजिक तत्वों को हटाया जा रहा है।

2. कोच परिचर/चल टिकट परीक्षक सवारी डिब्बों में चढ़ने वाले/उतरने वाले यात्रियों पर उचित निगरानी रख रहे हैं और चालन के दौरान सवारी डिब्बों की उचित रूप से जांच की जाती है, और उन्हें लॉक किया जाता है, विशेषकर रात्रि के दौरान।

3. यात्रियों की सुविधा के लिए तत्काल रूप से अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए गाड़ी के गार्डों/स्टेशन मास्टरों/ रे.सु.ब. के पास प्राथमिकी फार्म उपलब्ध कराए गए हैं।

4. रे.सु.ब. और राजकीय रेल पुलिस (जी.आर.पी.) के बीच सभी स्तरों पर विशेष आसूचना और अपराध आसूचना का आदान प्रदान किया जा रहा है।

5. यात्रियों को सावधान करने के लिए महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर जन उद्घोषणा प्रणाली और क्लोज सर्किट टेलीविजन के माध्यम से घोषणा करना।

6. उपयुक्त निवारक उपाय करने के दृष्टिगत रेलों पर अपराध की स्थिति का व्यक्तिगत रूप से विश्लेषण करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल और स्थानीय पुलिस के साथ समन्वय बनाए रखा जाता है।

7. राजकीय रेल पुलिस तथा राज्य सरकारों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उनके प्रयासों को बल देने तथा गंभीर अपराधों पर उनका ध्यान बेहतर ढंग से केंद्रित करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम, 1957 और रेल अधिनियम, 1989 में संशोधन करके रेलवे सुरक्षा बल को छोटे-मोटे अपराधों (जिससे आम यात्री और गाड़ी परिचालन प्रभावित होता है) के संबंध में रेल अधिनियम, 1989 के तहत गिरफ्तार करने तथा मुकदमा चलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संशोधित अधिनियम 1 जुलाई, 2004 से प्रभावी हो गए हैं।

राजस्थान में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम

1350. **श्री दुष्यंत सिंह :**
श्री जसवंत सिंह विश्नोई :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) के अंतर्गत राजस्थान को कुल कितनी राशि आबंटित की गई;

(ख) इस अवधि के दौरान राज्य द्वारा सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए वास्तव में कुल कितनी राशि व्यय की गई;

(ग) वर्ष 2004-2005 के दौरान सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान के लिए आबंटित राशि को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार राजस्थान में मरुस्थल क्षेत्र में पेयजल समस्या का समाधान करने और जलाभाव वाले अन्य क्षेत्रों में किसी केन्द्रीय योजना को प्रायोजित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र) : (क) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) के अंतर्गत निधियां राज्य-वार आबंटित नहीं की जाती हैं। चूंकि यह कार्यक्रम मांग आधारित है, अत: कार्यक्रम वाले राज्यों को निधियां अपेक्षित दस्तावेजों सहित प्रस्ताव प्राप्त होने तथा निर्धारित शर्तों को पूरा किए जाने के पश्चात् जारी की जाती हैं। गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान राज्य को जारी की गई निधियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

वर्ष	जारी की गई राशि (लाख रुपये में)
2001-02	119.13
2002-03	1430.93
2003-04	1979.36

(ख) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में कार्यक्रम वाले जिलों द्वारा सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) के अंतर्गत किए गए व्यय का ब्योरा नीचे दिया गया है:-

वर्ष	खर्च की गई राशि (लाख रुपये में)
2001-02	1383.48
2002-03	1440.48
2003-04	2764.48

(ग) जैसा कि उपर्युक्त (क) के उत्तर में उल्लेख किया गया है, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) के अंतर्गत निधियों का राज्य-वार आबंटन नहीं किया जाता है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं।

अहमदाबाद-मुम्बई रेल लाइन पर अतिरिक्त ट्रैक का प्रावधान

1351. श्री जयावहन बी. ठक्कर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है अहमदाबाद-मुम्बई रेल लाइन की विद्यमान क्षमता का अत्यधिक उपयोग किया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का प्रस्ताव अतिरिक्त ट्रैक की व्यवस्था करके इस लाइन की क्षमता में वृद्धि करने का है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त परियोजना को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस सैक्शन की क्षमता को अहमदाबाद-मुंबई सैक्शन में स्वचालित ब्लॉक सिगनलिंग प्रणाली लागू करके और इस सैक्शन में अतिरिक्त लूप लाइनों की व्यवस्था करके, यार्ड के ढांचे में परिवर्तन करके लूप लाइनों का विस्तार करके और हाल्ट श्रेणी स्टेशन को ब्लॉक स्टेशन में परिवर्तन करके बढ़ाया जा रहा है। सूरत से कोसम्बा तक तीसरी लाइन के निर्माण कार्य की स्वीकृति मिल चुकी है। बहरहाल, विरार से अहमदाबाद तक तीसरी लाइन के लिए अद्यतन सर्वेक्षण को बजट 2004-05 में शामिल किया गया है।

सियाचिन मे फर्जी मुठभेड़

1352. श्री अधीर चौधरी :
श्री इमान मोल्लाह :
श्री निखिल कुमार :
श्री कीर्ति वर्धन सिंह :
श्री सदाशिव दादोबा मंडलिक :
श्रीमती निवेदिता माने :
श्री लक्ष्मण सेठ :
श्री के.एस. राव :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सियाचिन गलेशियर में पदकों के लिए फर्जी मुठभेड़ से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो तथ्य और अब तक प्राप्त शिकायतों सहित तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे झूठे मामलों की जांच के लिए किसी न्यायालय का गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) इस प्रकार के मामलों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ङ) सियाचिन ग्लेशियर में कथित फर्जी मुठभेड़ के संबंध में मेजर सुरेन्दर सिंह की ओर से सेनाध्यक्ष को संबोधित दिनांक 3 दिसंबर, 2003 की एक शिकायत प्राप्त हुई थी। आरोपों के आधार पर सेना मुख्यालय ने दिनांक 27 दिसंबर, 2003 को उत्तरी कमान मुख्यालय को एक जांच अदालत आयोजित करने का निदेश दिया।

सेना मुख्यालय ने सूचित किया है कि जांच अदालत से पता चला कि मेजर सुरेन्दर सिंह द्वारा अपने कमान अधिकारी के विरुद्ध लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। जांच अदालत ने पाया कि मेजर सुरेन्दर सिंह ने सियाचिन ग्लेशियर में तैनाती के दौरान झूठी रिपोर्ट देने के लिए अपने कमान अधिकारी द्वारा उन्हें चेतावनी दिए जाने के बाद उन पर आरोप लगाए थे। मेजर सुरेन्दर सिंह पर सियाचिन ग्लेशियर में, जब वे कंपनी के कमान अधिकारी थे, 24 अगस्त तथा 21 सितंबर, 2003 की फर्जी मुठभेड़ की वीडियो फिल्म बनाने का भी आरोप लगाया गया था।

फरवरी, 2004 को पूरी हुई जांच अदालत के निष्कर्षों तथा निदेशों के आधार पर मेजर सुरेन्द्र सिंह के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही शुरू की गई है।

उक्त फर्जी मुठभेड़ के आधार पर कोई वीरता पुरस्कार नहीं दिए गए हैं।

घटनाओं की गलत सूचना देने के इस प्रकार के किसी भी प्रयास का पता लगाने के लिए प्रणाली में रोकथाम संबंधी आवश्यक उपाय मौजूद हैं। गलत सूचना देने के इस प्रकार के प्रयासों की रोकथाम के लिए सभी स्तरों पर कमांडरों द्वारा संक्रियाओं की निगरानी की प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा रहा है।

पारादीप से हल्दिया तक पाइपलाइन परियोजना

1353. **श्री प्रबोध पाण्डा** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारादीप से हल्दिया तक पाइपलाइन परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी मिल गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस परियोजना के कब तक आरंभ और पूर्ण होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) पर्यावरण और वन मंत्रालय से 11.6.2004 को पारादीप-हल्दिया कच्चा तेल पाइपलाइन परियोजना के लिए पर्यावरणीय अनुमोदन प्राप्त हो गया है।

(ग) इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल ने 30.3.2004 को 24 महीने के पूर्णता कार्यक्रम के साथ परियोजना का अनुमोदन कर दिया है।

पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में वृद्धि

1354. **श्री कैलाश मेघवाल** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की तेल शोधनशालाओं और विपणन कंपनियों ने सरकार से पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में वृद्धि करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में वृद्धि होने के फलस्वरूप इसका लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) ओर (घ) वर्तमान उच्च अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल, डीजल और

घरेलू एलपीजी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी तेल के उपभोक्ता मूल्यों में वृद्धि करने का अनुरोध किया। तथापि, यदि उच्च अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों का पूरा प्रभाव पूर्णत: उपभोक्ताओं पर अंतरित कर दिया जाता, तो इससे उन पर बहुत भार पड़ता। इसलिए सरकार ने 16.6.2004 से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी पर उत्पाद शुल्क कम करते हुए भार वहन करने का निर्णय लिया। तेल विपणन कंपनियों ने भी 16.6.2004 से पेट्रोल, डीजल और घरेलू एलपीजी के घरेलू उपभोक्ता मूल्यों की वृद्धि में अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों का पूरा प्रभाव अंतरित न करते हुए उच्च अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों का भार वहन किया। इसके अलावा ओएमसीज ने पीडीएस मिट्टी तेल के बिक्री मूल्यों में वृद्धि नहीं की।

नेदुमबासरी में नया रेलवे स्टेशन स्थापित करना

1355. **श्री वरकला राधाकृष्णन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल सरकार से नेदुमबासरी में एक नया रेलवे स्टेशन स्थापित करने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) नेदुमबासरी में नया रेलवे स्टेशन स्थापित करने के संबंध में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। उसकी जांच की गई थी और उसे परिचालनिक रूप से व्यावहारिक और आर्थिक रूप से औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया था।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए योजनाएं

1356. **श्री पुन्नुलाल मोहले** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार मुहैया कराने के लिए सरकार द्वारा इस समय कई योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक राज्यों को राज्यवार, योजनावार कितना धन आबंटित किया गया;

(घ) उक्त धनराशि से राज्यवार, योजनावार, वर्षवार कितने बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराए गए और इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ङ) क्या ग्रामीण विकास की सभी योजनाओं में समन्वय न होने से लोगों को वांछित लाभ नहीं मिल रहा है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इन योजनाओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील) : (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य सरकारों के माध्यम से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले परिवारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) नामक एक स्वरोजगार योजना और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) नामक एक मजदूरी रोजगार योजना कार्यान्वित करता है।

(ग) और (घ) विगत तीन वर्षों—2001-02, 2002-03 और 2003-04 के दौरान इन योजनाओं की राज्यवार वित्तीय और वास्तविक प्रगति विवरण पर दी गई है। एस.जी.एस.वाई. और एस.जी.आर.वाई. की योजनाओं के अंतर्गत वास्तविक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं।

(ङ) जी, हां।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों पर दबाव डालता रहा है कि योजनाओं को और अधिक प्रभावी ढंग से तथा दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यान्वित किया जाए। योजनाओं के कार्यान्वयन को सुधारने तथा गरीबों तक योजना के लाभ को बेहतर ढंग से पहुंचाने के लिए एक व्यापक निगरानी प्रणाली बनाई गई है।

विवरण

वर्ष 2001-02 से 2004-05 के दौरान जे.जी.एस.वाई./एस.जी.आर.वाई.-I, ई.ए.एस./एस.जी.आर.वाई.-II और एस.जी.एस.वाई. के ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का केंद्रीय आबंटन

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	एस.जी.एस.वाई. (केंद्रीय आबंटन)				जे.जी.एस.वाई./एस.जी.आर.वाई.-I (केंद्रीय आबंटन)			जे.जी.एस.वाई./एस.जी.आर.वाई.-II (केंद्रीय आबंटन)			
		2001-2002	2002-2003	2003-2004	2004-2005	2001-2002	2002-2003	2003-2004	2001-2002	2002-2003	2003-2004	2004-2005*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	3068.31	3068.31	4238.88	5305.97	9921.52	9451.48	10945.80	9921.52	9525.83	11106.38	23487.18
2.	अरुणाचल प्रदेश	164.76	127.10	221.53	276.91	519.38	493.74	571.71	519.38	493.24	571.14	1246.98
3.	असम	4281.13	3302.59	5756.15	7195.18	13495.28	12810.39	14833.49	13495.28	12816.04	14840.03	32368.00
4.	बिहार	7300.00	7300.00	10084.97	12623.79	18730.78	18926.54	21918.95	18730.78	17400.97	20218.76	46512.14
5.	छत्तीसगढ़	1620.58	1620.58	2238.84	2802.45	4197.65	5334.11	6177.47	4197.65	3951.95	4591.90	13108.64
6.	गोवा	50.00	50.00	50.00	50.00	145.98	21.79	25.24	145.98	136.57	158.69	336.74
7.	गुजरात	1154.96	1154.96	1595.58	1997.27	3734.65	3557.65	4120.14	3734.65	4170.66	4846.03	10283.30
8.	हरियाणा	679.48	679.46	938.70	1175.03	2197.16	2093.09	2424.02	2197.16	2197.16	2552.95	5417.38
9.	हिमाचल प्रदेश	286.16	286.16	395.33	494.85	925.31	881.48	1020.85	925.31	925.31	1075.15	2281.48
10.	जम्मू-कश्मीर	354.16	354.16	489.27	612.44	1145.20	1090.95	1263.44	1145.20	1063.89	1236.17	2681.02
11.	झारखंड	2751.41	2751.41	3801.07	4757.98	13771.01	12035.69	13938.60	13771.01	12793.29	14864.95	31543.52
12.	कर्नाटक	2317.00	2317.00	3200.94	4006.76	7492.16	7137.20	8265.64	7492.16	6960.88	8088.08	17539.74
13.	केरल	1039.63	1039.63	1436.25	1797.82	3361.70	3202.48	3708.80	3361.70	3123.04	3628.76	7870.10
14.	मध्य प्रदेश	3474.22	3474.22	4799.65	6007.91	12276.64	10359.77	11997.72	12276.64	11481.31	13340.51	28308.64
15.	महाराष्ट्र	4580.15	4580.15	6327.50	7920.39	14810.16	14108.67	16339.34	14810.16	13894.00	16143.90	34672.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16.	मणिपुर	287.00	221.40	385.88	482.36	904.72	860.17	996.01	904.72	859.19	994.88	2172.42
17.	मेघालय	321.55	248.05	432.33	540.42	1013.81	963.63	1115.82	1013.61	962.59	1114.61	2433.74
18.	मिजोरम	74.41	57.40	100.04	125.06	234.54	222.99	258.21	234.54	222.74	257.92	563.18
19.	नागालैंड	220.57	170.16	296.58	370.70	695.29	660.99	765.38	695.29	660.30	764.58	1669.40
20.	उड़ीसा	3509.50	3509.50	4848.39	6068.84	11348.19	10810.67	12519.90	11348.19	10542.48	12249.66	26567.30
21.	पंजाब	330.22	330.22	456.20	571.05	1067.80	1017.22	1178.05	1067.80	2443.84	2839.58	6025.60
22.	राजस्थान	1759.38	1759.38	2430.60	3042.47	5689.04	5419.58	6276.45	5689.04	5291.01	6147.80	13318.66
23.	सिक्किम	82.38	63.55	110.76	138.45	259.69	246.88	285.87	259.69	246.62	285.57	623.52
24.	तमिलनाडु	2713.06	2713.06	3748.10	4691.65	8772.80	8357.28	9678.62	8772.80	8207.15	9536.15	20538.10
25.	त्रिपुरा	518.20	399.75	696.73	870.92	1633.50	1553.21	1798.50	1633.50	1551.28	1796.27	3922.76
26.	उत्तर प्रदेश	10509.37	10509.37	14518.73	18173.71	33540.13	31940.91	36990.97	33540.13	31302.41	36371.30	78495.06
27.	उत्तरांचल	552.30	552.30	763.00	955.10	2228.37	2133.31	2470.60	2228.37	2125.56	2469.75	5242.62
28.	पश्चिम बंगाल	3900.00	3902.11	5388.41	6744.42	12611.24	12013.90	13913.37	12611.24	11715.86	13613.04	29524.26
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	50.00	50.00	50.00	25.00	96.21	50.27	58.22	96.21	89.61	104.12	220.94
30.	दादरा व नागर हवेली	50.00	50.00	50.00	25.00	63.51	50.27	58.22	63.51	59.00	68.55	145.46
31.	दमन व दीव	50.00	50.00	50.00	25.00	30.77	1.68	1.95	30.77	28.59	33.22	70.50
32.	लक्षद्वीप	50.00	50.00	50.00	25.00	48.23	3.35	3.88	48.23	44.81	52.07	110.50
33.	पांडिचेरी	50.00	50.00	50.00	100.00	97.76	63.68	73.75	97.76	90.82	105.53	223.94
	कुल	58149.89	56792.00	80000.41	100000.00	187059.98	177875.02	205994.98	187059.98	177378.00	206030.00	449525.00

नोट : संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.-I और एस.जी.आर.वाई.-II) को एस.जी.आर.वाई. में मिला दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.14 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नीतीश जी, मैंने आपसे अनुरोध किया था। मैं विनम्रता से पुन: आपसे अनुरोध कर रहा हूं। मैं आपको बोलने का पूरा-पूरा अवसर दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (नालन्दा) : अध्यक्ष महोदय, मुझे पेपर्स लेड के बाद समय दिया जाये। क्योंकि जो बातें यहां रखी गई हैं, इतनी सब बातों के बाद, अगर आप मुझे अपनी स्थिति नहीं रखने देंगे तो यह मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। आप हमें फुल अपोर्चुनिटी दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : हम आपको पूरा समय देंगे। आप दो बजे आइये।

[अनुवाद]

मैं आपसे पुन: अनुरोध कर रहा हूं। आप मुझे अपनी बात लिख कर दे सकते हैं। नियम बहुत ही स्पष्ट हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : हमें इससे कोई मतलब नहीं कि हाउस न चले। हम चाहते हैं कि हाउस चले लेकिन हमें अपनी बात रखने का मौका मिले...*(व्यवधान)* हम तो चाहते हैं कि पूरी बात रखने का हमें मौका मिले...*(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य) : अध्यक्ष महोदय, सारे अखबारों में लिखा है कि ट्रेन पर हमला किया गया और ये आतंकवादियों को बचाना चाहते हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : महोदय, हम सरकारी आयोग के खिलाफ नहीं हैं अपितु हम इस तरीके के खिलाफ हैं जिस तरीके से मंत्री जी ने कल इस सभा में यह मामला उठाया था...*(व्यवधान)* आप कई आयोग बना सकते हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

श्री प्रणब मुखर्जी।

अपराह्न 12.01 बजे

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2004-2005 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 202/04]

(2) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2004-2005 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 203/04]

(3) मजगांव डॉक लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2004-2005 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 204/04]

(4) गार्डन रिच शिप-बिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2004-2005 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 205/04]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : महोदय, मैं अपने सहयोगी श्री लालू प्रसाद की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) रेल संरक्षण बल अधिनियम, 1957 की धारा 21 की उपधारा (3) के अंतर्गत रेल संरक्षण बल (संशोधन) नियम, 2004 जो 13 मई, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 312(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 206/04]

(2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2004-2005 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 207/04]

(दो) कॉकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2004-2005 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 208/04]

(तीन) 'इरकान' इंटरनेशनल लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2004-2005 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 209/04]

(चार) 'राइट्स' लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2004-2005 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 210/04]

(व्यवधान)

अपराह्न 12.02 बजे

(इस समय श्री श्रीचन्द कृपलानी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

(व्यवधान)

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : महोदय, मैं 2004-2005 के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गईं। देखिए संख्या एल.टी. 211/04]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2004-2005 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 212/04]

(दो) वामर लॉरी एण्ड कंपनी लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2004-2005 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 213/04]

(तीन) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2004-2005 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 214/04]

(चार) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2004-2005 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 215/04]

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 146(अ) जो 27 फरवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा यह निदेश दिया गया है कि इथेनाल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री के कार्यक्रम को आंध्र प्रदेश के चित्तौर और नेल्लोर जिलों, तमिलनाडु राज्य और पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र में अगले आदेशों तक स्थगित रखा जाए।

(दो) का.आ. 521(अ) जो 22 अप्रैल, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 1 जनवरी, 2004 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 46 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए है।

(तीन) का.आ. 522(अ) जो 23 अप्रैल, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा इथेनाल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री के कार्यक्रम को अधिसूचना में वर्णित तमिलनाडु राज्य के जिलों में चरणबद्ध तरीके से 14 अपैल, 2004 से 14 मई, 2004 तक क्रियान्वित करने का निदेश दिया गया है।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 216/04]

(3) वर्ष 2004-2005 के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 217/04]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड तथा भारी उद्योग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2004-2005 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 218/04]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी) संस्करण):-

(एक) भारत आप्थैल्मिक ग्लास लिमिटेड, दुर्गापुर के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारत आप्थैल्मिक ग्लास लिमिटेड, दुर्गापुर का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा पर उन नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 219/04]

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 220/04]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

(1) (एक) सेन्ट्रल वक्फ काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेन्ट्रल वक्फ काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उप पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेन्ट्रल वक्फ काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 221/04]

(व्यवधान)

अपराह्न 12.04 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य*

श्री अमरनाथजी यात्रा–2004

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम मद सं. 9–गृह मंत्री द्वारा वक्तव्य लेंगे। माननीय गृह मंत्री अपना वक्तव्य सभा पटल पर रख सकते हैं।

*सभा पटल पर रखा गया।

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील) : महोदय, मैं अपना वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं:-

श्री अमरनाथ जी वार्षिक यात्रा, जो एक महीने से अधिक अवधि की होती है, हर वर्ष भगवान शिव की मुबारक छड़ी, रक्षा बंधन के दिन पवित्र गुफा में पहुंचने पर पूरी होती है। तदनुसार, अमरनाथ यात्रा 2004, 1 अगस्त को प्रारम्भ होकर 30 अगस्त को रक्षा बंधन के दिन समाप्त होनी है।

यात्रा दो मार्गों, अर्थात् पहलगांव होकर पारंपरिक मार्ग से तथा बलताल होकर छोटे मार्ग से की जाती है। पहलगांव की ओर से तीर्थ यात्रियों को पवित्र गुफा तक पहुंचने के लिए 30 कि.मी. चलना पड़ता है तथा यह यात्रा 2-3 दिनों में पूरी हो जाती है। बलताल की ओर से पवित्र गुफा तक की दूरी 15 कि.मी. है तथा यात्री दोनों तरफ की यात्रा प्राय: उसी दिन पूरी कर लेते हैं।

यात्रा के लिए सुरक्षा प्रबंध जम्मू से ही प्रारम्भ हो जाते हैं जहां से तीर्थ यात्री मार्ग रक्षकों के साथ कान्वाय में भेजे जाते हैं। जम्मू से पहलगांव तथा जम्मू से बलताल तक आर.ओ.पी. तैनात रहती हैं। पहलगांव तथा बलताल में स्थित आधार शिवरों को पर्याप्त सुरक्षा संरक्षण प्रदान किया जाना होता है। पहलगांव से पवित्र गुफा तक तथा बलताल से पवित्र गुफा तक के बीच पूरे क्षेत्र में त्रि-स्तरीय सुरक्षा कवर प्रदान किया जाता है। बाहरी घेरा पूरे क्षेत्र की सुरक्षा करता है, बीच वाला घेरा मुख्य मार्ग और मुख्य मार्ग तक पहुंचने के पहुंच मार्गों की सुरक्षा करता है तथा अंदरूनी घेरा पवित्र गुफा तक के मार्ग पर स्थित विभिन्न शिविरों की सुरक्षा करता है।

यात्रा के पहले दिन से 7 से 10 दिन पहले से ही व्यापक सुरक्षा ग्रिड प्रारम्भ कर दिया जाता है तथा दर्शन के अंतिम दिन के बाद लगभग 5 दिनों तक रहता है जब यात्री जम्मू वापस पहुंच जाते हैं।

श्री अमरनाथजी गुफा तक का मार्ग कठिन भू-भाग से गुजरता है तथा वहां अत्यधिक प्रतिकूल मौसम परिस्थितियां हो सकती हैं। वर्ष 1996 में, बर्फबारी तथा हिम-स्खलन के कारण बड़े पैमाने पर जान और माल की क्षति हुई थी जिसके बाद, सरकार ने घटनाओं की जांच करने के लिए नितिश सेन गुप्ता आयोग स्थापित किया था। नितिश सेन गुप्ता आयोग ने 30 दिन की यात्रा के लिए बरास्ता बलताल मार्ग से 700 यात्रियों सहित 3500 यात्री प्रतिदिन की सीमा निर्धारित करने की सिफारिश की थी।

अमरनाथ यात्रा 2000, 2001 और 2002 के दौरान अनेक हिंसक घटनाएं हुई हैं। 1 अगस्त, 2000 को पहलगांव में आतंकवादी घटनाओं,

[श्री शिवराज वि. पाटील]

जब 21 यात्री, 8 सिविलियन तथा 2 पुलिस कार्मिक मारे गए थे, के बाद ले. जन. जे.आर. मुखर्जी, जनरल ऑफिसर कमांडिंग, 15 कोर की अध्यक्षता में एक समिति ने घटना की जांच की तथा सिफारिश की कि वर्तमान सुरक्षा माहौल तथा राज्य में सुरक्षा बलों की वचनबद्धता को दृष्टिगत रखते हुए यात्रा की अवधि को एक माह तक सीमित रखा जाए। समिति का यह मत था कि सामान्य स्थिति बहाल होने पर यात्रा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। समिति ने यह भी सिफारिश की कि यात्रियों की संख्या कड़ाई से नियंत्रित की जाए तथा उसे प्रशासनिक और सुरक्षा ढांचे की क्षमताओं के अनुरूप सीमित रखा जाए। जबकि डा. नितिश सेन गुप्ता आयोग ने दक्षिणी पहलगांव मार्ग के लिए 2800 यात्रियों तथा उत्तरी बलताल मार्ग के लिए 700 यात्रियों की सिफारिश की थी, मौजूदा समिति ने क्रमश: 3000 तथा 2000 यात्रियों की सिफारिश की है बशर्ते की पर्याप्त अवसरंचनात्मक व्यवस्था कर ली जाए अर्थात् मार्ग को उपयुक्त रूप से चौड़ा कर दिया जाए और सुदृढ़ बना दिया जाए। तब तक यह आवश्यक होगा कि यात्रियों की संख्या, डॉ. सेन गुप्ता समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के अनुसार सीमित रखी जाए।

जब से राज्य में आतंकवाद प्रारम्भ हुआ है, यात्रा के लिए सुरक्षा और प्रशासनिक प्रबंध करने के लिए अतिरिक्त संसाधन लगाए गए। सुरक्षा विद्रोह रोधी ग्रिड से मानव बल लेकर तथा उसी के साथ मार्ग में और प्रत्येक शिविर में बड़ी संख्या में जम्मू और कश्मीर पुलिस के अधिकारियों और कार्मिकों को तैनात करके यात्रा की सुरक्षा को सुदृढ़ किया जाता है। विशेष रूप से अनन्तनाग और श्रीनगर का जिला प्रशासन यात्रा के लिए प्रबंध करने में पूरी तरह जुट जाता है।

आतंकवादी हिंसा, जिसमें लोक सभा चुनावों के बाद तेजी से वृद्धि हुई है, और इसमें चुनावों के पश्चात भी कोई कमी नहीं आई है इसलिए यात्रा के प्रारम्भ होने से पहले आतंकवादी-विरोधी अभियानों की बहुत जरूरत है।

श्री अमरनाथ तीर्थ-स्थान बोर्ड और कुछ सामाजिक तथा राजनीतिक संगठनों ने यात्रा की अवधि को दो माह तक बढ़ाने का सुझाव दिया है। लेकिन उपरिलिखित सुरक्षा परिदृश्य और सुरक्षा बलों की वचनबद्धता को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने यात्रा की अवधि को बढ़ाना व्यवहार्य नहीं माना है। इसलिए यात्रा का शुभारम्भ पुरानी परंपरा के अनुसार अर्थात रक्षा बंधन से एक माह पहले, करने का निर्णय लिया गया। तथापि, उपर्युक्त संगठनों द्वारा की गई मांग पर विचार करते हुए राज्य सरकार ने 20 जुलाई से शुरू करके यात्रा कि अवधि 10 दिन तक बढ़ाने का निर्णय लिया। तथापि, महामहिम राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री के बीच हुई बैठक के पश्चात यह निर्णय लिया गया है कि बलताल मार्ग से यात्रियों के पहले दल के साथ यात्रा 15 जुलाई को शुरू होगी और यह दल 16 जुलाई को पवित्र गुफा में पहुंचेगा तथा पहलगांव की ओर से यात्रा 17 जुलाई को शुरू होगी।

यात्रा के लिए पंजीकरण देशभर में जम्मू और कश्मीर बैंक की विभिन्न शाखाओं में शुरू हो गया है। 6 जुलाई तक, इस तीर्थ यात्रा हेतु 61000 यात्रियों ने अपना पंजीकरण करवा लिया था।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 222/04]

अपराह्न 12.04 बजे

[अनुवाद]

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य)— 2001-2002

अध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 11 पर विचार करेंगे—श्री पी. चिदम्बरम।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : महोदय, मैं वर्ष 2001-2002 के बजट (सामान्य) के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 223/04]

(व्यवधान)

अपराह्न 12.05 बजे

[अनुवाद]

नियम 377 के अधीन मामले*

अध्यक्ष महोदय : आज के लिए सूचीबद्ध नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा गया समझा जाएगा।

---

*सभा पटल पर रखे माने गए।

(एक) आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के जल के प्रभावी उपयोग हेतु योजनाओं को वित्त पोषित किये जाने की आवश्यकता

श्री एम.एम. पल्लम राजू (काकीनाड़ा) : महोदय, गोदावरी नदी एक बारहमासी नदी है और यह आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी तथा पश्चिमी गोदावरी जिलों से गुजरती हुई समुद्र में मिलती है। नदी का काफी जल समुद्र में चला जाता है जिसका कृषि, पेयजल तथा औद्योगिक उपयोग हेतु बेहतर उपयोग किया जा सकता है।

चूंकि गोदावरी गहरी नदी नहीं है इसलिए उपर्युक्त उद्देश्यों के लिए ''वाटर लिफ्टिंग और पंपिंग'' योजनाओं के माध्यम से नदी जल के उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु कदम उठाए जाने चाहिए। राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. ने ए.पी.आई.आई.सी. के वित्त पोषण से विशाखापत्तनम में अपने इस्पात संयंत्र के लिए पाइपलाइन बिछाने के लिए कदम उठाकर इसकी शुरूआत कर दी है। ऐसी योजनाओं को भारत सरकार द्वारा समर्थन दिया जाना चाहिए। नगर निगमों, औद्योगिक और कृषिक संगठनों को पंपिंग योजनाओं के लिए अधिक धनराशि उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि इस बारहमासी जलस्रोत का और प्रभावी उपयोग किया जा सके।

[हिन्दी]

(दो) हैदराबाद को 'ए' श्रेणी के नगर के रूप में वर्गीकृत किये जाने की आवश्यकता

श्री एम. अंजनकुमार यादव (सिकन्दराबाद) : अध्यक्ष महोदय, सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हैदराबाद की जनसंख्या 70 लाख के करीब है। नियमों के अनुसार जिन शहरों की आबादी 50 लाख से अधिक है, उन्हें ''ए'' क्लास सिटी घोषित किया जाता है, परन्तु कई सालों की मांग के बाद भी अभी तक हैदराबाद सिटी को ''ए'' क्लास सिटी घोषित नहीं किया गया, जिसके कारण हैदराबाद में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों को भत्ता संबंधी लाभ नहीं मिल पा रहा है एवं शहर की समस्या के समाधान हेतु आवश्यक फंड की व्यवस्था भी नहीं हो पा रही है।

सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि हैदराबाद शहर को ''ए'' क्लास सिटी घोषित किया जाये।

[अनुवाद]

(तीन) तमिलनाडु की नोय्यल नदी में औद्योगिक अवशिष्ट छोड़े जाने से होने वाले प्रदूषण को रोके जाने की आवश्यकता

श्री एस.के. खादरवेलनथन (पलानी) : महोदय, तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय ने इस बात की पुष्टि की है कि मेरे पिलानी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के कंगायम तालूक के ओराथुयालम जलाशय का पानी दूषित हो गया है और उन्होंने सुझाव दिया कि नोय्यल नदी में अंधाधुंध छोड़े जाने वाले अवशिष्टों तथा नगर-निगम के कचरे को नदी में डालना बंद किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय ने जलाशय से जल के नमूने इकट्ठे किए और यह पाया कि इसमें कुल घुले नमक की मात्रा बहुत अधिक थी। यह अनुमेय सीमा 2100 मि.ग्रा. प्रति लीटर की तुलना में 6003 मि.ग्रा. प्रति लीटर थी जब कि जल में सीसा का सांद्रण अनुमेय सीमा 0.1 मि.ग्रा. प्रति लीटर की तुलना में 2.7 कि.ग्रा. प्रति लीटर था। जलाशय के जल के इस प्रदूषण का कारण औद्योगिक अवशिष्ट और कचरे को भारी मात्रा में इसमें छोड़ा जाना है। प्रदूषण के इस उच्च स्तर का भू-जल की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तथा जल में नमक की अधिकता फसल की उपज को बुरी तरह बाधित करेगी। वस्तुत: पूर्व के एक अध्ययन में यह दर्शाया गया था कि मछलियों के नमूने में खतरनाक स्तर तक सीसा और कैडमियम की मात्रा पाई गई।

पर्यावरण और वन मंत्री को भी यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि नाय्यल नदी में कोई अवशिष्ट न छोड़ा जाए। मेरी मांग है कि मानव जीवन तथा मत्स्यपालन की संरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाए जाए। नदी से गाद निकालने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाए।

(चार) सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से पुन: 58 वर्ष करने तथा सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी के आश्रितों में से एक व्यक्ति को रोजगार दिए जाने की आवश्यकता

श्रीमती कृष्णा तीरथ (करोल बाग) : महोदय, मैं पिछली सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने के निर्णय का उल्लेख करना चाहती हूं।

यह निर्णय अपरिहार्य रूप से बेरोजगार युवकों के हितों के विरुद्ध गया है जिनकी संख्या वर्ष-दर-वर्ष करोड़ों में बढ़ रही है। इससे युवाओं हेतु रोजगार के अवसर कम हुए है। साथ ही साथ, सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को भरने पर प्रतिबंध लगा दिया है। विभिन्न सेवा क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं के निजीकरण को प्रोत्साहन देने से यह स्थिति और बदतर हुई है क्योंकि निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में कुल मिलाकर रोजगार सुरक्षा नहीं के बराबर है।

[श्रीमती कृष्णा तीरथ]

मैं सरकार से सेवानिवृत्ति की आयु को 60 वर्ष से पुन: 58 वर्ष करने तथा इस प्रकार से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को यह आश्वासन दिए जाने का अनुरोध करती हूं कि उनके कम से कम एक आश्रित को उसकी योग्यता और क्षमता के मुताबिक सरकारी नौकरी दी जाएगी। इससे एक ओर जहां युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे वही दूसरी ओर सेवानिवृत्ति के बाद बुजुर्ग लोगों को शांति और सुरक्षा मिलेगी।

यहां यह उल्लेखनीय है कि कुछ राज्य सरकारों ने पहले ही सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष कर दी है।

[हिन्दी]

(पांच) महाराष्ट्र के भंडारा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के बपेरा गांव में वैनगंगा नदी में आयी बाढ़ के कारण विस्थापित हुए लोगों को ग्रामीण विकास परियोजना के अंतर्गत आवास उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता

श्री शिशुपाल एन. पाटले (भन्डारा) : अध्यक्ष महोदय, भन्डारा क्षेत्र का बपेरा गांव वैनगंगा नदी के किनारे स्थित है, 25 साल पहले नदी का पात्र (मुहाना) बदलने से गांव के किसानों की हजारों हैक्टेयर भूमि जो कि कृषि योग्य थी, नदी में विलीन हो गयी, जिससे काफी संख्या में किसान भूमिहीन हो गए हैं। आज भी यहां यही हालात हैं। नदी में बाढ़ के समय यहां के गांवों को हटाया जाता है, जिससे गांवों के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस परेशानी को दूर करने के लिए इनके लिए पक्की जमीन दी जाये और साथ में ग्रामीण विकास योजना के तहत मकान उपलब्ध कराये जायें।

(छह) महाराष्ट्र के शोलापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में टैक्सटाईल पार्क स्थापित करने तथा बंद कपड़ा मिलों को पुन: शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख (शोलापुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र शोलापुर, महाराष्ट्र कपड़े के उत्पादन में देश में प्रमुख स्थान रखता है। यहां पर कपड़े की छोटी-बड़ी अनेक मिलें हैं, उनमें से यसवंत सूत मिल और शोलापुर सूत मिल बंद हो गयी है और अन्य सूत की मिलों की स्थिति भी ठीक नहीं है। उपरोक्त दोनों मिलों के बंद होने एवं अन्य सूत मिलों की स्थिति ठीक न होने के कारण क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है और बंद मिलों के कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गयी है, उनके सामने भूखों मरने की समस्या आ गयी है।

अत: मैं आपके माध्यम से वस्त्र मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि शोलापुर की बंद सूत मिलों को चालू करवाने का कष्ट करें और यहां पर टैक्सटाइल पार्क बनाने हेतु आवश्यक कार्यवाही के आदेश पारित करने का कष्ट करें।

(सात) मध्य प्रदेश में सिवनी में आकाशवाणी केन्द्र स्थापित किये जाने की आवश्यकता

श्रीमती नीता पटैरिया (सिवनी) : अध्यक्ष महोदय, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश जो कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, वहां की अलग संस्कृति है एवं कला है, लेकिन ग्रामीण आदिवासी कलाकारों की प्रतिभा उचित मंच न मिलने के कारण उभर नहीं पाती है। न ही उस कला से अन्य क्षेत्र के लोग परिचित हो पाते हैं। अत: सिवनी, जिला सिवनी में आकाशवाणी केन्द्र स्थापित किया जाये ताकि कलाकारों को अपनी प्रतिभा अन्य क्षेत्रों तक पहुंचाने में मदद मिल सके तथा ग्रामीण क्षेत्र में छुपी प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने का मौका मिल सके।

(आठ) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के विकास के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किए जाने की आवश्यकता

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : अध्यक्ष महोदय, देश में ग्रामीण सड़क निर्माण की समयावधि सुनिश्चित कर प्रत्येक वर्ष लक्ष्य की समीक्षा की जाये। सड़कों की गुणवत्ता तथा लागत राशि की समीक्षा को जिला स्तर पर जन-प्रतिनिधियों की भागीदारी से किया जाये। सड़क निर्माण में दूरस्थ ग्रामों तथा दुर्गम मार्गों को जनसंख्या प्रतिबंध से मुक्त कर प्राथमिकता दी जाये।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना को गांवों की अच्छी सड़क बनाने तथा इसके उपयोग हेतु ली गयी निजी जमीन का मुआवजा देने के प्रावधान किये जायें। सभी ग्रामीण सड़कों का निर्माण चरणबद्ध रूप में 5 वर्षों में पूरा किया जाये।

(नौ) मदुरै-डिन्डीगुल रेल लाइन के दोहरीकरण कार्य में तेजी लाने के लिए 96 करोड़ रुपए आबंटित किए जाने की आवश्यकता

श्री पी. मोहन (मदुरै) : महोदय, मैं रेल मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि मदुरै-डिन्डीगुल रेल लाइन के

दोहरीकरण कार्य को पूरा करने में समय लग रहा है। इस परियोजना हेतु 96 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे। अब, वर्तमान वर्ष 2004-2005 में 3.22 करोड़ रुपए की अल्प राशि आबंटित की गई है। इतनी थोड़ी सी धनराशि से, दोहरीकरण परियोजना में ज्यादा समय लग सकता है। मदुरै के पश्चिम हिस्से और उत्तर हिस्से को जोड़ने में यह परियोजना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। एकल-रेल मार्ग प्रणाली की वजह से चेन्नई से दक्षिण तमिलनाडु के लिए और अधिक संख्या में रेलगाड़ियों को चलाने और आरंभ करने में बाधा आ रही है। अतएव, यह परियोजना माल के साथ-साथ यात्रियों की संख्या के मद्देनजर काफी महत्व रखती है। इसलिए, मैं सरकार से इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने हेतु 96 करोड़ रुपए की समस्त धनराशि को आबंटित करने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

(दस) उत्तरांचल में हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता

श्री राजेन्द्र कुमार (हरिद्वार) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपका ध्यान हरिद्वार की पावन धरती की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जैसा कि सभी जानते हैं कि हरिद्वार में हजारों/लाखों श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि हो रही है, किन्तु पिछले 50 सालों में आज तक हरिद्वार रेलवे स्टेशन के उचित विकास की ओर किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। यहां की स्थिति अत्यंत दयनीय है। यहां पर रेलवे सफाई कर्मचारियों की संख्या बहुत ही कम है और मुख्य सुविधाओं की भी कमी है।

अत: मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि देश के इस पावन स्थान का पर्यटन की दृष्टि से इसके समुचित विकास पर विशेष ध्यान देकर इसकी कमियों को दूर किया जाये और हरिद्वार स्टेशन सहित रुड़की और लक्सर स्टेशन का भी आधुनिकीकरण किया जाये तथा इसके विकास के लिए अलग से अनुदान राशि जारी की जाये।

(ग्यारह) बिहार के गोपालगंज में हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण किये जाने की आवश्यकता

श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव (गोपालगंज) : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले हथुवा हवाई अड्डे की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। यह हवाई अड्डा गोपालगंज, बिहार में स्थित है, जो कई सालों से बंद पड़ा है और इस पर अनधिकृत रूप से लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। यह हवाई अड्डा नेपाल सीमा के समीप है। अत: यह देश की सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है।

अत: अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि इस हवाई अड्डे के आसपास की जमीन का अधिग्रहण करके इसका आधुनिकीकरण किया जाये, जिससे इस क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को रोजगार के साधन उपलब्ध हो सके और साथ ही देश की सीमा भी सुरक्षित रहे।

(बारह) उत्तर प्रदेश के खलीलाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नदियों के कारण होने वाले भूमि कटाव को रोकने के लिए उपचारात्मक कदम उठाये जाने की आवश्यकता

श्री भाल चन्द्र यादव (खलीलाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र खलीलाबाद, उ.प्र. में छोटी-बड़ी कुल सात नदिया प्रवाहित होती हैं। इनमें राप्ती, सरयू एवं कुआनो तीन प्रमुख नदियां हैं। इन नदियों में बरसात के मौसम में प्राय: बाढ़ आती रहती है। बाढ़ से जन धन की सुरक्षा के लिए बांध बनाये गये हैं। राप्ती, कुआनो एवं सरयू नदी पर बनाये गये बांध बहुत कम ऊंचाई के बनाये गये हैं। बाढ़ के समय नदी का जलस्तर बढ़ने पर पानी बांधों के ऊपर से होकर पूरे इलाके में फैल जाता है। बांध के ऊपर से पानी बहने से बांध टूट जाते हैं। मेरे जनपद संत कबीर नगर, उ.प्र. में नदियों पर बने बांध मात्र बलुई मिट्टी बरसात के पानी के साथ बहने लगती है और जगह-जगह बांध कट जाता है। राप्ती नदी मेरे क्षेत्र में नवगो, बेलौली, घूरापाली एवं सरयू नदी खड़गपुर में तथा कुआनो नदी की धारा गोपालपुर, मठिया, गुरहवा आदि स्थानों पर बांध की कटान कर रही है, जिससे बांध नदी की धारा में विलीन होने के कगार पर है।

अत: भारत सरकार से अनुरोध है कि मेरे जनपद के सभी बांधों पर पत्थर लगाने तथा कटान पर ठोकर लगवाने की व्यवस्था करायें। जिससे बांधों की कटान को रोका जा सके। सभी बांधों को कम से कम एक मीटर ऊंचा कराया जाये, जिससे नदी का जलस्तर बढ़ने पर पानी बांध के ऊपर से होकर न बहने पाये।

(तेरह) बिहार में महाराजगंज-मशरख रेल लाइन के लिए धनराशि जारी किये जाने तथा इस रेल लाइन का विस्तार परमानंदपुर तक किये जाने की आवश्यकता

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, महाराजगंज-मशरख रेल लाइन की स्वीकृति तत्कालीन रेल मंत्री जी

[श्री प्रभुनाथ सिंह]

द्वारा कर दी गयी थी। उक्त रेल लाइन का शिलान्यास भी रेल मंत्री द्वारा करा दिया गया था, परन्तु कार्य अभी आरंभ नहीं हुआ है।

स्थानीय जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस रेल लाइन का विस्तार कर मशरख से तरैया-अमनौर-मेल्दी-दरियापुर-शीतलपुर-परमानन्दपुर से जोड़ा जाये तो उस क्षेत्र के यात्रियों को काफी सुविधा होगी।

मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि पूर्व से स्वीकृत महाराजगंज-मशरख रेल लाइन का कार्य शीघ्र प्रारम्भ करने हेतु राशि मुक्त किया जाये तथा मशरख से परमानन्दपुर तक नई रेल लाइन के विस्तार हेतु सर्वेक्षण करा कर कार्य प्रारंभ कराया जाये।

[अनुवाद]

(चौदह) तमिलनाडु के चिदम्बरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के गांवों में स्वच्छ पेयजल तथा सड़क सम्पर्क जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एक समुचित योजना बनाये जाने की आवश्यकता

श्री ई. पोन्नुस्वामी (चिदम्बरम) : महोदय, तमिलनाडु के मेरे क्षेत्र में 1312 गांव हैं जहां सड़क और पेयजल की नितांत आवश्यकता है। ये गांव किसी भी नजदीकी शहर से सड़क से समुचित रूप से नहीं जुड़े हैं। वहां के लोगों को किसी नजदीक शहर में जाने के लिए बस या अन्य वाहन पकड़ने हेतु दो किलोमीटर से अधिक पैदल चलना पड़ता है। जैसा कि आपको जानकारी है कि यहां अधिकतर ग्रामीण या तो कृषि श्रमिक हैं या कृषक हैं और उन्हें जल, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जानी चाहिए। जल ही जीवन का अमृत है। लेकिन उन्हें पेयजल हेतु दो या तीन किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। उनके पशु पानी की अनुपलब्धता के कारण मर रहे हैं। यदि यही स्थिति बनी रही तो हमें आजादी के 56 वर्ष बाद भी क्या मिला। हमें ऐसी योजना तैयार करनी होगी जिससे कि हम प्रत्येक गांव में पेयजल और सड़क सुविधा मुहैया करा सकें। अच्छी सड़कें और पेयजल मुहैया कराने और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने जो कि गांवों में उनके अस्तित्व के लिए जरूरी है, के लिए, मेरे चुनाव क्षेत्र को 3000 करोड़ रुपये आवंटित किए जाने चाहिए।

(पन्द्रह) असम में लोहित तथा खबोली नदियों पर पुलों के निर्माण तथा एन.एल.के. लिंक रोड को सुदृढ़ करने की सुनियोजित परयोजनाओं को पूरा करने हेतु पर्याप्त धनराशि आवंटित किये जाने की आवश्यकता

डा. अरुण कुमार शर्मा (लखीमपुर) : महोदय, मैं सरकार का ध्यान दो प्रमुख योजनाओं नामत: एन.एल.के. लिंक रोड के सुदृढ़ीकरण तथा लोहित और खबोली नदी पर पुल निर्माण और असम में लखीमपुर कालेज ऑफ वेटेरीनरी साइंस के उन्नयन के संबंध में आकृष्ट करना चाहता हूं। इन दो पुलों और सड़क से असम होते हुए नागालैण्ड और अरुणाचल में अन्तर्राज्यीय सम्पर्क सुनिश्चित होगा और डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय, असम मेडिकल कॉलेज, असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट इंजीनियरिंग कालेज, अरुणाचल विश्वविद्यालय, और नेरिस्ट से आने-जाने के लिए विद्यार्थियों को सुविधा होगी। पूर्वोत्तर परिषद की ये दो योजनाएं नौवीं योजना में कम/अपर्याप्त धनराशि आवंटन और डी.पी.आर. के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब के कारण अधूरी रहीं। अब दसवीं योजनावधि के दौरान इनके लिए पर्याप्त धनराशि का आवंटन करके राष्ट्रहित में इन्हें शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए।

मैं, सरकार से विशेषकर उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय तथा योजना आयोग से अनुरोध करता हूं कि वे यह सुनिचित करें कि इन परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा के भीतर शीघ्र पूरा किया जाए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : स्लोगन मत दीजिये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री मदन लाल शर्मा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री मोहन रावले।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री शैलेन्द्र कुमार।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : केवल श्री शैलेन्द्र कुमार का भाषण कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे आदेश नहीं दे सकते। कृपया, आदेश देने का प्रयास न करें। मैं स्वयं इस बात से सहमत हुआ हूं कि मैं माननीय सदस्य श्री नीतीश कुमार को पूरा अवसर दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया, मेरी बात सुनें। आप सभी वरिष्ठ सदस्य हैं। आप यहां आ रहे हैं और इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि आप मुझे आदेश देना चाहते हों। आप ऐसा कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा, आप मेरी बात सुनना नहीं चाहते हैं।

हां, श्री शैलेन्द्र कुमार आप अपनी बात कहें।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2004-2005 के बजट में मुस्लिमों की तरफ कोई तवज्जह नहीं दी गई है।...*(व्यवधान)* बजट में अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए केवल 50 करोड़ रुपये रखे गए हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? आपका भाषण कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा। आप बोल सकते हैं। क्या आप बोलना नहीं चाहते हैं? अब, योगी आदित्य नाथ बोलेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री पवन कुमार बंसल।

(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : श्री निखिल कुमार चौधरी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री हेमलाल मुर्मू।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार : कांग्रेस ने कर्नाटक की तर्ज पर मुस्लिमों के लिए आरक्षण तथा विशेष शैक्षिण प्रबंध का वायदा किया था। ...*(व्यवधान)* लेकिन बजट में मुस्लिमों की उपेक्षा करके कांग्रेस ने अपना असली चेहरा दिखा दिया है, ...*(व्यवधान)* क्योंकि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में किये गये वायदे को पूरा नहीं कर पाई।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हमने कहा कि हम दो बजे बोलने का चांस देंगे। उन्हें अपनी बात कहने दीजिए। मैं अपराह्न दो बजे आपको बोलने का पूरा अवसर दूंगा।

(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़) : अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट के बैस्ट बेकरी के फैसले से यह सिद्ध हो गया है कि गुजरात में कानून-व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई गईं।...*(व्यवधान)* ये लोग जो यहां शोर कर रहे हैं और हाउस को चलने नहीं दे रहे हैं, इनके साथियों ने वहां मौत का नंगा नाच किया।...*(व्यवधान)* ऐसा लगता है कि वहां दरिंदे बसते हैं और जिन लोगों की शर्मनाक ढंग से वहां हत्याएं हुईं, आज भी उनके द्वारा वहां इंसाफ प्राप्त करने के रास्ते में मुश्किलें डाली जा रही हैं।...*(व्यवधान)* यहां तक कि इन्होंने अपनी स्टेट मशीनरी को इस घिनौने काम पर लगाया। गुजरात इस देश का एक हिस्सा जरूर है, लेकिन इन लोगों के कारनामों के कारण गुजरात को बदनामी मिली...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हमने कहा है कि रूल्स फॉलो कीजिए, हम दो बजे चांस देंगे। हमने कहा है कि दो बजे चांस देंगे तो देंगे। हमने कब इन्कार किया है। आप रूल्स फॉलो कीजिए। आप अभी स्टेटमैन्ट दे दीजिए, हम आपको दो बजे चांस देंगे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने स्वयं आपको पूरा अवसर देने का वादा किया है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे नहीं मालूम। जब मैंने

सहमति दे दी है तो आप सदस्य को बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं। आपकी नारे लगाने में ज्यादा रुचि है।

[हिन्दी]

हम जीरो ऑवर में मैम्बर्स को बुलाते हैं, लेकिन आप सुनते नहीं हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री मोहन रावले को बुलाया है। मैंने योगी आदित्यनाथ को बुलाया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे सिखाइये मत। मैंने कई बार अनुरोध किया है। मैं आपसे विनती कर रहा हूं। मैंनें नेताओं से भी अनुरोध किया है। मैं उन्हें पूरा अवसर दूंगा। उन्हें अपनी बात कहने दीजिए। उनका कहना है कि अब मैं अपनी बात नहीं कहूंगा।

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल : भारत एक महान देश है, जिसमें अनेकता एवं विभिन्नताओं में हमेशा एकता की बात हुई है।...*(व्यवधान)* लेकिन आज ये लोग हमारी उस विरासत को बिगाड़ देना चाहते हैं। आज देश को एक होकर ऐसी ताकतों का मुकाबला करने की जरूरत है। ...*(व्यवधान)* ताकि देश का नाम ऊंचा रहे और हमारी परम्पराओं की धज्जियां न उड़ाई जाएं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको रूल्स पढ़कर बता दिया। यह क्या बात है। दो बजे आप उन्हें बोलने दीजिए। अभी जीरी आवर चल रहा है। आप अपनी सीट पर जाइये, आपको यहां से बोलने का मौका नहीं देंगे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वह नियमों का पालन किए बिना व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहते हैं। मैं उन्हें 'शून्य काल' के दौरान अवसर नहीं दूंगा। आज सुबह मैंने स्वयं कहा है कि मैं पूरा अवसर दूंगा। ऐसा आचरण सही नहीं है।

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल : इसमें जो लोग मानवता के खिलाफ दोषी हैं, ऐसे अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप सभा की कार्यवाही नहीं चलने देना चाहते। अब सभा अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.07 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.00 बजे

[अनुवाद]

लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों हमें मद संख्या 13 और 14 पर चर्चा करनी है। कृपया सहयोग कीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (नालन्दा) **:** अध्यक्ष जी, मेरे ऊपर जो आक्षेप लगाए गए हैं, उनके संबंध में मुझे अपनी बात रखने की अनुमति दी जाए। मैंने आपसे इजाजत मांगी है और उसके लिए हम चाहते हैं कि आप इजाजत दें।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने लिखकर स्टेटमैंट दिया है?

श्री नीतीश कुमार : हम अभी बोलना चाहते हैं। मैं बोलने के लिए तैयार हूं।

अधक्ष महोदय : आप लिखकर दीजिए।

(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : कल जो कहा गया है, उसके एक-एक पांइंट के बारे में मैं कहना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दीजिए।

श्री नीतीश कुमार : लिखकर नहीं, हम अभी यहां मौखिक रूप से कहना चाहते हैं। उन्होंने जो स्टेटमैंट दिया है, हमें उसका जवाब देने का अवसर मिलना चाहिए, हमें न्याय मिलना चाहिए। हमें आपसे न्याय की उम्मीद है। आप मुझे बोलने के लिए अवसर प्रदान करें। मैंने आपको इस संबंध में लिखकर दिया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप सभी बैठिये।

अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या मैंने किसी से सलाह मांगी है? मुझे नियमों की जानकारी है। कृपया आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपकी अध्यक्षपीठ को परेशान करने की आदत है। कृपया आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

डा. अरुण कुमार शर्मा (लखीमपुर) : महोदय, लगभग पूरा असम राज्य जलमग्न है। पूरे राज्य में बाढ़ आई हुई है...*(व्यवधान)* माननीय प्रधान मंत्री ने अभी तक असम का दौरा नहीं किया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है...*(व्यवधान)* असम के लोग कष्ट झेल रहे हैं लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है...*(व्यवधान)*।

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : महोदय, श्री नीतीश कुमार को अपनी बात कहने का अवसर नहीं दिया गया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह किसने कहा है?

(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक : महोदय, उनके विरुद्ध आरोप लगाए गए हैं और उन्हें अवसर दिया जाना चाहिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री हरिन पाठक, कृपया नियम देख लें। आपको नियमों की जानकारी होनी चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें अवसर देने का वायदा किया है। कृपया आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री सर्वानन्द सोनोवाल (डिब्रुगढ़) : महोदय, असम में बहुत बड़ी त्रासदी हुई है। बहुत से लोग बाढ़ के कारण कष्ट झेल रहे हैं...*(व्यवधान)*।

अध्यक्ष महोदय : श्री सोनोवाल, आपको संसद में व्यवहार करना सीखना चाहिए। आप पहली बार लोक सभा के सदस्य बने हैं। कृपया आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री सर्वानन्द सोनोवाल : यह पूरे असम के लोगों को प्रभावित करने वाली अति गंभीर समस्या है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या आप संसद में इसी प्रकार व्यवहार करेंगे? आपने मुझसे अनुमति नहीं ली है। सबसे पहले आपका बैठना जरूरी है। मुझे ऐसी कार्रवाई करने के लिए मजबूर मत कीजिए जो आपको अच्छी न लगे। यह बहुत ही अजीब बात है कि नये मंत्री भी इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। भ्रद तरीके से व्यवहार करने का प्रयास कीजिए। मुझे यह कहते हुए बहुत दु:ख हो रहा है। बुरे उदाहरणों का अनुपालन न करें...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : बुरे उदाहरण सत्ता में बैठे लोगों द्वारा दिये जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मल्होत्रा जी, सभी में मैं भी शामिल हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पूर्वाह्न 11 बजे भी मैंने अनुरोध किया था। मैंने श्री नीतीश कुमार को सुझाव दिया था कि मैं उन्हें बोलने का पूरा समय दूंगा। नियम बहुत स्पष्ट है। मैंने उनसे अपनी बात लिखित रूप में देने को कहा था। यदि वे इसे पढ़ नहीं भी सकते हैं तो मैं उन्हें इसे सभा पटल पर रखने की अनुमति दे दूंगा। मैंने उन्हें भरपूर समय देने का वायदा किया था। फिर भी वे अड़े हुए हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे नियमों के अनुसार सूचना नहीं देंगे। मैं नेतागण के समक्ष नियम पढ़ता हूं। हर कोई नियम जानता है। मैं हाथ जोड़कर आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि कृपया सूचना दें। मैं आपको पूरा समय देने के लिए तैयार हूं। कृपया नियमों का पालन करें। आप मुझे पहले से ही सूचना दे सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : महोदय, मुझे अफसोस है कि जब आप खड़े हैं तो मैं भी खड़ा हो गया हूं। मैंने सूचना दी है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपका वक्तव्य कहां है?

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : सदन में कोई किसी पर आरोप लगाए क्या उसे सफाई देने का मौका भी नहीं मिलेगा? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री हरिन पाठक : महोदय, यदि उन्होंने सूचना दी है तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप उन्हें अपना वक्तव्य देने की अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय : आप उतेजित क्यों हैं? मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरी) : अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से गोधरा कांड के बारे में कल यहां बयान दिया गया है, वह बहुत आपत्तिजनक है। मुझे लगता है कि गोधरा के इश्यू को लेकर सरकार ही देश में दंगे कराना चाहती है। यह देश का दुर्भाग्य है। ऐसा पहली बार हो रहा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री हरिन पाठक : महोदय, श्री नीतीश कुमार सूचना दे चुकें हैं। कृपया उन्हें अवसर दें...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या कोई सूचना है? मुझे पता करने दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री हरिन पाठक, आप कृपया बैठ जाएं। नहीं, मुझे अफसोस है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, एक आदमी सदन में इस तरह से भाषण देता चला जाए और इम उसका जवाब भी नहीं दे सकें।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री हरिन पाठक : महोदय, आपने एक नया पूर्वोदाहरण बना दिया है...*(व्यवधान)* उन्होंने सूचना दी है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, आपके पास पर्याप्त अधिकार हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपने प्रश्न काल के बाद वक्तव्य के लिए सूचना दी थी। यह नियम 357 के अधीन नहीं है। यह वह वक्तव्य नहीं है जो इस नियम में अपेक्षित हो। यह सूचना नियम 357 के अधीन नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, इसका निदान तत्काल होना चाहिए।

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : कृपया माननीय अध्यक्ष महोदय की बात सुनिए...*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक : बिना किसी सूचना के भी उन्हें दो मिनट के लिए सुना जा सकता है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : अध्यक्ष महोदय, यह देश का दुर्भाग्य है कि सरकार की ओर से ही इस प्रकार के स्टेटमेंट गोधरा के बारे

में दिए जा रहे हैं। सरकार की ओर से इस बारे में तुरन्त सफाई होनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं भी उन्हें पूर्ण संरक्षण दे रहा हूं। मैं आपसे अधिक चिन्तित हूं। आप केवल परेशान कर रहे हैं। आप उनकी सहायता नहीं कर रहे हैं; मैं उनकी सहायता कर रहा हूं। यही अन्तर है। मैं उनकी सहायता कर रहा हूं और आप उन्हें विचलित कर रहे हैं। मैं श्री नीतीश कुमार से बोलने का अनुरोध कर रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री नीतीश कुमार, मैं आपको मौका दूंगा यदि आप 4 बजे भी बोलना चाहेंगे।

(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : जी नहीं, महोदय, यह संभव नहीं है... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : सर, हम छह साल से रूल्स ही पढ़ते और देखते चले आए हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इससे इंकार नहीं कर रहा हूं। मैं उन्हें वक्तव्य देने के लिए आमन्त्रित कर रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक : वे मंत्री नहीं हैं। परन्तु क्या उन्हें कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है?...*(व्यवधान)* मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि इस सभा में क्या हो रहा है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हरिन पाठक जी, बहुत अच्छा, लगता है कि मुझे ही आपको इस सभा के नियम याद दिलाने पड़ेंगे। लगता है आप नहीं जानते हैं।

(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक : मैं नियम जानता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री हरिन पाठक, क्या मैं आपको नियमों के बारे में याद दिलाऊं?

(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक : यह तो सभा की परंपरा है...*(व्यवधान)*

श्री विजय कुमार मल्होत्रा : सभा में कोई भी सदस्य खड़ा हो सकता है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, रूल्स के साथ परम्पराएं भी चलती हैं।...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते : महोदय, यहां बैठकर आप परम्परा का लाभ उठाते रहे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री पाठक, क्या मैं आपको नियमों के बारे में याद दिलाऊं? आप कह रहे हैं कि आप सब जानते हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री हरिन पाठक : मैंने नहीं कहा है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नियमों और निर्देशों के आधार पर मैं अपना विनिर्णय दे रहा हूं। आप मेरे विनिर्णय को नहीं मान रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : नीतीश जी, आप इस सीट पर आकर बोलें। ...*(व्यवधान)* जो माननीय सदस्य इस सीट पर बैठते थे, वह ऐसे ही बोलते थे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री हरिन पाठक : महोदय, यह बहुत ही बुरा पूर्वोदाहरण है ...*(व्यवधान)* यह एक नया पूर्वोदाहरण है...*(व्यवधान)* इसके लिए नियम हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : अध्यक्ष महोदय, हम इतने सालों से यहां पाम्पराएं देखते आ रहे हैं। इस चेयर से हर वक्त बोलने का अवसर मिला है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत गलत है। श्री अनंत गंगाराम गीते, अगर आप अध्यक्षपीठ पर दोषारोपण कर रहे हैं तो ठीक है, जो करना है कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे बार-बार बैठने का अनुरोध कर रहा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : हम परम्पराओं की बात कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रत्येक सदस्य अध्यक्षपीठ को पढ़ा रहा है। मैं बार-बार कह चुका हूं और फिर कह रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ये व्यक्तिगत कटाक्ष के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनसे नियमों का पालन करने का अनुरोध किया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : हम हाथ जोड़ कर सुबह से आपसे बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया नियमों का पालन कीजिए। मैं आपको पूरा समय दूंगा। इसे कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल किया जाएगा। मैं वायदा कर रहा हूं, लेकिन आप सुन ही नहीं रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, आप अपनी रूलिंग देने से पहले मेरी बात सुन लें। आप कह रहे हैं कि आप हमें अपनी बात रखने का समय देंगे, लेकिन आपको लिखित चाहिए। हम आपसे इसी का उल्लेख करना चाहेंगे,...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठिए।

(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : हम स्पीकर साहब से बात कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)* क्या सदन में सारे ही स्पीकर हो गए हैं। हमारी स्पीकर साहब से बात हो रही है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बोलिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वे एक जिम्मेदार सदस्य हैं। वे अपनी बात कहने में सक्षम हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री नीतीश कुमार, मैं उन्हें नियंत्रित कर रहा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : यहां सदन के नेता बैठे हुए हैं। एक स्पीकर चलेंगे या पांच-पांच स्पीकर चलेंगे।...*(व्यवधान)* आप इसे डिसाइड कर लीजिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनका विरोध किया है। अभी श्री नीतीश कुमार बोल रहे हैं। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, अपनी रूलिंग देने से पहले आपने मुझे कहा कि लिखित दे दें। उसके संबंध में सिर्फ एक आब्जर्वेशन सुन लीजिए, एक दरख्वास्त सुन लीजिए। कल यहां रेल बजट पर जब जवाब चल रहा था, उस भाषण के दौरान जो कुछ बोला गया, उस रेल बजट से गोधरा का कोई रिश्ता नहीं था।

[अनुवाद]

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा) : महोदय, यह ठीक नहीं है ...*(व्यवधान)* कल वे बाहर क्यों चले गए थे?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : क्या तानाशाही चलेगी?... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठिए।

[अनुवाद]

श्री नीतीश कुमार : मुझे लगता है कि सभा में कई-कई 'स्पीकर' हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है? कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : हम केवल एक अध्यक्ष को मान्यता देते हैं। महोदय, हम आपके अलावा किसी और को अध्यक्ष नहीं मान सकते...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इससे ज्यादा मैं और क्या कह सकता हूं। अगर सभा में हरेक सुनने को तैयार है तो वे बोलेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप क्या बात कर रहे हैं?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं जो कह रहा हूं। कृपया इसे मानिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने स्वयं कहा है – 'हां, श्री नीतीश कुमार जी, आपको कुछ कहना है।' सुबह मैंने इस बात को स्वीकार किया था। मैंने कहा था–'आप परेशान हैं, मैं आपको पूरा अवसर दूंगा।'

(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : मैं परेशान नहीं हूं। मैं सिर्फ न्याय चाहता हूं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अब मुझे क्या अंग्रेजी भी फिर से सीखनी होगी।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा। आपके पास बड़ी भावनाएं हैं और आप उन्हें व्यक्त करना चाहते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिये। आपकी वही भावनाएं हैं और आप उन्हें व्यक्त करना चाहते हैं। मैंने स्वयं कहां है कि मैं आपको पूरा अवसर दूंगा। मैंने सिर्फ यही गलती अथवा अपराध किया है कि मैंने आपसे नियमों का पालन करने को कहा है।

[हिन्दी]

मैंने रूल्स फॉलो करने के लिए कह दिया, क्या यह मेरा क्राइम है?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : लेकिन आप अपनी जिद पर अड़े हुए हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, हमारा आग्रह है कि रेल बजट से गोधरा का कोई संबंध नहीं है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप उसी पर बोलिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे लिख कर दें आप उसे कहें। अन्यथा आपको हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। अन्यथा चर्चा समाप्त हो चुकी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको वक्तव्य देना होगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 13 और 14 को लेते हैं। श्री मोहन सिंह बोल रहे थे।

(व्यवधान)

अपराह्न 2.16 बजे

(इस समय श्री सुशील कुमार मोदी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा-पटल के निकट खड़े हो गए।)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : उनको स्टेटमेंट पर बोलने दीजिए, इसमें क्या है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उन्हें यही अपने वक्तव्य में कहने दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि नियम यही कहते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : हमने कहा है, तो बोलेंगे। इसमें क्या है।

[अनुवाद]

नियम यही है। क्या समस्या है? क्या कठिनाई है? मुझे बताइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसे आरोप मत लगाइए। आप सभा की अवमानना कर रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप क्या बात करते हैं, हम मना करते रहे। वे अभी चाहेंगे तो बोलेंगे। आप कह रहे हैं कि उनको बोलने दो, हम उनको बोलने के लिए इन्वाइट कर रहे हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप सभी उनके सलाहकार हैं। आप सभी उन्हें सलाह दे रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अभी देने को कहिये। जब भी वे लिखित देंगे तो हम तुरन्त बोलने देंगे। उसमें स्टेटमेंट की जरूरत नहीं थी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : स्टेटमेंट देने का हम उनको मौका देंगे, तुरन्त मौका देंगे, लेकिन उन्हें स्टेटमेंट ही देना होगा। यह जगह बोलने की नहीं है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप नियमों के बारे में कुछ नहीं जानते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा के बीचों-बीच में आकर कही गई बातों को कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मेरी अनुमति के बिना जो कुछ बोला जाएगा उसे कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जो सदस्य सभा के बीचों-बीच में आकर बोल रहे हैं उनकी बात को कार्यवाही-वृत्तान्त मे सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप केवल अध्यक्ष पीठ से कही गई बातों को ही सम्मिलित करें। सभा के बीचों-बीच में आकर कही गई बातों को कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इन्हें बैठने को बोलिए। आप लोग क्या कर रहे हैं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सब अपनी-अपनी सीटों पर बैठिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी सीटों पर जा कर बोलिये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे यह कहते हुए दु:ख हो रहा है, लेकिन इसे कार्यवाही में सम्मिलित होने दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सभा में कोई भी सहयोग नहीं दे रहा है। अनेक माननीय सदस्य सभा को उचित रूप में चलने देना नहीं चाहते हैं।

मैं सभा को अपराह्न 3.00 बजे तक स्थगित कर रहा हूं।

अपराह्न 2.20 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 3.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 3.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 3.00 बजे पुन: समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

सभापति तालिका के लिए नामनिर्देशन

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को यह सूचना देनी है कि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 9 के अधीन मैंने निम्नलिखित सदस्यों को सभापति-तालिका का सदस्य नामनिर्दिष्ट किया है:-

1. श्री पवन कुमार बंसल
2. श्री गिरिधर गमांग
3. श्रीमती सुमित्रा महाजन
4. श्री अजय माकन
5. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय
6. श्री बालासाहिब विखे पाटील
7. श्री वरकला राधाकृष्णन
8. श्री अर्जुन सेठी
9. श्री मानवेन्द्र शाह
10. श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार (नालन्दा) : अध्यक्ष महोदय,...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हम आपकी बात सुनना चाहते हैं। आप बोलिए।

(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मुझे अपनी बात रखने की अनुमति मिलनी चाहिए। इस सदन में एक बार नहीं, अनेक बार हुआ है और ऐसी परम्परा है कि जब कोई सदस्य इस प्रकार की स्थिति में अनुमति चाहता है तो उसे आप मौखिक तौर पर भी अपनी बात रखने की इजाजत देते हैं। इससे कोई आसमान नहीं टूट जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। यहां जिस प्रकार भाषण दिए गए हैं, रेल बजट से गोधरा का कोई संबंध नहीं है लेकिन यहां जिस तरह का भाषण हुआ था।...*(व्यवधान)* इन्हें सुनने का साहस नहीं है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 3.02 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 16 जुलाई, 2004/ 25 आषाढ़, 1926 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्यवार अनुक्रमणिका

क्रमांक	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1	2	3
1.	श्री परसुराम माझी श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता	142
2.	श्री मोहन एस. डेलकर श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन'	143
3.	श्री शिवाजी अधलराव पाटील श्री उदय सिंह	144
4.	श्री रायापति सांबासिवा राव	145
5.	श्री कमला प्रसाद रावत श्री बसुदेव आचार्य	146
6.	श्री सी.के. चन्द्रप्पन श्रीमती पी. सतीदेवी	147
7.	श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख श्री सुशील कुमार मोदी	148
8.	डा. रामकृष्ण कुसमरिया	149
9.	श्री दुष्यंत सिंह	150
10.	श्री निवास दादासाहेब पाटील	151
11.	श्री रतिलाल कालीदास वर्मा श्री निखिल कुमार चौधरी	152
12.	श्री अधीर चौधरी श्री निखिल कुमार	153
13.	श्री सुरेश कुरूप	154
14.	श्री सुनील खां	155
15.	श्री प्रबोध पाण्डा	156
16.	श्री कैलाश मेघवाल श्री बी. विनोद कुमार	157
17.	डा. पी.पी. कोया श्री मनसुखभाई डी. वसावा	158
18.	श्री अब्दुल रशीद शाहीन	159
19.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड	160
20.	श्री तथागत सत्पथी श्री महबूब जाहेदी	161

अतारांकित प्रश्नों की सदस्यवार अनुक्रमणिका

सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2
अब्दुल्लाकुट्टी, श्री	1145
आचार्य, श्री बसुदेव	1198
आदित्यनाथ, योगी	1197
अहीर, श्री हंसराज जी	1161
अजय कुमार, श्री एस.	1133, 1166
आठवले, श्री रामदास बंडु	1144, 1163, 1222, 1313, 1344
बब्बर, श्री राज	1171
'बघदा', श्री बची सिंह रावत	1166
बिसेन, श्री गौरीशंकर चतुर्भुज	1177, 1252
बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह	1135, 1258, 1350
बुधौलिया, श्री राजनरायन	1212, 1349
चक्रवर्ती, श्री अजय	1179, 1187, 1292

1	2
चालिहा, श्री किरिप	1173, 1186, 1275, 1292
चन्देल, श्री सुरेश	1138, 1190, 1264
चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	1236, 1292, 1327, 1348
चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र	1166, 1191, 1260, 1349
चौधरी, श्री निखिल कुमार	1251
चौहान, श्री शिवराज सिंह	1184, 1203, 1257, 1306
चौधरी, श्री पंकज	1207, 1300, 1349
चौधरी, श्री अधीर	1231, 1287, 1323, 1352
चौधरी, श्री विकास	1191
डांगावास, श्री भंवर सिंह	1154
देवरा, श्री मिलिन्द	1196, 1229, 1285, 1322
देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र	1212, 1293, 1328, 1349
डोम, डा. रामचन्द्र	1191
गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर	1139, 1271
गढ़वी, श्री पी.एस.	1182, 1255
गांधी, श्री प्रदीप	1166, 1191, 1251, 1349
गंगवार, श्री संतोष	1150, 1249, 1302
जगन्नाथ, डा. एम.	1170, 1246, 1292, 1299, 1336
जयाप्रदा, श्रीमती	1164
झा, श्री रघुनाथ	1132, 1216, 1288, 1324
कलमाडी, श्री सुरेश	1272
कामत, श्री गुरूदास	1180, 1270, 1317, 1347

1	2
कनोडिया, श्री महेश	1134
करुणाकरन, श्री पी.	1188
खैरे, श्री चंद्रकांत	1169, 1245
खां, श्री सुनील	1190, 1241
खन्ना, श्री अविनाश राय	1151
कृष्ण, श्री विजय	1181, 1195, 1268, 1314, 1346
कृष्णदास, श्री एन.एन.	1202
कुरूप, श्री सुरेश	1232, 1316, 1327
महाजन, श्री वाई.जी.	1163, 1166, 1183, 1191, 1256
'ललन, श्री राजीव रंजन सिंह	1167
महतो, श्री बीर सिंह	1162, 1237
मनोज कुमार, श्री	1146, 1224, 1286
महताब, श्री भर्तृहरि	1193, 1265, 1310, 1341
माझी, श्री परसुराम	1217, 1310, 1318
मंडल, श्री सनत कुमार	1143
मंडलिक, श्री सदाशिवराव दादोबा	1181, 1250, 1254, 1304, 1352
माने, श्रीमती निवेदिता	1179, 1250, 1304, 1352
मरांडी, श्री बाबू लाल	1152
मेघवाल, श्री कैलाश	1242, 1297, 1333, 1354
मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	1238, 1294
मोदी, श्री सुशील कुमार	1163, 1183, 1328

1	2
मोहले, श्री पुन्नूलाल	1267, 1312, 1343, 1356
मोल्लाह, श्री हन्नान	1352
मूर्ति, श्री ए.के.	1142, 1221
मुर्मू, श्री रूपचन्द	1165
नायर, श्री पी.के वासुदेवन	1186, 1248
नायक, श्री अनंत	1137, 1193, 1219, 1282, 1345
निहाल चन्द, श्री	1140, 1239
निषाद, श्री महेन्द्र प्रसाद	1127, 1227
निखिल कुमार, श्री	1352
ओवेसी, श्री असादूद्दीन	1196, 1269, 1315
पाण्डा, श्री प्रबोध	1220, 1296, 1332, 1353
पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	1159, 1250, 1349
परस्ते, श्री दलपत सिंह	1128, 1179, 1352
पासवान, श्री रामचन्द्र	1174
पासवान, श्री सुकदेव	1176
पाटसाणी, डा. प्रसन्न कुमार	1201
पटेल, श्री दिनशा	1186, 1208, 1291
पाटिल, श्री प्रकाशबापू वी.	1186, 1208, 1209, 1276, 1305
पाटील, श्री शिवाजी अधलराव	1218, 1289, 1292, 1325
पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब	1213, 1295, 1330
प्रधान, श्री धर्मेन्द्र	1349
प्रसाद, श्री हरिकेवल	1156, 1237, 1266, 1311, 1342
पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी.	1149, 1206, 1228, 1284, 1321
राधाकृष्णन, श्री वरकला	1168, 1244, 1298, 1335, 1355
राजेन्द्रन, श्री पी.	1148, 1226, 1305
राणा, श्री काशीराम	1190, 1263, 1309
राव, श्री के.एस.	1194, 1292, 1333, 1352
राव, श्री रायापति सांबासिवा	1233, 1243, 1290, 1326
रावले, श्री मोहन	1174, 1260
रावत, श्री अशोक कुमार	1277
रावत, श्री कमला प्रसाद	1234, 1291
रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	1205
रेड्डी, श्री एस.पी.वाई.	1130, 1297
रिजीजू, श्री खीरेन	1159, 1191, 1250
सरोज, श्री तूफानी	1174
सतीदेवी, श्रीमती पी.	1166
सत्पथी, श्री तथागत	1210, 1280, 1338
सेन, श्रीमती मिनाती	1141, 1235
सेठ, श्री लक्ष्मण	1166, 1190, 1352
शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	1162
शाक्य, श्री रघुराज सिंह	1192, 1251
शांडिल्य, डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम	1158, 1261, 1307 1334, 1340

1	2
शिवनकर, प्रो. महादेवराव	1153, 1179
सिंह, श्री दुश्यंत	1223, 1283, 1329, 1350
सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	1179, 1250, 1254, 1304, 1352
सिंह, श्री मानवेन्द्र	1198, 1260
सिंह, श्री मोहन	1136, 1260, 1336
सिंह, श्री प्रभुनाथ	1157, 1251, 1259, 1349
सिंह, श्री उदय	1277, 1319, 1349
सोनोवाल, श्री सर्वानन्द	1175
सुब्बा, श्री मणी कुमार	1199, 1230
सुमन, श्री रामजीलाल	1167
सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा	1172, 1247, 1300, 1337
ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	1200, 1211, 1281, 1331, 1351
थामस, श्री पी.सी.	1185, 1274
तीरथ, श्रीमती कृष्णा	1189, 1262, 1308, 1349 (सं),
त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	1174, 1248, 1301, 1349(सं)
वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास	1160, 1240
वीरेन्द्र कुमार, श्री	1178, 1253, 1303, 1339
वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह	1129
वर्मा, श्रीमती ऊषा	1204, 1273, 1349
विनोद कुमार, श्री बी.	1214, 1278, 1334
वाघमारे, श्री सुरेश	1147, 1225
यादव, श्री गिरिधारी	1155
यादव, श्री राम कृपाल	1155
येरननायडू, श्री किन्जरपु	1131, 1215, 1279, 1292, 1320

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालयवार अनुक्रमणिका

संस्कृति	:	
रक्षा	:	149, 157, 161
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	150
सूचना और प्रसारण	:	144, 154, 156
पंचायती राज	:	143, 155
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	142, 148, 153, 158, 159, 160
रेल	:	147
ग्रामीण विकास	:	145, 151, 152
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	:	146

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालयवार अनुक्रमणिका

संस्कृति	:	1142, 1144, 1152, 1153, 1158, 1164, 1170, 1184, 1194, 1210, 1211, 1264, 1266, 1288, 1310।
रक्षा	:	1132, 1150, 1151, 1156, 1159, 1161, 1169, 1174, 1175, 1180, 1188, 1199, 1209, 1222, 1234, 1246, 1249, 1250, 1254, 1269, 1270, 1272, 1275, 1277, 1308, 1325, 1332, 1333, 1336, 1347, 1352।
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	1149, 1157, 1202, 1232, 1236, 1238, 1241, 1242, 1284, 1314, 1330, 1337, 1339।
सूचना और प्रसारण	:	1130, 1171, 1173, 1181, 1189, 1233, 1265, 1267, 1281, 1295, 1299, 1313, 1326, 1340, 1341।
पंचायती राज	:	1186, 1257, 1327।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	1131, 1133, 1134, 1138, 1140, 1146, 1165, 1167, 1176, 1183, 1187, 1193, 1201, 1204, 1208, 1212, 1215, 1224, 1227, 1230, 1237, 1244, 1247, 1248, 1268, 1271, 1273, 1285, 1289, 1297, 1298, 1301, 1303, 1304, 1307, 1311, 1322, 1324, 1328, 1329, 1338, 1344, 1353, 1354।
रेल	:	1129, 1136, 1137, 1139, 1141, 1143, 1145, 1147, 1162, 1163, 1168, 1172, 1177, 1179, 1182, 1185, 1196, 1197, 1200, 1205, 1206, 1207, 1214, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1225, 1229, 1231, 1235, 1239, 1243, 1245, 1252, 1255, 1256, 1258, 1261, 1263, 1274, 1276, 1278, 1280, 1282, 1283, 1286, 1287, 1291, 1293, 1294, 1296, 1300, 1302, 1305, 1312, 1315, 1318, 1330, 1331, 1335, 1342, 1345, 1346, 1348, 1349, 1351, 1355।
ग्रामीण विकास	:	1135, 1154, 1155, 1160, 1166, 1190, 1191, 1195, 1198, 1221, 1223, 1228, 1240, 1251, 1253, 1259, 1260, 1279, 1290, 1292, 1306, 1309, 1316, 1319, 1321, 1350, 1356।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	:	1127, 1128, 1148, 1178, 1192, 1203, 1213, 1226, 1262, 1317, 1323, 1334, 1343।

© 2004 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित

और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।